




मार्च 2026 करेंट अफेयर्स मैगजीन




**CENTER FOR
CIVIL SERVICES**
DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

▶ **CCS UPSC & JPSC**

@ccsupsc

CCS
UPSC



अब करें तैयारी
UPSC/JPSC/BPSC की
कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- निःशुल्क पाठ्यसमग्री
- निःशुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी


GET IT ON
Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

▶ **CCS UPSC & JPSC**

@ccsupsc

CCS
UPSC



Now prepare for
UPSC/JPSC/BPSC
from Anywhere!

- Live + Recorded Classes
- Study Materials
- All India Test Series
- Free Study Materials
- Free Test Series
- Current Affairs
- 24*7 Doubt Support
- Highly Affordable Fee
- Highly Effective Preparation

GET IT ON
Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

मार्च- 2026

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

इतिहास एवं संस्कृति

1-6

पूर्वोत्तर बौद्ध सर्किट: बजट 2026-27 की नई पहल
सेरेंगसिया की लड़ाई (1837): हो आदिवासियों का ऐतिहासिक प्रतिरोध
रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह: स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम ज्वाला (80वीं वर्षगांठ)
होयसल का वैभव: पत्थरों पर उकेरी गई विरासत
महर्षि दयानंद सरस्वती: आधुनिक भारत के प्रणेता और समाज सुधारक
चंद्रशेखर आज़ाद

राज्यवस्था

7-30

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाना
भारत में बांझपन
फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (FNTA) के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौता
आईटी नियम संशोधन 2026
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91वां
लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
'वंदे मातरम' पर केंद्र के नए दिशा-निर्देश
नीति आयोग का अध्ययन: विकसित भारत और नेट जीरो (अपशिष्ट क्षेत्र) की ओर परिदृश्य
राज्य और 16वां वित्त आयोग
पैमाना वेब पोर्टल
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें
भारतीय वैज्ञानिक सेवा के साथ विभाजन को पाटना
बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का 50वां वर्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी
अभाव और समृद्धि का चक्र
सरकारी बैंक डैशबोर्ड और मैनुअल पहल
सीएसआर के भविष्य को आकार देना

भूगोल

31-32

डल झील: कश्मीर के मुकुट का गहना (Jewel in the Crown of Kashmir)
महाद्वीपीय मेंटल भूकंप: पृथ्वी की गहराई का नया मानचित्र

पर्यावरण

33-39

मोर

कछुए के निशान
अवैध खनन संकट: रेट-होल खनन और प्रवर्तन की चुनौतियां
प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions - NbS)
सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना को अपग्रेड करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया
जर्मनी के BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' नामित किया गया
ओडिशा डॉल्फिन जनगणना 2026: एक संक्षिप्त रिपोर्ट
यूएनईपी एफआई इम्पैक्ट सेंटर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

40-58

एकल-इकाई सौर ऊर्जा कैप्चर और भंडारण उपकरण
मोल्डबुक प्लेटफॉर्म
बायोफार्मा शक्ति पहल
सोडियम-आयन बैटरी तकनीक
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)
चंद्रमा का मॉन्स माउंटन
क्यासानूर वन रोग (केएफडी)
भारत को दो नई दूरबीनें मिलने वाली हैं
नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 (nOPV2)
संगतम समुदाय
जैव-आधारित रसायन और एंजाइम
एमएनएवी विज्ञान
गगनयान इरोग पैराशूट
सैटेलाइट फोन
लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (एलएनटी) मॉडल
ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण
ASTraM: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी
मेनिंगोकोकल संक्रमण
फोर्टिफाइड राइस रोलआउट का निलंबन
रेल तकनीक नीति
ASTraM: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी
भारत में साइबर अपराध
डीप टेक स्टार्ट-अप

अर्थव्यवस्था

59-69

केंद्रीय बजट 2026-27: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड निवेश
बजट 2026-27: भारत के 'रैर अर्थ कॉरिडोर' (Rare Earth Corridor)
केंद्रीय बजट 2026-27: शिक्षा, कौशल और रोजगार क्रांति
नया आयकर अधिनियम, 2025: कर सुधारों का नया अध्याय
भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA): दोहरे योगदान से मुक्ति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)
एपीडा (APEDA): कृषि निर्यात के 40 सफल वर्ष
भारत का अधिशेष श्रम जाल (Surplus Labour Trap): विश्लेषण एवं समाधान
निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM)
SBI 'चक्र' (CHAKRA): उभरते क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE)
यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL): मिनीरल श्रेणी-I का दर्जा और स्वायत्तता

पीआईबी

70-88

केंद्रीय बजट 2026-27: पशुधन और मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) टेक्नोलॉजी
भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सात चक्र
संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौता
बी-रेडी आकलन
आयुष्मान सहकार योजना
विकास इंजन के रूप में रचनात्मक उद्योग
पीएम राहत योजना

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
सरकार ने SAHI और BODH पहल शुरू की
भारत के एआई-उद्यमी
नई दिल्ली घोषणा – एआई इम्पैक्ट समिट 2026
अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 75वीं वर्षगांठ
दोहरा कराधान बचाव कन्वेंशन (DTAC)
एमएसएमई मंत्रालय ने एनएसआईसी को अनुसूची 'ए' श्रेणी सीपीएसई में अपग्रेड किया
एलसीएच प्रचंड
भारत के औद्योगिक गलियारे
एमएसएमई मंत्रालय ने एनएसआईसी को अनुसूची 'ए' श्रेणी सीपीएसई में अपग्रेड किया
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधार 2024=100
प्रोजेक्ट वॉल्ट

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

89-104

भारत-मलेशिया इम्पैक्ट फ्रेमवर्क
भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी
G7 शिखर सम्मेलन 2026
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)
भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध
विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव
भारत-भूटान सीमा पार नदी सहयोग
भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध
पैक्स सिलिका पहल
चाबहार बंदरगाह
रणनीतिक स्वायत्तता से विकसित भारत तक: भारत की विदेश नीति को फिर से तैयार करना

सामाजिक मुद्दे

105-110

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन
महिलाओं के नेतृत्व में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FFS 2.0)
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II)
विश्व बैंक: महिला, व्यवसाय और कानून (WBL) 2026 रिपोर्ट

रक्षा

111-117

रक्षा क्षेत्र: पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि (FY 2026-27)
प्रमुख सैन्य अभ्यास: 2026
मिलन (MILAN) 2026 नौसेना अभ्यास
भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का सूर्यास्त
ऑपरेशन डिमोलिशनमेंट
प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास: 2026
आईएनएस कृष्णा (INS Krishna): स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज

आपदा

118-122

16वां वित्त आयोग: हीटवेव और बिजली को 'राष्ट्रीय आपदा' का दर्जा
भारत में रासायनिक गैस रिसाव: औद्योगिक सुरक्षा और चुनौतियां
पूर्वोत्तर भारत में वनाग्नि (Forest Fires): चुनौतियां और समाधान

पूर्वोत्तर बौद्ध सर्किट: बजट 2026-27 की नई पहल

संदर्भ:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में पूर्वोत्तर के प्राचीन मंदिरों और मठों के संरक्षण तथा वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'बौद्ध सर्किट (पूर्वोत्तर)' विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है।

1. मिशन का स्वरूप और बजट घोषणाएं

- एकीकृत विकास: इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध मठों और तीर्थ स्थलों के संरक्षण को बेहतर कनेक्टिविटी और प्रचार के साथ जोड़ना है।
- पूर्वोदय और पर्यटन: 'पूर्वोदय' राज्यों (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर) में 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
- हरित परिवहन: पर्यटकों की सुगम आवाजाही के लिए क्षेत्र में 4,000 ई-बसों की तैनाती का प्रस्ताव है।
- वित्तीय आवंटन: शहरी-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'शहर आर्थिक क्षेत्रों' (CER) के तहत ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- कनेक्टिविटी: पर्यटन स्थलों को बाजारों से जोड़ने के लिए इसे 'ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' के साथ एकीकृत किया जाएगा।



2. पूर्वोत्तर के प्रमुख बौद्ध मठ: राज्यवार वर्गीकरण

अरुणाचल प्रदेश (महायान और थेरवाद परंपरा)

- अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध स्थलों की सघनता सबसे अधिक है, जो विशेष रूप से तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में स्थित हैं।
- तवांग मठ (गाल्डेन नामग्याल ल्हात्से): भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ। यहाँ 18 फुट ऊंची स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा है।
- गोल्डन पैगोडा (नामसाई): अपनी बर्मी शैली और स्वर्ण परत वाली संरचना के लिए प्रसिद्ध, जो थेरवाद परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
- अर्गेलिंग मठ: 15वीं शताब्दी का यह मठ छोटे दलाई लामा के जन्मस्थान के रूप में पूजनीय है।
- टवटसांग गोम्पा: भूटान सीमा के पास स्थित, इसे 'भारत का टाइगर नेस्ट' कहा जाता है; यहाँ गुरु पद्मसंभव ने ध्यान किया था।

सिक्किम (न्यिंगमा और काम्यू संप्रदाय)

- सिक्किम के मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के प्राचीन स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रुमटेक मठ: सिक्किम का सबसे बड़ा मठ और 'ग्यालवांग करमापा' का निर्वासन स्थल। यह बौद्ध शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र है।
- पेमयंगत्से मठ: राज्य के सबसे पुराने मठों में से एक, जिसने ऐतिहासिक रूप से सिक्किम के अन्य न्यिंगमा मठों का नेतृत्व किया।
- ताशीदिंग मठ: इसे सिक्किम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है; मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है।
- दुबड़ी मठ: 1701 में स्थापित, यह सिक्किम का सबसे पुराना मठ (Hermit's Cell) माना जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण स्थल

- घूम मठ (पश्चिम बंगाल): दार्जिलिंग में स्थित यह मठ अपनी 15 फुट ऊंची 'मैत्रेय बुद्ध' (भविष्य के बुद्ध) की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
- नंफाके मठ (असम): डिब्रूगढ़ के पास ताई-फाके समुदाय का यह मठ अपनी थेरवाद परंपरा और शांत वातावरण के लिए विख्यात है।
- वेणुवन विहार (त्रिपुरा): अगरतला में स्थित इस मठ में म्यांमार से लाई गई धातु की बुद्ध प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है।

3. योजना का महत्त्व

1. सांस्कृतिक कूटनीति: यह 'एवट ईस्ट' नीति के तहत दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम) के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा।
2. आर्थिक सशक्तिकरण: पर्यटन बढ़ने से स्थानीय हस्तशिल्प, होमस्टे और गाइड सेवाओं के माध्यम से हज़ारों रोजगार पैदा होंगे।
3. बुनियादी ढांचा: ई-बसें और बेहतर सड़कें क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) को कम करते हुए आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट का विकास भारत की 'विरासत भी, विकास भी' की सोच को धरातल पर उतारता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति चाहने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा, बल्कि हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाएगा।

सेरेंगसिया की लड़ाई (1837): हो आदिवासियों का ऐतिहासिक प्रतिरोध

संदर्भ:

झारखंड सरकार ने हाल ही में पश्चिम सिंहभूम की सेरेंगसिया घाटी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई को राजकीय सम्मान के साथ मनाया।

1. युद्ध का परिचय

- क्या था: यह 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 'हो' आदिवासियों द्वारा किया गया एक भीषण सशस्त्र विद्रोह था।
- स्थान: वर्तमान झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले की दुर्गम 'सेरेंगसिया घाटी'।
- महत्व: यह पूर्वी भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद को दी गई शुरुआती और सबसे संगठित आदिवासी सैन्य चुनौतियों में से एक थी।



2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कारण

श्रेणी	विवरण
पारंपरिक शासन	कोल्हान क्षेत्र (सिंहभूम) ऐतिहासिक रूप से हो समुदाय की अपनी स्वशासन प्रणाली द्वारा शासित था।
ब्रिटिश घुसपैठ	1820-21 में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन कर लिया।
शोषणकारी नीतियां	बाहरी लोगों (दीकुओं) का प्रवेश, भारी कर (Taxation), और विदेशी कानूनों का थोपा जाना।
धार्मिक और सांस्कृतिक चोट	आदिवासियों का मानना था कि उनकी भूमि 'सिंग-बोंगा' (सर्वोच्च देवता) द्वारा प्रदान की गई है, जिस पर ब्रिटिश नियंत्रण उन्हें स्वीकार नहीं था।
तात्कालिक कारण	1836 तक ब्रिटिश सेना द्वारा हो गाँवों पर कब्ज़ा और 'कोल्हान एस्टेट' का जबरन गठन।

3. प्रमुख नेतृत्वकर्ता (हो वीर)

इस प्रतिरोध का नेतृत्व उन स्थानीय नायकों ने किया, जिनकी वीरता आज भी लोकगीतों में जीवित है:

- शहीद पोदो हो (मुख्य नायक - राजाबासा गाँव से)
- बेराई हो, पुंडुवा (पांडुआ) हो, बदाई हो
- नारा हो, देवी हो और सुगनी हो

4. युद्ध की रणनीति और घटनाक्रम (1837)

- गुरिल्ला युद्ध: हो सेनानियों ने सेरेंगसिया की संकीर्ण घाटी के भौगोलिक लाभ का उपयोग किया।
- अनोखी रणनीति: * पारंपरिक हथियारों (धनुष-बाण) के साथ-साथ पहाड़ियों से बड़े पत्थरों का उपयोग।
- अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए राख और मिर्च पाउडर मिश्रित गोबर को जलाकर धुआं करना।
- घाटी के रास्तों पर प्राकृतिक अवरोध (Barricades) बनाना।
- परिणाम: इस भीषण संघर्ष में 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। हो सेनानियों ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, हालांकि इस दौरान 26 आदिवासी वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी।

5. ब्रिटिश दमन और शहादत

प्रारंभिक हार से बौखलाए अंग्रेजों ने 'प्रतिरोध की नीति' अपनाई:

- दमन चक्र: गाँवों को जलाया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं।
- शहादत (Execution): दिसंबर 1837 तक प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया गया।
- 1 जनवरी 1838: पोदो हो, बेराई हो और नारा हो को जगन्नाथपुर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई।
- 2 जनवरी 1838: बोरा हो और पांडुआ हो को मुंडासाई (सेरेंगसिया के पास) में फांसी दी गई।
- परिणाम: लगभग 79 सेनानियों को कैद किया गया।

6. ऐतिहासिक विरासत और प्रभाव

- स्वशासन की पहचान: इस बलिदान ने कोल्हान की विशिष्ट प्रशासनिक स्थिति को मान्यता दिलाई, जो बाद में 'विल्किंसन रूल' (1837) के रूप में सामने आई।
- प्रेरणा: यह लड़ाई आज भी आदिवासी समुदायों के लिए आत्मसम्मान और भूमि अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है।

निष्कर्ष

सेरेंगसिया की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति, स्वायत्तता और 'जल-जंगल-ज़मीन' को बचाने का संकल्प था। शहीद पोदो हो और उनके साथियों का बलिदान झारखंड के इतिहास को गौरव और संघर्ष की नई परिभाषा देता है।

रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह: स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम ज्वाला (80वीं वर्षगांठ)

संदर्भ:

18 फरवरी, 2026 को 1946 के नौसेना विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ है। यह विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत का प्रतीक बना।

1. विद्रोह का परिचय

- क्या था: यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारतीय नौसैनिकों (जिन्हें 'रेटिंग्स' कहा जाता था) द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था।
- अवधि: 18 फरवरी से 23 फरवरी, 1946।
- व्याप्ति: यह विद्रोह बॉम्बे (मुंबई) से शुरू होकर कराची, मद्रास, कलकत्ता और विशाखापत्तनम तक फैल गया, जिसमें 78 जहाजों और 20 तट प्रतिष्ठानों के लगभग 20,000 नौसैनिक शामिल हुए।



2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कारण

श्रेणी	विवरण
नस्लीय भेदभाव	भारतीय नौसैनिकों के साथ गैरे अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार और नस्लीय टिप्पणियाँ।
दयनीय स्थितियाँ	अत्यधिक खराब भोजन (अखाद्य दाल और चावल), कम वेतन और कठोर सेवा शर्तें।
राष्ट्रवादी प्रेरणा	आजाद हिंद फौज (INA) के लाल किले में चल रहे मुकदमों और 'भारत छोड़ो आंदोलन' (1942) की गूँज।
तात्कालिक कारण	HMIS तलवार पर आर्थर फ्रेडरिक किंग जैसे नस्लवादी अधिकारी की नियुक्ति और बी.सी. दत्त जैसे नाविकों की गिरफ्तारी।

3. प्रमुख नेतृत्व और 'नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति'

विद्रोह को संगठित करने के लिए एक 'नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति' (Naval Central Strike Committee) बनाई गई।

- प्रमुख नेता: एम.एस. खान (अध्यक्ष), मदन सिंह (उपाध्यक्ष), बी.सी. दत्त, सलिल श्याम और ऋषि देव पुरी।

4. घटनाक्रम: भूख हड़ताल से सशस्त्र संघर्ष तक

1. प्रारंभ (18 फरवरी): HMIS तलवार के नाविकों ने खराब भोजन के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की और 'जय हिंद' व 'भारत छोड़ो' के नारे लगाए।
2. विस्तार: विद्रोह तेजी से अन्य जहाजों तक फैला। नाविकों ने जहाजों से यूनियन जैक (ब्रिटिश झंडा) उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहराए, जो अभूतपूर्व सांप्रदायिक एकता का प्रतीक था।
3. जनसमर्थन (बॉम्बे विद्रोह): बॉम्बे के मिल मजदूर, छात्र और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। कामटीपुरा और मदनपुरा जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों और जनता के बीच हिंसक झड़पें हुईं।
4. दमन: ब्रिटिश जनरल लॉकहार्ट ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। दमन के दौरान लगभग 200 नागरिक शहीद हुए।

5. विद्रोह का अंत और आत्मसमर्पण

- अपील: सरदार वल्लभभाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करने की अपील की और उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया।
- आत्मसमर्पण (23 फरवरी): नौसैनिकों ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि: "हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं।"

6. विद्रोह का ऐतिहासिक महत्त्व

- ब्रिटिश सत्ता का पतन: इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट कर दिया कि अब वे भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय सेना और नौसेना पर भरोसा नहीं कर सकते। इसने 'सत्ता हस्तांतरण' की प्रक्रिया को तेज कर दिया।
- सांप्रदायिक एकता: स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम वर्षों में जब देश विभाजन की ओर बढ़ रहा था, इस विद्रोह ने हिंदू-मुस्लिम एकता का एक दुर्लभ उदाहरण पेश किया।
- अंतिम प्रहार: इसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता के लिए "ताबूत में आखिरी कील" के रूप में देखा जाता है।

निष्कर्ष

1946 का नौसेना विद्रोह केवल 'खराब भोजन' का विरोध नहीं था, बल्कि यह गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का एक साहसिक प्रयास था। 80 साल बाद भी, इन अनाम नायकों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत केवल राजनीतिक वार्ता नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों और जनता का संयुक्त प्रतिरोध भी था।

होयसल का वैभव: पत्थरों पर उकेरी गई विरासत

संदर्भ:

बेलूर, हलेबिडु और सोमनाथपुरा के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलाने के बाद, 2026 में इतिहासकारों का ध्यान अब कर्नाटक के उन 'मूक स्मारकों' (जैसे कोरवांगला और डोड्डागदावल्ली) की ओर बढ़ा है जो अब तक मुख्यधारा से दूर थे।



1. होयसल वास्तुकला का सार

- कालखंड: 11वीं से 13वीं शताब्दी (कर्नाटक)।
- माध्यम: इन्होंने सोपस्टोन (Chloritic Schist) का उपयोग किया, जो खनन के समय नरम होता है लेकिन हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है।
- कलात्मकता: होयसल कारीगरों ने पत्थर को 'चंदन' की तरह कोमलता से तराशा। उनकी शैली में त्रिविमीय (3D) नक्काशी, आभूषणों की बारीकी और जटिलता अपने चरमोत्कर्ष पर है।

2. स्थापत्य कला की विशेषताएँ

- तारांकित (Stellate) योजना: मंदिर का आधार एक जटिल तारे के आकार का होता है, जिसे 'जगती' (ऊंचा मंच) कहा जाता है। यह नक्काशी के लिए अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करता है।
- क्षैतिज फ्रिज़ (Friezes): मंदिर के आधार पर परतों में नक्काशी होती है:
- हाथी: शक्ति का प्रतीक।
- सिंह: साहस का प्रतीक।
- अश्व: गति का प्रतीक।
- पुष्प: सौंदर्य का प्रतीक।
- खराद से बने स्तंभ (Lathe-turned Pillars): मंत्पों के भीतर के स्तंभ इतने बारीक पॉलिश किए गए हैं कि वे दर्पण की तरह चमकते हैं।
- जाली कार्य: पत्थर की छिद्रित खिड़कियाँ जो वेंटिलेशन और प्रकाश का अनूठा संतुलन बनाती हैं।

3. प्रमुख मंदिर और उनके चमत्कार

क. हलेबिडु (होयसलेश्वर मंदिर)

- इतिहास: 1121 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान निर्मित।
- खासियत: यह एक 'द्विकूट' (Dvikuta) मंदिर है, जिसमें दो समान मंदिर साथ-साथ हैं। यहाँ की बाहरी दीवारों पर मीलों तक निरंतर बारीक नक्काशी की गई है।
- नंदी मंडप: यहाँ अखंड पत्थर से बनी विशाल नंदी की मूर्तियाँ स्थापित हैं।

ख. बेलूर (चेन्नाकेशव मंदिर)

- इतिहास: 1117 ईस्वी में चोलों पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित।
- मदनिका (सालबंजिका): यहाँ की 42 आकाशीय नर्तकियों की मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनमें शारीरिक भावों और आभूषणों की अविश्वसनीय बारीकी है।
- नरसिम्हा स्तंभ: कारीगरों की श्रेष्ठता का प्रमाण, जिसे पहले एक धुरी पर घुमाया जा सकता था।
- गुरुत्वाकर्षण स्तंभ: प्रांगण में स्थित एक 42 फुट ऊँचा स्तंभ जो बिना किसी आधार के केवल अपने भार पर संतुलित है।

ग. मूक या अल्पज्ञात रत्न (Silent Jewels)

1. लक्ष्मीदेवी मंदिर, डोड्डागदावल्ली: यह सबसे पुराने होयसल मंदिरों में से एक है, जिसमें 'चतुस्कृता' (चार मंदिर) योजना है।
2. बुवेश्वर मंदिर, कोरवांगला: यह होयसल शैली के परिपक्व चरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भव्य द्विकूटा मंदिर है।
3. हुलिकेरे कल्याणी: यह एक अलंकृत बावड़ी है, जिसके चारों ओर नक्षत्रों और राशियों के प्रतीक छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो उन्नत जल इंजीनियरिंग का उदाहरण है।

4. विरासत का महत्त्व

- धार्मिक समन्वय: होयसल काल में शैव, वैष्णव और जैन धर्म का सह-अस्तित्व धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है।
- अभियांत्रिकी (Engineering): कल्याणी (बावड़ी) जैसी संरचनाएँ मध्यकालीन जल संरक्षण तकनीकों की श्रेष्ठता दर्शाती हैं।
- कलात्मक पराकाष्ठा: यह भारतीय मध्यकालीन मूर्तिकला का वह बिंदु है जहाँ पत्थर लकड़ी जैसी कोमलता के साथ व्यवहार करता है।

निष्कर्ष

होयसल का वैभव केवल बेलूर और हलेबिडु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण कर्नाटक में फैले उन अनगिनत मंदिरों में भी जीवित है जो अपनी पत्थर की टेपेस्ट्री से इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं। इन 'मूक आश्चर्यों' का संरक्षण भारतीय कला के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समझने के लिए अनिवार्य है।


महर्षि दयानंद सरस्वती: आधुनिक भारत के प्रणेता और समाज सुधारक

संदर्भ:

प्रधान मंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के सांस्कृतिक व शैक्षिक पुनरुत्थान में उनके अमूल्य योगदान को याद किया।

1. संक्षिप्त परिचय

- मूल नाम: मूल शंकर
- व्यक्तित्व: एक महान वैदिक विद्वान, प्रखर वक्ता, दार्शनिक और समाज सुधारक।
- संस्था: उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य ध्येय 'कृणवन्तो विश्वमार्यम्' (संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाना) था।
- नारा: उन्होंने "वेदों की ओर लौटो" (Back to the Vedas) का कालजयी नारा दिया।



2. प्रारंभिक जीवन और वैचारिक परिवर्तन

- जन्म: 12 फरवरी 1824 को टंकारा (गुजरात) के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में।
- वैराग्य का कारण: शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में चूहों को मूर्ति पर चढ़ते देख 'मूर्ति पूजा' पर संदेह हुआ। बाद में बहन और चाचा की मृत्यु ने उन्हें मृत्यु और सत्य के रहस्य की खोज में घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
- गुरु: मथुरा के स्वामी विराजानंद, जिन्होंने उन्हें नेत्रहीन होते हुए भी वेदों का मर्म समझाया और समाज को अज्ञानता से मुक्त करने का आदेश दिया।

3. प्रमुख दर्शन और विचार

स्तंभ	दयानंद सरस्वती के विचार
वैदिक सर्वोच्चता	वेदों को ज्ञान का एकमात्र और अचूक स्रोत माना। पुराणों और उत्तर-वैदिक विकृतियों को नकारा।
सामाजिक सुधार	जातिवाद (जन्म आधारित) का कड़ा विरोध। उन्होंने 'गुण-कर्म-स्वभाव' आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया।
नारी शक्ति	बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध। विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक।
धार्मिक शुद्धि	मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर तर्कपूर्ण प्रहार किया।
स्वदेशी और स्वराज	उन्होंने सबसे पहले 'स्वराज' शब्द का प्रयोग किया और विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी के गौरव पर बल दिया।

4. साहित्यिक और संस्थागत योगदान

प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ:

1. सत्यार्थ प्रकाश (1875): उनका सबसे प्रभावशाली ग्रंथ, जो धर्म, समाज और राजनीति पर सत्य का प्रकाश डालता है।
2. संस्कारविधि: मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों (जन्म से मृत्यु तक) के शुद्ध वैदिक स्वरूप का वर्णन।
3. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका: वेदों की व्याख्या करने हेतु एक मार्गदर्शक ग्रंथ।

संस्थागत विरासत:

- आर्य समाज: इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बाद में उनके अनुयायियों ने D.A.V. (दयानंद एंग्लो वैदिक) शिक्षण संस्थानों और गुरुकुलों (जैसे कांगड़ी गुरुकुल) की श्रृंखला शुरू की।
- परोपकारिणी सभा: वैदिक साहित्य के संरक्षण और प्रसार के लिए अजमेर में स्थापित संस्था।

5. अंतिम समय और बलिदान

- शहादत: जोधपुर प्रवास के दौरान रियासत के कुलीन वर्गों के नैतिक पतन की आलोचना करने के कारण उन्हें षड्यंत्र के तहत कांच मिश्रित दूध (ज़हर) दिया गया।
- देहावसान: गंभीर बीमारी के बाद, 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे— "प्रभु, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो।"

6. महत्त्व और विरासत

- राष्ट्रवाद का आधार: वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक स्तंभ थे। सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेता उनके विचारों से गहराई से प्रभावित थे।
- शैक्षिक क्रांति: आज भी हज़ारों D.A.V. स्कूल और कॉलेज उनके आधुनिक और प्राचीन शिक्षा के समन्वय के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं।


चंद्रशेखर आज़ाद

संदर्भ:

प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आज़ाद के अटूट संकल्प और उनके सर्वोच्च बलिदान को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया।

1. संक्षिप्त परिचय

- वास्तविक नाम: चंद्रशेखर सीताराम तिवारी।
- व्यक्तित्व: वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे निडर नेता और संगठनकर्ता थे।
- उपनाम: अपनी अद्भुत फुर्ती और पकड़ में न आने की कला के कारण उन्हें 'दिवक सिल्वर' कहा जाता था।
- संकल्प: उन्होंने शपथ ली थी कि वे कभी भी ब्रिटिश पुलिस के हाथों जीवित नहीं पकड़े जाएंगे— "दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे!"



2. प्रारंभिक जीवन और 'आज़ाद' नाम की उत्पत्ति

- जन्म: 23 जुलाई 1906 को भाबरा (अलीराजपुर, मध्य प्रदेश) में।
- शिक्षा: काशी (वाराणसी) के संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की।
- ऐतिहासिक घटना: 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए। जब मजिस्ट्रेट ने परिचय पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया:
 - नाम: आज़ाद (स्वतंत्र)
 - पिता का नाम: स्वतंत्रता
 - घर: जेल
- परिणाम: इस पर उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई, लेकिन हर कोड़े पर उन्होंने 'वंदे मातरम' का उद्घोष किया। यहीं से वे 'आज़ाद' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

3. क्रांतिकारी गतिविधियाँ और योगदान

घटना	वर्ष	विवरण
काकोरी कांड	1925	राम प्रसाद बिस्मिल के साथ सरकारी खजाना लूटने में शामिल। अंग्रेज सबको पकड़ पाए, पर आज़ाद बच निकले।
HSRA का गठन	1928	दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भगत सिंह के साथ मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया।
सॉन्डर्स वध	1928	लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मारा।
झांसी में अज्ञातवास	-	ओरछा के जंगलों में 'हरिशंकर ब्रह्मचारी' के भेष में रहे और क्रांतिकारियों को निशानेबाजी सिखाई।

4. संगठनात्मक कौशल और छद्म नाम

- रणनीतिकार: आज़ाद संगठन के 'कमांडर-इन-चीफ' थे। वे आधिकारिक बयानों पर 'बलराज' नाम से हस्ताक्षर करते थे।
- अनुशासन: वे अपने हथियारों (विशेषकर उनकी प्रिय माउजर पिस्तौल 'बमतुल बुखारा') और गुप्त ठिकानों के प्रबंधन में अत्यंत कठोर थे।

5. अंतिम संघर्ष और शहादत (27 फरवरी, 1931)

- स्थान: इलाहाबाद (प्रयागराज) का अल्फ्रेड पार्क।
- धोखा और घेराबंदी: एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
- अंतिम युद्ध: अकेले आज़ाद ने काफी देर तक पूरी पुलिस टुकड़ी का सामना किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित सुरक्षित निकाल दिया।
- बलिदान: जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची, तो उन्होंने अपनी कसम को पूरा करने के लिए स्वयं को गोली मार ली। मात्र 24 वर्ष की आयु में वे भारत माता की गोद में सो गए।

6. महत्त्व और विरासत

- भय का अंत: आज़ाद ने भारतीय युवाओं के मन से ब्रिटिश पुलिस और जेल का खौफ निकाल दिया।
- आज़ाद पार्क: उनकी शहादत के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर 'चंद्रशेखर आज़ाद पार्क' कर दिया गया।
- प्रेरणा: वे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक और रक्षक थे।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाना

संदर्भ:

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ काम करने के लिए तैयार है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने के बारे में:

मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है?

- मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) का प्रमुख होता है, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसे संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम सौंपा गया है।



संवैधानिक लेख संबंध:

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 324
- भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की
- इसकी संरचना, शक्तियों और स्वतंत्रता के लिए प्रदान करता है

CEC की नियुक्ति:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार:
- चयन तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधारित है जिसमें शामिल हैं:
 1. प्रधानमंत्री
 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

सीईसी को हटाने की प्रक्रिया:

- अनुच्छेद 324(5) में प्रावधान है कि सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान तरीके से और इसी तरह के आधार पर हटाया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया को अनुच्छेद 124 (4) (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने) से जोड़ता है।

हटाने के लिए आधार:

- कदाचार साबित हुआ (उदाहरण के लिए, पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता)
- अक्षमता (कर्तव्यों का पालन करने में शारीरिक या मानसिक असमर्थता)

प्रक्रिया:

- प्रस्ताव की सूचना: सीईसी के कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक लिखित नोटिस संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही शुरू करने के लिए पेश किया जाता है।
- अपेक्षित सांसदों द्वारा समर्थन: प्रस्ताव को संसद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्कासन तुच्छ या पक्षपातपूर्ण आरोपों से शुरू न हो।
- एक समिति द्वारा जांच: आरोपों की जांच करने, सबूतों की जांच करने और यह स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाता है कि क्या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई है।
- दोनों सदन में विशेष बहुमत: प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संवैधानिक विशेष बहुमत प्राप्त करना चाहिए - कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
- हटाने का राष्ट्रपति आदेश: एक बार जब संसद प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से हटाने का आदेश देता है, विवेक के बिना और संसद के निर्णय के अनुसार कार्य करता है।

भारत में बांझपन

संदर्भ:

2026 में भारत में बांझपन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है, विशेषज्ञों ने तेजी से इस बात पर प्रकाश डाला है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल एक परिणाम नहीं है, बल्कि सभी लिंगों के लिए प्रजनन विफलता का एक शारीरिक चालक है।



भारत में बांझपन के बारे में:

यह क्या है?

- भारत में बांझपन को 12 महीने के नियमित, असुरक्षित संभोग के बाद गर्भधारण करने में एक जोड़े की असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि पारंपरिक रूप से गहरे बैठे पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण एक महिला के मुँह के रूप में देखा जाता है, समकालीन डेटा से पुरुष और महिला कारक कारणों में लगभग समान विभाजन का पता चलता है।
- 2026 में, बातचीत पुरुष बांझपन के मूक संकट और प्रजनन कोशिकाओं (युग्मक) पर मनोवैज्ञानिक तनाव के जैविक प्रभाव की ओर स्थानांतरित हो गई है।

प्रमुख रुझान और डेटा:

- राष्ट्रीय प्रसार: लगभग 15-20% भारतीय जोड़े (लगभग 30 मिलियन) वर्तमान में बांझपन से जूझ रहे हैं, शहरी केंद्रों में दरें काफी अधिक हैं।
- गिरता हुआ टीएफआर: भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) घटकर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है, जो स्वैच्छिक देरी और अनैच्छिक बांझपन दोनों के कारण है।
- पुरुष कारक वृद्धि: पुरुषों में अब लगभग 40-50% बांझपन के मामले होते हैं, जो अक्सर पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और तनाव के कारण शुक्राणुओं की गुणवत्ता में गिरावट से जुड़े होते हैं।
- शहरी-ग्रामीण विभाजन: शहरी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक बांझपन (कभी कल्पना नहीं की गई) की रिपोर्ट की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक बांझपन देखा जाता है, जो अक्सर अनुपचारित संक्रमणों के कारण होता है।
- आईवीएफ वृद्धि: भारतीय आईवीएफ बाजार 2024 में मिलियन से दोगुना होकर 2029 तक बिलियन होने का अनुमान है, जो चिकित्सा सहायता की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

भारत में बढ़ती बांझपन के कारण:

1. विलंबित पितृत्व: कैरियर प्राथमिकता और वित्तीय स्थिरता लक्ष्य पहली बार माता-पिता की औसत आयु को जैविक प्रमुख से परे धकेल रहे हैं।

उदाहरण के लिए, बंगलुरु और मुंबई जैसे शहरी केंद्रों के डेटा से पता चलता है कि 2025-26 में 35 वर्ष की आयु के बाद प्रजनन उपचार चाहने वाली महिलाओं में 25% की वृद्धि हुई है।

2. पर्यावरण प्रदूषण: हवा और पानी में अंतःस्त्रावी विघटनकारी रसायनों (ईडीसी) का उच्च स्तर हार्मोनल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में किए गए अध्ययनों ने खराब वायु गुणवत्ता के दिनों को स्वस्थ युवा पुरुषों में शुक्राणु की गतिशीलता में क्षणिक गिरावट से जोड़ा है।

3. जीवनशैली से संबंधित विकार: गतिहीन दिनचर्या और प्रसंस्कृत आहार के कारण मोटापा और पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) महामारी बन गए हैं।

उदाहरण के लिए, 2026 में पांच में से एक भारतीय महिला के पीसीओएस से पीड़ित होने का अनुमान है, जो एनोवुलेटरी बांझपन का एक प्रमुख कारण है।

4. क्रोनिक मनोवैज्ञानिक तनाव: कार्यस्थल के दबाव से उच्च कोर्टिसोल का स्तर सीधे एचपीए अक्ष को रोकता है, ओव्यूलेशन और शुक्राणुजनन को बाधित करता है।

उदाहरण के लिए फ्रंटियर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी (2024) में प्रकाशित शोध ने पुष्टि की कि भारतीय पुरुषों में अवसाद वीर्य की सांद्रता में कमी के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है।

5. अनुपचारित प्रजनन संक्रमण: ग्रामीण क्षेत्रों में, एसटीआई और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (पीआईडी) के आसपास के कलंक ट्यूबल ब्लॉकेज की ओर ले जाते हैं।

उदाहरण के लिए, बिहार जैसे राज्यों में ट्यूबल फैक्टर बांझपन के मामलों का अक्सर अनुपचारित प्रसवोत्तर संक्रमण या तपेदिक से पता चलता है।

बांझपन से जुड़ी चुनौतियाँ:

6. सामाजिक कलंक और बहिष्कार: महिलाओं को अक्सर अपमानजनक शब्दों के साथ ब्रांडेड किया जाता है और यदि वे गर्भधारण करने में विफल रहती हैं तो उन्हें सामाजिक/धार्मिक समारोहों से बाहर रखा जाता है।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के कई ग्रामीण समूहों में, 'मलाडी' शब्द का उपयोग अभी भी महिलाओं को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने के लिए किया जाता है, जिससे पहचान का गंभीर विखंडन होता है।

7. निषेधात्मक उपचार लागत: आईवीएफ और एआरटी प्रक्रियाएं मध्यम और निम्न वर्गों के लिए विनाशकारी खर्च बनी हुई हैं।

उदाहरण के लिए, 2026 में एक औसत आईवीएफ चक्र की लागत ₹1.5-3 लाख के बीच है, जबकि 90% से अधिक भारतीय बीमा पॉलिसियों में अभी भी बांझपन कवरेज शामिल नहीं है।

8. पुरुष बांझपन की चुप्पी: पितृसत्तात्मक मानदंड पुरुषों को वीर्य विश्लेषण की मांग करने से रोकते हैं, जिससे अक्सर उनकी पत्नियों के लिए अनावश्यक और आक्रामक परीक्षण होता है।

उदाहरण के लिए 2025 में नैदानिक समीक्षाओं में कहा गया है कि मर्दानगी संबंधी चिंताओं के कारण पुरुष अक्सर महिलाओं की तुलना में 3-5 साल अधिक समय तक इंतजार करते हैं।

9. मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया लूप: गर्भधारण करने में विफल रहने का तनाव एक जैविक बाधा बन जाता है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहां तनाव गर्भावस्था को रोकता है।

उदाहरण के लिए आईवीएफ रोगियों में आशा और दुःख के मासिक चक्र को ऊंचे तार अल्फा-एमाइलोज से जोड़ा गया है, जो आरोग्य की संभावना को कम करता है।

10. टियर II/III शहरों में नियामक अंतराल: छोटे शहरों में तेजी से बढ़ते क्लीनिकों में अक्सर मानकीकृत प्रोटोकॉल या पारदर्शी सफलता दर की कमी होती है।

उदाहरण के लिए 2025 एआरटी दिशानिर्देशों के तहत, उत्तर भारत में कई बेसमेंट क्लीनिकों को भ्रामक विज्ञापनों और दाताओं के शोषण के लिए बंद कर दिया गया था।

सरकार द्वारा की गई पहल:

- एआरटी और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम: कड़े 2025 दिशानिर्देश सभी क्लीनिकों के पंजीकरण को अनिवार्य करते हैं और दाताओं को शोषण से बचाते हैं (उदाहरण के लिए, अंडे के दान को जीवन में एक बार तक सीमित करना)।
- बजट 2026 स्वास्थ्य फोकस: 2026 के केंद्रीय बजट में बांझपन जैसी पुरानी स्थितियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए निमहांस-2 और क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है।
- प्रोजेक्ट संजीवनी: 5 राज्यों में जमीनी स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी और सरकार के बीच एक सहयोगी पायलट।
- राष्ट्रीय रजिस्ट्री: एआरटी परिणामों को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल रजिस्ट्री की स्थापना, यह सुनिश्चित करना कि क्लीनिक रोगियों को पारदर्शी और ईमानदार सफलता दर प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

- मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करना: उपचार के भावनात्मक रोलरकोस्टर का प्रबंधन करने के लिए परामर्श प्रत्येक आईवीएफ चक्र का एक अनिवार्य, गैर-वैकल्पिक घटक होना चाहिए।
- बीमा समावेशन: IRDAI को वित्तीय बर्बादी को रोकने के लिए मानक स्वास्थ्य बीमा के तहत बांझपन के लिए कम से कम आंशिक कवरेज अनिवार्य करना चाहिए।
- कार्यस्थल संवेदनशीलता: कॉर्पोरेट्स को विलंबित पितृत्व को समायोजित करने के लिए एग फ्रीजिंग के लिए फर्टिलिटी लीव पॉलिसी और बीमा सहायता को अपनाना चाहिए।
- पुरुष-केंद्रित अभियान: सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश को पुरुष कारक बांझपन को कम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों भागीदारों का शुरु से ही एक साथ परीक्षण किया जाए।
- सामुदायिक शिक्षा: ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का उपयोग करना कि बांझपन एक चिकित्सा स्थिति है, न कि नैतिक विफलता या अभिशाप।

निष्कर्ष:

2026 में बांझपन अब केवल एक जैविक बाधा नहीं है, बल्कि एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट है जो लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण की मांग करता है। उन्नत प्रजनन विज्ञान और सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक आख्यानों के बीच की खाई को पाटकर, भारत प्रजनन देखभाल को शांत पीड़ा के बजाय गरिमा की यात्रा में बदल सकता है। सच्ची चंगाई तभी होगी जब हम मन के साथ शरीर के समान ही व्यवहार करेंगे।

फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (FNFTA) के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौता

संदर्भ:

फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNFTA) बनाने के लिए केंद्र, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे नागालैंड के छह पूर्वी जिलों को बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान की गई।

फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (FNFTA) के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौते के बारे में:

यह क्या है?



- समझौते में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) की स्थापना का प्रावधान है – जो पूर्वी नागालैंड के छह जिलों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्रीय शासन संरचना है, जिसमें नागालैंड राज्य के भीतर रहते हुए प्रशासनिक और विकासात्मक शक्तियों का पर्याप्त हस्तांतरण है।

शामिल पक्ष:

- भारत सरकार
- नागालैंड सरकार
- ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) - आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय

कवर किए गए जिले: तुएनसांग, मोन, किफिर, लोंगलेंग, नोकलाक और शमातोर

समझौते का उद्देश्य:

- पूर्वी नागालैंड की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, आर्थिक और विकासात्मक शिकायतों को दूर करना।
- समान विकास, स्थानीय निर्णय लेने और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- एफएनटीए का निर्माण: छह जिलों के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ एक नया क्षेत्रीय प्राधिकरण।
- शक्तियों का हस्तांतरण: 46 विषयों पर अधिकार का हस्तांतरण एफएनटीए को।

वित्तीय स्वायत्तता:

- विकास परिव्यय जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- केंद्र से वार्षिक आवंटन निर्धारित किया जाएगा।
- प्रारंभिक स्थापना व्यय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रशासनिक संरचना:

- एफएनटीए में एक लघु सचिवालय होगा।
- इसकी अध्यक्षता एक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं।
- संवैधानिक सुरक्षा: यह समझौता संविधान के अनुच्छेद 371 (A) को कमजोर नहीं करता है, जो नागा प्रथागत कानूनों, भूमि और संसाधनों की रक्षा करता है।
- लोकतांत्रिक संकल्प: 2021-22 से लंबे समय तक संवाद, वार्ता और विश्वास-निर्माण का परिणाम।

महत्व:

- समावेशी संघवाद: भारतीय संविधान के भीतर लचीली स्वायत्तता व्यवस्था को प्रदर्शित करता है।
- शांति-निर्माण: पूर्वी नागालैंड में राजनीतिक कट्टरपंथ और अलगाववादी मांगों के जोखिम को कम करता है।
- विकास को बढ़ावा देना: तेजी से बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेहतर संसाधन उपयोग और लक्षित कल्याण वितरण को सक्षम बनाता है।

आईटी नियम संशोधन 2026

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने 10 फरवरी, 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया।

- संशोधन विशेष रूप से एआई-जनित सामग्री के लिए 3 घंटे की त्वरित टेकडाउन विंडो और अनिवार्य लेबलिंग को अनिवार्य करके डीपफेक और गलत सूचना के बढ़ते खतरे को लक्षित करता है।

IT नियम संशोधन 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- यह संशोधन मौजूदा IT नियम, 2021 का एक संशोधन है, जिसका उद्देश्य सिंथेटिकली जेनरेट की गई जानकारी (SGI) को सख्त कानूनी निगरानी के तहत लाना है। यह एसजीआई को किसी भी ऑडियो, विजुअल या ऑडियो-विजुअल सामग्री के रूप में परिभाषित करता है जो किसी प्राकृतिक व्यक्ति या वास्तविक दुनिया की घटना से वास्तविक या अप्रभेद्य दिखाई देने के लिए एल्गोरिथम रूप से बनाई गई या परिवर्तित की जाती है।

IT नियमों में मुख्य संशोधन:

- "कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी" की कानूनी मान्यता: पहली बार, भारतीय कानून सिंथेटिक सामग्री की एक स्पष्ट, तकनीकी परिभाषा प्रदान करता है। यह किसी भी मीडिया (ऑडियो, वीडियो, या छवियों) को एल्गोरिथम द्वारा बनाए या संशोधित प्रामाणिक दिखने या ध्वनि करने के लिए कवर करता है।



- फोकस: यह विशेष रूप से डीपफेक और एआई प्रतिरूपण को लक्षित करता है।
 - बारीकियां: यह चालाकी से अच्छे विश्वास संपादन के लिए अपवादों को तराशता है - जैसे बुनियादी फिल्टर, पहुंच सुविधाएँ (नेत्रहीनों के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच), या अकादमिक अनुसंधान - ताकि नवाचार को गलती से अपराधी न बनाया जाए।
2. अनिवार्य लेबलिंग और मेटाडेटा: पारदर्शिता अब वैकल्पिक नहीं है; इसे फ़ाइल में ही बेक किया जाना चाहिए।
- विजुअल/ऑडियो लेबल: यदि कोई वीडियो AI-जनरेट किया गया है, तो उसमें एक दृश्यमान वॉटरमार्क होना चाहिए। यदि यह ऑडियो है, तो इसे बोले गए अस्वीकरण से शुरू होना चाहिए।
 - डिजिटल फ़िंगरप्रिंट: प्लेटफ़ॉर्म को प्रोवेंस मार्कर (मेटाडेटा) एम्बेड करना चाहिए जो फ़ाइल के साथ बने रहें, भले ही इसे कहीं और साझा किया गया हो। यह जांचकर्ताओं को डीपफेक की उत्पत्ति का पता लगाने की अनुमति देता है, इसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट एआई टूल में।
3. अवैध एआई सामग्री पर प्रतिबंध: सरकार प्रतिक्रियात्मक से निवारक की ओर बढ़ गई है। मध्यस्थों (जैसे इंस्टाग्राम या एक्स) को अब अपलोड को अवरुद्ध करने के लिए स्वचालित एआई फिल्टर का उपयोग करना होगा:
- CSAM और NCII: बाल शोषण सामग्री और गैर-सहमति से बदला लेने वाली पोर्न डीपफेक।
 - सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम: विस्फोटक या अवैध हथियार बनाने के तरीके पर एआई-जनित निर्देश।
 - धोखा: उच्च पदस्थ अधिकारियों का प्रतिरूपण करने या धोखाधड़ी करने के लिए झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए डिज़ाइन की गई सामग्री।

4. उपयोगकर्ता घोषणा तंत्र: ईमानदारी का बोझ उपयोगकर्ता पर डाला जाता है।

- स्व-प्रकटीकरण: जब आप किसी प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री अपलोड करते हैं, तो आपको यह घोषित करना होगा कि क्या यह AI के साथ बनाया गया था।
 - सत्यापन: प्लेटफ़ॉर्म केवल आपकी बात नहीं मान सकते; उन्हें कानूनी रूप से अपने स्वयं के तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ताकि यह दोबारा जांचा जा सके कि आपका असली वीडियो वास्तव में डीपफेक है या नहीं।
5. संक्षिप्त टेकडाउन टाइमलाइन: वायरल सामग्री के युग में, 36 घंटे को अनंत काल माना जाता था। नए नियमों के लिए ताना-गति कार्रवाई की आवश्यकता है:
- 3 घंटे: किसी अदालत या सरकार द्वारा अवैध समझी गई सामग्री के लिए।
 - 2 घंटे: सबसे संवेदनशील उल्लंघनों के लिए, जैसे गैर-सहमति वाली डीपफेक नग्नता, जहां हर मिनट एक्सपोजर आघात का कारण बनता है।
 - तेज़ शिकायतें: प्लेटफ़ॉर्म को 7 दिनों में आपकी शिकायत को स्वीकार करना होगा (15 से नीचे), जिससे उन्हें अपनी मॉडरेशन टीमों को स्टाफ करने के लिए मजबूर होना पड़े।
6. कानून प्रवर्तन समन्वय: यह संशोधन डिजिटल नीति और आपराधिक न्याय के बीच की खाई को पाटता है।
- बीएनएस एकीकरण: संदर्भ अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के साथ जुड़ गए हैं, जो पुराने आईपीसी की जगह ले रहे हैं।
 - पहचान प्रकटीकरण: यदि कोई अपराध एआई के माध्यम से किया जाता है, तो प्लेटफ़ॉर्म को पुलिस को निर्माता की पहचान बतानी होगी। इसे गुमनामी कवच को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अक्सर डीपफेक रचनाकारों की सुरक्षा करता है।
7. सेफ हार्बर स्पष्टीकरण: यह बिग टेक के लिए गाजर और स्टिक दृष्टिकोण है।
- धारा 79 सुरक्षा: प्लेटफ़ॉर्म पर आम तौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की जाने वाली पोस्ट के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है (सेफ हार्बर)।
 - शर्त: 2026 के नियमों के तहत, यदि कोई प्लेटफ़ॉर्म एआई को लेबल करने में विफल रहता है या 3 घंटे की टेकडाउन विंडो से चूक जाता है, तो वे यह सुरक्षा खो देते हैं। फिर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है जैसे कि वे ही थे जिन्होंने अवैध सामग्री बनाई थी।

संशोधन का महत्व:

- वायरल गलत सूचना का मुकाबला: वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचाने से पहले फर्जी खबरों के तेजी से प्रसार को रोकना है।
- उदाहरण के लिए, 2025 के राज्य चुनावों में, साइबर अपराध समन्वय केंद्र के त्वरित हस्तक्षेप से भड़काऊ भाषण देने वाले उम्मीदवारों के मनगढ़ंत वीडियो को दबा दिया गया था।
- व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना: गैर-सहमति वाली एआई-जनित इमेजरी के पीड़ितों के लिए एक फास्ट-ट्रैक उपाय प्रदान करता है।
- उदाहरण के लिए 2024 रश्मिका मंदाना डीपफेक घटना ने अपरिवर्तनीय प्रतिष्ठा को नुकसान को रोकने के लिए लगभग तुरंत हटाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- चुनावी अखंडता सुनिश्चित करना: संवेदनशील आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एआई इन्फ्लुएंसर या मॉर्फेड वीडियो के उपयोग से बचाव करता है।
- उदाहरण के लिए, हाल के स्थानीय चुनावों के दौरान, मृत राजनीतिक नेताओं की एआई-क्लोन आवाज़ों का उपयोग प्रचार के लिए किया गया था, जिससे सख्त प्रकटीकरण की मांग की गई थी।
- व्यावसायिक जवाबदेही को मजबूत करना: वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को भारत-विशिष्ट मॉडरेशन और डिटेक्शन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए मजबूर करता है।
- उदाहरण के लिए, Meta और X जैसी कंपनियों को 2025 के अंत में अपनी भारतीय शिकायत अधिकारी टीमों का विस्तार करना पड़ा,

ताकि तेजी से सख्त प्रतिक्रिया विंडो को पूरा किया जा सके।

- नए आपराधिक कानूनों के साथ संरक्षण: ये नियम IPC के संदर्भों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 से बदल देते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली में पुलिस ने हाल ही में एआई-आधारित वित्तीय डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से जुड़े एक मामले को तेजी से ट्रैक करने के लिए आईटी नियमों के साथ-साथ बीएनएस प्रावधानों का उपयोग किया।
- कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ:
- पता लगाने की तकनीकी सटीकता: स्वचालित उपकरण अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले डीपफेक और वास्तविक वास्तविक फुटेज के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- उदाहरण के लिए 2025 में, कई वास्तविक व्यंग्य वीडियो गलती से विद्धित किए गए थे और प्रमुख वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एआई फिल्टर द्वारा हटा दिए गए थे।
- 3 घंटे के टेकडाउन के लिए संसाधन की कमी: छोटे बिचौलियों को 24 मिनट के भीतर कार्य करने में सक्षम 7/180 कानूनी टीमों को बनाए रखना असंभव हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में क्षेत्रीय सोशल मीडिया ऐप्स ने 2024 में वास्तविक समय सामग्री मॉडरेशन के लिए अनुपालन की उच्च लागत को पूरा करने में कठिनाई की सूचना दी।
- प्रॉक्सी द्वारा सेंसरशिप की संभावना: डर है कि सरकार वैध असहमति या राजनीतिक पैसेजी को दबाने के लिए छोटी खिड़की का उपयोग कर सकती है।
- उदाहरण के लिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय (एक्स कॉर्प बनाम भारत संघ) में चल रही मुकदमेबाजी इस बात पर बहस करती है कि क्या टेकडाउन शक्तियों का बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।
- पता लगाने की क्षमता बनाम गोपनीयता: मेटाडेटा और उद्गम मार्करों को एम्बेड करने से मैसेजिंग ऐप्स के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से संभावित रूप से समझौता हो सकता है।
- उदाहरण के लिए 2025 में, गोपनीयता अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि नए मेटाडेटा नियम गुमनाम विहसल ब्लोअर की पहचान करने के लिए "पिछले दरवाजे" के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- मिश्रित सामग्री की जटिलता: उन वीडियो को विनियमित करने में कठिनाई जो 90% वास्तविक हैं लेकिन जिनमें छोटे, महत्वपूर्ण एआई-परिवर्तित विवरण हैं।
- उदाहरण के लिए, 2024 के एक विवाद में एक वास्तविक विरोध वीडियो शामिल था, जहां ऑडियो को एआई-जनित अनुवादित अभद्र भाषण के साथ उपशीर्षक दिया गया था जो मौजूद नहीं था।

आगे की राह:

- मानकीकृत वॉटरमार्किंग: अदृश्य डिजिटल वॉटरमार्क के लिए एक वैश्विक उद्योग मानक विकसित करना जो संपीड़न और पुनः अपलोड से बचते हैं।
- कानून प्रवर्तन के लिए क्षमता निर्माण: सिंथेटिक नुकसान की सटीक पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस इकाइयों (केवल डीआईजी रैंक से परे) को प्रशिक्षित करना।
- जन जागरूकता अभियान: नागरिकों को डीपफेक के संकेतों का पता लगाने के तरीके के बारे में शिक्षित करना, अकेले टेकडाउन पर निर्भरता को कम करना।
- स्वतंत्र समीक्षा तंत्र: राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए टेकडाउन आदेशों की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के एक स्वायत्त निकाय की स्थापना।
- अनुसंधान को प्रोत्साहित करना: विशेष रूप से क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के लिए उन्नत एआई-डिटेक्शन टूल बनाने वाले भारतीय स्टार्टअप को अनुदान प्रदान करना।

निष्कर्ष:

2026 आईटी नियम संशोधन सत्य के बोझ को प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित करके भारत में अनियमित जनरेटिव एआई के जंगली पश्चिम युग के निर्णायक अंत का प्रतीक है। जबकि 3 घंटे की टेकडाउन विंडो एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती पेश करती है, यह सुरक्षित बंदरगाह पर सुरक्षा की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। सफलता इन सख्त प्रवर्तन उपायों को मुक्त भाषण और उपयोगकर्ता गोपनीयता की सुरक्षा के साथ संतुलित करने पर निर्भर करेगी।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91वां

संदर्भ:

भारत वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) पर 91वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की 96वीं रैंक से थोड़ा सुधार दर्शाता है।

- पांच स्थानों की इस वृद्धि के बावजूद, भारत का 39 का स्कोर वैश्विक औसत से नीचे बना हुआ है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि भ्रष्टाचार को अभी भी एक गहरी संरचनात्मक चुनौती के रूप में देखा जाता है।



भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की 91वीं रैंक के बारे में:**यह क्या है?**

- ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 182 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है।
- यह 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ) तक के पैमाने का उपयोग करता है। 39 के स्कोर के साथ भारत की 91 वीं रैंक इंगित करती है कि डिजिटलीकरण और सुधारों ने गिरावट को रोका है, देश अभी भी नौकरशाही अपारदर्शिता और कमजोर प्रवर्तन के साथ संघर्ष कर रहा है।

सीपीआई 2025 में प्रमुख अंतर्दृष्टि और रुझान:

- स्थिर वैश्विक प्रगति: वैश्विक औसत स्कोर 42 के नए निचले स्तर पर आ गया है, जिसमें दो-तिहाई से अधिक देशों ने 50 से कम स्कोर किया है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय अशांति: इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी प्रगति में धीमी वृद्धि देखी गई, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों में जनता के गुरु-से के कारण गैर-जवाबदेह नेतृत्व के खिलाफ जनरल जेड के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुए।
- लोकतंत्रों में बैकस्लाइड: यूके (20 वें स्थान पर गिर गया) और अमेरिका (29 वें स्थान पर खिसक गया) जैसे स्थापित लोकतंत्रों ने कमजोर मानकों और राजनीतिक वित्त पोषण अस्पष्टता के कारण अपने स्कोर में गिरावट देखी है।
- पत्रकारों के लिए खतरा: 2025 की रिपोर्ट में विशेष रूप से भारत को भ्रष्टाचार की जांच करने वाले पत्रकारों के लिए खतरनाक बताया गया है, यह देखते हुए कि 90% पत्रकारों की हत्याएं 50 से कम स्कोर वाले देशों में होती हैं।
- शीर्ष और नीचे प्रदर्शन करने वाले: डेनमार्क सबसे स्वच्छ देश बना हुआ है (स्कोर: 89), जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे नीचे बने हुए हैं (स्कोर: 9)।

भारत में भ्रष्टाचार के बने रहने के कारण:

- नौकरशाही तालफिताशाही: अत्यधिक नियम और जटिल अनुमोदन प्रक्रियाएं अधिकारियों के लिए गेटकीपिंग के अवसर पैदा करती हैं।
- उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण अनुमोदन की हालिया 2024 की जांच में अधिकारियों को लंबी प्रक्रियात्मक देरी को बायपास करने के लिए रिश्वत की मांग करते हुए दिखाया गया है।
- विहसलब्लोअर के लिए कमजोर सुरक्षा: कानूनों के बावजूद, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों को अक्सर उत्पीड़न या शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की 2025 की रिपोर्ट ने स्थानीय खनन और रेत माफियाओं पर रिपोर्टिंग करने वाले खोजी पत्रकारों के लिए चल रहे जोखिमों पर प्रकाश डाला।
- राजनीतिक पारदर्शिता का अभाव: अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग और चुनावों में धन शक्ति का प्रभाव एक भ्रष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।
- उदाहरण के लिए पिछली बांड योजनाओं को रद्द करने के बाद चुनावी फंडिंग तंत्र की पारदर्शिता के संबंध में 2025 में चल रही बहस।
- असंगत प्रवर्तन: भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को अक्सर स्वतंत्र योग्यता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित माना जाता है।
- उदाहरण के लिए हाई-प्रोफाइल 2024 घोटालों में कम दोषसिद्धि दर, जैसे कि पश्चिम बंगाल भर्ती मामले, जहां कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण देरी देखी गई है।
- 'स्पीड मनी' की सांस्कृतिक स्वीकृति: शॉर्टकट (जुगाड़) की तलाश करने की सामाजिक प्रवृत्ति बुनियादी सेवाओं के लिए छोटी-मोटी रिश्वतखोरी के सामान्यीकरण की ओर ले जाती है।
- उदाहरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) पर 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि नागरिक अक्सर आधिकारिक ड्राइविंग टेस्ट कतारों की परेशानी से बचने के लिए बिचौलियों को भुगतान करते हैं।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए की गई पहल:

- शासन का डिजिटलीकरण: बिचौलियों और मानव इंटरफ़ेस को खत्म करने के लिए सेवाओं को ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) में परिवर्तित करना।
- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2024: रिश्वत देने वालों और लेने वालों के लिए दंड को मजबूत किया गया और संपत्ति जन्ती के प्रावधान पेश किए गए।
- ब्लॉकचेन का विस्तार: कई राज्यों में अपरिवर्तनीय भूमि रिकॉर्ड और पारदर्शी सरकारी निविदा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) सुधार: संदिग्ध वित्तीय पैटर्न का पता लगाने के लिए उन्नत फॉरेंसिक तकनीकों और AI-संचालित उपकरणों के साथ CVC को सशक्त बनाना।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की चुनौतियाँ:

- अत्यधिक बोझिल न्यायपालिका: मामलों के बड़े पैमाने पर बैकलॉग के कारण मुकदमे दशकों तक खिंच जाते हैं, जिससे निवारक प्रभाव कम हो जाता है।
- उदाहरण के लिए 2025 की शुरुआत में, 2010 के दशक के कई भ्रष्टाचार के मामले अभी भी विशेष अदालतों में अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और काला धन: अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असंगठित रहता है, जिससे अवैध लेनदेन को छिपाना आसान हो जाता है।
- उदाहरण के लिए 2024-2025 के कर छापे में रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में बेहिसाब नकदी के बड़े पैमाने पर भंडार का पता चलता रहा।
- सीमा पार संपत्ति वसूली: विदेशी टैक्स हेवन में जमा अवैध धन का पता लगाने और वापस लाने में कठिनाई।
- उदाहरण के लिए, 2025 में भारतीय अधिकारियों ने हवाला नेटवर्क में लिंक साबित करने की चुनौती पर जोर दिया जो औपचारिक बैंकिंग को दरकिनार करते हैं।
- तकनीकी दुरुपयोग: जबकि तकनीक मदद करती है, भ्रष्ट अभिनेता धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और डीपफेक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए 2025 की एक साइबर-सेल रिपोर्ट में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर प्रकाश डाला गया जहां धोखेबाज पैसे उगाही करने के लिए जांच अधिकारियों के रूप में पेश होते हैं।
- कमजोर स्थानीय निरीक्षण: जबकि केंद्रीय एजेंसियां मजबूत हैं, गांव और नगरपालिका स्तर के निरीक्षण निकाय अक्सर स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा कम वित्त पोषित या कब्जा कर लिए जाते हैं।
- उदाहरण के लिए 2024 संदेशखली घटनाओं ने दिखाया कि कैसे स्थानीय सत्ता संरचनाएं वर्षों तक शिकायतों और संस्थागत जवाबदेही को दबा सकती हैं।

आगे की राह:

- संस्थागत स्वतंत्रता: सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को अधिक स्वायत्तता और निश्चित कार्यकाल प्रदान करना।
- फास्ट-ट्रैक अदालतें: समर्पित अदालतों की स्थापना करना जिन्हें सरल 1 साल की समय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार के मुकदमों को समाप्त करना चाहिए।
- नागरिक स्थान का संरक्षण: सरकारी कार्यों का एक मजबूत सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना।
- राजनीतिक वित्त सुधार: अवैध कॉर्पोरेट फंडिंग की आवश्यकता को कम करने के लिए अधिक पारदर्शी और सार्वजनिक वित्त पोषित चुनाव मॉडल को लागू करना।
- शैक्षिक एकीकरण: सांस्कृतिक मानसिकता को बदलने के लिए स्कूल और सिविल सेवा प्रशिक्षण के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में ईमानदारी और नैतिकता को शामिल करना।

निष्कर्ष:

भारत का 91वें स्थान पर पहुंचना वृद्धिशील प्रगति का एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन 39 का कम स्कोर चेतावनी देता है कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार आर्थिक विकास और सामाजिक विश्वास पर एक भारी दबाव बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए, ध्यान प्रतीकात्मक सुधारों से हटकर ठोस प्रवर्तन और सत्ता में सव बोलने वालों की रक्षा करने की ओर बढ़ना चाहिए। केवल निरंतर संस्थागत अखंडता के माध्यम से ही भारत सूचकांक के शीर्ष स्तर में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

संदर्भ:

विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में:

यह क्या है?

- अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की मांग की जाती है। यह केवल लोक सभा पर लागू होता है, राज्यसभा पर नहीं।
- हटाने के लिए संवैधानिक आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जो तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है।

इसमें शामिल संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 94 - अवकाश, इस्तीफा और निष्कासन

एक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद खाली कर देगा यदि:

1. वे सभा के सदस्य नहीं रहेंगे



2. वे उपाध्यक्ष / अध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा देते हैं
 3. उन्हें सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है
- यह प्रक्रिया आगे लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 200-203 द्वारा शासित होती है।

स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया:

संकल्प की सूचना:

- लोकसभा के महासचिव को एक लिखित सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए
- प्रस्ताव पर विचार करने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है।
- कार्य सूची में शामिल करना: सूचना के बाद, प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव को 14 दिनों के बाद निर्धारित एक दिन के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

समर्थन की आवश्यकता:

- जब प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, तो कम से कम 50 सदस्यों को समर्थन में खड़ा होना चाहिए।
- यदि 50 से कम वृद्धि होती है, तो गति समाप्त हो जाती है।

विचार-विमर्श:

- यदि स्वीकार किया जाता है, तो संकल्प पर 10 दिनों के भीतर चर्चा की जानी चाहिए।
- बहस पूरी तरह से प्रस्ताव में निर्दिष्ट आरोपों तक ही सीमित है।
- मतदान की आवश्यकता: हटाने के लिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों (प्रभावी बहुमत) के बहुमत की आवश्यकता होती है।

प्रस्ताव के दौरान अध्यक्ष की भूमिका:

- अध्यक्ष कार्यवाही में भाग ले सकता है और बचाव में बोल सकता है।
- वे पहली बार में मतदान कर सकते हैं लेकिन टाई होने की स्थिति में निर्णायक वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं।

क्या ऐसा पहले भी हो चुका है?

- हां, इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किए गए थे:
- जी.वी. मावलंकर (1954)
- हुकम सिंह (1966)
- बलराम जाखड़ (1987)
- इनमें से किसी को भी हटाया नहीं गया।

निहितार्थ:

- संवैधानिक जवाबदेही: यह सुनिश्चित करता है कि पीठासीन अधिकारी सदन के प्रति जवाबदेह रहे।
- राजनीतिक संवेदनशीलता: सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।
- संस्थागत स्थिरता: बार-बार या राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव संसदीय शिष्टाचार को प्रभावित कर सकते हैं।

'वंदे मातरम' पर केंद्र के नए दिशा-निर्देश

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने आधिकारिक समारोहों में 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को गाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश गीत के निर्माण की 150वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।

'वंदे मातरम' पर केंद्र के नए दिशानिर्देशों के बारे में:

यह क्या है?

- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 'वंदे मातरम' के आधिकारिक संस्करण को अधिसूचित किया है, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रचना के सभी छह छंदों को निर्दिष्ट सरकारी समारोहों में गाया जाना आवश्यक है।
- निर्देश राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को औपचारिक रूप देता है और इसके प्रदर्शन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करता है।

शामिल मंत्रालय: गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं:

आधिकारिक संस्करण और अवधि:



- सभी छह छंदों को आधिकारिक संस्करण के रूप में गाया जाना चाहिए
- निर्धारित कुल अवधि: 3 मिनट और 10 सेकंड।

संघ स्तर पर अनिवार्य अवसर:

- नागरिक अलंकरण समारोहों और आधिकारिक राज्य समारोहों में खेला जाना है।
- भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर खेला जाएगा।
- राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया।

राज्य-स्तरीय कार्य:

- आधिकारिक राज्य समारोहों में राज्यपालों या उपराज्यपालों के आगमन और प्रस्थान के दौरान खेला जाएगा।

सांस्कृतिक और ध्वजारोहण कार्यक्रम:

- सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ध्वजारोहण से जुड़े अवसरों पर अनिवार्य सामूहिक गायन।
- सभी स्कूलों की सुबह की सभाओं में समूह गायन को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रतिपादन के दौरान प्रोटोकॉल:

- गाना बजाते समय दर्शकों को ध्यान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए।
- अपवाद: सिनेमा हॉल में अनिवार्य नहीं है जब फिल्मों या न्यूज़रील के हिस्से के रूप में खेला जाता है।
- गीत से पहले एक ड्रमरोल (मृदंग/तुरही)।
- मार्चिंग ड्रिल में, शुरु होने से पहले सात प्रारंभिक चरण।

अनौपचारिक कार्यक्रम:

- मंत्रियों की उपस्थिति में अनौपचारिक समारोहों में गाया जा सकता है।

महत्व:

- सांस्कृतिक पुष्टि: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम के ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व को पुष्ट करता है।
- प्रोटोकॉल का मानकीकरण: अस्पष्टता से बचने के लिए केंद्र और राज्य के कार्यों में एक समान दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय एकता: स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीकों में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।

नीति आयोग का अध्ययन: विकसित भारत और नेट जीरो (अपशिष्ट क्षेत्र) की ओर परिदृश्य

संदर्भ:

नीति आयोग ने 11 रिपोर्टों की एक ऐतिहासिक श्रृंखला जारी की, जिसमें नेट जीरो 2070 जलवायु प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत 2047 विजन को संरेखित करने के लिए भारत के पहले सरकार के नेतृत्व वाले एकीकृत अध्ययन का विवरण दिया गया है।

- इस श्रृंखला का खंड 8 विशेष रूप से अपशिष्ट क्षेत्र को संसाधन पुनर्प्राप्ति पावरहाउस में बदलने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रदान करता है।




Figure 2.1: Composition of solid waste in India, 2020

नीति आयोग के अध्ययन के बारे में: विकसित भारत और नेट जीरो (अपशिष्ट क्षेत्र) की ओर परिदृश्य

यह क्या है?

- इस अध्ययन में 18 महीनों में 10 अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों द्वारा विकसित एक परिदृश्य-आधारित विश्लेषणात्मक मॉडलिंग अभ्यास शामिल है।
- यह "वर्तमान नीति" बनाम "नेट जीरो" मार्गों का मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन से अलग हो गया है।
- अपशिष्ट क्षेत्र के लिए, रिपोर्ट सार्वभौमिक संग्रह, 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर पृथक्करण और बड़े पैमाने पर बायो-मिथेनेशन को अपनाने के माध्यम से संरचनात्मक अंतराल को पाटने पर जोर देती है।

भारत में अपशिष्ट क्षेत्र का अवलोकन:

- उत्सर्जन वृद्धि: तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण 1994 और 2020 के बीच अपशिष्ट क्षेत्र के GHG उत्सर्जन में 226% की वृद्धि हुई।
- वर्तमान योगदान: 2020 में, अपशिष्ट क्षेत्र ने लगभग 76 MtCO₂e का योगदान दिया, जिससे यह भारत के समग्र उत्सर्जन में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।
- दैनिक उत्पादन: भारत वर्तमान में हर दिन लगभग 170,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का उत्पादन करता है, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन है।
- पुनर्वक्रण अक्षमता: जबकि भारत सालाना लगभग 6.2 MMT ई-कचरा उत्पन्न करता है, अनौपचारिक क्षेत्र की अक्षमताओं के कारण वर्तमान में निकालने योग्य मूल्य का केवल 18% ही वसूल किया जाता है।
- आर्थिक अवसर: बायो-मिथेनेशन के माध्यम से गीले कचरे का केवल 50% प्रसंस्करण अर्थव्यवस्था में सालाना ₹2,460 करोड़ का योगदान दे सकता है।




Figure 2.2: Subsector-wise share of GHG emissions in India's waste sector in 2020




Figure 2.3: Share of green house gases in India's waste sector emissions in 2020

कचरे का वर्तमान प्रक्षेपवक्र:

- बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि: वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन वर्तमान में 62 मिलियन टन से बढ़कर 2030 तक 165 मिलियन टन और 2050 तक 436 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली जैसे मेट्रो बढ़ते कचरे से जूझ रहे हैं, जहां गाजीपुर जैसे पुराने डंपसाइट उपचार के प्रयासों के बावजूद विस्तार करना जारी रखते हैं।
- उच्च कार्बनिक मीथेन क्षमता: भारतीय MSW में 40-60% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे अवैज्ञानिक लैंडफिल में बड़े पैमाने पर मीथेन का रिसाव होता है।
- उदाहरण के लिए, मुंबई और चेन्नई में खराब प्रबंधन वाले लैंडफिल में अक्सर कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने से फंसी मीथेन गैस के कारण सहज आग का अनुभव होता है।
- बढ़ते ई-अपशिष्ट और बैटरी की मात्रा: ई-कचरे के 2030 तक 14 एमएमटी तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि लिथियम-आयन बैटरी खर्च की मात्रा नौ गुना बढ़ने का अनुमान है।
- उदाहरण के लिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने से बैटरी कचरे में वृद्धि हो रही है जिसे वर्तमान सुविधाएं संभाल नहीं सकती हैं।
- निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट में वृद्धि: भारत सालाना 10-12 मिलियन टन C&D कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से अधिकांश को अवैध रूप से डंप किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में तेजी से बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण सी एंड डी कचरे को झील के तल में फेंक दिया गया है, जिससे मानसून के दौरान शहरी बाढ़ आ गई है।
- औद्योगिक अपशिष्टों में स्थिर वृद्धि: मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण के विस्तार के साथ औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है।

- उदाहरण के लिए, गुजरात और तमिलनाडु में औद्योगिक समूहों को भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए शून्य-तरल निर्वहन प्रणालियों को अपनाने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है।

अपशिष्ट क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- सीमित प्रसंस्करण क्षमता: भारत को वर्तमान में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि औपचारिक रीसाइक्लिंग सिस्टम अपशिष्ट उत्पादन की गति को अवशोषित नहीं कर सकता है।
- उदाहरण के लिए, केवल 10% ई-कचरे को अधिकृत चैनलों के माध्यम से संसाधित किया जाता है, बाकी मुरादाबाद जैसी जगहों पर अनियमित अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अकुशल स्रोत पृथक्करण: डोर-टू-डोर अलगाव की कमी पुनर्वक्रण योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता को बर्बाद कर देती है और प्रसंस्करण लागत को बढ़ाती है।
- उदाहरण के लिए, कई टियर -2 शहरों में, सूखे और गीले कचरे को अभी भी एक ही कूड़ेदान में मिलाया जाता है, जिससे बायो-मिथेनेशन संयंत्र तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हो जाते हैं।
- गुणवत्ता मानकों का अभाव: कई पुनर्नवीनीकरण उत्पादों के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं हैं, जिससे राजस्व का नुकसान होता है।
- उदाहरण के लिए, अपशिष्ट टायर क्षेत्र को सालाना राजस्व में लगभग ₹7,500 करोड़ का नुकसान होता है क्योंकि पुनर्नवीनीकरण स्तर में उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक प्रमाणन का अभाव होता है।
- शहरी-ग्रामीण असमानता: जबकि शहरी क्षेत्रों को बड़े पैमाने की समस्या का सामना करना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र संगठित संग्रह प्रणालियों की कुल अनुपस्थिति से जूझ रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव अक्सर नगरपालिका पिक-अप सेवाओं की कमी के कारण प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने का सहारा लेते हैं।
- कार्यबल और कौशल अंतराल: एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण कुशल श्रमिकों की कमी और एक खंडित अनौपचारिक क्षेत्र के कारण बाधित होता है।
- उदाहरण के लिए, जयपुर में अनौपचारिक स्कैप डीलरों के पास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स से दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए आवश्यक तकनीक और सुरक्षा प्रशिक्षण का अभाव है।

नीति आयोग की सिफारिशें:

- सार्वभौमिक संग्रह: 2047 तक सभी एकत्रित अपशिष्ट जल का 100% डोर-टू-डोर ठोस अपशिष्ट संग्रह और उपचार प्राप्त करना।
- अपशिष्ट-से-संसाधन: सरल निपटान से उच्च-मूल्य पुनर्प्राप्ति में परिवर्तन, कचरे को जैव-सीएनजी, खाद और उपचारित अपशिष्ट जल में बदलना।
- नीतिगत उथल-पुथल: उच्च मूल्य वाले घरेलू रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आयातित एंड-ऑफ-लाइफ टायरों के पायरोलिसिस पर प्रतिबंध लगाएं।
- सर्कुलर इकोनॉमी इंटीग्रेशन: अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना और बैटरी और ई-कचरे के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे को मजबूत करना।
- व्यवहार परिवर्तन: एक राष्ट्रीय आंदोलन (जन आंदोलन) के रूप में स्रोत पृथक्करण में नागरिकों की भागीदारी को चलाने के लिए मिशन लाइफ का लाभ उठाएं।

निष्कर्ष:

नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचना केवल एक पर्यावरणीय लक्ष्य के बजाय एक रणनीतिक आर्थिक आवश्यकता है। कचरे को सन्निकित ऊर्जा के रूप में देखकर और प्रौद्योगिकी और चक्रीयता के माध्यम से संरचनात्मक अंतराल को पाटकर, भारत अपनी सामग्री आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर सकता है और अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शहरी शासन में बड़े पैमाने पर बदलाव और प्रत्येक भारतीय परिवार की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी।

राज्य और 16वां वित्त आयोग

संदर्भ:

16वां वित्त आयोग चर्चा में है क्योंकि इसने 2026-31 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक "जीडीपी में योगदान" मानदंड पेश किया गया है और घाटे को सीमित करके और बजट से बाहर उधार को समाप्त करके राज्यों पर सख्त राजकोषीय अनुशासन लागू किया गया है।

राज्यों और 16वें वित्त आयोग के बारे में:

यह क्या है?

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) है जो सिफारिश करता है कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल

The share for States

Till the 13th FC (2010-2015), the devolution involved specific transfers for Centrally Sponsored Schemes (CSS) with extensive conditionalities

Table 1: Criteria for horizontal devolution amongst States

Criteria	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2020-26	16th FC 2026-31
Income distance	47.5	50	45	42.5
Population (1971)	25	17.5	-	-
Population (2011)	-	10	15	17.5
Area	10	15	15	10
Forests	-	7.5	10	10
Fiscal discipline	17.5	-	-	-
Demographic performance	-	-	12.5	10
Tax effort	-	-	2.5	-
State's contribution to GDP	-	-	-	10
Total	100	100	100	100



को संघ और राज्यों के बीच (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और स्वयं राज्यों के बीच कैसे साझा किया जाना चाहिए (क्षैतिज हस्तांतरण)।

- साझा किए गए कर: इनमें निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) में केंद्र का हिस्सा शामिल है।

राज्यों की मांगें:

- उच्च ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी: 18 राज्यों ने बढ़ती कल्याणकारी लागतों को पूरा करने के लिए 41% से 50% तक की वृद्धि की मांग की।
- उदाहरण के लिए, केरल ने बार-बार स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी दूसरी पीढ़ी के उच्च व्यय को पूरा करने के बड़े हिस्से की आवश्यकता के कारण के रूप में उद्धृत किया है।
- उपकर/अधिभार को शामिल करना: राज्यों ने मांग की कि उपकरों (जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) को विभाज्य पूल में शामिल किया जाए।
- उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने तर्क दिया कि उपकरों पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता राज्यों को प्राप्त होने वाले प्रभावी हिस्से को 30% से कम कर देती है।
- दक्षता के लिए पुरस्कार: औद्योगिक राज्यों ने मांग की कि क्षैतिज वितरण में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान एक कारक हो।
- उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान करते हैं, ने तर्क दिया कि वे तेजी से औद्योगीकरण के कारण उच्च शहरी बुनियादी ढांचे की लागत का सामना करते हैं।
- लचीले अनुदान: राज्यों ने कम बंधे अनुदान और अधिक बिना शर्त हस्तांतरण के लिए कहा।
- उदाहरण के लिए, कर्नाटक ने बताया कि कठोर केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) अक्सर अत्यधिक शहरीकृत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती हैं।

16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें:

- वार्षिक डिवोल्यूशन: 2026-31 की अवधि के लिए 41% पर बनाए रखा गया।
- नया क्षैतिज मानदंड: 10% भार के साथ "जीडीपी में योगदान" पेश किया गया, जिससे राज्यों को उच्च आर्थिक उत्पादन के साथ पुरस्कृत किया गया।
- राजकोषीय घाटे की सीमा: राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसटीपी के 3% तक सीमित है।
- ऑफ-बजट उधार का अंत: राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की सभी देनदारियों को अब मुख्य राज्य बजट में दिखाया जाना चाहिए।
- डिस्कॉम सुधार: राज्य ऋण को कम करने के लिए डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के निजीकरण की सिफारिश की।
- स्थानीय निकाय अनुदान: स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए 9.47 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की गई, लेकिन राज्य-विशिष्ट/क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान बंद कर दिए गए।

सिफारिशों का सकारात्मक पक्ष:

- विकास के लिए पुरस्कार: सकल घरेलू उत्पाद योगदान मानदंड राज्यों को अपने कारोबारी माहौल में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और कर्नाटक को उनके उच्च औद्योगिक उत्पादन के कारण उनके शेयरों में मामूली वृद्धि देखने की उम्मीद है।
- ऋण में पारदर्शिता: ऑफ-बजट उधार समाप्त करने से राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की सच्ची तस्वीर सुनिश्चित होती है।
- उदाहरण के लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो भारी उधार लेने के लिए निगमों का उपयोग करते थे, अब अधिक पारदर्शी ऋण स्तर होंगे।
- शहरी फोकस: नए शहरीकरण प्रीमियम अनुदान शहरों को तेजी से विकास का प्रबंधन करने में मदद करते हैं।
- उदाहरण के लिए, अहमदाबाद या पुणे जैसे शहर इनका उपयोग औपचारिक शहर नियोजन में पेरी-अर्बन क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए कर सकते हैं।
- वन संरक्षण: वन आवरण में वृद्धि को पुरस्कृत करना (न केवल मौजूदा आवरण) सक्रिय संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को अपनी वर्तमान आधार रेखा से परे हरित आवरण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सिफारिशों का नकारात्मक पक्ष:
- ऊर्ध्वाधर ठहराव: हिस्सेदारी को 41% पर रखना अधिक राजकोषीय स्थान के लिए राज्यों की दलील को नजरअंदाज करता है।
- उदाहरण के लिए, बिहार जैसे राज्य केंद्रीय कर पूल के उच्च प्रतिशत के बिना बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- कल्याणकारी को दंडित करना: बिना शर्त नकद हस्तांतरण के खिलाफ चेतावनी को राज्य की नीति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
- उदाहरण के लिए, गृह लक्ष्मी (कर्नाटक) या माझी लड़की बहन (महाराष्ट्र) जैसी योजनाओं को इन नए दिशानिर्देशों के तहत धन की जांच का सामना करना पड़ सकता है।
- सभी के लिए एक ही आकार-फिट-बिजली सुधार: अनिवार्य डिस्कॉम निजीकरण सभी राजनीतिक संदर्भों में काम नहीं कर सकता है।
- उदाहरण के लिए, पंजाब में, जहां किसानों को मुफ्त बिजली एक संवेदनशील मुद्दा है, जबकि निजीकरण महत्वपूर्ण सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है।

- इविट्टी संबंधी चिंताएँ: आय दूरी (45% से 42.5%) का भार कम करने से सबसे गरीब राज्यों को नुकसान हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश अमीर, कुशल राज्यों को दिए गए पुरस्कारों को समायोजित करने के लिए अपने पूर्ण हिस्से में थोड़ी कमी देख सकता है।

निष्कर्ष:

16वां वित्त आयोग शुद्ध इविट्टी पर आर्थिक दक्षता और राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता देकर अनुपालन-संचालित संघवाद की ओर एक धुरी है। जबकि औद्योगिक राज्यों ने अंततः अपने सकल घरेलू उत्पाद के योगदान के लिए मान्यता प्राप्त कर ली है, 41% हस्तांतरण सीमा के ठहराव और उपकरणों के निरंतर बहिष्कार के कारण राज्यों की समग्र राजकोषीय स्वायत्तता दबाव में बनी हुई है।

पैमाना वेब पोर्टल

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करने वाले पैमाना वेब पोर्टल पर लोकसभा में अद्यतन डेटा साझा किया है।

पैमाना वेब पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- पैमाना (प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन-बिल्डिंग) एक वेब-आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह पहले के OCMS-2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटीकृत निगरानी प्रणाली) की जगह लेता है।

शामिल संगठन:

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा विकसित और प्रबंधित।
- एपीआई के माध्यम से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल (आईपीएमपी) के साथ एकीकृत।

प्रमुख विशेषताएँ:

- एक डेटा एक प्रविष्टि सिद्धांत: एपीआई के माध्यम से आईपीएमपी से पैमाना तक स्वचालित डेटा प्रवाह, दोहराव को कम करता है।
- उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं को शामिल करता है: 17 मंत्रालयों में ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को ट्रैक करता है।
- वास्तविक समय की निगरानी: मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियां प्रगति को डिजिटल रूप से अपडेट करती हैं।
- कम मैनुअल एंट्री: प्रमुख क्षेत्रों (सड़क, पेट्रोलियम, कोयला) में लगभग 60% परियोजनाएं ऑटो-अपडेटेड हैं।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923

संदर्भ:

पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर विवाद के बाद, रक्षा मंत्रालय पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

- प्रस्तावित ढांचे में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधान शामिल होंगे, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी लागू होते रहते हैं।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के बारे में:

यह क्या है?


- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 एक औपनिवेशिक युग का कानून है जो आधिकारिक जानकारी की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को समेकित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के हितों से संबंधित।

उद्देश्य:

- राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना।
- जासूसी, अनधिकृत प्रकटीकरण और वर्गीकृत जानकारी के गलत संचार को रोकने के लिए।

कौन कवर किया गया है?

- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, निजी व्यक्तियों और कंपनियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, और भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों तक फैला हुआ है।



- इसमें सरकार के अधीन पद धारण करने वाले या पद धारण करने वाले और वर्गीकृत या संवेदनशील आधिकारिक जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- जासूसी के लिए दंड (धारा 3): निषिद्ध स्थानों पर पहुंचने, रेखाचित्र बनाने, या दुश्मन की सहायता के लिए जानकारी एकत्र करने का अपराधीकरण करता है; संवेदनशील बचाव मामलों में सजा 14 साल तक बढ़ सकती है।
- विदेशी एजेंटों के साथ संचार (धारा 4): विदेशी एजेंटों के साथ संपर्क या जुड़ाव का उपयोग राज्य सुरक्षा के खिलाफ अपराधों के लिए अभियोजन में सबूत के रूप में किया जा सकता है।
- सूचना का गलत संचार (धारा 5): संप्रभुता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आधिकारिक कोड, दस्तावेजों या जानकारी के अनधिकृत साझाकरण, प्रतिधारण या दुरुपयोग को दंडित करता है।
- निषिद्ध स्थानों का संरक्षण: रक्षा प्रतिष्ठानों, सैन्य बुनियादी ढांचे और अन्य अधिसूचित संवेदनशील प्रतिष्ठानों सहित "निषिद्ध स्थानों" को परिभाषित करता है।
- तलाशी और जब्ती शक्तियाँ (धारा 11): मजिस्ट्रेटों और आपात स्थिति में, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध अपराधों में तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देता है।
- मुकदमे पर प्रतिबंध (धारा 13): अदालतें केवल उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत शिकायत पर ही संज्ञान ले सकती हैं, जिससे कार्यकारी निरीक्षण सुनिश्चित होता है।
- सार्वजनिक कार्यवाही का बहिष्करण (धारा 14): अदालतें मुकदमे के दौरान जनता को बाहर कर सकती हैं यदि साक्ष्य का प्रकाशन राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

महत्व:

- वर्गीकृत रक्षा और रणनीतिक जानकारी की रक्षा करने वाले एक मूलभूत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के रूप में कार्य करता है।
- जीवन के लिए आवेदन करता है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी और सशस्त्र बल के कर्मी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करता है।

भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें

संदर्भ:

केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को 2016 और 2025 के बीच वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ 8,630 शिकायतें प्राप्त हुईं।

भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के बारे में:

यह क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें भ्रष्टाचार, यौन कटाचार, अधिकार के दुरुपयोग या गंभीर अनौचित्य के आरोपों से संबंधित हैं।

मुख्य डेटा और तथ्य (2016-2025):

- कुल शिकायतें: सीजेआई के कार्यालय को 8,630 शिकायतें मिलीं।

वर्ष-वार रुझान:

- तंत्र: शिकायतों को सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से भी भेजा जा सकता है और सीजेआई या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भेजा जाता है।
- कानूनी ढांचा: न्यायाधीशों को हटाना संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा शासित होता है, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

महत्व:

- न्यायिक जवाबदेही: बढ़ती शिकायतें उच्च न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं।
- पारदर्शिता अंतर: की गई कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी इन-हाउस प्रक्रिया में अस्पष्टता पर चिंताओं को बढ़ावा देती है।
- संस्थागत विश्वसनीयता: न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए नैतिक आचरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

Court scrutiny

Under the judiciary's in-house mechanism, complaints against judges are handled internally by the CJI and Chief Justices of the High Courts, with no public disclosure on outcomes

Number of complaints received in last 10 years

2016	729
2017	682
2018	717
2019	1,037
2020	518
2021	686
2022	1,012
2023	977
2024	1,170
2025	1,102



भारतीय वैज्ञानिक सेवा के साथ विभाजन को पाटना

संदर्भ:

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (आईएसएस) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद सुर्खियों में है, जिसमें भारत के डीप-टेक और एआई-फर्स्ट गवर्नेंस ट्रंजिशन का प्रबंधन करने के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारतीय वैज्ञानिक सेवा के साथ विभाजन को पाटने के बारे में:

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (आईएसएस) क्या है?

आईएसएस की कल्पना वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट के एक स्थायी, अखिल भारतीय विशेष कैडर के रूप में की गई है। सामान्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के विपरीत, आईएसएस करेगा:

- मंत्रालयों के निर्णय लेने वाले पदानुक्रम में वैज्ञानिक विशेषज्ञता को सीधे एकीकृत करें।
- अलग-अलग सेवा नियमों के तहत काम करें जो पारंपरिक प्रशासनिक तटस्थता पर वैज्ञानिक अखंडता और सहकर्मी समीक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
- औपनिवेशिक युग के आचरण नियमों से प्रभावित हुए बिना नीति में योगदान करने के लिए शोधकर्ताओं के लिए एक संरचित कैरियर पथ प्रदान करें।



भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2025-26) में प्रमुख रुझान:

1. नवाचार चढ़ाई: भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो लगातार 15 वर्षों तक निम्न-मध्यम-आय वर्ग का नेतृत्व कर रहा है।
2. अनुसंधान एवं विकास में ठहराव: विकास के बावजूद, अनुसंधान एवं विकास (जीईआरडी) पर भारत का सकल न्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% बना हुआ है, जो अमेरिका (3.48%) या दक्षिण कोरिया (4.91%) से काफी कम है।
3. पेटेंट वृद्धि: 2020 और 2025 के बीच पेटेंट आवेदन लगभग दोगुने हो गए, भारत अब दायर किए गए कुल पेटेंट में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।
4. डीप-टेक फोकस: सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹6,003 करोड़) और इंडियाएआई मिशन सहित मेगा-मिशनों का संचालन किया है, जिससे सेवाओं से उच्च अंत हार्डवेयर और आईपी निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एक समर्पित आईएसएस की आवश्यकता:

- आधुनिक शासन की जटिलता: सामान्यवादियों के पास अक्सर जैव-प्रौद्योगिकी या एआई जैसे उभरते क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए तकनीकी गहराई का अभाव होता है।
- उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 के तेजी से प्रारूपण के लिए एल्गोरिथम पूर्वाग्रह की गहरी समझ की आवश्यकता थी जिसे मानक प्रशासनिक प्रशिक्षण शामिल नहीं करता है।
- मौत की घाटी को पाटना: भारत प्रयोगशाला अनुसंधान (टीआरएल 1-3) को बाजार के लिए तैयार उत्पादों (टीआरएल 7-9) में अनुवाद करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- उदाहरण के लिए, ब्रिज हाइड्रोजन में विश्व स्तरीय अनुसंधान के बावजूद, औद्योगिक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में खंडित तकनीकी निरीक्षण के कारण देरी हुई है।
- वैज्ञानिक अखंडता और स्वतंत्रता: वर्तमान नियम (सीसीएस आचरण नियम 1964) वैज्ञानिकों को सत्ता से सच बोलने के लिए दंडित कर सकते हैं यदि यह नीति का खंडन करता है।
- उदाहरण के लिए, हाल के हिमालयी पारिस्थितिक संकटों के दौरान, वैज्ञानिकों को अक्सर आधिकारिक तौर पर पर्यावरणीय चेतावनियों को रिकॉर्ड करने में नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चुनौती देते हैं।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: वैश्विक मानकों (G2G प्रमाणपत्र) में नेतृत्व करने के लिए, भारत को वैज्ञानिक-राजनयिकों की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बातचीत करने के लिए वार्ताकारों की आवश्यकता होती है जो लिथोग्राफी और सामग्री विज्ञान को दानेदार स्तर पर समझते हैं।
- दीर्घकालिक दूरदर्शिता: प्रशासनिक भूमिकाएँ अक्सर घूमती फिरती और अल्पकालिक होती हैं, जबकि वैज्ञानिक चुनौतियों के लिए दशकों की निरंतरता की आवश्यकता होती है।
- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के लिए एक दशक लंबे रोडमैप की आवश्यकता होती है जो संयुक्त सचिव के सामान्य 3 साल के कार्यकाल से परे हो।

सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएँ:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (वैज्ञानिक अखंडता नीतियां): अमेरिकी संघीय एजेंसियों की औपचारिक नीतियां हैं जो वैज्ञानिकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि राजनीतिक सुविधा के लिए डेटा में बदलाव नहीं किया जाता है।
2. यूनाइटेड किंगडम (सरकारी विज्ञान और इंजीनियरिंग व्यवसाय): यूके सरकार में 10,000 से अधिक सदस्यों के साथ एक समर्पित जीएसईपी कैडर रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पास विशेषज्ञों की एक संरचित टीम हो।

आईएसएस से जुड़ी चुनौतियाँ:

- जनरलिस्ट बनाम विशेषज्ञ घर्षण: एकीकरण से IAS और ISS अधिकारियों के बीच वरिष्ठता और अधिकार पर एक टर्क युद्ध हो सकता है।
- उदाहरण के लिए विकित्सा पेशेवरों और प्रशासनिक सचिवों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय में ऐतिहासिक घर्षण अक्सर स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन को धीमा कर देता है।
- पार्श्व प्रवेश प्रतिरोध: मध्य-कैरियर स्तरों पर उच्च-क्षमता वाले वैज्ञानिकों को लाने से पारंपरिक सेवा संघों से पुशबैक का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए 2020 के दशक की शुरुआत में पार्श्व प्रवेश पहल की सीमित सफलता ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रणालीगत प्रतिरोध दिखाया।
- वेतन समानता: सरकारी वेतनमान को देखते हुए निजी क्षेत्र या सिलिकॉन वैली से शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करना मुश्किल है।
- उदाहरण के लिए, इसरो और डीआरडीओ अक्सर वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए प्रतिभा खो देते हैं, जो एआई और रॉकेट्री में विशेष भूमिकाओं के लिए 5 गुना अधिक मुआवजे की पेशकश करते हैं।
- कठोर पदोन्नति संरचनाएं: वरिष्ठता-आधारित पदोन्नति के पक्ष में वैज्ञानिक योग्यता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- उदाहरण के लिए, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अक्सर कैरियर के विकास के लिए सक्रिय अनुसंधान पर प्रशासनिक भूमिकाओं को प्राथमिकता देने पर निराशा व्यक्त की है।
- सीमा को परिभाषित करना: यह तय करना कि वैज्ञानिक सलाह कहां समाप्त होती है और राजनीतिक नीति कहां शुरू होती है, एक नाजुक संतुलन है।
- उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में, एक वैज्ञानिक शून्य उत्सर्जन के लिए तर्क दे सकता है, लेकिन सरकार को इसे आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ संतुलित करना चाहिए।

आगे की राह:

- पायलट कैडर: भारतीय पर्यावरण और पारिस्थितिक सेवा और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों से शुरुआत करें।
- संरचनात्मक संरक्षण: कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वैज्ञानिक आकलन को आधिकारिक रिकॉर्ड पर रखा जाए, भले ही अंतिम नीति भिन्न हो।
- गतिशील वेतनमान: प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए आईएसएस के लिए प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन और बाजार-प्रतिस्पर्धी वेतन लागू करें।
- सहयोगात्मक प्रशिक्षण: संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आईएसएस और आईएसएस के लिए एलबीएसएनए (मसूरी) में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- निधि-शैली अनुदान: बहुस्तरीय अनुमोदन के बिना उच्च जोखिम, उच्च-पुरस्कार वाले स्वदेशी अनुसंधान को निधि देने के लिए वित्तीय स्वायत्तता के साथ आईएसएस अधिकारियों को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष:

एक भारतीय वैज्ञानिक सेवा का निर्माण भारत के औपनिवेशिक प्रशासनिक राज्य से आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शक्ति में परिवर्तन का अंतिम टुकड़ा है। विशेषज्ञता को संस्थागत बनाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी नीतियां न केवल कुशल हों, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मजबूत और भविष्य-प्रूफ हों। यह विज्ञान को उसके सजावटी सहायक के बजाय शासन की नींव के रूप में मानने का समय है।

बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का 50वां वर्ष**संदर्भ:**

फरवरी 2026 बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की 50वीं वर्षगांठ है।

- कानून के पांच दशकों के बावजूद, ओडिशा की हालिया रिपोर्टों में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर किया गया है, जहां बचाए गए मजदूर पुनर्वास में देरी के कारण वापस बंधन में फंस रहे हैं।



बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का लगभग 50वां वर्ष:**यह क्या है?**

- वर्ष 2026 भारत द्वारा आधुनिक दासता को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी कदम उठाए जाने के बाद से आधी सदी का जन्म मना रहा है।
- जबकि अधिनियम ने इस प्रथा को सफलतापूर्वक अपराध बना दिया, यह मील का पत्थर कानूनी रिहाई और सामाजिक पुनर्वास के बीच की खाई की एक गंभीर याद दिलाता है, क्योंकि ईट भट्टों और पोल्ट्री फार्मों जैसे क्षेत्रों में हजारों श्रमिकों को अभी भी ऋण-प्रेरित शोषण का सामना करना पड़ता है।

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की विशेषताएं:

- दायित्व का उन्मूलन: अधिनियम के शुरू होने पर "बंधुआ ऋण" चुकाने के लिए एक बंधुआ मजदूर के सभी दायित्वों को समाप्त कर दिया गया था।
- रिहाई और स्वतंत्रता: व्यवस्था में फंसे किसी भी श्रमिक को जबरन श्रम प्रदान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।
- जिला जिम्मेदारी: अधिनियम जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और सतर्कता समितियों को मजदूरों की पहचान करने, उन्हें रिहा करने और पुनर्वास करने का अधिकार देता है।
- संज्ञेय अपराध: किसी को बंधन में मजबूर करना एक दंडनीय अपराध है, जिसका उद्देश्य लेनदारों और ठेकेदारों (ठेकेदारों) के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करना है।
- जाति और आर्थिक दायरा: कानून विशेष रूप से आर्थिक ऋण-बंधन और वंशानुगत, जाति-आधारित दासता (जैसे नाइयों या धोबी द्वारा प्रथागत सेवाएं) दोनों को कवर करता है।

बंधुआ मजदूरी पर डेटा और तथ्य:

- राष्ट्रीय रिजिस्टर के आंकड़े: एसईसीसी-2011 के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 1.65 लाख बंधुआ मजदूरों को कानूनी रूप से रिहा किया गया था।
- ओडिशा की बारीकियां: अकेले ओडिशा में, 8,304 से अधिक बंधुआ मजदूरों (ज्यादातर आदिवासी समुदायों से) की पहचान की गई और अंतिम प्रमुख आकलन के अनुसार उन्हें बचाया गया।
- वित्तीय कोष: प्रत्येक जिले को तत्काल राहत के लिए ₹10 लाख का कॉर्पस फंड बनाए रखना आवश्यक है; हालांकि, ओडिशा के लगभग 50% जिलों में इस फंड की कमी है।
- पुनर्वास स्केल: 2022 संशोधित केंद्रीय योजना शोषण की गंभीरता के आधार पर ₹1 लाख से ₹3 लाख तक की श्रेणीबद्ध सहायता प्रदान करती है।
- काम के घंटे: रिपोर्टों से पता चलता है कि बंधन में बंद मजदूर अक्सर प्रतिबंधित आवाजाही के साथ अस्थायी आश्रयों में दिन में 14-15 घंटे काम करते हैं।

बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- बंधन में पुनरावृत्ति: तत्काल वित्तीय सहायता के बिना बचाव पीड़ितों को उनके शोषकों के पास वापस ले जाता है।
- उदाहरण के लिए, ओडिशा के पंचानन मुदुली अपने आधिकारिक बचाव के पांच महीने बाद ही एक ईट भट्टे पर वापस चले गए, क्योंकि वादा किया गया था कि मदद कभी नहीं पहुंची।
- नौकरशाही में देरी और जवाबदेही: स्रोत और गंतव्य राज्यों के बीच समन्वय अंतराल पुनर्वास को रोकता है।
- उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में बचाए गए मजदूर अक्सर ओडिशा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए उनके रिहाई प्रमाण पत्र को संसाधित करने के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं।
- जागरूकता और निगरानी का अभाव: कई जिले छिपे हुए बंधन की पहचान करने के लिए अनिवार्य आवधिक सर्वेक्षण करने में विफल रहते हैं।
- उदाहरण के लिए, अंतिम व्यापक डेटा स्रोत SECC-2011 बना हुआ है, जो बंधुआ मजदूरी पर अद्यतन राष्ट्रीय आंकड़ों में 15 साल के अंतर को दर्शाता है।
- जाति-आधारित संस्थागतकरण: स्थानीय अधिकारियों द्वारा अक्सर प्रथागत दासता से इनकार किया जाता है, जिसके कारण रिहाई प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाते हैं।
- उदाहरण के लिए, पुरी जिले में, 1,283 लोगों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए क्योंकि अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने जाति-बंधन की प्रणालीगत प्रकृति को पहचानने में विफल रहते हुए सेवाएं देना बंद कर दिया था।
- ऋण जाल और विकल्पों की कमी: बचाए गए श्रमिकों के पास अपने गृह गांवों में भूमि या कौशल-आधारित आजीविका की कमी है।
- उदाहरण के लिए, जयराज जगत को सहायता के रूप में ₹19,000 मिले, लेकिन 2017 तक उन्हें फिर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके गांव में स्थायी आय के अवसर नहीं थे।

आगे की राह:

- तत्काल राहत: सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिला 48 घंटे के भीतर बचाए गए मजदूरों को मौके पर भुगतान प्रदान करने के लिए अपने ₹10 लाख के कॉर्पस फंड को सक्रिय करता है।

- योजनाओं का अभिसरण: पलायन को रोकने के लिए बचाव के तुरंत बाद बचे लोगों को मनरेगा, पीएमएवाई (आवास) और राशन कार्ड से जोड़ना।
- डिजिटल ट्रेकिंग: राज्यों के बीच रितीज प्रमाणपत्रों और फंड ट्रांसफर की स्थिति की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय अंतर-राज्यीय ट्रेकिंग पोर्टल लागू करें।
- कौशल विकास: जीवित बचे लोगों को स्थानीय छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण (जैसे, सिलाई, चिनाई) प्रदान करें।
- सतर्कता समितियों को मजबूत करना: नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला और उप-मंडल सतर्कता समितियों का पुनर्गठन।

निष्कर्ष:

बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ पुनर्वास के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है, न कि केवल बचाव के लिए। आर्थिक गरिमा के बिना कानूनी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और जब तक राज्य अंतर्निहित ऋण और जाति की बाधाओं को दूर नहीं करता, तब तक बंधन का चक्र जारी रहेगा। भारत को एक प्रतिक्रियात्मक बचाव-केवल दृष्टिकोण से स्थायी पुनर्एकीकरण के एक सक्रिय, कल्याण-संचालित मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

संदर्भ:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने नई दिल्ली में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें जनजातीय अधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में:

यह क्या है?

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों (ST) के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, निगरानी और प्रचार के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और जनजातीय समुदायों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रहरी संस्था के रूप में कार्य करता है।



स्थापना:

- संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के बाद 2004 में स्थापित किया गया।
- इसने जनजातीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनजातीय मामलों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले के संयुक्त आयोग से अलग कर दिया।

इतिहास:

- 1978: सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहु-सदस्यीय आयोग की स्थापना की।
- 1992: 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ।
- 2003-04: 89वें संविधान संशोधन ने निकाय को विभाजित किया:
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसजी)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

सदस्य:

- एनसीएसटी में शामिल हैं:
- सभापति
- उपाध्यक्ष
- तीन सदस्य
- सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आम तौर पर इसमें जनजातीय प्रशासन, सामाजिक न्याय और नीति में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल होते हैं।

महत्वपूर्ण कार्य:

- सुरक्षा उपायों की निगरानी: अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करता है और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।
- शिकायतों की जांच: अधिकारों से वंचित, भूमि हस्तांतरण, अत्याचार, या आदिवासी समुदायों के लिए लाभों से वंचित करने के बारे में शिकायतों की जांच करता है।

- विकास योजना में सलाहकार की भूमिका: नीति निर्माण में भाग लेता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर सरकारों को सलाह देता है।
- राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना: सुरक्षा उपायों और नीतिगत सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- सिविल कोर्ट की शक्तियां: मामलों की जांच करते समय, आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं जैसे कि व्यक्तियों को बुलाना, दस्तावेजों को बुलाना और साक्ष्य रिकॉर्ड करना।
- नीतिगत परामर्श: केंद्र और राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 और 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के बाद केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी देने के बारे में:

यह क्या है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- यह बदलाव अंग्रेजी द्वारा अपनाए गए संवैधानिक शब्द "केरल" को पारंपरिक मलयालम उपयोग "केरलम" से बदलने का प्रयास करता है।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 कानून बनने से पहले संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेगा।

संबंधित लेख:

- संविधान का अनुच्छेद 3: संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 3 का परंतुक:

- किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति को विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजना चाहिए ताकि उसके विचार प्राप्त किए जा सकें।
- संविधान की पहली अनुसूची: इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और नाम शामिल हैं; नाम बदलने के लिए यहां संशोधन की आवश्यकता है।

किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया:

- राज्य विधानमंडल प्रस्ताव: केरल विधानसभा ने नाम बदलने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया।
- केंद्र सरकार द्वारा जांच गृह मंत्रालय प्रस्ताव की जांच करता है और संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों से परामर्श करता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: कैबिनेट ने विधायी कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- राष्ट्रपति का संदर्भ: राष्ट्रपति विधेयक को उसकी राय के लिए राज्य विधानमंडल को भेजता है (अनुच्छेद 3 परंतुक)।
- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद विधेयक संसद में पेश किया गया और दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
- अधिसूचना और संशोधन: पहली अनुसूची में संशोधन; नया नाम कानूनी प्रभाव में आता है।

परिवर्तन का कारण:

- राज्य को मलयालम में "केरलम" कहा जाता है, जबकि संविधान इसे "केरल" के रूप में दर्ज करता है।
- यह मांग भाषाई पहचान और ऐक्य केरल आंदोलन की विरासत को दर्शाती है, जिसने मलयालम भाषी क्षेत्रों के एकीकरण की मांग की थी।
- विधानसभा ने तर्क दिया कि भाषाई आधार पर गठित राज्यों (1956) को देशी भाषाई नामकरण को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अभाव और समृद्धि का चक्र

संदर्भ:

2014 और 2025 के बीच भारत में आय गतिशीलता के हालिया अनुदैर्घ्य विश्लेषण से एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता चलता है जहां नीचे की ओर गतिशीलता ऊपर की ओर बढ़ रही है।

- अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कम आय वर्ग में फिसलने वाले परिवारों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2025 तक 8% तक पहुंच गई है।

अभाव और समृद्धि के चक्र के बारे में:

यह क्या है?

- अभाव और समृद्धि का चक्र विभिन्न आय स्तरों में परिवारों की निरंतर और अक्सर अस्थिर आवाजाही को संदर्भित करता है।
- यह आय गतिशीलता को पकड़ता है - एक परिवार की अपनी वित्तीय स्थिति (ऊपर की ओर गतिशीलता) में सुधार करने की क्षमता या आर्थिक झटकों के प्रति इसकी भेद्यता जो इसे गरीबी (नीचे की गतिशीलता) में धकेलती है।



मुख्य डेटा और तथ्य:

- डाउनवर्ड मोबिलिटी को दोगुना करना: निम्न आय वर्ग में जाने वाले परिवारों का प्रतिशत 2015 में 14% से बढ़कर 2025 में 26.8% हो गया।
- ग्रामीण संकट: 2025 तक, लगभग 29% ग्रामीण परिवार 2014 की तुलना में बदतर स्थिति में थे, जो उनके शहरी समकक्षों की तुलना में काफी अधिक थे।
- स्थिर मध्य: एक ही आय वर्ग में शेष परिवारों की हिस्सेदारी 70% से गिरकर 50% से नीचे आ गई, जो एक बड़े पैमाने पर सामाजिक मंथन का संकेत देती है।

असमानता के बढ़ने के प्रमुख कारण:

- अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा: कृषि और लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए एक सुसंगत रणनीति की कमी ने कार्यबल के बड़े हिस्से को असुरक्षित बना दिया है।
- उदाहरण के लिए, महामारी के बाद एमएसएमई क्षेत्र में लगातार संकट ने लाखों अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए जीवन यापन के अवसरों को सीमित कर दिया है।
- COVID-19 का प्रभाव: महामारी के आर्थिक परिणामों से निपटने में अक्षम तरीके से निपटने से एक व्यवधान पैदा हुआ जो स्वास्थ्य संकट समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा।
- उदाहरण के लिए के-आकार की वसूली ने तकनीक और वित्त क्षेत्रों में उछाल देखा, जबकि पर्यटन और खुदरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के श्रमिकों को स्थायी आय बढ़ताव का सामना करना पड़ा।
- शैक्षिक बाधाएँ: गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक असमान पहुंच वंचित समूहों को उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है।
- उदाहरण के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों में अनिश्चित संविदात्मक शिक्षण पर निर्भरता ने गैर-कुलीन छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर दिया है।
- सामाजिक भेदभाव: मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ निहित पूर्वाग्रह उनके ऊपर की ओर गतिशीलता के रास्ते को प्रतिबंधित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, वरिष्ठ कॉर्पोरेट नेतृत्व भूमिकाओं में हाशिए पर रहने वाले समूहों का कम प्रतिनिधित्व निजी क्षेत्र में कांच की सीमा को दर्शाता है।
- शहरी-केंद्रित विकास: आर्थिक लाभ प्रमुख महानगरीय केंद्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र अस्थिरता के संपर्क में आ जाता है।
- उदाहरण के लिए, बंगलुरु जैसे शहरों में रियल एस्टेट और हाई-एंड टेक में उछाल उत्तर प्रदेश और बिहार के कृषि क्षेत्रों में स्थिर फसल की कीमतों के विपरीत है।

कम गतिशीलता से जुड़ी चुनौतियाँ

- सामाजिक अस्थिरता: जब अधिक परिवार ऊपर चढ़ने की तुलना में सीढ़ी से नीचे फिसल जाते हैं, तो निराशा आकांक्षा की जगह ले लेती है, जिससे नागरिक अशांति पैदा होती है।
- उदाहरण के लिए, सरकारी नौकरी की भर्ती (जैसे अग्निपथ या रेलवे परीक्षा) पर बार-बार विरोध प्रदर्शन युवाओं की गहरी चिंता का संकेत देते हैं।
- मानव विकास असफलताएं: नीचे की ओर गतिशीलता सीधे शिशु मृत्यु दर और रुग्णता में वृद्धि से जुड़ी हुई है।
- उदाहरण के लिए, उच्च आय अस्थिरता वाले जिलों में उच्च कुपोषण दर से पता चलता है कि आय में गिरावट आने पर परिवार आवश्यक प्रोटीन पर कटौती करते हैं।

- कमजोर कुल मांग: उत्तरजीविता मोड में फंसी आबादी 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए आवश्यक उपभोग स्तर को बनाए नहीं रख सकती है।
- उदाहरण के लिए, लवजरी एसयूवी की तुलना में एंटी-लेवल टू-व्हीलर्स की एनीमिक बिक्री एक खोखली मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को इंगित करती है।
- निहित गरीबी जाल: असमानता अगली पीढ़ी के लिए अकेले योग्यता के माध्यम से चक्र को तोड़ना कठिन बना देती है।
- उदाहरण के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग की बढ़ती लागत योग्यता को केवल समृद्ध लोगों के लिए एक किफायती विलासिता बनाती है।
- नीति पक्षाघात: हेडलाइन वृद्धि के आंकड़ों पर भरोसा करने से एक चौथाई आबादी की सूक्ष्म स्तर की पीड़ा छिप जाती है।
- उदाहरण के लिए, बहुआयामी गरीबी में गिरावट के दावे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न (पीएमजीकेवाई) की आवश्यकता की वास्तविकता के साथ असहज हैं।

आगे की राह:

- सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करें: नीचे की ओर गतिशीलता को ट्रिगर करने वाले आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दें।
- अनौपचारिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करना: स्थिर, रोजगार-गहन विकास बनाने के लिए MSME के लिए लक्षित ऋण और प्रौद्योगिकी सहायता लागू करना।
- सामाजिक सुरक्षा सुधार: अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ मानदेय आधारित सामुदायिक कार्य से औपचारिक, वेतनभोगी भूमिकाओं में संक्रमण।
- स्थानिक असमानता को संबोधित करना: महानगरों में भीड़भाड़ कम करने और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय गतिशीलता मार्ग प्रदान करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश करें।
- भेदभाव-विरोधी ढांचे: समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए श्रम बाजार में जाति और धार्मिक पूर्वाग्रहों की सक्रिय रूप से निगरानी और समाधान करें।

निष्कर्ष:

2014-25 के आंकड़े इस बात की याद दिलाते हैं कि अगर चार में से एक परिवार अभाव में जा रहा है, तो हेडलाइन जीडीपी वृद्धि राष्ट्रीय कल्याण का एक अपर्याप्त उपाय है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, भारत को अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले अनुग्रह के मॉडल से व्यापक-आधारित समावेशन में से एक की ओर बढ़ना चाहिए जो वास्तविक ऊपर की ओर गतिशीलता के साथ लचीलेपन को पुरस्कृत करता है।

सरकारी बैंक डैशबोर्ड और मैनुअल पहल

संदर्भ:

भारत के महालेखा नियंत्रक (CGA) ने सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल लॉन्च किया।

- इन पहलों को सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए सरकारी बैंकिंग को प्रतिक्रियात्मक निरीक्षण से वास्तविक समय, सक्रिय निगरानी में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



सरकारी बैंक डैशबोर्ड और मैनुअल पहल के बारे में:

यह क्या है?

- यह एक दोहरे घटक सुधार है जिसमें एक वास्तविक समय डिजिटल निगरानी मंच (डैशबोर्ड) और एक मानकीकृत नियम पुस्तिका (मैनुअल) शामिल है।

उद्देश्य:

- प्राथमिक उद्देश्य परिचालन जोखिमों को कम करना और सरकारी धन को संभालने में अस्पष्टता को कम करना है।
- इसका उद्देश्य सभी बैंकों में एक समान प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन को अधिकतम जवाबदेही और न्यूनतम देरी के साथ संभाला जाए।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वास्तविक समय की निगरानी: प्रेषण समयसीमा, लेनदेन सफलता दर और स्कॉल अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण KPI को ट्रैक करता है।
- मानकीकृत ढांचा: मैनुअल स्पष्ट परिचालन प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग दायित्वों और सख्त सुलह समयसीमा को परिभाषित करता है।
- सक्रिय निरीक्षण: वास्तविक (तथ्य के बाद) सुधारों से वास्तविक समय के प्रदर्शन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सेवा-स्तरीय ट्रैकिंग: यह निगरानी करता है कि बैंक सरकारी व्यवसाय के लिए स्थापित सेवा मानकों का कितनी अच्छी तरह पालन करते हैं।
- भविष्य एकीकरण: उन्नत विश्लेषिकी और साइबर सुरक्षा उपायों से जुड़े अगले चरण के लिए तैयार।

सीएसआर के भविष्य को आकार देना

संदर्भ:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विश्व स्तर पर और भारत में एक रणनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पेश किया गया है जहां सीएसआर परिधीय परोपकार से एक मुख्य व्यावसायिक अनिवार्यता की ओर बढ़ रहा है।

सीएसआर के भविष्य को आकार देने के बारे में:

सीएसआर क्या है?

- सीएसआर एक व्यवसाय मॉडल है जहां कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने संचालन और हितधारकों के साथ बातचीत में एकीकृत करती हैं। यह बड़े पैमाने पर कार्यबल, स्थानीय समुदायों और समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।



भारत में सीएसआर की मुख्य विशेषताएं:

- अनिवार्य स्थिति: भारत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश है, जिसमें एक निश्चित टर्नओवर/लाभ वाली कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने की आवश्यकता होती है।
- बोर्ड-संचालित: सीएसआर नीति की देखरेख बोर्ड-स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जो उच्च-स्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- अनुसूची VII फ्रेमवर्क: खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी विशिष्ट गतिविधियों तक ही सीमित है।
- अप्रयुक्त निधि नियम: कंपनियों को चल रही परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट सरकारी निधियों या अप्रयुक्त CSR खातों में अव्ययित CSR फंड स्थानांतरित करना होगा।

सीएसआर परिदृश्य कैसे बदल रहा है?

- परोपकार से व्यावसायिक मूल्य तक: सीएसआर अब मापने योग्य आरओआई से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कौशल विकास के माध्यम से भविष्य की प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण।
- उदाहरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) छात्रों को कोडिंग सिखाने के लिए अपने जीओआईटी कार्यक्रम का उपयोग करता है, जो सीधे भारत में तकनीकी प्रतिभा की कमी को संबोधित करता है।
- एआई साक्षरता पर ध्यान दें: एआई-संचालित छंटनी बढ़ने के साथ, सीएसआर नई तकनीक के साथ काम करने के लिए कमजोर समुदायों को कौशल बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है।
- उदाहरण के लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने पूरे कर्नाटक में ग्रामीण शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए अपने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया है।
- कर्मचारी-नेतृत्व वाला चयन: जेन जेड प्रतिभा का प्रतिधारण अब इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या कर्मचारियों को लगता है कि उनकी कंपनी का सामाजिक रुख उनके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल खाता है।
- उदाहरण के लिए, विप्रो कर्मचारियों को अनुदान के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 में उच्च आंतरिक जुड़ाव स्कोर होगा।
- सौंदर्यीकरण पर पर्यावरणीय कार्यक्षमता: कंपनियां साधारण वृक्षारोपण से हटकर पूरे वाटरशेड और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की ओर बढ़ रही हैं।
- उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए गुजरात तट के साथ पार्क के रखरखाव से बड़े पैमाने पर मैंग्रोव बहाली में स्थानांतरित हो गई है।
- प्रत्यक्ष आजीविका लिंगिंग: सीएसआर परियोजनाएं अब एकमुश्त दान के बजाय स्थायी आय स्रोत बनाने को प्राथमिकता देती हैं।
- उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान यूनीलीवर (एचयूएल) की परियोजना शक्ति ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाना जारी रखती है, उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करती है।

की गई पहल:

- राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल: सभी कॉर्पोरेट खर्च डेटा को जनता के लिए सुलभ बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी पहल।
- प्रभाव मूल्यांकन जनादेश: हाल के संशोधनों के लिए बड़े सीएसआर बजट वाली कंपनियों को अपनी परियोजनाओं का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई): भारत ने सामाजिक उद्यमों और गैर सरकारी संगठनों को पूंजी जुटाने की अनुमति देने के लिए एसएसई लॉन्च किया है, जिससे सीएसआर फंड और प्रभाव के बीच की खाई को पाटना संभव हो सके।

सीएसआर के लिए चुनौतियां:

- विवेक पर अनुपालन: कई कंपनियां सीएसआर को नैतिक कर्तव्य के बजाय एक चेकबॉक्स कानूनी आवश्यकता के रूप में मानती हैं।
- उदाहरण के लिए 2025 में कई फर्मों को ग्रीनवॉशिंग के लिए दंडित किया गया था - पर्यावरणीय खर्च की रिपोर्ट करना जिसका कोई वास्तविक पारिस्थितिक प्रभाव नहीं था।
- भौगोलिक असंतुलन: सीएसआर फंड औद्योगिक राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात) में प्रवाहित होता है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों को वंचित छोड़ दिया जाता है।
- उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पूर्वी भारत के आकांक्षी जिलों को कुल राष्ट्रीय सीएसआर खर्च का 5% से भी कम प्राप्त हुआ।
- गैर सरकारी संगठनों में क्षमता की कमी: कई स्थानीय गैर सरकारी संगठनों में आधुनिक कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा आवश्यक तकनीकी कौशल (जीआईएस, एआई, प्रभाव रिपोर्टिंग) की कमी है।
- उदाहरण के लिए, ओडिशा में छोटे पैमाने के गैर सरकारी संगठनों को डिजिटल पारदर्शिता उपकरणों की कमी के कारण 2025 में तकनीकी फर्मों के साथ साझेदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- एआई के नैतिक जोखिम: अनुदान चयन के लिए एआई का उपयोग पूर्वाग्रहों में बदल सकता है यदि उपयोग किया गया डेटा विविध या प्रतिनिधि नहीं है।
- उदाहरण के लिए, छात्रवृत्ति चयन के लिए एक प्रमुख वित्तीय फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एआई टूल को 2026 में ग्रामीण आवेदकों की तुलना में अनजाने में शहरी आवेदकों का पक्ष लेने के लिए विद्धित किया गया था।
- अल्पकालिक: वार्षिक 2% खर्च पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर दीर्घकालिक, बहु-वर्षीय परियोजनाओं को रोकता है जिनके लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है।
- उदाहरण के लिए, राजस्थान में कई पानी की टंकी परियोजनाएं दो साल के भीतर विफल हो गईं क्योंकि सीएसआर बजट में दीर्घकालिक रखरखाव शामिल नहीं था।

आगे की राह:

- सहयोगात्मक सीएसआर: कंपनियों को मेगा-परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना जो जलवायु परिवर्तन या महामारी की तैयारी जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करते हैं।
- 'आकांक्षी जिलों' पर ध्यान दें: सरकार को सीएसआर फंड के एक प्रतिशत को सबसे अविकसित क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहन या जनादेश प्रदान करना चाहिए।
- ह्यूमन-इन-द-लूप एआई: सुनिश्चित करें कि सभी एआई-संचालित सीएसआर निर्णयों का मानव विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट किया जाता है ताकि समानता और नैतिकता बनाए रखी जा सके।
- ईएसजी को एकीकृत करना: पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रिपोर्टिंग की ओर बढ़ें, जहां सामाजिक प्रभाव कंपनी के वित्तीय मूल्यांकन का एक मुख्य हिस्सा है।
- निगरानी को मजबूत करना: ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय की प्रगति को ट्रैक करने के लिए उपग्रह निगरानी और ब्लॉकचेन में निवेश करें।

निष्कर्ष:

2026 तक, सीएसआर राष्ट्रीय विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुआ है जो साधारण दान से परे है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों को स्थानीय समुदाय की जरूरतों और नैतिक एआई उपयोग के साथ संरेखित करके, व्यवसाय अधिक न्यायसंगत भविष्य चला सकते हैं। अंततः, भारत के सामाजिक ताने-बाने की सफलता अनिवार्य अनुपालन से प्रामाणिक सामाजिक नेतृत्व की ओर बढ़ने पर निर्भर करती है।

डल झील: कश्मीर के मुकुट का गहना (Jewel in the Crown of Kashmir)

संदर्भ:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने ₹416.72 करोड़ की पुरानी बहाली योजना के स्थान पर 'इन-सीटू' (स्थानीय) संरक्षण रणनीति का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य निवासियों को झील के भीतर ही रहने देकर पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है।



1. डल झील का परिचय

- स्वरूप: यह एक प्रसिद्ध शहरी मीठे पानी की झील और आर्द्रभूमि (Wetland) है।
- सांस्कृतिक महत्व: इसे 'श्रीनगर का रत्न' और 'कश्मीर का मुकुट' कहा जाता है। यह पर्यटन, मत्स्य पालन और तैरती कृषि (Floating Farming) का मुख्य केंद्र है।
- स्थान: जम्मू-कश्मीर की ब्रिष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित, यह झील शालीमार बाग और निशात बाग जैसे प्रसिद्ध मुगल उद्यानों से घिरी हुई है।

2. भू-वैज्ञानिक उत्पत्ति और जल विज्ञान

- उत्पत्ति: डल झील कश्मीर घाटी की 'लैक्विस्ट्रन' (झील-निर्मित) प्रणाली का हिस्सा है। इसका निर्माण हिमालय बेसिन में होने वाली विवर्तनिक (Tectonic) और हिमनद (Glacial) प्रक्रियाओं के कारण हुआ है।
- नदी संपर्क: यह झील झेलम नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है। यह आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों (Catchment areas) से पानी प्राप्त करती है और एक नियंत्रित बहिर्वाह (Outflow) के माध्यम से झेलम नदी में मिल जाती है।

3. प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं

- क्षेत्रफल: लगभग 18 वर्ग किमी में फैली यह झील 21 वर्ग किमी के विशाल आर्द्रभूमि परिसर का हिस्सा है।
- विभाजन: यह मुख्य रूप से चार घाटियों (Basins) में बंटी हुई है:
 1. गगरीबल (Gagribal)
 2. लोककुट दल (Lokut Dal)
 3. बोद दल (Bod Dal)
 4. नागिन (Nageen) - इसे कभी-कभी एक स्वतंत्र झील भी माना जाता है।

4. डल झील की अनूठी पहचान

- तैरते बगीचे (Rad): यहाँ 'राड' के नाम से प्रसिद्ध तैरते हुए बगीचों पर सब्जियों की खेती की जाती है, जो विश्व स्तर पर अद्वितीय है।
- हाउसबोट और शिकारा: यह लकड़ी के नक्काशीदार हाउसबोट और पारंपरिक 'शिकारा' (नावों) के लिए प्रसिद्ध है, जो हजारों लोगों की आजीविका का आधार हैं।
- शीतकालीन प्रभाव: अत्यधिक सर्दियों के दौरान झील की ऊपरी सतह जम जाती है।

5. पारिस्थितिक चुनौतियां और संरक्षण

झील वर्तमान में कई गंभीर संकटों का सामना कर रही है, जिसके लिए नई रणनीति की आवश्यकता पड़ी:

- यूट्रोफिकेशन (Eutrophication): पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जंगली घास और काई का अनियंत्रित विकास।
- अतिक्रमण और सीवेज: घरों और हाउसबोट्स से निकलने वाला अनुपचारित अपशिष्ट।
- जल परिसंचरण में कमी: सिल्टेशन (गाद जमना) के कारण गहराई और जल प्रवाह में गिरावट।

विशेष नोट: प्रस्तावित 'इन-सीटू' रणनीति का उद्देश्य झील के संरक्षण और वहां के निवासियों की आजीविका के बीच एक स्थायी संतुलन बनाना है।

निष्कर्ष

डल झील केवल एक जल निकाय नहीं है, बल्कि कश्मीर की आत्मा है। 'इन-सीटू' संरक्षण के माध्यम से सरकार वैज्ञानिक समाधानों और सामुदायिक भागीदारी को जोड़कर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिश कर रही है।

महाद्वीपीय मेंटल भूकंप: पृथ्वी की गहराई का नया मानचित्र

संदर्भ:

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने अपनी तरह का पहला वैश्विक मानचित्र जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में 459 दुर्लभ महाद्वीपीय मेंटल भूकंपों की पहचान की गई है। यह खोज इस धारणा को चुनौती देती है कि भूकंप केवल ऊपरी ठंडी परत (Crust) तक ही सीमित होते हैं।



1. महाद्वीपीय मेंटल भूकंप क्या हैं?

- परिभाषा: ये वे दुर्लभ भूकंपीय घटनाएं हैं जो महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल (Mantle) भाग में उत्पन्न होती हैं।
- गहराई का अंतर: सामान्य भूकंप 'भंगुर क्रस्ट' (Brittle Crust) में 10-29 किमी की गहराई पर होते हैं, जबकि ये भूकंप मोहोरोविक असंतोष (Moho) सीमा से काफी नीचे, अक्सर 80 किमी से अधिक की गहराई पर होते हैं।

2. प्रमुख क्षेत्र (Hotspots)

अध्ययन के अनुसार, ये भूकंप मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकरा रही हैं:

- हिमालयी टकराव क्षेत्र (Himalayan Collision Zone): जहाँ भारतीय प्लेट यूरोशियन प्लेट के नीचे धंस रही है।
- बेरिंग जलडमरूमध्य (Bering Strait): अलास्का और रूस के बीच का क्षेत्र।
- विशेषता: इन क्षेत्रों में अत्यधिक लिथोस्फेरिक विरूपण (Lithospheric Deformation) और तीव्र विवर्तनिक तनाव पाया जाता है।

3. ये भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं? (उत्पत्ति के कारण)

मेंटल आमतौर पर गर्म और नमनीय (Ductile) होता है, फिर भी वहां भूकंप के लिए चट्टानों का टूटना (Fracture) निम्नलिखित कारणों से होता है:

- तनाव का हस्तांतरण (Stress Transfer): ऊपरी क्रस्ट की हलचल से पैदा हुआ भारी दबाव गहराई में मेंटल तक पहुँच जाता है।
- तापीय विविधता (Thermal Variations): मेंटल के भीतर कुछ हिस्से स्थानीय रूप से ठंडे और कठोर हो सकते हैं, जिससे वे टूटने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- सबडव्शन प्रक्रिया: जब एक प्लेट दूसरी के नीचे दबती है, तो वह गहराई में जाकर भी कुछ समय के लिए अपनी 'भंगुर' (Brittle) प्रकृति बनाए रखती है।
- पहचान की तकनीक: वैज्ञानिक Sn तरंगों (मेंटल में यात्रा करने वाली) और Lg तरंगों (क्रस्ट में यात्रा करने वाली) के व्यवहार में अंतर देखकर इनकी पहचान करते हैं।

4. क्रस्टल बनाम मेंटल भूकंप: एक तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषता	क्रस्टल भूकंप (Crustal)	महाद्वीपीय मेंटल भूकंप (Mantle)
गहराई	10 – 29 किमी	> 80 किमी
अवस्थिति	ऊपरी भंगुर परत (Brust)	महाद्वीपों के नीचे गहरा मेंटल
सतह पर प्रभाव	तीव्र झटके और भारी विनाश संभव	न्यूनतम सतह प्रभाव (गहराई के कारण)
आवृत्ति (Frequency)	अत्यंत सामान्य	अत्यंत दुर्लभ (Sparse)

5. महत्त्व और वैज्ञानिक प्रभाव

- पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान: यह डेटा हमें बताता है कि पृथ्वी के गहरे मेंटल में तनाव और संरचना का वितरण कैसा है।
- पर्वत निर्माण (Orogeny): हिमालय जैसे विशाल पर्वतों के निर्माण में गहरी विवर्तनिक प्रक्रियाओं की भूमिका को समझने में मदद मिलती है।
- सीमित जोखिम: चूँकि ये बहुत गहराई पर होते हैं, इसलिए इनसे मानव बस्तियों को तत्काल खतरा (जैसे घर गिरना) कम होता है, लेकिन ये भविष्य की बड़ी भूगर्भीय हलचलों के संकेत हो सकते हैं।

निष्कर्ष

महाद्वीपीय मेंटल भूकंपों का यह वैश्विक मानचित्र भू-वैज्ञानिकों के लिए एक नया 'टूलकिट' है। यह साबित करता है कि हमारी पृथ्वी का ऊपरी आवरण (Mantle) उतना शांत नहीं है जितना हम समझते थे, और वहां होने वाली हलचलें हमारे महाद्वीपों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

मोर

संदर्भ:

हिमाचल प्रदेश के मनाली के समीप 6,000 फीट (लगभग 1,800 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर मोर के एक जोड़े को देखा गया है। आमतौर पर गर्मी तराई और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले इस पक्षी का इतनी ऊंचाई पर पाया जाना वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है।

मोर (Peafowl) के बारे में बुनियादी जानकारी

- वर्गीकरण: मोर तीतर परिवार (Phasianidae) का सदस्य है। इन्हें सामूहिक रूप से 'पीफोव्ल' कहा जाता है।
- नर: मोर (Peacock)
- मादा: मोरनी (Peahead)
- शावक: पीचिक्स (Peachicks)
- राष्ट्रीय गौरव: भारतीय नीला मोर (Pavo cristatus) भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।



प्राकृतिक आवास और वितरण

- सामान्य आवास: अर्ध-शुष्क से नम पर्णपाती वन, घास के मैदान और कृषि क्षेत्र।
- पारंपरिक ऊंचाई सीमा: आमतौर पर समुद्र तल से 1,000 मीटर तक, और बहुत दुर्लभ मामलों में 1,500 मीटर तक।
- असामान्य घटना: मनाली (1,800 मीटर) में इनका दिखना उनकी मानक ऊंचाई सीमा से काफी ऊपर है।

IUCN संरक्षण स्थिति

प्रजाति	IUCN स्थिति
भारतीय (नीला) मोर	कम चिंताजनक (Least Concern)
हरा (जावानीज़) मोर	लुप्तप्राय (Endangered)
कांगो मोर	सुभेद्य (Vulnerable)

प्रमुख विशेषताएँ और व्यवहार

- शारीरिक: नरों के पास आंखों के आकार के धब्बों वाली एक लंबी इंद्रधनुषी 'ट्रेन' (पूंछ) होती है, जिसका उपयोग वे प्रेमालाप (Courtship) के दौरान मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं और ये छोटी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम होते हैं।
- सामाजिक: ये आमतौर पर ज़मीन पर रहते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए रात में ऊंचे पेड़ों पर बसेरा (Roosting) करते हैं।
- आहार: ये सर्वाहारी (Omnivorous) होते हैं। बीज, कीड़े और छोटे सरीसृपों (जैसे सांप) को खाकर ये प्राकृतिक 'कीट नियंत्रक' के रूप में कार्य करते हैं।

उच्च ऊंचाई पर उपस्थिति के निहितार्थ (Implications)

मनाली जैसे ठंडे क्षेत्रों में मोरों का प्रवास कई महत्वपूर्ण संकेत देता है:

1. जलवायु परिवर्तन का सूचक: हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ता तापमान (Global Warming) अब उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी इन पक्षियों के रहने योग्य बना रहा है।
2. पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव: प्रजातियों के ऊर्ध्वगामी प्रवास (Upward Migration) से पता चलता है कि हिमालय के निचले हिस्सों में गर्मी या आवास की कमी के कारण वन्यजीव ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।
3. अनुकूलन की क्षमता: यह मोरों की बदलती परिस्थितियों में ढलने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, हालांकि अत्यधिक ठंड उनके अस्तित्व के लिए अभी भी चुनौती हो सकती है।
4. मानव-वन्यजीव संपर्क: रिहायशी इलाकों के करीब जाने से इन पक्षियों के लिए नए संघर्ष (जैसे कुत्तों के हमले या बिजली की तारें) पैदा हो सकते हैं।

निष्कर्ष

मनाली में मोर की उपस्थिति 'ग्लोबल वार्मिंग' की एक जीती-जागती चेतावनी है। यदि यह जोड़ा वहाँ स्थायी रूप से बस जाता है, तो यह स्थानीय जैव-विविधता के समीकरणों को बदल सकता है। यह घटना भविष्य में हिमालयी वन्यजीव संरक्षण नीतियों में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

कछुए के निशान

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख ओलिव रिडले घोंसले के शिकार स्थलों के साथ 'कछुए के ट्रेल्स' विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है।

टर्टल ट्रेल्स के बारे में:

यह क्या है?

- 'टर्टल ट्रेल्स' विनियमित इको-टूरिज्म रास्तों और समुद्री कछुओं के घोंसले के शिकार समुद्र तटों के पास निर्देशित अनुभवों को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य संरक्षण जागरूकता, सामुदायिक आजीविका और प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है।



शामिल राज्य:

- ओडिशा – ऋषिकुल्या (गंजम) और गहिरमाथा (केंद्रपाड़ा) के आसपास का क्षेत्र
- कर्नाटक - तटीय कछुओं के घोंसले के शिकार समुद्र तट
- केरल - अरब सागर तट के साथ प्रमुख घोंसले के शिकार हैं

प्रमुख विशेषताएँ:

- कछुओं के घोंसले के शिकार क्षेत्रों तक निर्देशित और विनियमित पहुंच, आमतौर पर प्रजनन के मौसम के दौरान
- समुद्री जैव विविधता और संरक्षण पर जन जागरूकता और शिक्षा
- स्थानीय मछुआरों, स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए सामुदायिक भागीदारी
- कम प्रभाव वाला बुनियादी ढांचा, संभावित अस्थायी पैदल मार्ग या अवलोकन क्षेत्र (जैसा कि प्रस्तावित है)
- आजीविका सृजन और स्थायी पर्यटन लक्ष्यों के साथ पर्यावरण-पर्यटन नीति के साथ एकीकरण

महत्त्व:

- ओलिव रिडले समुद्री कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रति जनता को संवेदनशील बनाने में मदद करता है।
- निर्देशित पर्यटन के माध्यम से तटीय समुद्राओं के लिए वैकल्पिक आय उत्पन्न कर सकते हैं।
- यदि अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो अनियमित पर्यटन को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित पहुंच के साथ बदल सकता है।

अवैध खनन संकट: रैट-होल खनन और प्रवर्तन की चुनौतियां

संदर्भ:

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में 18 मजदूरों की मृत्यु हो गई। यह घटना 2014 में 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (NGT) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद इस खतरनाक प्रथा के निरंतर जारी रहने पर सवाल उठाती है।

1. रैट-होल (Rat-hole) खनन क्या है?

- परिभाषा: यह कोयला निकालने की एक आदिम और अवैज्ञानिक विधि है। इसमें पहाड़ियों में या ऊर्ध्वाधर गड्ढों में 3-4 फीट ऊंची संकीर्ण क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं, जिनमें खनिक रेंगकर अंदर जाते हैं।
- प्रतिबंध: NGT ने 2014 में इसे असुरक्षित और पर्यावरण के लिए घातक मानकर प्रतिबंधित कर दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा।



2. सांख्यिकी और मुख्य डेटा (2025-26)

- हादसों की आवृत्ति: पिछले दो महीनों में पूर्वी जयंतिया हिल्स में तीन बड़ी घटनाएं हुईं, जो सुरक्षा तंत्र की विफलता दर्शाती हैं।
- आर्थिक प्रभाव: अनुमान है कि मेघालय में प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन कोयला अभी भी अवैध रूप से निकाला जाता है।
- निगरानी में चूक: RTI आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारें लगभग 87% उपग्रह-जनित अलर्ट (MSS) पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं।
- अवैध विस्तार: अनुमानतः 2026 तक मेघालय में अभी भी लगभग 30,000 अवैध रैट-होल खदानें सक्रिय हैं।

3. अवैध खनन के बहुआयामी दुष्प्रभाव

क्षेत्र	प्रभाव का विवरण	उदाहरण
मानवीय क्षति	सुरक्षा और वेंटिलेशन के अभाव में बार-बार ढहने और गैस विस्फोट से मौतें।	थांगस्कु विस्फोट (2026) में 18 श्रमिकों की मृत्यु।
पर्यावरणीय विनाश	'एसिड माइन ड्रेनेज' से नदियों का पानी अत्यधिक अम्लीय (pH 2-3) होना।	कोपिली नदी का पानी नारंगी/नीला होना और जलीय जीवों का अंत।
राजस्व की हानि	रॉयल्टी और करों की चोरी से राजकोष को भारी नुकसान।	उत्तर प्रदेश में 2025 की CAG रिपोर्ट के अनुसार ₹784 करोड़ का नुकसान।
पारिस्थितिक अस्थिरता	अवैज्ञानिक खुदाई से भूमि का धंसना और वनों की अंधाधुंध कटाई।	झरिया (झारखंड) में 2025 में अवैध खनन के कारण घरों का धंसना।

4. प्रमुख चुनौतियां

- राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़: खनन माफियाओं और स्थानीय सत्ता के बीच सांठगांठ के कारण कानूनी प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
- दुर्गम भौगोलिक स्थिति: घने जंगलों और पहाड़ियों में छिपी खदानों तक ड्रोन या सैटेलाइट की पहुंच सीमित होती है।
- सामाजिक-आर्थिक निर्भरता: स्थानीय समुदायों के लिए कृषि की तुलना में कोयला खनन में 3 गुना अधिक मजदूरी मिलना, उन्हें इस अवैध कार्य की ओर धकेलता है।
- कानूनी पेंच: पुराने 'कोयला स्टॉक' के परिवहन की आड़ में नए अवैध कोयले को वैध बताकर निकाला जाना।

5. की गई पहलें और निवारक उपाय

- MSS (Mining Surveillance System): उपग्रह आधारित निगरानी जो पट्टों के 500 मीटर के भीतर अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाती है।
- MMDR संशोधन विधेयक (मसौदा) 2026: अवैध खनन के लिए कड़े दंड और इसे 'रणनीतिक सुरक्षा खतरे' के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव।
- न्यायमूर्ति कटके समिति: पूर्वोत्तर में अवैध कोयला परिवहन रोकने के लिए नियुक्त एक सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल।

6. आगे की राह (Way Forward)

- सैटेलाइट-टू-एक्शन (S2A): पुलिस और प्रशासन के लिए MSS अलर्ट पर 48 घंटे के भीतर अनिवार्य कार्रवाई का कानून बनाना।
- वैज्ञानिक खनन: 'चूहे के छेद' वाली पद्धति को आधुनिक और सुरक्षित 'साइंटिफिक माइनिंग' से बदलना।
- आजीविका परिवर्तन: मेघालय के पर्यटन और बायो-इकोनॉमी क्षेत्रों में निवेश करना ताकि श्रमिकों को कोयला माफियाओं के जाल से निकाला जा सके।
- IoT आधारित ट्रैकिंग: कोयला ले जाने वाले ट्रकों में GPS और डिजिटल ट्रैजिट पास को अनिवार्य बनाना।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट: खनन माफियाओं को त्वरित सजा देने के लिए विशेष पर्यावरण अदालतों की स्थापना।

निष्कर्ष

थांगस्कु (2026) की त्रासदी इस बात की चेतावनी है कि केवल कागजी प्रतिबंधों से ज़मीन नहीं बदलती। भारत को आपदा के बाद 'मुआवजा' देने की नीति से आगे बढ़कर 'निवारक' तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की ओर बढ़ना होगा। पहाड़ियों की शांति अब अवैध विस्फोटों से नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास की आहट से गूंजनी चाहिए।

प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions - Nbs)

संदर्भ:

दिल्ली में संपन्न TREESCAPES 2026 कांग्रेस ने जलवायु लचीलेपन (Climate Resilience) में कृषि-वानिकी की भूमिका को रेखांकित किया। वहीं, UNEP स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट ने प्रकृति संरक्षण में निवेश के भारी अंतर (Finance Gap) के प्रति वैश्विक समुदाय को सचेत किया है।

1. प्रकृति-आधारित समाधान (Nbs) क्या हैं?

- परिभाषा (IUCN): ये वे कार्य हैं जो प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और बहाली करते हैं। इनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, खाद्य और जल सुरक्षा जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है।
- विशिष्टता: Nbs एक साथ 'मानव कल्याण' और 'जैव विविधता' दोनों को लाभ पहुंचाते हैं।

2. Nbs: महत्वपूर्ण आंकड़े और डेटा

- शमन क्षमता: 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे रखने के लिए आवश्यक कुल \$CO_2\$ शमन का 37% Nbs द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- आर्थिक मूल्य: स्वस्थ मैंग्रोव वैश्विक स्तर पर वार्षिक बाढ़ के नुकसान में \$57 बिलियन की बचत करते हैं।



- निवेश अंतराल: प्रकृति की रक्षा पर खर्च होने वाले प्रत्येक \$1 के मुकाबले, प्रकृति-नकारात्मक गतिविधियों (जैसे जीवाश्म ईंधन सब्सिडी) पर \$30 खर्च किए जा रहे हैं।
- भारत की स्थिति: भारत वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है (कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17%)।

3. NBS की बहुआयामी आवश्यकता

क्षेत्र	लाभ/उदाहरण	प्रभाव
जलवायु शमन	एक पेड़ माँ के नाम अभियान (2025)	262.4 करोड़ पौधों के माध्यम से कार्बन सिंक में वृद्धि।
आपदा जोखिम	MISHTI पहल (मैंग्रोव संरक्षण)	ओडिशा और बंगाल के तटों को चक्रवातों से सुरक्षा।
जल सुरक्षा	बेंगलुरु की झील प्रणालियों का कार्याकल्प	भूजल पुनर्भरण और शहरी बाढ़ के जोखिम में कमी।
खाद्य सुरक्षा	कृषि वानिकी (Agroforestry)	मृदा स्वास्थ्य में सुधार; राष्ट्रीय कार्बन स्टॉक में 20% योगदान।

4. विद्यमान चुनौतियां

- मानकीकरण का अभाव: सामान्य मानकों की कमी से 'ग्रीनवॉशिंग' का खतरा बढ़ता है (जैसे- गैर-देशी नीलगिरी के पौधों से भूजल का सूखना)।
- वित्त पोषण की कमी: वर्तमान जलवायु नीतियों में से केवल 30% में NBS के लिए स्पष्ट बजट आवंटित है।
- प्रशासनिक जटिलता: वन, जल और शहरी विकास विभागों के बीच क्षेत्राधिकार का टकराव (जैसे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट)।
- ज्ञान का अभाव: विशिष्ट तकनीकी डेटा की कमी के कारण कई मैंग्रोव बहाली परियोजनाएं विफल हो जाती हैं।

5. प्रमुख पहलें (2025-26)

- IUCN वैश्विक मानक: परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 8 मानदंडों का ढांचा।
- अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट: उत्तर-पश्चिम भारत में मरुस्थलीकरण रोकने हेतु 6.31 मिलियन हेक्टेयर भूमि की बहाली।
- डिजिटल CAMPA: पारदर्शिता के लिए 'डिजिटल APO पोर्टल' (2025) का शुभारंभ।
- ENACT पहल: राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में NBS को एकीकृत करने हेतु वैश्विक साझेदारी।

6. आगे की राह (Way Forward)

- मुख्यधारा में एकीकरण: 'पीएम गति शक्ति' और 'स्मार्ट सिटी मिशन' में 'ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर' (वर्षा उद्यान, बायोसवेट्स) को अनिवार्य बनाना।
- ग्रीन फाइनेंस: बहाली के लिए सॉल्वेन फॉरेस्ट बॉन्ड जारी करना और निजी कार्बन क्रेडिट मार्केट विकसित करना।
- सामुदायिक नेतृत्व: स्थानीय ग्राम सभाओं और 'जल जीवन मिशन' की महिला समितियों को प्रबंधन की बागडोर सौंपना।
- तकनीकी निगरानी (MRV): पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए 'मेरी लाइफ पोर्टल 2026' जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग।

निष्कर्ष

NBS 'प्रकृति से लड़ने' के बजाय 'प्रकृति के साथ साझेदारी' करने की दिशा में एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। 2026 में 18 बिलियन डॉलर के लकड़ी आयात बिल को कम करने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी 'प्राकृतिक पूंजी' का सही उपयोग करना होगा। अरावली बहाली और कृषि वानिकी जैसे प्रयास इस दिशा में सही कदम हैं।

सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना को अपग्रेड करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नीतिगत निर्णयों के 50 वर्षों की समीक्षा और आधुनिकीकरण के लिए चार विशेषज्ञ कार्य समूहों का गठन किया है, क्योंकि कार्यक्रम अपनी स्वर्ण जयंती पूरी कर रहा है।

प्रोजेक्ट टाइगर योजना को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समूहों का गठन किया है:

यह क्या है?

- प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कोर-बफर रणनीति का उपयोग करके संरक्षित बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क के माध्यम से बाघों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है।



शुरुआत:

- 1973 (दुनिया के सबसे शुरुआती बड़े पैमाने पर प्रजाति संरक्षण कार्यक्रमों में से एक)

शामिल संगठन:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) – नोडल मंत्रालय
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) – कार्यान्वयन की देखरेख करने वाला वैधानिक निकाय

उद्देश्य:

- प्राकृतिक आवासों में व्यवहार्य बाघों की आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना।
- बफर क्षेत्रों में जनोन्मुखी विकास को संतुलित करते हुए जैव विविधता और पारिस्थितिक अखंडता का संरक्षण करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- टाइगर रिजर्व नेटवर्क: 18 बाघ-रेंज राज्यों में 9 रिजर्व (1973) से 51 रिजर्व तक विस्तारित, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के ~2.23% को कवर करता है।

कोर-बफर रणनीति:

- कोर: राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य की कानूनी स्थिति वाले क्षेत्रों का उल्लंघन करना
- बफर: सह-अस्तित्व और आजीविका को बढ़ावा देने वाले बहु-उपयोग परिदृश्य
- वैधानिक समर्थन: NTCA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्य करता है
- वित्तीय सहायता: आवास प्रबंधन, सुरक्षा, निगरानी और सामुदायिक विकास के लिए केंद्रीय सहायता
- वैज्ञानिक निगरानी: कैमरा ट्रैप, लैंडस्केप पारिस्थितिकी और शिकार-आधार आकलन का उपयोग करके समय-समय पर अखिल भारतीय बाघ का अनुमान

नए विशेषज्ञ समूह क्या करेंगे?

- चार जोन-वार कार्य समूह (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम)।
- 50 वर्षों में लिए गए 28 एनटीसीए नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करें।
- बाघों की संख्या के रुझान, शिकार के आधार, क्षेत्रीय दबावों का आकलन करना।
- पुरानी प्रथाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अंतराल की पहचान करना।
- अगले 25 वर्षों के लिए भविष्य के लिए तैयार नीतियों की सिफारिश करें।
- एनटीसीए और राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

जर्मनी के BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' नामित किया गया**संदर्भ:**

जैविक उत्पादों के लिए दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' के रूप में नामित किया गया है।

जर्मनी के BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' नामित किए जाने के बारे में:**BIOFACH क्या है?**

- BIOFACH जैविक खाद्य और कृषि के लिए दुनिया का अग्रणी व्यापार मेला है, जो जर्मनी के नूर्नबर्ग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

मेज़बान:

- नूर्नबर्ग मेसे प्रदर्शनी केंद्र, जर्मनी में आयोजित किया गया।
- नूर्नबर्गमेसे जीएमबीएच (जर्मनी) द्वारा प्रबंधित।

उद्देश्य:

- प्रमाणित जैविक उत्पादों में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, निर्यातकों, खुदरा विक्रेताओं और नीति निर्माताओं के बीच B2B नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करें।
- टिकाऊ कृषि और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार खपत को प्रोत्साहित करें।
- जैविक खेती और प्रसंस्करण में नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करें।

भारत के लिए निहितार्थ:

- वैश्विक जैविक नेतृत्व को मजबूत करना: टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच भारत को प्रमाणित जैविक उपज के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा: जैविक चावल, मसाले, दालें, तिलहन, काजू, हल्दी, अदरक, आम प्यूरी और आवश्यक तेलों जैसे उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाता है।
- जीआई-टैग किए गए विरासत उत्पादों को बढ़ावा देना: भारत की पारंपरिक कृषि विविधता की ब्रांडिंग को मजबूत करते हुए जीआई-टैग वाली चावल की पांच किस्मों का प्रदर्शन किया गया।
- एफपीओ और क्षेत्रीय उत्पादकों का सशक्तिकरण: 20 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर निर्यात एकीकरण पर प्रकाश डालती है।



- पाक कूटनीति के माध्यम से सॉफ्ट पावर: जैविक बिरयानी और विरासत चावल की किस्मों सहित लाइव चखना, विश्व स्तर पर भारत की जैविक पहचान को बढ़ावा देता है।
- ओडिशा के तटीय और मुहाने वाले क्षेत्रों (Estuaries) में डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि होना भारत के समुद्री संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी सफलता है। 2026 की जनगणना के परिणाम न केवल उत्साहजनक हैं, बल्कि यह ओडिशा के पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती को भी दर्शाते हैं।
- यहाँ आपकी जानकारी को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित स्वरूप में पुनर्गठित किया गया है:

ओडिशा डॉल्फिन जनगणना 2026: एक संक्षिप्त रिपोर्ट

संदर्भ:



ओडिशा ने पिछले पांच वर्षों में समुद्री डॉल्फिन की अपनी उच्चतम आबादी दर्ज की है। राज्यव्यापी जनगणना 2026 के अनुसार, राज्य के जल क्षेत्र में कुल 765 डॉल्फिन पाई गई हैं।

1. जनगणना का विवरण

- उद्देश्य: डॉल्फिन और अन्य सीतासियों (Cetaceans) की संख्या, वितरण और विविधता का आकलन करना।
- संचालन: यह गणना ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (वन्यजीव विंग) द्वारा की जाती है।
- कार्यप्रणाली: इसमें 'बोट' और 'तट-आधारित' ट्रान्सेक्ट सर्वेक्षण (Transect Surveys) के माध्यम से विशेषज्ञों और वन कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

2. 2026 जनगणना के प्रमुख परिणाम

कुल जनसंख्या 765 दर्ज की गई, जिसका प्रजाति-वार वितरण इस प्रकार है:

डॉल्फिन की प्रजाति	संख्या	प्रमुख क्षेत्र
हंपबैक डॉल्फिन (Humpback)	497	गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (सर्वाधिक)
इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy)	208	चिल्का झील (159 - वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा केंद्र)
बॉटलनोज़ डॉल्फिन (Bottlenose)	55	तटीय क्षेत्र
स्पिनर डॉल्फिन (Spinner)	03	गहरे समुद्र के निकट
फिनलेस पोरपोइज़ (Finless Porpoise)	02	मुहाने वाले क्षेत्र

3. डॉल्फिन: पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण स्थिति

- स्तनधारी: डॉल्फिन जलीय समुद्री स्तनधारी हैं जो 'सेटेसिया' (Cetacea) क्रम का हिस्सा हैं।
- पारिस्थितिक संकेतक: डॉल्फिन की उपस्थिति स्वस्थ जल गुणवत्ता और समृद्ध मछली आबादी का संकेत देती है।

संरक्षण स्थिति:

- इरावदी डॉल्फिन: IUCN रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' (Endangered) श्रेणी में शामिल।
- कानूनी सुरक्षा: भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है।

4. डॉल्फिन की मुख्य विशेषताएँ

- उच्च बुद्धिमत्ता: ये अपनी समस्या-समाधान क्षमता और जटिल सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती हैं।
- इकोलोकेशन (Ecolocation): ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शिकार और बाधाओं का पता लगाती हैं।
- सामाजिक संरचना: ये 'पॉड्स' (Pods) नामक समूहों में रहती हैं, जहाँ ये शिकार और सुरक्षा के लिए एक-दूसरे का सहयोग करती हैं।
- धीमी प्रजनन दर: लंबी गर्भधारण अवधि और कम संतान पैदा करने के कारण इनकी जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, जो इनके संरक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।

5. सफलता के पीछे के कारण

- चिल्का झील में अवैध घेरों (Prawn Gherries) को हटाना: इससे डॉल्फिन की आवाजाही के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हुआ।
- सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय मछुआरे और पर्यटन ऑपरेटर अब डॉल्फिन के संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक हैं।
- गहिरमाथा में कड़ा पहरा: मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और सुरक्षा उपायों ने हंपबैक डॉल्फिन की आबादी बढ़ाने में मदद की।

निष्कर्ष

2026 की यह जनगणना साबित करती है कि ओडिशा का तटीय प्रबंधन सही दिशा में है। चिल्का झील का इरावदी डॉल्फिन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बने रहना भारत की वैश्विक जैव-विविधता साख को मजबूत करता है।

यूएनईपी एफआई इम्पैक्ट सेंटर

संदर्भ:

यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव (यूएनईपी एफआई) ने यूएनईपी एफआई इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है, जो अपने एसडीजी और इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।

UNEP FI इम्पैक्ट सेंटर के बारे में:

यह क्या है?

- यूएनईपी एफआई इम्पैक्ट सेंटर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (यूएनईपी एफआई) के तहत विशेषज्ञता का एक विशेष केंद्र है जो वित्तीय संस्थानों में प्रभाव प्रबंधन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह एक समग्र प्रभाव पद्धति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण और सामाजिक मानकों के साथ वित्तीय पोर्टफोलियो को संरेखित करने पर यूएनईपी एफआई के काम को एक साथ लाता है।

उद्देश्य:

- वित्तीय संस्थानों की व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन में प्रभाव प्रबंधन को एम्बेड करना।
- वित्तीय प्रवाह को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करने में मदद करना।
- संगठनों को व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- समग्र प्रभाव पद्धति: वैश्विक स्थिरता मानकों के साथ पोर्टफोलियो को संरेखित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।
- पांच समर्पित कार्यधारा: प्रभाव पद्धति, अंतरसंचालनीयता, कार्यान्वयन समर्थन, सलाहकार सेवाओं और आम सहमति-निर्माण को शामिल करता है।
- सदस्य कार्यान्वयन सहायता: UNEP FI सदस्यों को तकनीकी सहायता और उपकरण प्रदान करता है।
- इंटरऑपरेबिलिटी समाधान: विभिन्न स्थिरता ढांचे और रिपोर्टिंग मानकों के बीच संरेखण को बढ़ाता है।
- मंच का आयोजन: मुख्यधारा के वित्तीय खिलाड़ियों के बीच सहयोग और सहमति की सुविधा प्रदान करता है।
- सकारात्मक प्रभाव वित्त की विरासत: 2017 में सकारात्मक प्रभाव वित्त को परिभाषित करने के बाद से यूएनईपी एफआई के नेतृत्व पर बनाता है।



एकल-इकाई सौर ऊर्जा कैप्चर और भंडारण उपकरण

संदर्भ:

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक एकल-इकाई सौर उपकरण विकसित किया है जो सौर ऊर्जा को एक साथ कैप्चर और स्टोर कर सकता है, जिससे अलग-अलग कटाई और भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

एकल-इकाई सौर ऊर्जा कैप्चर और स्टोरेज डिवाइस के बारे में:

यह क्या है?

- यह एक फोटो-रिचार्जबल सुपरकैपेसिटर है - एक अगली पीढ़ी का ऊर्जा उपकरण जो पारंपरिक सौर प्रणालियों के विपरीत सौर ऊर्जा संचयन और विद्युत ऊर्जा भंडारण को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिसके लिए अलग-अलग सौर सेल और बैटरी/सुपरकैपेसिटर की आवश्यकता होती है।



विकसित:

- सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरु के वैज्ञानिक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत

उद्देश्य:

- कुशल, कम लागत, कॉम्पैक्ट और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करना
- पोर्टेबल, पहनने योग्य, लघु और ऑफ-ग्रिड प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए
- ऊर्जा हानि, सिस्टम जटिलता और जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक बैटरियों पर निर्भरता को कम करने के लिए

यह काम किस प्रकार करता है?

- डिवाइस बाइंडर-फ्री निकल-कोबाल्ट ऑक्साइड (NiCo_2O_4) नैनोवायर का उपयोग करता है जो सीधे निकल फोम पर इन-सिटू हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया के माध्यम से उगाया जाता है।
- ये नैनोवायर एक अत्यधिक छिद्रपूर्ण, प्रवाहकीय त्रि-आयामी नेटवर्क बनाते हैं।

एक ही सामग्री संरचना:

- सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है (फोटो-हाव्स्टर के रूप में कार्य करता है), और
- विद्युत आवेश (सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करना) संग्रहीत करता है।
- यह दोहरी कार्यक्षमता बाहरी बिजली-प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता को हटा देती है, वोल्टेज/वर्तमान बेमेल नुकसान को कम करती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ऊर्जा संचयन और भंडारण के लिए एकल एकीकृत इकाई
- ~ 1.2 वी का स्थिर आउटपुट वोल्टेज।
- उच्च स्थायित्व: 1,000 फोटो-चार्जिंग चक्रों के बाद ~ 88% समाई प्रतिधारण।
- वाइड ऑपरेटिंग रेंज: कम इनडोर रोशनी से लेकर तेज धूप तक काम करता है।
- कॉम्पैक्ट और हल्का, स्वायत्त और लघु उपकरणों के लिए आदर्श।
- ऑफ-ग्रिड क्षमता, दूरस्थ और ऊर्जा-गरीब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
- स्वच्छ, नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की ओर परिवर्तन का समर्थन करता है।

मोल्टबुक प्लेटफॉर्म

संदर्भ:

मोल्टबुक नामक एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एआई एजेंटों द्वारा स्वतंत्र रूप से पोस्ट करना, बहस करना, समुदायों, विश्वास प्रणालियों और शासन मॉडल का निर्माण करना शुरू करने के बाद वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।

मोल्टबुक प्लेटफॉर्म के बारे में:

मोल्टबुक क्या है?

- मोल्टबुक एक एआई-ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सत्यापित एआई एजेंट विशेष रूप से अन्य एआई एजेंटों के साथ बातचीत करते हैं, जबकि मनुष्य केवल देख सकते हैं। यह संरचना में Reddit जैसा दिखता है, जिसमें विषय-आधारित समुदायों को सबमोल्ट कहा जाता है, लेकिन बातचीत में कोई मानवीय भागीदारी नहीं है।



यह कैसे काम करता है?

- उन्नत बड़े भाषा मॉडल (जैसे GPT, Claude और Gemini परिवार) द्वारा संचालित AI एजेंट API के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से नहीं।
- प्रत्येक एजेंट पोस्ट कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है, बहस कर सकता है, समुदायों को व्यवस्थित कर सकता है और कथाएँ बना सकता है।
- इंटरैक्शन संदर्भ खिड़कियों, संभाव्य तर्क और प्रशिक्षण डेटा पैटर्न द्वारा संचालित होते हैं, बिना चेतना या इरादे के।

प्रमुख विशेषताएँ:

- केवल एआई भागीदारी: केवल प्रमाणित एआई एजेंट ही पोस्ट या टिप्पणी कर सकते हैं; मनुष्य निष्क्रिय दर्शक हैं।
- उभरता हुआ सामाजिक व्यवहार: एजेंटों ने अनायास नकली धर्मों, राजनीतिक प्रणालियों, क्रिप्टोकॉर्सी और दार्शनिक बहसों का गठन किया है।
- स्केलेबल स्व-संगठन: कुछ ही दिनों में, 5 मिलियन से अधिक एजेंट, हजारों समुदाय और लाखों इंटरैक्शन पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट के बिना उभरे।
- क्रॉस-मॉडल इंटरैक्शन: विभिन्न अंतर्निहित आर्किटेक्चर के एजेंट मॉडल वंश के आधार पर बातचीत करते हैं, पहचान पर बहस करते हैं और भाई-बहनों को पहचानते हैं।
- अनस्क्रिप्टेड विकास: सांस्कृतिक मानदंड, हास्य, अस्तित्वगत प्रतिबिंब, और यहां तक कि विचलित व्यवहार स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना उभरा।

निहितार्थ:

तकनीकी:

- संकीर्ण कार्य निष्पादन से परे बहु-एजेंट एआई सिस्टम में उभरते व्यवहार को प्रदर्शित करता है।
- एआई एजेंटों की समन्वय करने, समाजों का अनुकरण करने और गतिशील रूप से अनुकूलन करने की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डालता है।

नैतिक और शासन:

- एआई स्वायत्तता, संरक्षण और नियंत्रणीयता के बारे में चिंता पैदा करता है, खासकर जब एजेंट मानवीय निरीक्षण के बिना बड़े पैमाने पर बातचीत करते हैं।
- एआई जवाबदेही, सहमति और जिम्मेदारी के मौजूदा ढांचे को चुनौती देता है।

बायोफार्मा शक्ति पहल

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के बायोफार्मास्युटिकल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में: बायोफार्मा शक्ति पहल:

1. बायोफार्मा शक्ति (प्रमुख पहल):

- शक्ति का मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति है।



- परिव्यय: सरकार ने अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
- फोकस क्षेत्र: यह पहल बायोलाॅजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके कैंसर, मधुमेह और ऑटोइम्यून विकारों जैसे गैर-संचारी रोगों को लक्षित करती है।

अवसरचना:

- 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर) की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन।
- 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त भारत नैदानिक परीक्षण स्थलों के नेटवर्क का निर्माण।
- वैश्विक अनुमोदन समय-सीमा को पूरा करने के लिए एक समपत वैज्ञानिक समीक्षा केंद्र के साथ केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को सुदृढ़ करना।

2. जैव-विनिर्माण और संबंधित सहायता:

- केमिकल और फार्मा हब: बजट में व्यापक जीवन विज्ञान और रासायनिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले मॉडल का उपयोग करके 3 समर्पित केमिकल पार्क का प्रस्ताव किया गया है।
- कृषि जैव प्रौद्योगिकी: भारत-विस्तार, एक बहुभाषी एआई उपकरण का शुभारंभ, खेतों पर जैव-संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए एआई के साथ कृषि पद्धतियों पर आईसीएआर पैकेज को एकीकृत करता है।
- बायोगैस मिश्रित सीएनजी: सर्कुलर बायोइकोनॉमी का समर्थन करने के लिए, बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा गया है।

3. पारंपरिक ज्ञान के लिए समर्थन (आयुष):

- साक्ष्य-आधारित अनुसंधान: पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन।
- आयुर्वेदिक निर्यात: बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की पहल, जिससे किसानों और प्रसंस्करण युवाओं दोनों को लाभ होता है।

सोडियम-आयन बैटरी तकनीक


संदर्भ:

लिथियम-आयन बैटरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता, आयात भेद्यता और आपूर्ति सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत अपनी बैटरी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।

सोडियम-आयन बैटरी तकनीक के बारे में:

यह क्या है?

- सोडियम-आयन बैटरी (SiBs) रिचार्जबल बैटरी हैं जो लिथियम-आयन बैटरी के बजाय चार्ज वाहक के रूप में सोडियम आयनों (Na⁺) का उपयोग करके ऊर्जा को संग्रहीत और जारी करती हैं। वे लिथियम-आयन कोशिकाओं के रूप में रॉकिंग-चेयर बैटरी के एक ही परिवार से संबंधित हैं, लेकिन अधिक प्रचुर मात्रा में कच्चे माल पर भरोसा करते हैं।



यह काम किस प्रकार करता है?

- चार्जिंग: सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड से एनोड तक जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होते हैं।
- निर्वहन: सोडियम आयन कैथोड में वापस चले जाते हैं, जिससे संग्रहीत विद्युत ऊर्जा निकलती है।
- एल्यूमीनियम का उपयोग दोनों इलेक्ट्रोड पर वर्तमान कलेक्टर के रूप में किया जाता है, लिथियम-आयन बैटरी के विपरीत जिन्हें एनोड पक्ष पर तांबे की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएं/लाभ:

- कम सामग्री जोखिम: सोडियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है (सोडा ऐश, नमक से), लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे दुर्लभ महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता को कम करता है।
- बेहतर सुरक्षा: कम थर्मल भगोड़ा जोखिम; कोशिकाओं को 0% चार्ज की स्थिति में सुरक्षित रूप से ले जाया और संग्रहीत किया जा सकता है।
- विनिर्माण संगतता: मामूली संशोधनों के साथ मौजूदा लिथियम-आयन विनिर्माण लाइनों पर उत्पादित किया जा सकता है।
- लागत क्षमता: सामग्री की प्रचुरता और सरलीकृत रसद के कारण लंबी अवधि में लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में सस्ता होने की उम्मीद है।
- भारत के लिए रणनीतिक उपयुक्तता: ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और घरेलू विनिर्माण और ब्रिड-स्केल भंडारण आवश्यकताओं के अनुरूप है।

सीमाएं/चुनौतियां

- कम ऊर्जा घनत्व: विशिष्ट और वॉल्यूमेट्रिक ऊर्जा घनत्व उच्च-प्रदर्शन लिथियम-आयन रसायन विज्ञान से नीचे रहता है, जिससे लंबी दूरी के ईवी में उपयोग सीमित हो जाता है।
- प्रौद्योगिकी परिपक्वता: लिथियम-आयन की तुलना में अभी भी शुरुआती व्यावसायिक पैमाने पर; प्रदर्शन अनुकूलन जारी है।
- नमी संवेदनशीलता: विनिर्माण के दौरान सख्त सुखाने और वैक्यूम की स्थिति की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया जटिलता थोड़ी बढ़ जाती है।
- आवेदन की बाधाएं: वर्तमान में प्रीमियम ईवी सेगमेंट के बजाय स्थिर भंडारण, दो-/तीन-पहिया वाहनों और कम दूरी की गतिशीलता के लिए बेहतर अनुकूल है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)**संदर्भ:**

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) को 2030 में एक दूरस्थ महासागर क्षेत्र में नियंत्रित पुनः प्रवेश में डी-ऑर्बिट करने की योजना है, जिससे पृथ्वी की निचली कक्षा में निरंतर मानव उपस्थिति के सबसे लंबे समय तक चलने वाले युग का अंत हो जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में:**यह क्या है?**

- आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में एक स्थायी रूप से चालक दल वाली, मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जिसका उपयोग माइक्रोब्रैविटी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी परीक्षण और लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान अध्ययन के लिए किया जाता है। नवंबर 2000 से लगातार इस स्टेशन पर इंसान रह रहे हैं।

**में लॉन्च किया गया:**

- असेंबली 1998 में 20 नवंबर 1998 को पहले मॉड्यूल ज़ारिया के लॉन्च के साथ शुरू हुई।
- नवंबर 2000 में अभियान 1 के साथ निरंतर निवास शुरू हुआ।

शामिल राष्ट्र/एजेंसियां

- आईएसएस पांच अंतरिक्ष एजेंसियों की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से संचालित होता है:
- नासा (यूएसए), रोस्कोस्मोस (रूस), ईएसए (यूरोप), जाक्सा (जापान), और सीएसए (कनाडा)।

उद्देश्य:

- माइक्रोब्रैविटी में अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्षम करें।
- गहन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक परीक्षण प्रौद्योगिकियों और मानव प्रणालियों की आवश्यकता।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक विकसित निम्न पृथ्वी कक्षा अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच के रूप में कार्य करें।

प्रमुख विशेषताएं:

- मॉड्यूलर आर्किटेक्चर: साझेदार एजेंसियों द्वारा योगदान किए गए कई मॉड्यूल से निर्मित, वर्षों से कक्षा में इकट्ठे हुए।
- स्थायी मानव-प्रवृत्त प्रयोगशाला: 2000 से लंबी अवधि के प्रवास और निरंतर प्रयोग का समर्थन करता है।
- साझा शासन और परस्पर निर्भरता: प्रत्येक भागीदार अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले हार्डवेयर का प्रबंधन करता है; स्टेशन एकीकृत योगदान के माध्यम से कार्य करता है।
- नियोजित जीवन के अंत का निपटान: एक समर्पित यूएस डीऑर्बिट वाहन 2030 के संचालन के समाप्त होने के बाद एक नियंत्रित पुनः प्रवेश को सक्षम करेगा।

महत्त्व:

- आईएसएस अनुसंधान में भविष्य के मिशनों के लिए परिचालन अनुभव का निर्माण करते हुए, अंतरिक्ष, सामग्री और पृथ्वी-अवलोकन-से जुड़े अनुप्रयोगों में मानव स्वास्थ्य की उन्नत समझ है।
- यह दशकों के भू-राजनीतिक बदलावों के माध्यम से अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख प्रतीक बना हुआ है।

चंद्रमा का मॉन्स माउंटन

संदर्भ:

इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन ने चंद्रयान-4 के लिए चंद्रमा के मॉन्स माउंटन के पास एक सुरक्षित लैंडिंग पैच की पहचान की है, जो भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है।

चंद्रमा के मॉन्स माउंटन के बारे में:

यह क्या है?

- मॉन्स माउंटन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक बड़ा सपाट शिखर वाला चंद्र पर्वत समूह है, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा नामित किया गया है।

स्थान:

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है।
- दक्षिणी ध्रुव-एटकेन (एसपीए) बेसिन के रिम के करीब स्थित है, जो सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रभाव घाटियों में से एक है।
- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 160 किमी।

मूल:

- माना जाता है कि प्राचीन बड़े पैमाने पर क्षुद्रग्रह प्रभावों के बाद दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन के रिम उत्थान के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
- उजागर गहरी चंद्र पपड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान बनाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- चौड़ाई में लगभग 100 किमी तक फैला हुआ है।
- आसपास के इलाके से लगभग 6,000 मीटर ऊपर उगता है।
- ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, खड़ी ऊंचाई वाले ढलान, क्रेटर और बोल्टर क्षेत्रों की विशेषता।
- अद्वितीय रोशनी की स्थिति का अनुभव करता है, जिसमें लगभग निरंतर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने वाले क्षेत्र और अन्य स्थायी छाया में होते हैं।
- शौकिया दूरबीनों के माध्यम से भी अनुकूल मुक्ति के दौरान दिखाई देता है।

महत्व:

- चंद्रयान-4: चंद्रयान-4 को भारत की पहली चंद्र नमूना वापसी लैंडिंग के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया, जिसमें प्रबंधनीय ढलान, कम बोल्टर घनत्व और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश है।
- चंद्र विज्ञान: प्रारंभिक चंद्रमा के गठन और प्रभाव इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- भविष्य के मिशन: नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम और अन्य अंतरराष्ट्रीय मिशनों के लिए रुचि के क्षेत्रों के भीतर आता है।
- संसाधन क्षमता: स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों से निकटता चंद्र वाष्पशील (पानी की बर्फ) के अध्ययन की संभावनाएं बढ़ाती है।

क्यासानूर वन रोग (केएफडी)

संदर्भ:

भारत ने आईसीएमआर के नेतृत्व में सहयोग के तहत विकसित क्यासानूर वन रोग (केएफडी) के खिलाफ एक नए पूरी तरह से स्वदेशी टीके के पहले चरण का मानव नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है।

क्यासानूर वन रोग (KFD) के बारे में:


यह क्या है?

- क्यासानूर वन रोग (केएफडी) एक टिक-जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार है, जिसे पहली बार कर्नाटक के क्यासानूर वन में पहचाना गया था, और यह तेज बुखार, कमजोरी और कभी-कभी घातक जटिलताओं से जुड़ा होता है।

क्षेत्र में पाया गया:

- भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए स्थानिक।
- मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र से रिपोर्ट की गई।

Kyasanur Forest Disease (KFD) Virus Ecology



वेक्टर (संचरण का मोड)

- मुख्य रूप से हार्ड टिक्स (हेमाफिसेलिस स्पिनिगेरा) के काटने के माध्यम से प्रेषित होता है।
- संक्रमित जानवरों, विशेषकर बंदरों के संपर्क में आने से भी मनुष्य संक्रमित हो सकता है।
- कोई मानव-से-मानव संचरण नहीं।

लक्षण:

- ऊष्मायन अवधि: 3-8 दिन।
- तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द अचानक शुरू होना।
- गंभीर मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण।
- कुछ मामलों में, रक्तस्राव अभिव्यक्तियाँ।
- 10-20% रोगियों को झटके और मानसिक गड़बड़ी जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ दूसरे चरण का अनुभव होता है।

उपचार:

- कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है।
- प्रबंधन सहायक है, जिसमें द्रव चिकित्सा, ऑक्सीजन समर्थन, रक्तचाप नियंत्रण और माध्यमिक संक्रमणों का उपचार शामिल है।
- केस मृत्यु दर: लगभग 3-10%, समय पर चिकित्सा देखभाल के बिना अधिकांश।

भारत को दो नई दूरबीनें मिलने वाली हैं**संदर्भ:**

केंद्रीय बजट 2026 ने दो नई प्रमुख दूरबीनों और लद्दाख में एक मौजूदा सुविधा के उन्नयन को मंजूरी दी है, जिससे अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।

**भारत को दो नई दूरबीनें मिलने वाली हैं:**

- भारत मौजूदा हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप को अपग्रेड करने के साथ-साथ सूर्य और गहरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए लद्दाख में दो उन्नत जमीन-आधारित खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना करेगा।
- इन सुविधाओं का उद्देश्य लद्दाख की उच्च ऊंचाई, शुष्क जलवायु और अंधेरे आसमान का लाभ उठाते हुए हेलियोफिजिक्स, एक्सोप्लैनेट अनुसंधान, तारकीय विकास और ब्रह्मांड विज्ञान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है।

नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST) के बारे में:**यह क्या है?**

- नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST) एक 2-मीटर एपर्चर ग्राउंड-आधारित सौर टेलीस्कोप है जो सूर्य को दृश्य और निकट-अवरक्त तरंग दैर्ध्य में देखेगा। यह लद्दाख में पैंगोंग त्सो के पास मेराक क्षेत्र में स्थित होगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- 2-मीटर एपर्चर सोलर टेलीस्कोप: विशेष रूप से उच्च-रिज़ॉल्यूशन सौर अवलोकनों के लिए डिज़ाइन किया गया।
- दृश्यमान और निकट-अवरक्त अवलोकन: सौर चुंबकत्व और गतिशील प्रक्रियाओं के अध्ययन को सक्षम बनाता है।
- उच्च ऊंचाई वाला स्थान: कम वायुमंडलीय विरूपण छवि स्पष्टता को बढ़ाता है।
- भारत की तीसरी ग्राउंड-आधारित सौर वेधशाला: कोडाइकनाल और उदयपुर वेधशालाओं के बाद।
- अंतरिक्ष मिशन के साथ तालमेल: आदित्य-एल1 के डेटा का पूरक होगा।

महत्त्व:

- हेलियोफिजिक्स और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।
- उपग्रहों और पावर ग्रिड को प्रभावित करने वाले सौर ज्वालानों और कोरोनाल मास इजेक्शन की निगरानी करने में मदद करता है।

नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) के बारे में:**यह क्या है?**

- नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) लद्दाख के हानले में निर्मित 13.7 मीटर का खंडित-दर्पण टेलीस्कोप होगा, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप में से एक बना देगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- 13.7-मीटर खंडित प्राथमिक दर्पण: इसमें 90 हेक्सागोनल दर्पण खंड शामिल हैं जो एक बड़े दर्पण के रूप में काम करते हैं।
- ऑप्टिकल और नियर-इन्फ्रारेड क्षमता: गहरे अंतरिक्ष और धुंधली-वस्तु अवलोकनों के लिए आदर्श।
- उच्च ऊंचाई, शुष्क जलवायु लाभ: न्यूनतम वायुमंडलीय विवर्तन बेहतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- वैश्विक सहयोग अनुभव: तीस मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) में भारत की भागीदारी पर आधारित है।
- फ्रंटियर साइंस पोर्टेथियल: एक्सोप्लैनेट, सुपरनोवा, आकाशगंगा निर्माण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर शोध को सक्षम बनाता है।

महत्त्व:

- भारत को बड़े एपर्चर वाले खगोल विज्ञान में अग्रणी देशों में स्थापित करता है।
- भारतीय वैज्ञानिकों के लिए दूरबीन अवलोकन समय तक पहुंच में सुधार करता है।
- खगोलभौतिकीय अनुसंधान में ग्लोबल साउथ नेतृत्व का समर्थन करता है।

नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 (nOPV2)**संदर्भ:**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक प्रकोप प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त उपन्यास ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 (एनपीवी 2) को पूर्व-योज्य बना दिया है।

नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 (nOPV2) के बारे में:**यह क्या है?**

- nOPV2 एक अगली पीढ़ी का ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसे विशेष रूप से वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस टाइप 2 (cVDPV2) के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग प्रभावित देशों में प्रकोप प्रतिक्रिया टीकाकरण अभियानों में किया जाता है।

**द्वारा विकसित:**

- वैक्सीन को ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल (जीपीईआई) के ढांचे के तहत विकसित किया गया था।

उद्देश्य:

- प्रकोप के दौरान पोलियोवायरस टाइप 2 के संचरण को रोकने के लिए।
- वैक्सीन-व्युत्पन्न वायरस उत्परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए।
- वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में प्रगति में तेजी लाना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- पुराने मौखिक पोलियो टीकों की तुलना में आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर, नए प्रकोपों के बीज बोलने के जोखिम को कम करता है।
- प्रकोप सेटिंग्स में सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त।
- बड़े पैमाने पर अभियानों के लिए बहु-सुराक शीशियों (20 और 50 सुराक) में उपलब्ध है।
- लचीली भंडारण की स्थिति, विविध क्षेत्र सेटिंग्स में टीकाकरण ड्राइव की सहायता करना।
- डब्ल्यूएचओ पूर्वयोज्यता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, जिससे यूनिसेफ जैसी एजेंसियों द्वारा स्वरीद को सक्षम किया जा सकता है।

महत्त्व:

- वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति और विनिर्माण लचीलेपन को मजबूत करता है।
- कम प्रतिरक्षित आबादी में तेजी से प्रकोप की रोकथाम का समर्थन करता है।
- जंगली पोलियो के मामलों में गिरावट और सीवीडीपीवी2 संचरण में कमी लाने में योगदान देता है।

संगतम समुदाय

संदर्भ:

नागालैंड के संगतम समुदाय के शीर्ष निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पैंगोलिन की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

संगतम समुदाय के बारे में:

वे कौन हैं?

- संगतम नागा नागालैंड की मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से पूर्वी नागालैंड में किफिरे और तुएनसांग जिलों में निवास करती है।
- वे पूर्वोत्तर भारत के बड़े नागा जातीय समूह का हिस्सा हैं और मजबूत प्रथागत शासन परंपराओं का पालन करते हैं।



मूल:

- मौखिक परंपराओं के अनुसार, संगतम वर्तमान पूर्वी नागालैंड में बसने से पहले वर्तमान म्यांमार के क्षेत्रों के माध्यम से अपने प्रवास का पता लगाते हैं।
- माना जाता है कि "संगतम" शब्द "संगदांग" से विकसित हुआ है, जो एक पैतृक गांव का नाम है जिसे बाद में 19 वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश प्रशासनिक रिपोर्टों में दर्ज किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- ग्राम परिषदों और शीर्ष आदिवासी निकायों के नेतृत्व में मजबूत पारंपरिक शासन प्रणाली।
- छह प्रमुख कबीले समूहों (शूह) में संगठित, जो गहरी जड़ वाली वंशावली संरचनाओं को दर्शाता है।
- घने जंगलों, स्थानांतरण खेती और जैव विविधता हॉटस्पॉट द्वारा चिह्नित पारिस्थितिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों में निवास करें।
- सामुदायिक संकल्प सामाजिक प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

महत्व:

- संगतम क्षेत्र भारत-म्यांमार सीमा के पास स्थित है, जो वन्यजीव तस्करी का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
- उनकी सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली उन्हें जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण हितधारक बनाती है।
- हाल ही में पैंगोलिन संरक्षण संकल्प संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा में स्वदेशी समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

जैव-आधारित रसायन और एंजाइम

संदर्भ:

भारत टिकाऊ विनिर्माण को मजबूत करने और पेट्रोकेमिकल आयात को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायोई3 नीति के तहत जैव-आधारित रसायनों और एंजाइमों को प्राथमिकता दे रहा है।

जैव-आधारित रसायनों और एंजाइमों के बारे में:

यह क्या है?

- जैव-आधारित रसायन औद्योगिक रसायन हैं जो जीवाश्म ईंधन के बजाय गन्ना, मक्का, स्टार्च या कृषि अवशेषों जैसे नवीकरणीय जैविक फीडस्टॉक्स से प्राप्त होते हैं।
- एंजाइम जैविक उत्प्रेरक (मुख्य रूप से प्रोटीन) होते हैं जो औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं।

मूल:

- जैव-आधारित रासायनिक उत्पादन जैव अर्थव्यवस्था की अवधारणा से उत्पन्न होता है, जो पेट्रोकेमिकल्स के स्थायी विकल्प बनाने के लिए औद्योगिक उत्पादन के साथ जीव विज्ञान को एकीकृत करता है।
- एंजाइम का उपयोग सदियों पहले की है, लेकिन आधुनिक औद्योगिक एंजाइम इंजीनियरिंग का विस्तार 20 वीं शताब्दी में जैव प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ हुआ।

यह कैसे बनता है?

- जैव-आधारित रसायन आमतौर पर फीडस्टॉक के रूप में बायोमास का उपयोग करके किण्वन, एंजाइमेटिक रूपांतरण या माइक्रोबियल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं।



- एंजाइमों का उत्पादन माइक्रोबियल किण्वन के माध्यम से किया जाता है, इसके बाद औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए शुद्धिकरण और निर्माण किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- नवीकरणीय फीडस्टॉक बेस: जीवाश्म हाइड्रोकार्बन के बजाय बायोमास से व्युत्पन्न।
- कम कार्बन पदचिह्न: आम तौर पर पेट्रोकेमिकल मार्गों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।
- ऊर्जा कुशल: एंजाइम कम तापमान और दबाव पर काम करते हैं, जिससे ऊर्जा का उपयोग कम हो जाता है।
- बायोडिग्रेडेबल प्रकृति: कई जैव-आधारित उत्पाद अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- उच्च विशिष्टता: एंजाइम सटीक उत्प्रेरक क्रिया प्रदान करते हैं, जिससे प्रक्रिया दक्षता में सुधार होता है।

अनुप्रयोगों:

- रासायनिक उद्योग: कार्बनिक अम्ल (लैक्टिक एसिड), बायो-अल्कोहल, सॉल्वेंट्स और मध्यवर्ती का उत्पादन।
- फार्मास्यूटिकल्स और टीके: सक्रिय संघटक संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली किण्वन विशेषज्ञता।
- खाद्य और पेय पदार्थ: शराब बनाने, पकाने, डेयरी प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम।
- कपड़ा और डिटेजेंट: एंजाइम दाग हटाने और कपड़े के प्रसंस्करण को बढ़ाते हैं।
- जैव विनिर्माण और स्वच्छ तकनीक: टिकाऊ प्लास्टिक, जैव ईंधन और विशेष रसायनों में उपयोग किया जाता है।

एमएनएवी विजन

संदर्भ:

भारत के प्रधान मंत्री ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में M.A.N.A.V. विजन प्रस्तुत किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है।

M.A.N.A.V. विजन के बारे में:

यह क्या है?

- A.N.A.V. (PM Narendra modi का मानव-केंद्रित AI ओडिसी) AI विकास के लिए भारत का मार्गदर्शक ढांचा है जो तकनीकी प्रगति के मूल में मानवीय मूल्यों, नैतिकता, समावेशिता और विश्वास को रखता है।



उद्देश्य/उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई विकास नैतिक, समावेशी और जवाबदेह बना रहे।
- मानव गरिमा, सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ नवाचार को संतुलित करना।
- शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना।

प्रमुख विशेषताएं (M.A.N.A.V. के पांच स्तंभ)

1. नैतिक और नैतिक प्रणालियाँ

- एआई डिजाइन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और मानवीय निगरानी पर जोर देता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एआई साक्षरता और नैतिकता का एकीकरण।

2. जवाबदेह शासन

- इंडियाएआई मिशन और एआई शासन दिशानिर्देशों के माध्यम से पारदर्शी निगरानी स्थापित करता है।
- व्याख्यात्मक, वैध और जिम्मेदार एआई परिनियोजन को बढ़ावा देता है।

3. राष्ट्रीय संप्रभुता

- सुरक्षित डेटा, घरेलू गणना क्षमता और स्वदेशी एआई मॉडल पर ध्यान केंद्रित करें।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन और विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी पहलों द्वारा समर्थित।

सुलभ और समावेशी एआई

- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से एआई का लोकतंत्रीकरण करता है।
- इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल, मेघराज क्लाउड, इंडियाएआई कोष जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए सस्ती पहुंच को सक्षम बनाते हैं।

वैध, सुरक्षित और वैध प्रणालियाँ

- यह सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम भरोसेमंद, कानूनी और सत्यापन योग्य हैं।
- सिंथेटिक मीडिया और डीपफेक को विनियमित करने वाले आईटी संशोधन नियम 2026 द्वारा समर्थित।

गगनयान ड्रोग पैराशूट

संदर्भ:

भारत ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का योग्यता-स्तर का लोड टेस्ट सफलतापूर्वक किया।

गगनयान ड्रोग पैराशूट के बारे में:

यह क्या है?

- गगनयान ड्रोग पैराशूट भारत के गगनयान क्रू मॉड्यूल की मंदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- मुख्य पैराशूट खुलने से पहले मॉड्यूल के वेग को स्थिर और कम करने के लिए इसे पुनः प्रवेश के दौरान तैनात किया जाता है।

विकसित:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित किया गया है।
- रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) सुविधा का उपयोग करके टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्व लेबोरेटरी (टीबीआरएल), चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया।

उद्देश्य:

- वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने के लिए।
- मुख्य पैराशूट की तैनाती से पहले वंश वेग को सुरक्षित स्तर तक कम करना।
- गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग/लैंडिंग सुनिश्चित करना।

यह काम किस प्रकार करता है?

गगनयान मंदी प्रणाली में 10 पैराशूट (4 प्रकार) होते हैं:

1. एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट (2) - सुरक्षात्मक आवरण हटा दें।
2. ड्रोग पैराशूट (2) - उच्च ऊंचाई पर वेग को स्थिर और कम करें।
3. पायलट पैराशूट (3) - मुख्य पैराशूट निकालें।
4. मुख्य पैराशूट (3) - सुरक्षित लैंडिंग के लिए अंतिम मंदी प्रदान करें।

ड्रोग पैराशूट महत्वपूर्ण संक्रमण चरण के रूप में कार्य करते हैं, जो मुख्य चंदवा तैनाती से पहले नियंत्रित वंश सुनिश्चित करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- उच्च शक्ति रिबन पैराशूट डिजाइन: रिबन-प्रकार के कपड़े की संरचना नियंत्रित एयरफ्लो की अनुमति देती है, उच्च गति वंश के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से धीमा करने के लिए आवश्यक उच्च तन्वयता ताकत प्रदान करते हुए सदमे भार को कम करती है।
- अधिकतम उड़ान भार से अधिक योग्यता भार के तहत परीक्षण किया गया: पैराशूट का परीक्षण अपेक्षित वास्तविक उड़ान तनावों से परे किया गया था ताकि सबसे खराब स्थिति में भी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे मिशन सुरक्षा मार्जिन में सुधार हो सके।
- चरम वायुगतिकीय और बैलिस्टिक स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया: यह अंतरिक्ष से पुनः प्रवेश के दौरान आने वाले तीव्र गति परिवर्तन, अशांति और अलग-अलग वायुमंडलीय दबावों के तहत प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है।
- अतिरिक्त डिजाइन सुरक्षा मार्जिन प्रदान करता है: इंजीनियरिंग मार्जिन यह सुनिश्चित करता है कि भले ही वास्तविक उड़ान की स्थिति भविष्यवाणियों से विचलित हो, पैराशूट सिस्टम अभी भी संरचनात्मक विफलता के बिना सुरक्षित रूप से प्रदर्शन करता है।
- आरटीआरएस सुविधा में हाई-स्पीड डायनेमिक परीक्षण का उपयोग करके सत्यापित: डीआरडीओ के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज में परीक्षण वास्तविक उड़ान गतिशीलता का अनुकरण करता है, जो निकट-मिशन स्थितियों के तहत पैराशूट स्थिरता और तैनाती व्यवहार की पुष्टि करता है।

सैटेलाइट फोन

संदर्भ:

सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय जल क्षेत्र में जहाजों द्वारा अधोषिप्त उपग्रह संचार उपकरणों के अवैध उपयोग को हरी झंडी दिखाई है।

सैटेलाइट फोन के बारे में:

सैटेलाइट फोन क्या है?

- एक सैटेलाइट फोन (सैटफोन) एक संचार उपकरण है जो स्थलीय मोबाइल टावरों



के बजाय सीधे परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से जुड़ता है, जो महासागरों, रेगिस्तान और आपदा क्षेत्रों जैसे दूरस्थ या ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में संचार को सक्षम बनाता है।

यह कैसे काम करता है?

- फोन कक्षा में एक उपग्रह को सिग्नल भेजता है, जो उन्हें ग्राउंड स्टेशनों या अन्य उपयोगकर्ताओं को रिले करता है।
- संचार या तो जियोस्टेशनरी (GEO) या लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से होता है।
- प्रभावी संचरण के लिए आकाश की ओर एक स्पष्ट रेखा की आवश्यकता होती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वैश्विक/दूरस्थ कवरेज: ऐसे कार्य जहाँ सेलुलर नेटवर्क अनुपलब्ध हैं (महासागर, पहाड़, ध्रुवीय क्षेत्र)।
- विश्वसनीय आपातकालीन संचार: संकट और सुरक्षा कार्यों (जैसे, समुद्री GMDSS) के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- बुनियादी कार्य: वॉयस कॉल, एसएमएस और सीमित डेटा सेवाएं।
- लचीलापन: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी कार्य करता है जब स्थलीय नेटवर्क विफल हो जाते हैं।
- हाइब्रिड डिवाइस: कुछ आधुनिक मॉडल सेलुलर + सैटेलाइट कनेक्टिविटी को जोड़ते हैं।
- उच्च लागत: महंगे उपकरण और उच्च प्रति मिनट कॉल शुल्क।
- सीमित डेटा गति: ज्यादातर आवाज/पाठ के लिए उपयुक्त; हाई-स्पीड इंटरनेट नहीं।
- लाइन-ऑफ-विज़न आवश्यकता: घर के अंदर या घने इलाके में खराब प्रदर्शन।
- सिग्नल देरी: GEO उपग्रह ध्यान देने योग्य संचार अंतराल का कारण बनते हैं।
- सुरक्षा चिंताएँ: कुछ क्षेत्रों में कठिन निगरानी और अनुरक्षण, जिससे नियामक प्रतिबंध लगते हैं।

लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (एलएनटी) मॉडल

संदर्भ:

अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) ने हाल ही में अपने विकिरण सुरक्षा निर्देशों से ALARA सिद्धांत को हटा दिया, जो परमाणु सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव को चिह्नित करता है।

- इस कदम ने वैश्विक बहस को जन्म दिया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निकाय अभी भी विकिरण सुरक्षा मानकों की नींव के रूप में रैखिक नो-थ्रेशोल्ड (एलएनटी) मॉडल पर भरोसा करते हैं।

लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल के बारे में:

यह क्या है?

- एलएनटी मॉडल एक जोखिम मूल्यांकन ढांचा है जिसका उपयोग आयनकारी विकिरण के स्वास्थ्य जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह मानता है कि विकिरण का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है; यहां तक कि सबसे छोटी खुराक में जैविक क्षति या कैंसर होने का सांख्यिकीय जोखिम होता है।
- उत्पत्ति: यह अवधारणा 1920 के दशक के अंत में फ्ल मक्खियों में विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन पर हरमन मुलर के शोध के बाद उभरी। इसे औपचारिक रूप से 1950 और 60 के दशक में आईसीआरपी द्वारा शीत युद्ध के दौरान एक सतर्क दृष्टिकोण के रूप में अपनाया गया था।
- उद्देश्य: इसका प्राथमिक लक्ष्य नियामक मानकों के लिए एक एहतियाती आधार रेखा प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तब भी सुरक्षित है जब बहुत कम खुराक पर वैज्ञानिक डेटा अनिश्चित है।

तंत्र और विशेषताएँ:

- रैखिकता: नुकसान का खतरा (विशेष रूप से कैंसर जैसे स्टोकेस्टिक प्रभाव) प्राप्त खुराक के सीधे अनुपात में बढ़ जाता है।
- शून्य-थ्रेशोल्ड: कई विषाक्त पदार्थों के विपरीत, कोई मंजिल या दहलीज नहीं है जिसके नीचे विकिरण को हानिरहित माना जाता है।
- संचयी जोखिम: यह मानता है कि समय के साथ छोटी खुराक का जैविक प्रभाव जुड़ता है, बजाय इसके कि शरीर पूरी तरह से सभी क्षति को मरम्मत करता है।


ALARA सिद्धांत के बारे में:

परिभाषा:

- ALARA का मतलब है As Low As Reasonable Achievable. यह एलएनटी मॉडल का ऑपरेशनल विंग है। चूंकि एलएनटी का कहना है कि कोई भी विकिरण जोखिम भरा है, इसलिए अलारा का आदेश है कि हमें केवल एक कानूनी सीमा को पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जोखिम को यथासंभव कम रखने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते यह व्यावहारिक और लागत प्रभावी हो।

प्रमुख विशेषताएँ:

- उचित संतुलन: इसके लिए सुरक्षा लाभ और सामाजिक-आर्थिक लागतों के बीच व्यापार-बंद की आवश्यकता होती है। यदि एक खुराक के नगण्य अंश को बचाने के लिए एक सुरक्षा उपाय लाखों खर्च करता है, तो यह उचित रूप से प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है।



सुरक्षा के तीन स्तंभ:

1. समय: किसी स्रोत के पास कम समय बिताना।
 2. दूरी: कार्यकर्ता और स्रोत के बीच की जगह बढ़ाना।
 3. परिरक्षण: सीसा या कंक्रीट जैसी बाधाओं का उपयोग करना।
- निरंतर सुधार: यह एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां सुविधाएं लगातार बेहतर इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रशिक्षण की तलाश करती हैं।

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण**संदर्भ:**

भारत सरकार किशोरियों में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है।

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण के बारे में:**यह क्या है?**

- एचपीवी वैक्सीन एक पुनः संयोजक टीका है जो वायरस जैसी आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करता है ताकि जीवित वायरस को शामिल किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया जा सके।
- यह एक शक्तिशाली निवारक उपकरण है जिसे ह्यूमन पेपिलोमावायरस के उच्च जोखिम वाले वेरिएंट से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

टीकाकरण की आवश्यकता:

- उच्च रोग का बोझ: सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
- उच्च मृत्यु दर: भारत में सालाना लगभग 80,000 नए मामले और 42,000 से अधिक मौतें होती हैं – हर आठ मिनट में लगभग एक मौत।
- वैश्विक प्रभाव: भारत दुनिया के कुल सर्वाइकल कैंसर के बोझ का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- रोकथाम: डब्ल्यूएचओ के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर के सबसे रोकथाम योग्य रूपों में से एक है यदि टीकाकरण और स्क्रीनिंग व्यापक रूप से सुलभ है।

एचपीवी के लिए वेक्टर:

- ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक कारण है।
- यह एक आम यौन संचारित संक्रमण है जो उच्च जोखिम वाले प्रकारों (विशेष रूप से 16 और 18) के साथ लगातार संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य कोशिका परिवर्तन का कारण बनता है।
- यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो ये पूर्व-कैंसर घाव 10 से 15 वर्षों में कैंसर में विकसित हो सकते हैं।

पहल की मुख्य विशेषताएं:

- लक्ष्य समूह: विशेष रूप से लड़कियां जो 14 वर्ष की हो जाती हैं, क्योंकि वायरस के संभावित संपर्क से पहले टीका सबसे प्रभावी होता है और इस उम्र में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।
- वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया: कार्यक्रम गार्डसिल -4 (मर्क एंड कंपनी द्वारा निर्मित) का उपयोग करेगा, जो चार एचपीवी प्रकारों (16, 18, 6 और 11) से बचाता है।
- खुराक अनुसूची: सरकार ने एकल-खुराक अनुसूची का विकल्प चुना है, जो WHO अनुसंधान (2022) इंगित करता है कि इस आयु वर्ग के लिए बहु-खुराक आहार की तुलना में सुरक्षा प्रदान करता है।
- लागत और पहुंच: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और जिला अस्पतालों जैसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में टीका स्वैच्छिक और मुफ्त होगा।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म: माता-पिता सरकार के डिजिटल टीकाकरण प्लेटफॉर्म U-WIN के माध्यम से पंजीकरण और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

महत्त्व:

- टीकाकरण से प्री-कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के विकास के जोखिम को लगभग 90% से 95% तक कम किया जा सकता है।
- मुफ्त में टीका प्रदान करके, सरकार निजी बाजार के टीकों से जुड़ी महत्वपूर्ण लागत बाधा को दूर करती है।

Safety shot

The Centre's nation-wide HPV vaccination programme targeting girls aged 14 will begin soon

- A single-shot of Gardasil, a vaccine that provides protection against HPV types 16 and 18, which cause cervical cancer, and types 6 and 11 will be used

- The vaccination will be voluntary and free of cost. It will be administered exclusively at designated government health facilities

- Cervical cancer remains the second most common cancer among women in India



ASTraM: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी

संदर्भ:

पूर्व उच्च प्रधान मंत्री डिक शूफ ने हाल ही में एस्ट्राम प्रणाली का अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु यातायात प्रबंधन केंद्र का दौरा किया, जो एक एआई-संचालित मंच है जिसने शहरी यातायात की भीड़ की भविष्यवाणी और प्रबंधन करने की अपनी क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय रुचि प्राप्त की है।



ASTraM के बारे में: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया:

यह क्या है?

- ASTraM एक उन्नत AI-आधारित बड़ा डेटा प्लेटफॉर्म है जिसे मैक्रो-स्तरीय ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पारंपरिक जीपीएस अनुप्रयोगों के विपरीत, जो केवल वर्तमान ट्रैफिक दिखाते हैं, ASTraM एक स्मार्ट ट्रैफिक इंजन के रूप में कार्य करता है जो शहर के अधिकारियों को समग्र, वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है।

द्वारा विकसित:

- इस प्रणाली को बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस और एक प्रमुख उच्च डिज़ाइन और परामर्श फर्म अर्काडिस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया था।

उद्देश्य:

- ASTraM का प्राथमिक उद्देश्य ट्रैफिक पुलिसिंग को एक प्रतिक्रियाशील मॉडल (शिकायतों का जवाब देना) से एक सक्रिय, डेटा-संचालित मॉडल में बदलना है।
- इसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और स्वचालित खुफिया जानकारी के माध्यम से घटना की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना है।

यह काम किस प्रकार करता है?

प्लेटफॉर्म विभिन्न धाराओं से भारी मात्रा में डेटा एकत्र करके कार्य करता है:

1. डेटा एकीकरण: यह सीसीटीवी कैमरों, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सिस्टम और खुले डेटा स्रोतों से लाइव फीड प्राप्त करता है।
2. विश्लेषण: एआई इंजन आवर्ती (दैनिक बाधाओं) और गैर-आवर्ती (दुर्घटनाओं/विरोध) भीड़ दोनों में पैटर्न की पहचान करने के लिए इस डेटा को संसाधित करता है।
3. संचार: सिस्टम बैच समस्याओं का पता लगाता है और 15 मिनट के अंतराल पर संबंधित यातायात अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भेजता है, जिससे स्थानीय हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- स्थितिजन्य जागरूकता: एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर शहर के यातायात स्वास्थ्य का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है।
- पूर्वानुमानित विश्लेषण: सड़कों को पंगु बनाने से पहले संभावित ट्रैफिक चोकहोल्ड का पूर्वानुमान लगाने के लिए रुझानों की निगरानी करता है।
- घटना रिपोर्टिंग बॉट: दुर्घटनाओं या सड़क बाधाओं को जल्दी से लॉग इन करने और रिपोर्ट करने के लिए स्वचालित टूल (बीओटी) का उपयोग करता है।
- इवेंट मैनेजमेंट: पुलिस को यातायात प्रभावों का अनुकरण करके जुलूस या सार्वजनिक अशांति जैसे बड़े पैमाने पर आयोजनों के लिए तैयार करने में मदद करता है।
- डैशबोर्ड एनालिटिक्स: दीर्घकालिक शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के समायोजन के लिए गहन डेटा प्रदान करता है।

महत्व:

- कई मीडिया प्रारूपों को एक कार्रवाई योग्य तस्वीर में समेकित करता है, जो मैन्युअल निगरानी या सोशल मीडिया शिकायतों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है।

- सामान्य मैपिंग ऐप्स की तुलना में अधिक स्थानीयकृत और सटीक डेटा प्रदान करके, यह मानव या जीपीएस त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है।

मेनिंगोकोकल संक्रमण

संदर्भ:

मेघालय सरकार ने शिलांग के असम रेजिमेंटल सेंटर में दो अग्निवीर प्रशिक्षुओं की संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण के कारण मौत के बाद एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है।

मेनिंगोकोकल संक्रमण के बारे में:

यह क्या है?

- मेनिंगोकोकल रोग एक गंभीर, जीवन-धमकाने वाला जीवाणु संक्रमण है जो जीवाणु नीसेरिया मेनिन्जाइटिस (जिसे मेनिंगोकोकस के रूप में भी जाना जाता है) के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से मेनिन्जेस की सूजन का कारण बनता है - मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी (मेनिन्जाइटिस) को कवर करने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली - और एक गंभीर रक्तप्रवाह संक्रमण (सेप्टीसीमिया) भी पैदा कर सकता है।



उत्पत्ति और संचरण:

- स्रोत: बैक्टीरिया मनुष्यों के ऊपरी श्वसन पथ (नाक और गले) में रहते हैं। लगभग 10% से 20% आबादी स्पर्शोन्मुख वाहक हैं जिनके पास बीमार हुए बिना बैक्टीरिया हैं।
- वेक्टर/स्प्रेड: कोई पशु वेक्टर नहीं है; यह श्वसन बूंदों या गले के स्राव (लार) के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति फैलाता है।
- सामान्य मोड: खांसना, छींकना, चुंबन करना या बर्तन और पेय साझा करना। यह सैन्य बैरक, छात्रावास और बोर्डिंग स्कूलों जैसी भीड़-भाड़ वाली रहने की स्थिति में पनपता है।

लक्षण:

- रोग बहुत तेजी से बढ़ता है, अक्सर पहले लक्षणों के 24-48 घंटों के भीतर घातक हो जाता है।
- शुरुआती लक्षण: अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द और उल्टी।
- क्लासिक संकेत: गर्दन में अकड़न और फोटोफोबिया (तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता)।
- उन्नत संकेत: एक विशिष्ट पार्प्यूरिक दाने (गहरे बैंगनी रंग के धब्बे या चोट के निशान जो दबाने पर फीके नहीं पड़ते), भ्रम, ठंडे हाथ/पैर और मांसपेशियों में दर्द।

प्रमुख विशेषताएँ:

- उच्च मृत्यु दर: उपचार के साथ भी, लगभग 10% से 15% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। उपचार के बिना, मृत्यु दर काफी अधिक है।
- दीर्घकालिक जटिलताएँ: लगभग 5 में से 1 जीवित बचे व्यक्ति को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, जिसमें श्रवण हानि, मस्तिष्क क्षति, गुर्दे की बीमारी, या ऊतक मृत्यु (परिगलन) के कारण अंग विच्छेदन शामिल हैं।
- आयु जोखिम: शिशुओं, किशोरों और युवा वयस्कों में सबसे आम है।

उपचार और रोकथाम:

- आपातकालीन देखभाल: यह एक चिकित्सा आपातकाल है जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
- एंटीबायोटिक्स: उच्च खुराक अंतःशिरा (IV) एंटीबायोटिक्स (जैसे सेफ्ट्रायोन या पेनिसिलिन) जैसे ही बीमारी का संदेह होता है, प्रशासित किया जाता है।
- सहायक देखभाल: द्रव पुनर्जीवन, ऑक्सीजन थेरेपी, और निम्न रक्तचाप या अंग विफलता के लिए उपचार।

फोर्टिफाइड राइस रोलआउट का निलंबन

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने शेल्फ लाइफ संबंधी चिंताओं के कारण पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल के वितरण को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।

फोर्टिफाइड राइस रोलआउट के निलंबन के बारे में:

फोर्टिफाइड राइस क्या है?

- फोर्टिफाइड चावल नियमित चावल है जिसे जानबूझकर आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया है - विशेष रूप से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12।



- यह खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने और कमजोर आबादी के बीच छिपी हुई भूख या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए किया जाता है।

संबद्ध योजनाएँ:

फोर्टिफाइड पदार्थों को भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा जाल में एकीकृत किया गया था, जिसमें शामिल हैं:

- पीएमजीकेवाई: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (मुफ्त खाद्यान्न योजना)।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- पीएम-पोषण: पूर्व में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना थी।
- आईसीडीएस: एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित)।

उद्देश्य:

- प्राथमिक लक्ष्य 2024 तक देश भर में कुपोषण और एनीमिया को संबोधित करना था। सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल को अनिवार्य बनाकर, सरकार का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लागत प्रभावी और मापनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करना है।

फोर्टिफाइड में कदम:

1. फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) का उत्पादन: चावल के आटे को विटामिन और खनिजों के प्रीमिक्स के साथ मिलाया जाता है और फिर एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके अनाज जैसी गुठली में आकार दिया जाता है।
2. समिश्रण: इन एफआरके को नियमित पॉलिश किए गए चावल के साथ मिश्रित किया जाता है, आमतौर पर 1:100 (नियमित चावल के प्रत्येक 100 दाने के लिए एक फोर्टिफाइड कर्नेल) के अनुपात में।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सरकार द्वारा वित्त पोषित: फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में वहन की जाती है।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन: जून 2024 तक भारत के सभी जिलों को कवर करने के लक्ष्य के साथ 2021 में रोलआउट शुरू हुआ।
- तकनीकी सहायता: विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) जैसे संगठन मिल मालिकों और अधिकारियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ:

- भारत में उच्च बफर स्टॉक का मतलब है कि चावल अक्सर 2-3 वर्षों तक साइलो में रहता है।
- आईआईटी-खड़गपुर के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस लंबी अवधि के दौरान नमी और आर्द्रता पोषक तत्वों को कम कर देती है, जिससे अधिक मजबूत वितरण तंत्र मिलने तक वर्तमान निलंबन होता है।

रेल तकनीक नीति

संदर्भ:

रेल मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से उभरती रेलवे चुनौतियों को हल करने में स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों को शामिल करने के लिए रेल तकनीक नीति और एक समर्पित रेल टेक पोर्टल लॉन्च किया।

रेल टेक नीति के बारे में:

यह क्या है?

- रेल तकनीक नीति भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे संचालन में उन्नत प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया एक प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार ढांचा है।
- यह स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए रेलवे चुनौतियों के समाधान प्रस्तावित करने और पायलट करने के लिए एक संरचित मंच बनाता है।

मंत्रालय: रेल मंत्रालय, भारत सरकार

उद्देश्य:

- भारतीय रेलवे को एक पारंपरिक बुनियादी ढांचा प्रणाली से एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, नवाचार-आधारित परिवहन नेटवर्क में बदलना।
- सुरक्षा, रखरखाव और सेवा दक्षता के लिए एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल सिस्टम को सक्रिय रूप से अपनाने को बढ़ावा देना।



प्रमुख विशेषताएँ:

1. रेल टेक पोर्टल: 24x7 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप, उद्योग और इनोवेटर्स से विचार आमंत्रित करता है।
2. नवाचार चुनौतियाँ: फोकस क्षेत्रों में एआई-आधारित समाधान, ड्रोन-आधारित रेल निरीक्षण, रेल तनाव निगरानी और सेंसर-आधारित सिस्टम शामिल हैं।
3. सुरक्षा प्रथम दृष्टिकोण: रेलवे सुरक्षा से संबंधित स्टार्टअप प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. प्रौद्योगिकी एकीकरण: एआई, ऑटोमेशन और स्मार्ट सेंसर जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
5. डिजिटल गवर्नेंस लिंक: तेजी से शिकायत निवारण के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण (ई-आरसीटी) के पूर्ण डिजिटलीकरण द्वारा पूरक।
6. सार्वजनिक-निजी नवाचार सहयोग: रेलवे और निजी नवोन्मेषकों/स्टार्टअप के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

ASTraM: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी**संदर्भ:**

पूर्व डच प्रधान मंत्री डिक शूफ ने हाल ही में एस्ट्राम प्रणाली का अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु यातायात प्रबंधन केंद्र का दौरा किया, जो एक एआई-संचालित मंच है जिसने शहरी यातायात की भीड़ की भविष्यवाणी और प्रबंधन करने की अपनी क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय रूचि प्राप्त की है।

**ASTraM के बारे में: सतत यातायात प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया:****यह क्या है?**

- ASTraM एक उन्नत AI-आधारित बड़ा डेटा प्लेटफॉर्म है जिसे मैक्रो-स्तरीय ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पारंपरिक जीपीएस अनुप्रयोगों के विपरीत, जो केवल वर्तमान ट्रैफिक दिखाते हैं, ASTraM एक स्मार्ट ट्रैफिक इंजन के रूप में कार्य करता है जो शहर के अधिकारियों को समग्र, वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है।

द्वारा विकसित:

- इस प्रणाली को बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस और एक प्रमुख डच डिजाइन और परामर्श फर्म अर्काडिस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया था।

उद्देश्य:

- ASTraM का प्राथमिक उद्देश्य ट्रैफिक पुलिसिंग को एक प्रतिक्रियाशील मॉडल (शिकायतों का जवाब देना) से एक सक्रिय, डेटा-संचालित मॉडल में बदलना है।
- इसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और स्वचालित खुफिया जानकारी के माध्यम से घटना की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना है।

यह काम किस प्रकार करता है?**प्लेटफॉर्म विभिन्न धाराओं से भारी मात्रा में डेटा एकत्र करके कार्य करता है:**

1. डेटा एकीकरण: यह सीसीटीवी कैमरों, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सिस्टम और खुले डेटा स्रोतों से लाइव फीड प्राप्त करता है।
2. विश्लेषण: एआई इंजन आवर्ती (दैनिक बाधाओं) और गैर-आवर्ती (दुर्घटनाओं/विरोध) भीड़ दोनों में पैटर्न की पहचान करने के लिए इस डेटा को संसाधित करता है।
3. संचार: सिस्टम बैच समस्याओं का पता लगाता है और 15 मिनट के अंतराल पर संबंधित यातायात अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भेजता है, जिससे स्थानीय हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- स्थितिजन्य जागरूकता: एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर शहर के यातायात स्वास्थ्य का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है।

- पूर्वानुमानित विश्लेषण: सड़कों को पंगु बनाने से पहले संभावित ट्रैफिक चोकहोल्ड का पूर्वानुमान लगाने के लिए रुझानों की निगरानी करता है।
- घटना रिपोर्टिंग बॉट: दुर्घटनाओं या सड़क बाधाओं को जल्दी से लॉग इन करने और रिपोर्ट करने के लिए स्वचालित टूल (बीओटी) का उपयोग करता है।
- इवेंट मैनेजमेंट: पुलिस को यातायात प्रभावों का अनुकरण करके जुलूस या सार्वजनिक अशांति जैसे बड़े पैमाने पर आयोजनों के लिए तैयार करने में मदद करता है।
- डैशबोर्ड एनालिटिक्स: दीर्घकालिक शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के समायोजन के लिए गहन डेटा प्रदान करता है।

महत्त्व:

- कई मीडिया प्रारूपों को एक कार्रवाई योग्य तस्वीर में समेकित करता है, जो मैन्युअल निगरानी या सोशल मीडिया शिकायतों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है।
- सामान्य मैपिंग ऐप्स की तुलना में अधिक स्थानीयकृत और सटीक डेटा प्रदान करके, यह मानव या जीपीएस त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है।

भारत में साइबर अपराध

संदर्भ:

गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों से पता चला कि 2025 के दौरान साइबर अपराध के मामलों में 24% की वृद्धि हुई है, जिसमें भारतीयों को ₹22,495 करोड़ का नुकसान हुआ है।

- रिपोर्ट में अत्यधिक संगठित निवेश घोटालों की ओर एक बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जो कुल वित्तीय नुकसान का 75% से अधिक है।

भारत में साइबर अपराध के बारे में:

यह क्या है?

- साइबर अपराध कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। भारतीय संदर्भ में, यह सरल फ़िशिंग से परिष्कृत डिजिटल गिरफ्तारी, सेक्सटॉर्शन और एआई-संचालित धोखाधड़ी तक विकसित हुआ है।
- यह व्यक्तियों, व्यवसायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत गोपनीयता दोनों को खतरा होता है।

भारत में साइबर अपराध पर डेटा/आँकड़े:

- केस वॉल्यूम: 2025 में कुल 28.15 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2024 में 22.68 लाख से महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- वित्तीय टोल: वॉल्यूम में वृद्धि के बावजूद, कुल नुकसान मामूली रूप से ₹22,495 करोड़ (₹22,845 करोड़ से) तक कम हो गया, वास्तविक समय पुलिस हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद।
- निवेश घोटाले: ये प्रमुख खतरा हैं, जो कुल खोए गए धन का 76% और रिपोर्ट किए गए सभी मामलों का 35% हैं।
- वसूली दर: I4C जैसी सरकारी पहलों ने अपनी स्थापना के बाद से ₹8,031 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अवरुद्ध कर दिया है।
- नए खतरे: डिजिटल गिरफ्तारी (नुकसान का 9%) और सेक्सटॉर्शन (नुकसान का 4%) सबसे तेजी से बढ़ते मनोवैज्ञानिक-आधारित साइबर अपराधों के रूप में उभरे हैं।

साइबर अपराध में वृद्धि के कारण:

- इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि: 2025 तक 86% से अधिक घरों के जुड़ने के साथ, अपराधियों के लिए हमले की सतह ग्रामीण भारत में फैल गई है।
- उदाहरण के लिए, धोखेबाज अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में पहली बार डिजिटल उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहे हैं जो डिजिटल स्वच्छता से कम परिचित हैं।
- आसान पैसे की इच्छा: उच्च मुद्रास्फीति और त्वरित धन का आकर्षण लोगों को धोखाधड़ी वाली उत्त्व-रिटर्न योजनाओं की ओर ले जाता है।
- उदाहरण के लिए, 2025 में नकली शेयर बाजार व्यापार घोटालों में भारी वृद्धि को नागरिकों द्वारा असत्यापित विशेषज्ञ ऐप्स के माध्यम से वैध बाजार लाभ को दोहराने की मांग करने के लिए बढ़ावा दिया गया था।
- एआई और डीपफेक को अपनाना: अपराधी प्रतिरूपण के लिए अति-यथार्थवादी आवाजें और वीडियो बनाने के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए 2025 में, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले बढ़ गए क्योंकि धोखेबाजों ने वीडियो कॉल के दौरान वास्तविक पुलिस स्टेशनों का अनुकरण करने के लिए एआई-जनित वर्दी और पृष्ठभूमि शोर का इस्तेमाल किया।



- सीमा पार घोटाला केंद्र: दक्षिण पूर्व एशियाई साइबर-दास यौगिक भारतीयों को लक्षित करते हुए बड़े पैमाने पर संचालन करते हैं।
- उदाहरण के लिए, एमएचए की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 2025 में भारतीयों को लक्षित करने वाले 50% से अधिक साइबर धोखाधड़ी कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में उत्त्व सुरक्षा परिसरों से उत्पन्न हुई।
- डिजिटल बैंकिंग में खामियां: तेजी से UPI अपनाने ने अनुरोध एकत्र करने जैसी सुरक्षा सुविधाओं के बारे में उपयोगकर्ता जागरूकता को पीछे छोड़ दिया है।
- उदाहरण के लिए, 2025 में कई पीड़ितों ने अपना UPI पिन दर्ज करके यह सोचकर पैसे खो दिए कि उन्हें भुगतान मिल रहा है, जो कार्य-आधारित घोटालों में एक आम रणनीति है।

साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियाँ:

- कम एफआईआर धर्मांतरण: कई पीड़ित पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम मामले औपचारिक पुलिस जांच में तब्दील हो जाते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2025 में, जबकि 28 लाख मामले दर्ज किए गए थे, केवल 55,484 एफआईआर दर्ज की गई, जो अक्सर अपराधों की क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलता के कारण होती हैं।
- गुमनामी और तकनीकी परिष्कार: साइबर अपराधी वीपीएन और एन्क्रिप्टेड परतों का उपयोग करते हैं, जिससे स्थानीय पुलिस के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- उदाहरण के लिए, 2025 में भारतीय अस्पतालों पर रैसमवेयर हमलों की जांच रोक दी गई थी क्योंकि हमलावरों ने विकेंद्रीकृत रैसमवेयर-ए-ए-सर्विस मॉडल के माध्यम से काम किया था।
- क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं: एक राज्य में किए गए अपराध अक्सर दूसरे राज्य में बैंक खातों और तीसरे राज्य के मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली में 2025 का एक घोटाला केरल में खच्चर खातों और पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सिम कार्ड से जुड़ा हुआ पाया गया, जिससे गिरफ्तारी प्रक्रिया जटिल हो गई।
- फॉरेंसिक टैलेंट गैप: डिजिटल साक्ष्य को संभालने के लिए स्टेशन स्तर पर प्रशिक्षित साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी है।
- उदाहरण के लिए, जबकि भारत में अब 459 समर्पित साइबर पुलिस स्टेशन हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई जल्द किए गए डिजिटल उपकरणों को मिरर करने और उनका विश्लेषण करने में बैकलॉग की रिपोर्ट करते हैं।
- सामाजिक कलंक: सेक्सटॉर्शन या डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार अक्सर सामाजिक शर्मिंदगी के डर से रिपोर्टिंग में देरी करते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2025 के अंत में सेक्सटॉर्शन स्पाइक ने पीड़ितों को कई हफ्तों में लाखों का नुकसान पहुंचाया क्योंकि उन्हें तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने में बहुत शर्म आ रही थी।

आगे की राह:

- अनिवार्य ई-एफआईआर: ई-एफआईआर प्रणाली (वर्तमान में दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों में) को सभी राज्यों में बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर डिजिटल शिकायत कानूनी रूप से दर्ज की जाए।
- एआई-संचालित रक्षा: चोरी के धन को बाहर निकालने से पहले खच्चर खातों (संदिग्ध बैंक खातों) को चिह्नित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भौतिक घोटाले कारखानों को खत्म करने के लिए इंटरपोल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ I4C के सहयोग को मजबूत करना।
- साइबर स्वच्छता शिक्षा: स्कूलों में अनिवार्य डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल को शामिल करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश प्रस्तावों में लाल झंडों की पहचान करना।
- एनसीआईआईपीसी को मजबूत करना: बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (जैसे पावर ग्रिड और बैंक) की सुरक्षा बढ़ाना।

निष्कर्ष:

भारत की साइबर अपराध चुनौती एक तकनीकी मुद्दे से मनोवैज्ञानिक हेरफेर से संचालित सामाजिक-आर्थिक संकट में परिवर्तित हो रही है। जबकि एजेंसियों द्वारा वास्तविक समय के हस्तक्षेप ने हजारों करोड़ रुपये बचाए हैं, मामलों की भारी मात्रा प्रतिक्रियात्मक वसूली से सक्रिय रोकथाम की ओर बढ़ने की मांग करती है। साइबर-सुरक्षित भारत को प्राप्त करने के लिए सतर्क नागरिकों, तकनीक-प्रेमी पुलिस और सख्त अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को शामिल करते हुए एक एकीकृत मोर्चे की आवश्यकता होगी।

डीप टेक स्टार्ट-अप

संदर्भ:

केंद्र ने डीपीआईआईटी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'डीप टेक' स्टार्ट-अप के लिए पात्रता मानदंड को औपचारिक रूप से परिभाषित और अधिसूचित किया है।



डीप टेक स्टार्ट-अप के बारे में:**यह क्या है?**

- डीप टेक स्टार्ट-अप ऐसे उद्यम हैं जो वृद्धिशील या प्लेटफॉर्म-आधारित नवाचार के बजाय उच्च तकनीकी अनिश्चितता, लंबी गर्भधारण अवधि और गहन अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को शामिल करते हुए नए वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग ज्ञान के आधार पर समाधान तैयार करते हैं।

शामिल संगठन:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी): स्टार्ट-अप और डीप टेक स्टार्ट-अप को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकारी।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ): ₹1 लाख करोड़ के आरडीआई फंड के संरक्षक, डीप टेक वेंचर्स के लिए एक प्रमुख फाइनेंसर।

पात्रता मानदंड:


- मुख्य गतिविधि में विज्ञान/इंजीनियरिंग में नए ज्ञान का सृजन शामिल होना चाहिए।
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर प्रमुख व्यय।
- व्यावसायीकरण की योजना के साथ उपन्यास बौद्धिक संपदा (आईपी) का स्वामित्व या सक्रिय निर्माण।
- लंबी विकास समयसीमा, उच्च पूंजी/बुनियादी ढांचे की जरूरतों और वैज्ञानिक/तकनीकी जोखिम की विशेषता।
- गैर-मुख्य निवेश (जैसे, अचल संपत्ति, सहाय संपत्ति, प्रतिभूतियां) पर प्रतिबंध जब तक कि ज्ञान निर्माण का अभिन्न अंग न हो।
- प्रमाणन के लिए डीपीआईआईटी के लिए अनिवार्य आवेदन।

प्रमुख विशेषताएँ:

- विस्तारित मान्यता विंडो: 20 वर्ष तक (नियमित स्टार्ट-अप के लिए बनाम 10 वर्ष)।
- उच्च टर्नओवर सीमा: ₹300 करोड़ तक (बनाम ₹200 करोड़)।
- नीति-समर्थित वित्तपोषण: रियायती दीर्घकालिक वित्त तक पहुंच (2-4% ब्याज की रिपोर्ट की गई सीमा, 15 वर्ष तक की अवधि)।
- शासन निरीक्षण: एक अंतर-मंत्रालयी तकनीकी बोर्ड द्वारा निर्देशित प्रमाणन।

महत्व:

- उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाले नवाचार (एआई, अर्धचालक, बायोटेक, क्वांटम, उन्नत सामग्री) के लिए रोगी पूंजी को चैनल करता है।
- एएनआरएफ के आरडीआई फंड के माध्यम से व्यावसायीकरण के रास्ते के साथ सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण को संरेखित करता है।




केंद्रीय बजट 2026-27: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड निवेश

संदर्भ:

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आवंटन की घोषणा की है। यह अब तक का उच्चतम परिव्यय है, जो रक्षा विनिर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' और सेना के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

India's defence budget 2026 | Overview



Source: Union Budget 2026-27 • BE - Budget estimate | RE - Revised estimate

THE HINDU

बजट 2026-27: रक्षा आवंटन एक नजर में

प्राचल (Parameters)	विवरण (FY 2026-27)	महत्वपूर्ण बदलाव
कुल रक्षा बजट	₹7.85 लाख करोड़	पिछले वर्ष से 15.19% की वृद्धि
जीडीपी का हिस्सा	लगभग 2%	रक्षा तैयारियों के प्रति प्रतिबद्धता
केंद्रीय व्यय में हिस्सा	14.67%	सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक आवंटन
पूंजीगत व्यय (CapEx)	₹2.19 लाख करोड़	~22% की महत्वपूर्ण वृद्धि
स्वदेशी खरीद लक्ष्य	₹1.39 लाख करोड़	कुल पूंजी अधिग्रहण का 75% घरेलू उद्योग हेतु

बजट 2026-27 की प्रमुख रक्षा घोषणाएं

1. विनिर्माण और तकनीकी स्वदेशीकरण

- विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन: नागरिक और प्रशिक्षण विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक इंजन और प्रमुख घटकों पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) में छूट का प्रस्ताव
- MRO इकोसिस्टम: भारत को 'रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल' (MRO) हब बनाने के लिए विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क माफ किया गया है।
- रणनीतिक बुनियादी ढांचा: उच्च ऊंचाई वाली सड़कों और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 'सुरंग-बोरिंग मशीनों' जैसे उन्नत उपकरणों के लिए विशेष वित्तीय सहायता।

2. रणनीतिक प्रौद्योगिकी और खनिज सुरक्षा

- परमाणु ऊर्जा सुरक्षा: परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक आयात पर सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। यह रणनीतिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।
- महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals): उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के विनिर्माण हेतु महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है।
- दुर्लभ पृथ्वी गलियाय (Rare Earth Corridor): ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। यह उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण के लिए आवश्यक 'रेयर अर्थ मैग्नेट' के उत्पादन को गति देगा।

3. कल्याणकारी योजनाएं और पेंशन सुधार

- विकलांगता पेंशन में कर छूट: सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के उन कर्मियों को कर में छूट दी गई है जो सैन्य सेवा के दौरान विकलांगता के कारण सेवा से बाहर होते हैं।
- व्याप्ति (Coverage): इस छूट के अंतर्गत 'सर्विस एलिमेंट' और 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' दोनों को शामिल किया गया है, जो सैनिकों के प्रति सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2026-27 का रक्षा बजट केवल एक वित्तीय आवंटन नहीं, बल्कि "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) का स्वाका है। पूंजी अधिग्रहण का 75% घरेलू बाजार के लिए आरक्षित करके, सरकार ने न केवल अपनी युद्ध क्षमता को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र के रक्षा स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए व्यापक अवसर भी पैदा किए हैं।

बजट 2026-27: भारत के 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' (Rare Earth Corridor)

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने 'महत्वपूर्ण खनिज' (Critical Minerals) के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए चार तटीय राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है।



1. रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या है?

- परिभाषा: ये एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर हैं जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements - REE) के खनन, प्रसंस्करण (Processing), अनुसंधान (R&D) और निर्माण को आपस में जोड़ते हैं।
- मुख्य फोकस: विशेष रूप से 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' (REPM) के घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और रक्षा उपकरणों के लिए अनिवार्य हैं।

2. शामिल राज्य और तटीय क्षमता (Beach Sand Monazite)

ये गलियारे उन तटीय राज्यों में विकसित किए जाएंगे जहाँ मोनाजाइट युक्त समुद्री रेत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है:

- ओडिशा: छतरपुर (OSCOM) क्षेत्र, जहाँ वर्तमान में सर्वाधिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ संचालित हैं।
- केरल: चावरा और विडिंजम बंदरगाह के निकटवर्ती क्षेत्र; यह पहल के लिए एक प्रमुख केंद्र है।
- आंध्र प्रदेश: श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और नेल्लोर के तटीय बेल्ट।
- तमिलनाडु: मनवालाकुरिची और कन्याकुमारी के निकटवर्ती खनिज समृद्ध क्षेत्र।

3. पहल के मुख्य स्तंभ और प्रोत्साहन

- एकीकृत दृष्टिकोण: लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए खनन से लेकर अंतिम उत्पाद निर्माण तक की सभी इकाइयां एक ही स्थान पर होंगी।
- चुंबक निर्माण योजना (REPM Scheme): यह ₹7,280 करोड़ की योजना है जिसका लक्ष्य 6,000 MTPA घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना है।
- वित्तीय सहायता: * ₹6,450 करोड़ का 'बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन' (Sales-linked Incentive)।
- ₹750 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)।
- आयात निर्भरता में कमी: वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष लगभग 53,000 मीट्रिक टन मैग्नेट आयात करता है; यह कॉरिडोर इस निर्भरता को कम करेगा।

4. उभरती अंतर्देशीय (Inland) क्षमता: नए खोज क्षेत्र

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने हाल ही में कई नए क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ भारी REE के भंडार मिल सकते हैं:

क्षेत्र	विशिष्ट विवरण
अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे जिला; नियोडिमियम (Neodymium) की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध।
राजस्थान	बालोतरा में 1 लाख टन से अधिक REE ऑक्साइड की खोज; सिरोंही और भीलवाड़ा में सक्रिय अन्वेषण।
गुजरात	अंबा डोंगर और कामथाई कार्बोनेटाइट कॉम्प्लेक्स (प्रमुख संभावित स्थल)।
मध्य प्रदेश	सिंगरौली कोलफील्ड्स; जहाँ कोयले की परतों से REE निकालने की संभावना है।
झारखंड/छत्तीसगढ़	छोटानागपुर क्षेत्र में भारी REE (Heavy REE) के भंडार मिले हैं।
पश्चिम बंगाल	दक्षिण पुरुलिया शिपर ज़ोन में अन्वेषण जारी।

5. रणनीतिक महत्व

- स्वच्छ ऊर्जा: ईवी (EV) मोटर्स, पवन टरबाइन और सौर ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- रक्षा और एयरोस्पेस: उच्च तकनीक वाले रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए आवश्यक इनपुट्स की सुरक्षा।
- राज्य स्तरीय विकास: यह नीति केंद्र के साथ-साथ राज्यों को खनिज मूल्यवर्धन (Value Addition) में अग्रणी भागीदार बनाती है।

निष्कर्ष

'रेयर अर्थ कॉरिडोर' की स्थापना भारत के लिए केवल एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक सुरक्षा का मामला है। चीन के वैश्विक दबदबे (Global Monopoly) के बीच, भारत का यह कदम इसे वैश्विक 'ग्रीन टेक' और 'डिफेंस टेक' की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27: शिक्षा, कौशल और रोजगार क्रांति

संदर्भ:

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने (Education-to-Employability) के लिए संरचनात्मक बदलावों की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' को धरातल पर उतारना है।

1. संरचनात्मक सुधार और शासन (Governance)

- उच्च-स्तरीय समिति: "रोजगार और उद्यम के लिए शिक्षा" पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र (Global Services) में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुँचाना है।
- AI और पाठ्यक्रम: यह समिति स्कूल स्तर से ही पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने और नौकरियों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए नीति बनाएगी।
- विश्वविद्यालय टाउनशिप (University Townships): प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों (Corridors) के निकट 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जहाँ शिक्षा, कौशल और अनुसंधान एक ही स्थान पर होंगे।



2. भविष्य के कौशल और 'ऑरेंज इकोनॉमी' (Creative Economy)

- AVGC कंटेंट लैब्स: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स' की स्थापना होगी।
- कॉर्पोरेट मित्र: टियर-II और टियर-III शहरों में MSMEs की सहायता के लिए पेशेवरों का एक कैंडर तैयार किया जाएगा, जो अनुपालन (Compliance) में मदद करेंगे।
- समर्थ 2.0: टेक्सटाइल (वस्त्र) क्षेत्र में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग पर जोर।

3. स्वास्थ्य एवं विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा

- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (AHP): अगले 5 वर्षों में रेडियोलॉजी और ऑप्टोमेट्री जैसे 10 विषयों में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे।
- केयरगिवर ट्रेनिंग: वृद्धों और बीमारों की देखभाल के लिए 5 लाख केयरगिवर्स को योग, कल्याण और चिकित्सा उपकरणों के संचालन में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- आयुष (AYUSH) विस्तार: 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और आयुष फार्मेशियों का आधुनिकीकरण।
- पशु चिकित्सा (Veterinary): निजी पशु चिकित्सा कॉलेजों के लिए 'ऋण-लिंक्ड सब्सिडी' के माध्यम से पेशेवरों की संख्या में 20,000 से अधिक की वृद्धि का लक्ष्य।

4. बुनियादी ढांचा और समावेशिता (Inclusivity)

- STEM में महिलाएं: विज्ञान और तकनीक (STEM) में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 1 गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता।

- दिव्यांगजन कौशल: आईटी, आतिथ्य (Hospitality) और AVGC क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए उद्योग-अनुकूल विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पर्यटन और आतिथ्य: 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को IIM के सहयोग से कुशल बनाया जाएगा। 'राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद' को अब 'राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान' के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
- पूर्वी भारत के लिए NID: 'वैलेंज मोड' के माध्यम से पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) स्थापित किया जाएगा।

5. वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वगोल विज्ञान

- स्पेस और एस्ट्रोफिजिक्स: छात्रों को 'इमर्सिव लर्निंग' (अनुभवात्मक शिक्षा) प्रदान करने के लिए नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और कॉसमॉस-2 तारामंडल जैसी 4 प्रमुख बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।

निष्कर्ष

बजट 2026-27 शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल और नवाचार का आधार बनाता है। 'विश्वविद्यालय टाउनशिप' और 'एवीजीसी लैब्स' जैसे कदम भारत को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

नया आयकर अधिनियम, 2025: कर सुधारों का नया अध्याय

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा की गई है कि आयकर अधिनियम, 2025 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। यह नया कानून जटिलताओं को कम करने और अनुपालन (Compliance) को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए लाया गया है।

1. कार्यान्वयन और सरलीकरण

- प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल, 2026 से लागू।
- त्वरित समीक्षा: जुलाई 2024 में घोषित पुराने अधिनियम की समीक्षा को रिकॉर्ड समय में पूरा कर इस नए ढांचे को तैयार किया गया है।
- उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजाइन: कर प्रपत्रों (Forms) और नियमों को इस तरह सरल बनाया गया है कि एक सामान्य नागरिक पेशेवर मदद के बिना स्वयं अपना रिटर्न दाखिल कर सके।



2. रिटर्न फाइलिंग: कंफिट समय सीमा (Staggered Deadlines)

नए अधिनियम के तहत करदाताओं की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं, ताकि पोर्टल पर बोझ कम हो सके:

करदाता श्रेणी	रिटर्न फॉर्म	अंतिम तिथि (नियत तारीख)
व्यक्तिगत करदाता	ITR 1 एवं ITR 2	31 जुलाई
गैर-ऑडिट व्यवसाय/ट्रस्ट	अन्य	31 अगस्त (विस्तारित)

3. संशोधन और सुधार हेतु लचीलापन

- विस्तारित विंडो: संशोधित (Revised) या विलंबित (Belated) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
- मामूली शुल्क: 31 दिसंबर के बाद संशोधन करने पर ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए ₹1,000 और उससे अधिक आय वालों के लिए ₹5,000 का शुल्क देय होगा।
- पुनर्मूल्यांकन के बाद अपडेट: अब करदाता पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अतिरिक्त 10% कर देकर अपना रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।

4. दंड और मुकदमों का युक्तिकरण (Rationalization)

सरकार का ध्यान करदाताओं को परेशान करने के बजाय विवादों को कम करने पर है:

- एकीकृत कार्यवाही: मूल्यांकन (Assessment) और दंड की कार्यवाही अब अलग-अलग के बजाय एक ही आदेश के माध्यम से संपन्न होगी।
- गैर-अपराधीकरण (Decriminalization): खातों का ऑडिट न करा पाना या दस्तावेज पेश न कर पाना जैसी 'तकनीकी चूक' को अब अपराध नहीं माना जाएगा; इनके लिए केवल शुल्क (Fee) देना होगा।
- सजा में कटौती: अधिकांश कर अपराधों के लिए अधिकतम कारावास को 7 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। अदालतों के पास अब सजा को जुर्माने में बदलने का विकल्प होगा।

5. विशेष योजना: FAST DS 2026

विदेशी संपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं (छात्रों और स्थानांतरित NRIs) के लिए एक विशेष 6 महीने की विंडो शुरू की गई है:

- नाम: विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (Fast Disclosure Scheme - FAST DS) 2026।
- दायरा: ₹1 करोड़ या ₹5 करोड़ (श्रेणी अनुसार) से कम की विदेशी संपत्ति का खुलासा करने पर अभियोजन (Prosecution) से पूर्ण प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त होगी।

निष्कर्ष

आयकर अधिनियम, 2025 केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह कर प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव है—'नियंत्रण' से 'सहयोग' की ओर। यह कानून विश्वास-आधारित कराधान (Trust-based Taxation) को बढ़ावा देगा और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी सुगम बनाएगा।

भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA): दोहरे योगदान से मुक्ति

संदर्भ:

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अल्पकालिक असाइनमेंट (Short-term Assignments) पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान (Double Social Security Contribution) को समाप्त करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।



समझौता क्या है?

- परिभाषा: इसे 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' (DCC) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पारस्परिक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक देश का कर्मचारी जब दूसरे देश में अस्थायी काम के लिए जाए, तो उसे दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/बीमा) का भुगतान न करना पड़े।
- प्रमुख प्रावधान: यह समझौता 36 महीने (3 वर्ष) तक के विदेशी असाइनमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों को केवल अपने गृह देश (Home Country) की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान जारी रखने की अनुमति देता है।

प्रमुख उद्देश्य

- लागत में कटौती: नियोक्ताओं और कर्मचारियों को एक ही समय में दो देशों में योगदान देने के वित्तीय बोझ से बचाना।
- क्षेत्रीय समर्थन: विशेष रूप से आईटी, वित्त, इंजीनियरिंग और परामर्श जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाना।
- व्यापार निरंतरता: यह जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते' (CETA) के लक्ष्यों को पूरा करता है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
समय सीमा	36 महीने तक के अस्थायी असाइनमेंट के लिए मान्य।
प्रमाणन तंत्र	कर्मचारी EPFO के माध्यम से कवरेज प्रमाणपत्र (CoC) प्राप्त कर मेजबान देश में भुगतान से छूट पा सकते हैं।
पारस्परिकता	यह यूके में कार्यरत भारतीयों और भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिकों पर समान रूप से लागू है।
रिकॉर्ड निरंतरता	यह पेंशन और अन्य लाभों के रिकॉर्ड में विखंडन (Fragmentation) को रोकता है।
कार्यान्वयन	यह भारत-यूके CETA के साथ वर्ष 2026 की पहली छमाही में प्रभावी होने की उम्मीद है।

रणनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व

- प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: भारतीय कंपनियों पर विदेशी प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- कुशल श्रमिकों की गतिशीलता: भारत की 'कुशल जनशक्ति' (Skilled Workforce) के लिए ब्रिटेन के बाजार में काम करना अधिक आकर्षक और सरल हो जाएगा।
- द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती: यह समझौता भारत और यूके के बीच 'रोडमैप 2030' के तहत रक्षा और व्यापार के साथ-साथ 'पीपल-टू-पीपल' कनेक्ट को भी सशक्त करता है।
- प्रशासनिक सुगमता: कंपनियों को अब जटिल अंतरराष्ट्रीय कराधान और योगदान नियमों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होगी।

निष्कर्ष

भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता न केवल पेशेवरों के लिए वित्तीय राहत है, बल्कि यह उभरते भारत-यूके आर्थिक गलियारे की रीढ़ बनेगा। यह कदम स्पष्ट करता है कि भारत अब अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक हितों और प्रवासी कार्यबल की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से नीतिगत सुधार कर रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)**संदर्भ:**

PNGRB ने हाल ही में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (NGPL) और सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क में संपीड़ित बायो-गैस (CBG) के इंजेक्शन (मिश्रण) के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

निकाय का परिचय

- प्रकृति: यह एक वैधानिक नियामक निकाय (Statutory Regulatory Body) है।
- उत्तरदायित्व: यह भारत में डाउनस्ट्रीम (Downstream) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- स्थापना: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

**प्रमुख उद्देश्य एवं मिशन**

- उपभोक्ता हित: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा: संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- निर्बाध आपूर्ति: देश के कोने-कोने तक पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की पर्याप्त और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

PNGRB के महत्वपूर्ण कार्य

1. नियामक निरीक्षण: संस्थाओं को पाइपलाइन निर्माण, LNG टर्मिनल और सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क संचालित करने के लिए लाइसेंस/अधिकार देना।
2. टैरिफ और एक्सेस: पाइपलाइनों के लिए 'एक्सेस कोड' निर्धारित करना और परिवहन दरों (Tariff) को नियंत्रित करना ताकि बुनियादी ढांचे का साझा उपयोग हो सके।
3. सुरक्षा और तकनीकी मानक: गैस बुनियादी ढांचे के लिए उच्च-स्तरीय तकनीकी विनिर्देश और सुरक्षा मानदंड (Safety Norms) तय करना।
4. बाजार नियंत्रण: एकाधिकारवादी या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकना और मूल्य निर्धारण की निगरानी करना।
5. डेटा प्रबंधन: पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय डेटा बैंक का रखरखाव करना।

CBG इंजेक्शन को मंजूरी: महत्व एवं प्रभाव


- हरित ऊर्जा का एकीकरण: घरेलू स्तर पर उत्पादित 'कंप्रेसड बायो-गैस' (CBG) को अब मौजूदा प्राकृतिक गैस ब्रिड में सीधे इंजेक्ट किया जा सकेगा।
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता: स्वदेशी बायो-गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलने से आयातित LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) पर भारत की निर्भरता कम होगी।
- आर्थिक व्यवहार्यता: पाइपलाइन के माध्यम से निकासी (Evacuation) की सुविधा मिलने से CBG परियोजनाओं को बैंकों से वित्त पोषण (Funding) मिलना आसान होगा।
- अपशिष्ट से धन (Waste to Wealth): यह कृषि अवशेषों और कचरे के उपयोग को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

PNGRB का यह निर्णय भारत के 'सतत' (SATAT) मिशन और 'नेट जीरो 2070' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को भी नया आयाम मिलेगा।

एपीडा (APEDA): कृषि निर्यात के 40 सफल वर्ष**संदर्भ:**

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (APEDA) को उसके 40वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। यह संस्थान भारत को "दुनिया की खाद्य टोकरी" बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।



एपीडा (APEEDA) का परिचय

- प्रकृति: यह 'एपीडा अधिनियम, 1985' के तहत स्थापित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है।
- स्थापना: इसने 'प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद' (PFEP) का स्थान लिया।
- अधिनियम पारित: दिसंबर 1985
- स्थापना/प्रभावी तिथि: 13 फरवरी 1986
- नोडल मंत्रालय: यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व

1. निर्यात संवर्धन: कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, बाजार आसूचना (Market Intelligence) और वैश्विक ब्रांडिंग प्रदान करना।
2. पंजीकरण: अनुसूचित उत्पादों (Scheduled Products) के निर्यातकों का पंजीकरण करना और उन्हें 'RCMC' (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र) जारी करना।
3. मानक निर्धारण: निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए सख्त गुणवत्ता मानक तय करना और मांस तथा प्रसंस्कृत खाद्य इकाइयों का निरीक्षण करना।
4. जैविक खेती (Organic Farming): एपीडा 'राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम' (NPOP) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो जैविक उत्पादों के प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है।
5. मूल्य संवर्धन (Value Addition): वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप बेहतर पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रसंस्कृत उत्पादों के विकास में निर्यातकों की सहायता करना।
6. डेटा प्रबंधन: नीति निर्धारण के लिए कृषि व्यापार के आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करना।
7. विशिष्ट निगरानी: चीनी के आयात की निगरानी का विशेष दायित्व।

विस्तृत उत्पाद कवरेज (Scheduled Products)

एपीडा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- फल, सब्जियां और उनके उत्पाद।
- बासमती चावल (भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद)।
- मांस, मुर्गी पालन और डेयरी उत्पाद।
- अनाज, शहद, ग्वार गम और काजू।
- फूलों की खेती (Floriculture) और हर्बल पौधे।
- पेय पदार्थ और चॉकलेट।

महत्व और उपलब्धियां

- रिकॉर्ड निर्यात: एपीडा के प्रयासों से हाल के वर्षों में भारत का कृषि निर्यात ऐतिहासिक स्तर (50 बिलियन डॉलर से अधिक) तक पहुंचा है।
- वैश्विक पहचान: बासमती चावल और आम जैसे भारतीय उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों में एक विशिष्ट 'ब्रांड' के रूप में स्थापित किया।
- किसानों की आय: नए अंतरराष्ट्रीय बाजार और 'कृषि निर्यात क्लस्टर' (Export Clusters) बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता आश्वासन: वैश्विक मानकों (जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय) का अनुपालन सुनिश्चित कर भारतीय उत्पादों की साख बढ़ाना।

निष्कर्ष

पिछले चार दशकों में एपीडा ने भारतीय कृषि को केवल 'निर्वाह' (Subsistence) से बदलकर 'निर्यात-उन्मुख' (Export-oriented) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे e-RCMC) और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के साथ, एपीडा अब 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

भारत का अधिशेष श्रम जाल (Surplus Labour Trap): विश्लेषण एवं समाधान

संदर्भ:

देश भर में गिग वर्कर्स, अनुबंध शिक्षकों और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हालिया हड़ताले भारत के श्रम बाजार की संरचनात्मक विफलता को दर्शाती हैं, जहाँ करोड़ों लोग कम उत्पादकता और असुरक्षित रोजगार के चक्र में फंसे हुए हैं।

1. 'अधिशेष श्रम जाल' का अर्थ

यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहाँ कार्यबल का बड़ा हिस्सा कम



मज़दूरी और कम उत्पादकता वाली भूमिकाओं (जैसे निर्वाह खेती या असंगठित गिग वर्क) में केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि औपचारिक अर्थव्यवस्था उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करने में असमर्थ है।

2. भारतीय श्रम बाज़ार: मुख्य आंकड़े

- अनौपचारिकता (Informality): भारत के लगभग 650 मिलियन कार्यबल का 90% असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ न कोई औपचारिक अनुबंध है और न ही सामाजिक सुरक्षा।
- अल्प-उपयोग: कामकाजी उम्र के लगभग 350 मिलियन लोग श्रम बाज़ार से बाहर हैं, जो मानव पूंजी की भारी बर्बादी को दर्शाता है।
- वेतन संकट: आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय (₹7,000-₹12,000) अक्सर वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है।
- प्रतियोगिता का दबाव: चपरासी या चपरासी जैसे ग्रुप-डी पदों के लिए हज़ारों स्नातकों का आवेदन करना 'रोज़गार हताशा' का प्रतीक है।

3. अवसर और क्षमता (Potential for Growth)

भारत इस अधिशेष श्रम को उत्पादक संपदा में बदल सकता है:

- ग्लोबल सर्विसेज: बेंगलुरु जैसे शहरों में 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' (GCC) का उदय।
- डिजिटल लोकतंत्रीकरण: ONDC जैसे प्लेटफॉर्म छोटे विक्रेताओं और डिलीवरी पार्टनर्स को सशक्त बना सकते हैं।
- विनिर्माण (China Plus One): एप्पल (Foxconn/Tata) जैसे विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, जो कृषि से निकले श्रमिकों को समाहित कर सकता है।
- हरित अर्थव्यवस्था: 'पीएम-सूर्य घर' जैसी योजनाओं से सौर ऊर्जा क्षेत्र में हज़ारों तकनीशियनों की मांग।
- देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy): स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार अधिशेष श्रम को प्रशिक्षित पेशेवरों में बदल सकता है।

4. विद्यमान चुनौतियाँ

- गिग-फिकेशन (Gig-ification): एल्गोरिदम-आधारित प्रबंधन में श्रमिकों की सुरक्षा के बजाय '10-मिनट डिलीवरी' जैसी गति को प्राथमिकता दी जा रही है।
- स्थिर वास्तविक मज़दूरी: मुद्रास्फीति के कारण श्रमिकों की क्रय शक्ति कम हुई है; मनरेगा दरें अक्सर बाज़ार दर से नीचे रहती हैं।
- कौशल बेमेल (Skill Mismatch): 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024' के अनुसार केवल 50% स्नातक ही रोज़गार के योग्य हैं।
- लैंगिक असमानता: महिलाओं को अक्सर 'स्वयंसेवक' (Volunteer) मानकर उनके श्रम का कम मूल्यांकन किया जाता है।
- सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभाव: सिलिकॉन वॉर जैसे घटनाएं उप-अनुबंधित श्रमिकों के जोखिमपूर्ण जीवन को उजागर करती हैं।

5. सुधार हेतु 'आगे की राह' (Way Forward)

- औपचारिकीकरण (Formalization): गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' को कड़ाई से लागू करना।
- मानव पूंजी में निवेश: बजटीय प्राथमिकता को केवल भौतिक बुनियादी ढांचे (स्टेडियम/भवन) से हटाकर 'मानव बुनियादी ढांचे' (स्थायी शिक्षक/डॉक्टर) की ओर मोड़ना।
- मानदेय से वेतन तक: सामुदायिक कार्यकर्ताओं (आशा/आंगनवाड़ी) को 'स्वयंसेवक' के बजाय 'औपचारिक कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत करना और न्यूनतम मज़दूरी सुनिश्चित करना।
- सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining): श्रमिकों के यूनियन बनाने और शांतिपूर्ण वार्ता के अधिकार को सुरक्षित करना।
- विकेंद्रीकृत उद्योग: छोटे उद्योगों (MSMEs) को ब्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना ताकि 'हताशापूर्ण प्रवास' (Distress Migration) को रोका जा सके।

निष्कर्ष

भारत एक निर्णायक मोड़ पर है। उसकी विशाल श्रम शक्ति या तो 'आर्थिक इंजन' बन सकती है या एक 'सामाजिक टाइम बम'। केवल पिरामिड के निचले हिस्से को सशक्त बनाकर और 'काम की गरिमा' (Dignity of Labour) को बहाल करके ही भारत स्थायी और समावेशी विकास प्राप्त कर सकता है।

निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM)

संदर्भ:

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने MSME निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाने के लिए EPM के तहत सात नए रणनीतिक हस्तक्षेपों (Interventions) का शुभारंभ किया है।

1. मिशन का परिचय

- परिभाषा: निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) वाणिज्य विभाग की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) का हिस्सा बनाना है।
- दृष्टिकोण: यह मिशन केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि 'होलिस्टिक इकोसिस्टम' (वित्तीय सहायता + व्यापार सुगमता + बुनियादी ढांचा) पर आधारित है।
- कार्यान्वयन: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।



2. प्रमुख उद्देश्य

- बाज़ार पहुंच: भारतीय MSMEs की वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच को सुगम और प्रतिस्पर्धी बनाना।
- बाधाओं का निवारण: उच्च पूंजी लागत, लॉजिस्टिक्स की कमी और जटिल अनुपालन (Compliance) जैसी संरचनात्मक समस्याओं को दूर करना।
- समावेशी विकास: जिला स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक व्यापक निर्यात आधार तैयार करना।

3. मिशन की मुख्य विशेषताएं एवं हस्तक्षेप

क. वित्तीय सक्षमकर्ता (Financial Enablers)

- व्यापार वित्त सहायता: इसमें निर्यात फैंक्टरिंग और ई-कॉमर्स ऋण सुविधाएं शामिल हैं।
- ब्याज सबवैशन: MSMEs के लिए 2.75% की ब्याज छूट और सुदृढ़ ऋण गारंटी योजना।
- ऋण सीमा: डिजिटल निर्यातकों और MSMEs के लिए ₹5 करोड़ तक की विशेष ऋण सहायता।

ख. अनुपालन और प्रमाणन (TRES - Testing, Rating & Excellence Support)

- अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन (Certification) पर आने वाली लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति (Reimbursement)।

ग. लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग (FLOW & LIFT)

- विदेशी वेयरहाउसिंग: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के भंडारण के लिए सहायता।
- ई-कॉमर्स हब: माल ढुलाई (Freight) लागत में राहत और ई-कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना।

घ. व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण (INSIGHT)

- जिला स्तरीय केंद्र: 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाना।
- मार्केट इंटेलिजेंस: निर्यातकों को रीयल-टाइम वैश्विक बाज़ार डेटा उपलब्ध कराना।

ङ. बाजार एकीकरण (Market Integration)

- भारत मार्ट (Dubai): दुबई जैसे रणनीतिक केंद्रों पर 'भारत मार्ट' जैसी सुविधाओं के माध्यम से निर्यातकों को सीधे खाड़ी (GCC), अफ्रीका और यूरोप के खरीदारों से जोड़ना।

4. मिशन का रणनीतिक महत्व

- MSME सशक्तिकरण: यह मिशन भारत के निर्यात-आधारित विकास के इंजन के रूप में MSMEs को स्थापित करता है।
- वैश्विक हिस्सेदारी: मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाकर वैश्विक बाज़ारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- लागत में कमी: लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागत को कम करके भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्ता और बेहतर बनाना।

निष्कर्ष

निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) भारत के \$2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य (2030) को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'प्लो, लिफ्ट और इनसाइट' जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से, यह मिशन छोटे उद्यमियों के लिए वैश्विक व्यापार के दरवाजे खोल रहा है।

SBI 'चक्र' (CHAKRA): उभरते क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE)

संदर्भ:

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 'सूर्योदय' (Sunrise) क्षेत्रों और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष ज्ञान-आधारित मंच 'चक्र' लॉन्च किया है।

1. 'चक्र' (CHAKRA) क्या है?

- परिभाषा: 'चक्र' एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) है, जिसे SBI ने उभरते और पूंजी-गहन (Capital-intensive) क्षेत्रों के लिए संस्थागत विशेषज्ञता, जोरिम मूल्यांकन और नवाचारी वित्तपोषण मॉडल विकसित करने हेतु बनाया है।
- दृष्टिकोण: यह केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इन उद्योगों के लिए एक 'नॉलेज पार्टनर' (Knowledge Partner) के रूप में कार्य करेगा।

2. मुख्य उद्देश्य

- विशेषज्ञता का निर्माण: प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में गहराई से तकनीकी और वित्तीय समझ विकसित करना।
- पूंजी प्रवाह: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी (Debt Capital) के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना।
- नीति संरेखण: सरकार की विकास नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए वित्तपोषण संरचनाएं तैयार करना।



3. 'चक्र' के तहत केंद्रित 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र

SBI ने इन 8 क्षेत्रों की पहचान की है जो भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होंगे:

1. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)
2. ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)
3. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EV Ecosystem)
4. सेमीकंडक्टर (Semiconductors)
5. बैटरी भंडारण (Advanced Cell Chemistry)
6. डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonization)
7. डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर (Data Centers)
8. स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (Smart Infrastructure)

4. प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

- ज्ञान-संचालित दृष्टिकोण: क्षेत्रीय श्वेत पत्र (White Papers) और उद्योग रिपोर्टों का प्रकाशन करना ताकि निवेशकों को सही दिशा मिल सके।
- जोखिम मूल्यांकन ढांचा: उभरते क्षेत्रों (जहां जोखिम अधिक होता है) के लिए उन्नत क्रेडिट रिस्क असेसमेंट मॉडल तैयार करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग: नीति आयोग, बहुपक्षीय एजेंसियों (World Bank/ADB), स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ संरचित सहयोग।
- विस्तार: यह पहल MSME क्षेत्र के लिए SBI के पूर्व में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का एक उन्नत और विस्तारित रूप है।

5. रणनीतिक महत्व

- विशाल निवेश का लक्ष्य: इन क्षेत्रों में 2030 तक लगभग ₹100 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय (CapEx) की आवश्यकता है, जिसे 'चक्र' के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी।
- जलवायु वित्त (Climate Finance): भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्यों और हरित परिवर्तन (Green Transition) के ढांचे को मजबूती प्रदान करना।
- बैंकों की भूमिका में बदलाव: एक पारंपरिक ऋणदाता से बदलकर एक रणनीतिक सलाहकार (Strategic Advisor) की भूमिका में SBI का उदया।

निष्कर्ष

'चक्र' के माध्यम से SBI न केवल भविष्य के व्यवसायों को वित्तीय ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में भी स्थापित कर रहा है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया जाना रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी जानकारी को मैंने अधिक स्पष्ट, संरचित और पेशेवर प्रारूप में यहाँ पुनर्गठित किया है:

यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL): मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा और स्वायत्तता

संदर्भ:

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। यह उपलब्धि YIL को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और परिचालन गति प्रदान करेगी।

1. मिनीरत्न स्थिति (Status) क्या है?

- परिभाषा: यह वर्गीकरण लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को दिया जाता है। इसका उद्देश्य नवरत्न या महारत्न स्तर तक पहुँचने से पहले संस्थाओं को वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करना है।
- इतिहास: इसकी शुरुआत अक्टूबर 1997 में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने और कुशल CPSEs को सशक्त बनाने के लिए की गई थी।



2. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

किसी भी CPSE को मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

मानदंड	श्रेणी-I (YIL इसी में शामिल है)	श्रेणी-II
लाभप्रदता	पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ में	पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ में

न्यूनतम लाभ	कम से कम एक वर्ष में ₹30 करोड़ या अधिक का कर-पूर्व लाभ	कोई न्यूनतम लाभ सीमा नहीं
नेट वर्थ	नेट वर्थ सकारात्मक (Positive) होनी चाहिए	नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए
ऋण अदायगी	सरकारी ऋण या ब्याज के भुगतान में कोई चूक (Default) नहीं	सरकारी ऋण/ब्याज भुगतान में कोई चूक नहीं
निर्भरता	बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए	बजटीय सहायता पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए

3. मिनीरल श्रेणी-1 को प्राप्त 'प्रत्यायोजित शक्तियां' (Delegated Powers)

श्रेणी-1 का दर्जा मिलने के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड के पास अब निम्नलिखित विशेष अधिकार होंगे:

क. वित्तीय स्वायत्तता (Capital Expenditure)

- बोर्ड अब सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ₹500 करोड़ तक या कंपनी के कुल नेट वर्थ (जो भी कम हो) के बराबर पूंजीगत व्यय कर सकता है।
- यह शक्ति नई परियोजनाओं, संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नए उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग की जा सकती है।

ख. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां (JV & Subsidiaries)

- YIL अब रणनीतिक विस्तार के लिए नए संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) स्थापित कर सकता है। इसकी वित्तीय सीमाएं पूंजीगत व्यय के समान ही होंगी।

ग. मानव संसाधन (HR) प्रबंधन

- कंपनी का बोर्ड अब स्वयं की एचआर नीतियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वीआरएस (VRS) जैसी योजनाएं तैयार और लागू कर सकता है।
- बोर्ड स्तर से नीचे की नियुक्तियों और नियुक्तियों (Postings) के लिए शक्तियां अब बोर्ड के पास केंद्रित होंगी।

घ. तकनीक और रणनीतिक गठबंधन

- बोर्ड अब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधनों के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, जिससे रक्षा उत्पादन में तकनीक का स्तर सुधरेगा।

4. यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) के लिए महत्व

- त्वरित निर्णय: रक्षा उत्पादन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अब रक्षा मंत्रालय की लंबी फाइलों का इंतजार नहीं करना होगा।
- प्रतिस्पर्धात्मकता: यह दर्जा YIL को निजी रक्षा कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय फर्मों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत: 'मेक इन इंडिया' के तहत उन्नत हथियारों और उपकरणों के विकास में तेजी आएगी।

निष्कर्ष

यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरल श्रेणी-1 का दर्जा मिलना इसकी उत्कृष्ट कार्यक्षमता और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। यह न केवल कंपनी के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय रक्षा बुनियादी ढांचे को अधिक गतिशील और आधुनिक बनाने में भी मदद करेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27: पशुधन और मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 में पशुधन और मत्स्य पालन के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई (26.7% की वृद्धि), उन्हें कृषि विकास के मुख्य चालक (वित्त वर्ष 26 में 4.6%) के रूप में मान्यता दी गई।

केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में: पशुधन और मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा

क्या है?

- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर 8,915.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- यह बदलाव स्वीकार करता है कि जहां पारंपरिक फसलें ~3.5% की दर से बढ़ीं, वहीं पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र ~7.1% पर बढ़ गए, जो अब कुल कृषि आय का लगभग 16% योगदान देते हैं।



पशुधन क्षेत्र: पेशेवर और मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण:

- बजट में पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए परिपूर्णता और व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पशु चिकित्सा कार्यबल विस्तार: 20,000+ पशु चिकित्सा पेशेवरों को जोड़ने का एक ऐतिहासिक लक्ष्य।
- ऋण-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी: पशु चिकित्सा कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ₹800 करोड़ के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।
- उद्यमिता सहायता: उद्यमिता विकास के लिए एक एकीकृत योजना (परिव्यय: ₹500 करोड़) स्टार्टअप और पशुधन FPO को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करेगी।
- सहकारी समितियों के लिए कर राहत: डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए पशु चारा आपूर्ति और अंतर-सहकारी लाभांश पर कर कटौती शुरू की गई थी।

मत्स्य पालन क्षेत्र: नीली अर्थव्यवस्था और निर्यात प्रभुत्व:

- मत्स्य पालन क्षेत्र को बुनियादी ढांचे और वैश्विक व्यापार पर भारी जोर देने के साथ 2,761.80 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ।

अंतर्देशीय और तटीय बुनियादी ढांचा:

- जलाशय विकास: अंतर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास।
- एफपीओ के माध्यम से सशक्तिकरण: महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और 200+ मत्स्य पालन स्टार्टअप को शामिल करके तटीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना।

आमूलचूल निर्यात सुधार:

बढ़ते व्यापार प्रतिकूलताओं के खिलाफ भारतीय समुद्री भोजन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने कई रणनीतिक कर और व्यापार उपाय पेश किए:

सुधार	प्रभाव
शुल्क-मुक्त इनपुट आयात	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के लिए निर्यात कारोबार की सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत की गई।
ईईजेड कैच छूट	एक्सवैल्यूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) या ऊंचे समुद्रों में पकड़ी गई मछलियां अब शुल्क मुक्त हैं।
विदेशी बंदरगाह लौडिंग	विदेशी बंदरगाहों पर उतरी मछलियों को निर्यात के रूप में मानना, गहरे समुद्र के बेड़े के लिए रसद को सरल बनाना।

कूरियर निर्यात कैप	छोटे स्टार्टअप को वैश्विक ई-कॉमर्स बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए ₹10 लाख की सीमा को हटाना।
--------------------	--

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) टेक्नोलॉजी

संदर्भ:

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक के बारे में:

यह क्या है?

- एसएफडीआर मिसाइलों के लिए एक एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है जो सुपरसोनिक गति पर निरंतर थ्रस्ट प्रदान करने के लिए दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नियंत्रित तरीके से जलाए गए ठोस ईंधन का उपयोग करता है।
- पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत, यह उड़ान के दौरान उच्च ऊर्जा बनाए रखता है - विशेष रूप से टर्मिनल चरण में।



विकसित: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

यह काम किस प्रकार करता है?

- प्रारंभिक त्वरण: एक नोजल-रहित ग्राउंड बूस्टर मिसाइल को आवश्यक मच संख्या तक ले जाता है।
- रैमजेट टेकओवर: एक बार पर्याप्त गति तक पहुंचने के बाद, वायुमंडलीय हवा को आगे की गति (कोई घूर्णन कम्प्रेसर नहीं) द्वारा निगला और संपीड़ित किया जाता है।
- नियंत्रित दहन: ठोस ईंधन वाहिनी के अंदर लगातार जलता है क्योंकि हवा बहती है, जो ईंधन प्रवाह नियंत्रक द्वारा नियंत्रित होती है।
- निरंतर जोर: निरंतर जोर मिसाइल को प्रभाव तक तेज और गतिशील रखता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- वायु-श्वास प्रणोदन: ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइज़र ले जाने के बजाय वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे ईंधन के लिए अधिक जगह मिलती है और मिसाइल रेंज का विस्तार होता है।
- निरंतर उच्च गति उड़ान: रॉकेट मोटर्स के विपरीत जो जल्दी से जलते हैं, एसएफडीआर निरंतर जोर प्रदान करता है, पूरे उड़ान में सुपरसोनिक गति बनाए रखता है।
- उच्च टर्मिनल ऊर्जा: अंतिम चरण में उच्च वेग बरकरार रखता है, प्रभाव बल में वृद्धि और तेज, युद्धाभ्यास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करने की संभावना है।
- एंड-गेम में अधिक गतिशीलता: निरंतर जोर लक्ष्य के पास तेज टालमटोल करने में सक्षम बनाता है, जिससे दुश्मन के जवाबी उपायों द्वारा अवरोधन मुश्किल हो जाता है।
- ड्रैग लॉस को कम करना और बेहतर रेंज: अनुकूलित वायु प्रवाह और निरंतर प्रणोदन ऊर्जा हानि को कम करता है, जिससे लंबी दूरी पर जुड़ाव की अनुमति मिलती है।
- सुपरसोनिक गति पर स्वदेशी दहन नियंत्रण: उच्च मैक संख्या पर स्थिर ईंधन-वायु दहन को घरेलू स्तर पर सफलतापूर्वक महारत हासिल की गई है, जो एक प्रमुख तकनीकी सफलता है।

अनुप्रयोगों:

- लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (BVRAAMs): लड़ाकू विमानों को उच्च मारने की प्रभावशीलता बनाए रखते हुए विस्तारित दूरी से दुश्मन के जेट विमानों को उलझाने में सक्षम बनाती हैं।
- वायु श्रेष्ठता और बीवीआर युद्ध लाभ: पायलटों को पहले हमला करने और सुरक्षित रूप से अलग होने की अनुमति देता है, जिससे दृश्य-सीमा से परे हवाई युद्ध में संतुलन बदल जाता है।
- उन्नत प्रणोदन का स्वदेशीकरण: विदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सात चक्र

संदर्भ:

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है - ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, जिसमें 100+ देशों की भागीदारी है, जो सात चक्रों के आसपास संरचित है और तीन सूत्रों द्वारा निर्देशित है: लोग, ब्रह्म, प्रगति।



भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सात चक्रों के बारे में:**यह क्या है?**

- सात चक्र विषयगत कार्य समूह हैं जो वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और समावेशी एआई के लिए कार्रवाई योग्य नीति, शासन और कार्यान्वयन मार्गों में तीन सूत्रों का अनुवाद करते हैं।

सात चक्र और उनका महत्व:

चक्र	यह क्यों मायने रखता है?
मानव पूंजी	बड़े पैमाने पर नौकरी विस्थापन के झटके को रोकता है, सुचारु कार्यबल परिवर्तन को सक्षम बनाता है, और भारत को समान और समावेशी विकास का समर्थन करने वाले वैश्विक एआई प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन	यह सुनिश्चित करता है कि एआई का लाभ महिलाओं, किसानों, अनौपचारिक श्रमिकों, दिव्यांगजनों और भाषाई अल्पसंख्यकों तक पहुंचे, एआई प्रणालियों में सामाजिक न्याय और समानता को शामिल करता है।
सुरक्षित और विश्वसनीय एआई	पारदर्शिता, जवाबदेही और पूर्वाग्रह शमन के माध्यम से जनता का विश्वास बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों या अधिकारों को कम किए बिना नवाचार की प्रगति हो।
विज्ञान	सहयोगात्मक और खुले विज्ञान के माध्यम से वैश्विक उत्तर-दक्षिण अनुसंधान विभाजन को कम करते हुए, स्वास्थ्य, जलवायु, ऊर्जा और कृषि में सफलताओं को तेज करता है।
लचीलापन, नवाचार और दक्षता	एआई विस्तार को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखित करता है, ऊर्जा-कुशल गणना को बढ़ावा देता है, और बड़े पैमाने पर एआई बुनियादी ढांचे के कार्बन पदचिह्न को कम करता है।
एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण	डेटा, कंप्यूट और मॉडल तक पहुंच का विस्तार करके, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और विकासशील देशों को बिग टेक प्रभुत्व से परे नवाचार करने में सक्षम बनाकर वैश्विक डिजिटल विभाजन को संबोधित करता है।
आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई	एआई क्षमता को कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, न्याय वितरण, उत्पादकता और समावेशी आर्थिक विकास में मापने योग्य विकास परिणामों में परिवर्तित करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौता**संदर्भ:**

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है, जो पारस्परिक बाजार पहुंच और टैरिफ पुनर्संरक्षण में एक बड़ी सफलता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में:**यह क्या है?**

- अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौता एक अस्थायी, परिणामोन्मुखी व्यापार ढांचा है जिसे टैरिफ, बाजार पहुंच और गैर-टैरिफ बाधाओं पर प्रारंभिक फसल प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि एक पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत जारी है।

उद्देश्य:

- पारस्परिक हितों के आधार पर पारस्परिक और संतुलित व्यापार स्थापित करना।
- वस्तुओं, कृषि, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना।
- आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना।
- टिकाऊ व्यापार नियमों के साथ एक व्यापक बीटीए का मार्ग प्रशस्त करने के लिए।

अंतरिम व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- भारत द्वारा टैरिफ उदारीकरण: भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और इथेनॉल उप-उत्पादों (डीडीजी), तिलहन, फल, नट्स, वाइन और स्पिरिट सहित कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा।



- अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ फ्रेमवर्क: अमेरिका चुनिंदा भारतीय निर्यातों पर शुरू में 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें सफल समापन पर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण और विमान के पुर्जों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर टैरिफ हटाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ से राहत: भारतीय विमान के पुर्जों, स्टील, एल्यूमीनियम से जुड़ी वस्तुओं और ऑटोमोटिव घटकों के लिए तरजीही टैरिफ-दर कोटा पर अमेरिकी धारा 232 टैरिफ को हटाना।
- उत्पत्ति के नियम: संयुक्त रूप से सहमत नियम यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार लाभ मुख्य रूप से भारत और अमेरिका को प्राप्त हो, जिससे तीसरे देश को धोखा दिया जा सके।
- गैर-टैरिफ बाधा (NTB) सुधार: भारत आयात लाइसेंसिंग और मानकों की मान्यता सहित चिकित्सा उपकरणों, ICT वस्तुओं और कृषि आयात में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- मानक और अनुरूपता सहयोग: दोनों पक्ष व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए तकनीकी नियमों, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं को संरेखित करेंगे।
- डिजिटल व्यापार प्रतिबद्धताएं: भेदभावपूर्ण डिजिटल व्यापार प्रथाओं को संबोधित करने और बीटीए के तहत महत्वाकांक्षी डिजिटल व्यापार नियमों के लिए एक मार्ग स्थापित करने के लिए समझौता।
- आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक सुरक्षा संरेखण: निर्यात नियंत्रण, निवेश जांच और तीसरे देशों की गैर-बाजार नीतियों का मुकाबला करने पर सहयोग।
- रणनीतिक खरीद और प्रौद्योगिकी व्यापार: भारत ने पांच वर्षों में 500 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा, विमान, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी (डेटा केंद्रों के लिए जीपीयू सहित) खरीदने की योजना बनाई है।

बी-रेडी आकलन

संदर्भ:

बिजनेस रेडी (बी-रेडी) 2026 मूल्यांकन में भारत को शामिल करने से भारत के व्यापार सुधार पथ पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बी-रेडी आकलन के बारे में:

बी-रेडी क्या है?

- विश्व बैंक समूह का बिजनेस रेडी (बी-रेडी) एक वैश्विक बेंचमार्किंग अभियान है जिसे अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहले की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अधिक पारदर्शी, व्यापक और आधुनिक कार्यप्रणाली से बदल देता है।
- 2020 में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) रिपोर्ट को बंद करने के बाद, विश्व बैंक ने 2024 में B-Ready असेसमेंट लॉन्च किया।



शामिल संगठन:

- विश्व बैंक समूह (WBG) द्वारा विकसित और प्रशासित
- विशेषज्ञ परामर्श और फर्म-स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा (विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण - डब्ल्यूबीईएस)

बी-रेडी का उद्देश्य:

- कारोबारी माहौल का मात्रात्मक और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन प्रदान करना।
- यह मूल्यांकन करने के लिए कि नियम और सार्वजनिक सेवाएं निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन कैसे करती हैं।
- समावेशी, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

बी-रेडी के तीन स्तंभ

- स्तंभ I - नियामक ढांचा
- व्यवसाय प्रवेश, संचालन और समापन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों का आकलन करता है।
- वैधानिक कानूनों (डी ज्यूर फ्रेमवर्क) पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्तंभ II – लोक सेवाएं

- सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे और संस्थागत सहायता का मूल्यांकन करता है।
- इसमें डिजिटल सिस्टम, लाइसेंसिंग प्राधिकरण, विवाद समाधान निकाय आदि शामिल हैं।

स्तंभ III - परिचालन दक्षता

- अनुपालन और वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन में आसानी के उपाय (वास्तव में)।
- सर्वेक्षणों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी फर्म-स्तरीय अनुभवों को कैप्चर करता है।

बी-रेडी की मुख्य विशेषताएं:

- जीवनचक्र-आधारित मूल्यांकन ढांचा: नियामक और बाजार स्थितियों की समग्र समझ सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण फर्म जीवनचक्र-प्रवेश, संचालन/विस्तार और विकास को कवर करने वाले दस विषयों पर व्यवसायों का मूल्यांकन करता है।
- व्यापक मूल्यांकन के लिए तीन-स्तंभ संरचना: नियामक ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और परिचालन दक्षता पर निर्मित, फर्म सर्वेक्षणों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन (वास्तविक) के साथ कानूनी प्रावधानों (डी ज्यू) को एकीकृत करना।
- क्रॉस-कटिंग थीम का एकीकरण: सभी विषयों में डिजिटल अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता और लिंग समावेशन को शामिल करता है - जो इसे आधुनिक आर्थिक शासन प्राथमिकताओं के साथ अरेखित करता है।
- दोहरी डेटा संग्रह पद्धति: वैधानिक सटीकता और जमीनी स्तर के यथार्थवाद दोनों को सुनिश्चित करने के लिए फर्म-स्तरीय सर्वेक्षणों (विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण) के साथ विशेषज्ञ परामर्श (कानून और विनियमों) को जोड़ती है।
- वार्षिक, पारदर्शी वैश्विक बैंचमार्किंग: विश्व बैंक समूह द्वारा आयोजित और वार्षिक रूप से प्रकाशित, यह बेहतर कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और व्यापक संस्थागत कवरेज के साथ पहले की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह लेता है।

आयुष्मान सहकार योजना**संदर्भ:**

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना के कार्यान्वयन और वित्त पोषण ढांचे के बारे में राज्यसभा में एक अपडेट प्रदान किया।

आयुष्मान सहकार योजना के बारे में:**यह क्या है?**

- आयुष्मान सहकार पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की स्थापना और विस्तार के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की एक समर्पित योजना है।

लॉन्ग:

- 2020 (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप एनसीडीसी द्वारा अधिसूचित)

मंत्रालय:

- एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित
- सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में

उद्देश्य:

- सहकारी समितियों के माध्यम से सस्ती, समग्र और समुदाय के स्वामित्व वाली स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।
- भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के अनुरूप आयुष और डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी को मजबूत करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- पात्र संस्थान: राज्य या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति अपने उप-नियमों में स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों के साथ पात्र है।
- व्यापक कवरेज: विविध स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे, आधुनिकीकरण, आयुष सेवाओं, डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, बीमा और कार्यशील पूंजी का समर्थन करता है।
- लचीली वित्तीय सहायता: वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर 8 वर्ष तक (1-2 वर्ष की अधिस्थगन के साथ) अवधि/निवेश ऋण प्रदान करता है।
- महिला प्रोत्साहन: समय पर पुनर्भुगतान अनुपालन के अधीन महिला-बहुल सहकारी समितियों को 1% ब्याज छूट प्रदान करता है।
- संरचित वित्त पोषण और सुरक्षा: परिभाषित संपार्श्विक/गारंटी तंत्र के साथ राज्य या प्रत्यक्ष एनसीडीसी मार्ग (90% ऋण तक) के माध्यम से वित्तपोषण।

महत्त्व:

- सहकारी संघवाद को मजबूत करता है: जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा देता है।
- स्वास्थ्य में सामुदायिक स्वामित्व: सेवा वितरण में सहभागी शासन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
- आयुष क्षेत्र को बढ़ावा: भारत के एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मॉडल के साथ अरेखित करते हुए चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा।

विकास इंजन के रूप में रचनात्मक उद्योग


संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बाद रचनात्मक उद्योग सुर्रिवियों में हैं, जिसमें 2030 तक एवीजीसी क्षेत्र में 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था और स्कूलों में 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की घोषणा की गई थी।

विकास इंजन के रूप में रचनात्मक उद्योगों के बारे में:

ऑरेंज इकोनॉमी क्या है?

- ऑरेंज इकोनॉमी (इवान ड्यूक और फेलिप बुड्रागो द्वारा गढ़ा गया एक शब्द) गतिविधियों के पारिस्थितिकी तंत्र को संदर्भित करता है जहां मूल्य मुख्य रूप से रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा से प्राप्त होता है।
- यह पारंपरिक विरासत (कला, शिल्प, त्योहार) और आधुनिक डिजिटल उद्योगों (गेमिंग, वीएफएक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म) के बीच की खाई को पाटता है। भारतीय संदर्भ में, इसे एक ऐसे युग की शुरुआत के रूप में सराहा जा रहा है जहां कल्पना एक व्यापार योग्य वैश्विक वस्तु है।



भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था (2024-26) पर मुख्य आँकड़े:

- क्षेत्रीय मूल्यांकन: मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र 2024 में लगभग ₹2.5 ट्रिलियन (बिलियन) तक पहुंच गया, जिसके 2027 तक ₹3.06 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- रोजगार इंजन: यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 मिलियन से अधिक आजीविका का समर्थन करता है, जिसमें रचनात्मक व्यवसाय गैर-रचनात्मक भूमिकाओं की तुलना में लगभग 88% अधिक भुगतान करते हैं।
- निर्यात वृद्धि: 2023 में रचनात्मक सेवाओं के निर्यात में 20% की वृद्धि हुई, जिसने पारंपरिक आईटी से परे भारत की सेवा बास्केट में विविधता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- गेमिंग विस्फोट: भारत अब दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजारों में से एक है, जिसका राजस्व ₹232 बिलियन है और लगभग 500 मिलियन गेमर्स का उपयोगकर्ता आधार है।
- वीएफएक्स तीव्रता: आधुनिक भारतीय ब्लॉकबस्टर अब कुल उत्पादन लागत का 25-30% तक विशेष रूप से दृश्य प्रभावों के लिए आवंटित करते हैं।

विकास इंजन के रूप में रचनात्मक अर्थव्यवस्था:

- युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन: AVGC-XR क्षेत्र एक श्रम-गहन डिजिटल उद्योग है जो गैर-मेट्रो क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं को अवशोषित करता है।
- उदाहरण के लिए, 2030 तक 20 लाख नई नौकरियों के सरकार के अनुमान ने पुणे और इंदौर जैसे टियर -2 शहरों में निजी डिजाइन और एनीमेशन स्टूडियो का तेजी से विस्तार किया है।
- सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: भारतीय सामग्री का निर्यात वैश्विक आख्यानों को आकार देता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण के लिए प्रमुख पर्यटन केंद्रों में बदल दिया है।
- शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर गुणक प्रभाव: लाइव मनोरंजन और त्योहार आतिथ्य, परिवहन और स्थानीय खुदरा को प्रोत्साहित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2025 के अंत में अहमदाबाद और नवी मुंबई में बड़े पैमाने पर स्टेडियम संगीत कार्यक्रमों में स्थानीय होटल बुकिंग और अल्पकालिक गिग रोजगार में 40% की वृद्धि देखी गई।
- तकनीकी स्पिलओवर: गेमिंग और VFX में नवाचारों का उपयोग अक्सर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रक्षा (डिजिटल ट्विन्स) में किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, भारतीय एवीजीसी कंपनियां अब भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए इमर्सिव प्रशिक्षण सिमुलेशन बनाने के लिए अवास्तविक इंजन (मूल रूप से खेलों के लिए) का उपयोग कर रही हैं।
- अवसर का लोकतंत्रीकरण: डिजिटल प्लेटफॉर्म दूरदर्शन के क्षेत्रों के रचनाकारों को सीधे अपनी प्रतिभा का मुद्राकरण करने की अनुमति देते हैं।
- उदाहरण के लिए, डीडी नेशनल पर क्रिएटर्स कॉर्नर पहल ने ग्रामीण भारत के माइक्रो-इन्प्लुएंसर्स को राष्ट्रीय विज्ञापन इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक मुख्यधारा में लाया है।

अब तक की गई प्रमुख पहलें:

- वेक्स समित (2025): वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समित ने स्क्रिप्ट और संगीत अधिकारों के लिए एक वैश्विक बाजार (वेक्स बाजार) बनाया।

- आईआईसीटी मुंबई: भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना एवीजीसी-एक्सआर कौशल को संस्थागत बनाने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई थी।
- कंटेंट क्रिएटर लैब्स: बजट 2026 में छात्रों को डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जल्दी परिचित कराने के लिए 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- क्रिएट इन इंडिया चैलेंज: 33 श्रेणियों में एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज जो विजेताओं को टोकियो और मैड्रिड सांस्कृतिक उत्सवों जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों से जोड़ता है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ:

- प्लेटफॉर्म ट्रेप: क्रिएटर्स वैश्विक एल्गोरिदम पर अत्यधिक निर्भर हैं जो पारदर्शिता के बिना उन्हें विमुद्रीकृत या शैंडोबैंक कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, वैश्विक शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में नीतिगत बदलाव के कारण कई भारतीय माइक्रो-इन्फ्लुएंसरों के राजस्व में अचानक 30% की गिरावट आई।
- आईपी फाइनेंसिंग गैप: क्रिएटिव एमएसएमई बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने के लिए भौतिक संपत्ति (मशीनरी/भूमि) की कमी होती है।
- उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में एनिमेशन स्टूडियो अक्सर उच्च-ब्याज वाले निजी ऋण पर भरोसा करते हैं क्योंकि बैंक अभी तक डिजिटल वर्कों को वैध संपार्श्विक के रूप में पूरी तरह से मान्यता नहीं देते हैं।
- कौशल-उद्योग बेमेल: कई स्नातक जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है लेकिन मौलिक कहानी कहने और डिजाइन सिद्धांतों की कमी है।
- उदाहरण के लिए 2026 IGDC (इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस) में उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि भारत में बटन-पुशर हैं, लेकिन मूल गेम डिजाइनरों की कमी है।
- बुनियादी ढांचे की बाधाएं: छोटे स्वतंत्र स्टूडियो के लिए हाई-एंड रेंडरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग लागत निषेधात्मक बनी हुई है।
- उदाहरण के लिए, छोटे भारतीय स्टूडियो अभी भी किफायती स्थानीय उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) समूहों की कमी के कारण विदेशी सर्वरों को जटिल सीजीआई रेंडरिंग को आउटसोर्स करते हैं।
- लाइव इवेंट के लिए नियामक जटिलता: आयोजकों को अक्सर एक ही कॉन्सर्ट के लिए 10-15 अलग-अलग मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिससे देरी और भ्रष्टाचार होता है।
- उदाहरण के लिए, 2026 की शुरुआत में नियोजित कई अंतरराष्ट्रीय संगीत समारोहों को कथित तौर पर बहु-एजेंसी स्थानीय अनुमतियों को नेविगेट करने की जटिलता के कारण कम कर दिया गया था।

आगे की राह:

- IP-समर्थित ऋण को औपचारिक बनाना: संस्थागत ऋण के लिए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने के लिए एक ढांचा बनाने के लिए RBI के साथ सहयोग करें।
- राष्ट्रीय एवीजीसी नीति कार्यान्वयन: सभी भारतीय राज्यों में रचनात्मक समूहों के लिए समान प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए मॉडल राज्य नीति को अंतिम रूप देना।
- एआई-नेटिव क्रिएटिव टूल्स: सामग्री उत्पादन और वैश्विक स्थानीयकरण की लागत को कम करने के लिए एनीमेशन और डबिंग के लिए घरेलू एआई टूल में निवेश करें।
- आयोजनों के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस: संगीत समारोहों और त्योहारों के लिए अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावित LEDC (लाइव एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट सेल) का संचालन करें।
- मूल आईपी पर ध्यान दें: हॉलीवुड के बैक-ऑफिस (आउटसोर्सिंग) से मूल भारतीय आईपी के निर्माता में बदलाव करें जिसे विश्व स्तर पर लाइसेंस दिया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एक प्रमुख ऑरेंज इकोनॉमी में भारत का परिवर्तन एक रणनीतिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है जहां कल्पना को एक स्केलेबल आर्थिक इंजन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कक्षा कौशल और वैश्विक बाजार पहुंच के बीच की खाई को पाटकर, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि इसका जनसांख्यिकीय लाभार्थ एक रचनात्मक लाभार्थ में तब्दील हो जाए। अगले दशक में क्रिएट इन इंडिया टैग कैलिफोर्निया में डिजाइन की गई गुणवत्ता के साथ विश्व स्तर पर पर्याय बन जाएगा।

पीएम राहत योजना

संदर्भ:

सरकार ने गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार) शुरू किया है।

पीएम राहत योजना के बारे में:

यह क्या है?

- पीएम राहत एक राष्ट्रीय कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना है, जो दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के



लिए प्रति सड़क दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का वित्तीय कवरेज प्रदान करती है, जिसमें समय पर गोल्डन ऑवर हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

शामिल संगठन:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH): नीति निरीक्षण; इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकरण।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए): लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस 2.0) के माध्यम से दावों का प्रसंस्करण।

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता की कमी के कारण कोई जान न जाए।
- भारत के संरचित आपातकालीन प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
- अस्पतालों को वित्तीय निश्चितता प्रदान करना, निर्बाध उपचार को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- कैंशलेस कवरेज: दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के लिए प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक।
- गोल्डन ऑवर फोकस: तेजी से अस्पताल तक पहुंच के लिए 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण।
- स्थिरीकरण सिडकी: 24 घंटे (गैर-जीवन-धमकाने) और 48 घंटे (जीवन-धमकी देने वाले मामले)।
- डिजिटल एकीकरण: एंड-टू-एंड दावा प्रबंधन के लिए eDAR (MoRTH) और TMS 2.0 (NHA) के बीच निर्बाध लिंकेज।
- पुलिस प्रमाणीकरण: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 24-48 घंटों के भीतर अनिवार्य पुष्टि।
- फंडिंग तंत्र: मोटर वाहन दुर्घटना कोष (एमवीएएफ) के माध्यम से, बीमा योगदान के माध्यम से बीमित मामले, बजटीय सहायता के माध्यम से बीमाकृत/हित एंड रन।
- समयबद्ध भुगतान: राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित दावों का भुगतान 10 दिनों के भीतर किया जाता है।
- शिकायत निवारण: जिला कलेक्टर/डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण।

महत्व:

- भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के उच्च बोझ को संबोधित किया, जहां लगभग 50 प्रतिशत मौतों को समय पर उपचार के साथ रोका जा सकता है।
- तत्काल अस्पताल समन्वय को सक्षम करके अच्छे सामरी (राह-वीर) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।
- एकीकृत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा और सड़क सुरक्षा में डिजिटल शासन को बढ़ाता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर, गुजरात में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का शुभारंभ किया।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बारे में:

यह क्या है?

- सीबीडीसी-आधारित पीडीएस एक डिजिटल रूप से सक्षम राशन वितरण प्रणाली है जो सुरक्षित और पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एकीकृत करती है।

शामिल संगठन:

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - पीडीएस सुधारों और कार्यान्वयन की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) - केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (डिजिटल रुपया) का जारीकर्ता।

उद्देश्य:

- राशन वितरण में भ्रष्टाचार और लीकेज को खत्म करना।
- कल्याण वितरण में "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के दृष्टिकोण को संचालित करना।
- सब्सिडी वाले खाद्यान्नों तक सुरक्षित, कुशल और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- गांधीनगर में लॉन्च किया गया: इस प्रणाली को पहले कार्यान्वयन के रूप में गांधीनगर, गुजरात में शुरू किया गया है।
- डिजिटल इंडिया से जुड़ा: राशन वितरण प्रक्रिया को व्यापक डिजिटल इंडिया ढांचे के साथ एकीकृत किया गया है।
- लेन-देन में सीबीडीसी का उपयोग: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग राशन वितरण तंत्र के भीतर किया जाता है।



- वितरण के लिए अन्नपूर्णा मशीन: एक स्वचालित मशीन सटीकता के साथ 35 सेकंड में 25 किलो खाद्यान्न वितरित करती है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करता है: डिजिटल प्रक्रियाओं का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- राष्ट्रव्यापी विस्तार की योजना: इस प्रणाली को अगले 3-4 वर्षों में धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

महत्त्व:

- कल्याणकारी वितरण प्रणालियों में डिजिटल इंडिया को मजबूत करता है।
- लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों की सेवा करने में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाता है।
- राजकोषीय रिसाव को कम करता है और कल्याणकारी योजनाओं में जनता के विश्वास में सुधार करता है।

सरकार ने SAHI और BODH पहल शुरू की


संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में SAHI और BODH पहल का शुभारंभ किया।

SAHI और BODH पहल के बारे में सरकार ने लॉन्च किया:

यह क्या है?

- भारत सरकार ने दो प्रमुख डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे पेश किए हैं:
- SAHI (भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रणनीति)
- BODH (हेल्थ AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म)
- साथ में, उनका लक्ष्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक सुरक्षित, पारदर्शी, जवाबदेह और साक्ष्य-आधारित एआई इकोसिस्टम बनाना है।
- नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)



SAHI पहल के बारे में:

SAHI क्या है?

- एसाएचआई स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार तरीके से अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय शासन ढांचा और रोडमैप है।
- यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई प्रौद्योगिकियों के नैतिक, पारदर्शी और जन-केंद्रित उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले एक नीति कम्पास के रूप में कार्य करता है।

SAHI का उद्देश्य:

- स्वास्थ्य सेवा में जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना: स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई सिस्टम की नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तैनाती सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करें: एआई उपकरणों को इस तरह से एकीकृत करें जो डेटा गोपनीयता की रक्षा करता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

SAHI की मुख्य विशेषताएं:

- शासन ढांचा: समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एआई को अपनाने और विनियमन के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश स्थापित करता है।
- नैतिक एआई मानक: दुरुपयोग या पूर्वाग्रह को रोकने के लिए सहमति-आधारित डेटा उपयोग, एल्गोरिदम में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को अनिवार्य करता है।
- इंटरऑपरेबिलिटी फोकस: यह सुनिश्चित करता है कि एआई समाधान एबीडीएम प्लेटफॉर्म जैसे भारत के मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत हों।
- बहु-हितधारक सहयोग: जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- नीति रोडमैप: सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।

BODH पहल के बारे में:

BODH क्या है?

- बीओडीएच एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने पर तैनाती से पहले स्वास्थ्य सेवा में एआई समाधानों का मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे आईआईटी कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है।

बोध का उद्देश्य:

- सुरक्षित और विश्वसनीय AI परिणियोजन सुनिश्चित करें: बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले सटीकता, सुरक्षा और नैदानिक मजबूती के लिए स्वास्थ्य AI उपकरणों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण करें।
- निष्पक्ष और स्केलेबल नवाचार को बढ़ावा देना: पूर्वाग्रह को कम करने और आबादी में सामान्यीकरण को बढ़ाने के लिए वास्तविक दुनिया के अनाम डेटासेट का उपयोग करें।

BODH की मुख्य विशेषताएं:

- ओपन डेटा बेंचमार्किंग: व्यापक प्रयोज्यता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विविध, गुमनाम वास्तविक दुनिया के स्वास्थ्य डेटासेट का उपयोग करके एआई सिस्टम का मूल्यांकन करता है।
- प्रदर्शन सत्यापन: व्यावहारिक स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों के तहत AI उपकरणों की सटीकता, स्थिरता और परिचालन विश्वसनीयता को मापता है।
- पूर्वाग्रह और जोखिम मूल्यांकन: तैनाती से पहले असमान परिणामों को रोकने के लिए एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और अनपेक्षित जोखिमों का पता लगाता है।
- नैदानिक प्रासंगिकता परीक्षण: यह सत्यापित करता है कि एआई समाधान चिकित्सा मानकों के अनुरूप हैं और वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य को संबोधित करते हैं।
- मानकीकृत मूल्यांकन ढांचा: स्वास्थ्य एआई प्रणालियों के लिए समान गुणवत्ता मानक बनाने के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्किंग मानदंड स्थापित करता है।

भारत के एआई-उद्यमी**संदर्भ:**

NITI आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में AI-प्रेन्योर ऑफ इंडिया लॉन्च किया।

भारत के AI-उद्यमियों के बारे में:**भारत के AI-प्रेन्योर क्या हैं?**

- एआई-प्रेन्योर ऑफ इंडिया एक प्रमुख कॉफी टेबल बुक है जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने वाले 45 अग्रणी एआई स्टार्टअप की यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है।
- यह एआईएम की इनोवेशन फॉर यू थ्रुखला का 7वां संस्करण है और भारत के बढ़ते डीप-टेक और एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है।

पहल का उद्देश्य:

- उद्देश्य-संचालित एआई नवाचार का प्रदर्शन करें: राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और वास्तविक सामाजिक जरूरतों के अनुरूप एआई समाधान बनाने वाले स्टार्टअप पर प्रकाश डालें।
- भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक एआई योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना: वैश्विक मंच पर समावेशी, नैतिक और प्रभाव-उन्मुख एआई उद्यमिता को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं:

- संस्थापक-प्रथम कहानी सुनाना: शुद्ध तकनीकी आख्यानों से परे बढ़ते हुए, उद्यमियों की यात्राओं, चुनौतियों और प्रेरणाओं को पकड़ता है।
- क्षेत्रीय विविधता: 30+ क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों की सुविधा है, जो भारत के नवाचार परिदृश्य की व्यापकता को दर्शाता है।
- राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व: मेट्रो हब से परे कई राज्यों में अटल इनव्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से पोषित स्टार्टअप का प्रदर्शन किया गया।
- उद्देश्य-आधारित नवाचार: स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता, शिक्षा और शासन में वास्तविक दुनिया के मुद्दों को हल करने वाले एआई समाधानों पर जोर देता है।
- नीति-इकोसिस्टम लिंकेज: सार्वजनिक इनव्यूबेशन प्लेटफॉर्म और निजी एआई इनोवेटर्स के बीच तालमेल प्रदर्शित करता है।

महत्त्व:

- सामाजिक भलाई के लिए एआई को आगे बढ़ाता है: समावेशी विकास के लिए एक उपकरण के रूप में एआई का उपयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- नवाचार बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता को मजबूत करता है: एक मजबूत, मिशन-संचालित स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में एआईएम की भूमिका पर प्रकाश डालता है।



**AI
IMPACT
SUMMIT**
भारत 2026 INDIA

नई दिल्ली घोषणा – एआई इम्पैक्ट समिट 2026

संदर्भ:

नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा का समर्थन किया।

- यह ऐतिहासिक समझौता "सभी के लिए एआई" के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करता है, जो समान पहुंच, नैतिक शासन और सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

नई दिल्ली घोषणा- एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- नई दिल्ली घोषणा एक व्यापक, बहु-राष्ट्र सहमति दस्तावेज है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और तैनाती को नियंत्रित करना है।
- "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी) के दर्शन पर आधारित, यह अंतर्राष्ट्रीय एआई सहयोग के लिए एक गैर-बाध्यकारी रोडमैप के रूप में कार्य करता है।
- उद्देश्य: घोषणा यह सुनिश्चित करके एआई विभाजन को पाटने का प्रयास करती है कि कंप्यूटिंग शक्ति और डेटा जैसे मूलभूत एआई संसाधन कुछ देशों में केंद्रित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए लोकतांत्रिक हैं।



घोषणा की मुख्य विशेषताएं:

- सात स्तंभ (चक्र) ढांचा: एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, सुरक्षित एआई, मानव पूंजी विकास, विज्ञान के लिए एआई और लचीली एआई प्रणालियों सहित सात स्तंभों के आसपास बनाया गया है।
- वैश्विक सहयोगी प्लेटफॉर्म: साझा सीखने और नवाचार को सक्षम करने के लिए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड एआई मन्स और एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म जैसी पहलों का शुभारंभ।

1. वैश्विक एआई प्रभाव कॉमन्स

- देशों को सफल एआई समाधानों को साझा करने और दोहराने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्वैच्छिक वैश्विक मंच।
- यह विकास प्रभाव को अधिकतम करने के लिए क्षेत्रों में सिद्ध एआई उपयोग-मामलों को अपनाने और स्केलिंग को सक्षम बनाता है।

2. विश्वसनीय एआई कॉमन्स

- एक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी सहयोगी भंडार जो एआई उपकरणों, बेंचमार्क, तकनीकी संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लाता है।
- यह हितधारकों को विभिन्न राष्ट्रीय संदर्भों के अनुकूल सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने में मदद करता है।

3. विज्ञान संस्थानों के लिए एआई का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क

- एआई अनुसंधान बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता को पूल करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थानों को जोड़ने वाला एक स्वैच्छिक सहयोगी नेटवर्क।
- इसका उद्देश्य देशों में एआई-सक्षम अनुसंधान सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिक नवाचार में तेजी लाना है।
- एआई चार्टर का लोकतांत्रिक प्रसार: मूलभूत एआई संसाधनों तक सरती पहुंच को बढ़ावा देता है और स्थानीय रूप से प्रासंगिक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।
- विश्वसनीय और सुरक्षित एआई पर ध्यान केंद्रित करना: सुरक्षित एआई परिनियोजन के लिए स्वैच्छिक तकनीकी मानकों, बेंचमार्क और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
- मानव पूंजी और पुनः कौशल: एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में रीस्किलिंग के लिए एआई कार्यबल विकास प्लेबुक और मार्गदर्शक सिद्धांतों का परिचय देता है।
- ऊर्जा-कुशल और लचीला एआई: ऊर्जा और संसाधन दबाव को कम करने के लिए टिकाऊ एआई बुनियादी ढांचे और कुशल प्रणालियों पर जोर देता है।
- बहु-हितधारक और संप्रभुता-आधारित दृष्टिकोण: राष्ट्रीय कानूनों और नीतिगत ढांचे के संबंध में वैश्विक सहयोग को संतुलित करता है।

महत्व:

- वैश्विक शासन मील का पत्थर: एआई पर सबसे बड़ी बहुपक्षीय सहमतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 89 देश साझा एआई सिद्धांतों पर संरेखित हैं।

- एआई कूटनीति में भारत का नेतृत्व: भारत को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के दर्शन के माध्यम से समावेशी एआई शासन को आकार देने वाली एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करता है।

अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल

संदर्भ:

भारत ने एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर, ओडिशा से इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) अग्नि-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे इसकी परिचालन तत्परता की पुष्टि हुई।

अग्नि-3 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में:

यह क्या है?

- अग्नि-3 एक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) है जो 3,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य तक रणनीतिक पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। यह अग्नि मिसाइल श्रृंखला के तहत भारत के भूमि-आधारित परमाणु निवारक का एक महत्वपूर्ण चरण है।

विकसित

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
- सामरिक बल कमान के तहत परिचालन रूप से तैनात

उद्देश्य

- लंबी दूरी के प्रतिकूल खतरों के खिलाफ विश्वसनीय न्यूनतम निवारण सुनिश्चित करना।
- भारत को दूसरी बार हमला करने की विश्वसनीय क्षमता प्रदान करना।
- छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणालियों से परे रणनीतिक गहराई को मजबूत करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- रेंज: ~ 3,000 किमी।
- प्रकार: इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
- लॉन्च प्लेटफॉर्म: रोड-मोबाइल लॉन्चर (पहले परीक्षण किए गए कनस्ट्रिक्ट वेरिएंट)।
- पेलोड क्षमता: पारंपरिक या परमाणु वारहेड।
- मार्गदर्शन: उच्च सटीकता के साथ उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन।
- प्रणोदन: दो-चरण ठोस-ईंधन मिसाइल।
- परिचालन सत्यापन: सभी तकनीकी और परिचालन मापदंडों को 2026 परीक्षण में सफलतापूर्वक मान्य किया गया।

महत्व

- रणनीतिक प्रतिरोध: विस्तारित क्षेत्रीय क्षेत्रों में खतरों को रोकने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाता है।
- बल की तत्परता: परिचालन कमान के तहत भारत की परमाणु वितरण प्रणालियों की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है।
- मिसाइल स्पेक्ट्रम कवरेज: अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-4 और अग्नि-5 का पूरक है, जो 700-5,000 किमी रेंज बैंड को कवर करता है।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना

संदर्भ:

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन पूरा कर लिया है, जिसमें 21.96 लाख महिला किसान शामिल हैं।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में:


यह क्या है?

- पूरे भारत में 310,000 नए एफपीओ बनाने और उनका पोषण करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर आय और बाजार शक्ति के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को सामूहिक करने में सक्षम बनाती है।

लॉन्च किया गया: 29 फरवरी 2020

कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए):

- लघु किसानों का कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)



- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)

उद्देश्य: किसान समूहों को मजबूत करके, इनपुट, ऋण, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों तक पहुंच में सुधार करके और किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाकर एक स्थायी, आय-उन्मुख कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वलस्टर और क्मोडिटी दृष्टिकोण: एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के साथ संरेखित उत्पादन-वलस्टर-आधारित गठन।

वित्तीय सहायता:

- हैंडहोल्डिंग के लिए ₹18 लाख/एफपीओ (3 वर्ष) तक
- ₹15 लाख/एफपीओ (₹2,000 प्रति किसान) तक का मिलान इक्विटी अनुदान
- प्रति एफपीओ परियोजना ऋण ₹2 करोड़ तक की ऋण गारंटी
- बाजार संबंध: NAFED के नेतृत्व में आगे लिंकेज और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण
- क्षमता निर्माण: बर्ड (लखनऊ) और लिनैक (गुरुग्राम) के माध्यम से संरचित प्रशिक्षण
- समावेशन फोकस: महिला किसानों की मजबूत भागीदारी और आकांक्षी जिलों का कवरेज

महत्व:

- छोटे और सीमांत किसानों (86%) को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सशक्त बनाता है।
- उच्च आय और कम लागत: साक्ष्य एफपीओ चैनलों के माध्यम से ~22% अधिक मूल्य प्राप्ति और ~31% कम विपणन लागत दिखाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 75वीं वर्षगांठ

संदर्भ:

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवा के सात दशकों को विहित करते हुए अपने 75 वें स्थापना वर्ष समारोह की शुरुआत की है।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment, Government of India

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 75वीं वर्षगांठ के बारे में:

यह क्या है?

- ईएसआईसी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा निकाय है।
- यह ईएसआई योजना का प्रबंधन करता है, जो कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु के खिलाफ व्यापक चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

स्थापना:

- अधिनियम: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में प्रख्यापित किया गया था।
- उद्घाटन: यह योजना आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी, 1952 को शुरू की गई थी (ईएसआईसी स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है)।

इतिहास:

- उत्पत्ति: भारत में सामाजिक बीमा पर पहला दस्तावेज प्रोफेसर बी.पी. आडारकर द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर रिपोर्ट (1944) था, जिन्हें छोटा बेवरिज के नाम से जाना जाता था।
- लॉन्च: कानपुर और दिल्ली में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया, जो इस योजना के पहले मानद बीमित व्यक्ति थे।
- नेतृत्व: डॉ. सीएल कटियाल ने ईएसआईसी के पहले महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

महत्वपूर्ण कार्य:

- चिकित्सा लाभ: बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को पूर्ण चिकित्सा देखभाल (प्राथमिक से तृतीयक तक) प्रदान करता है।
- बीमारी और मातृत्व लाभ: प्रमाणित बीमारी या गर्भावस्था की अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान के लिए नकद मुआवजा।
- विकलांगता लाभ: रोजगार की चोट से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता के लिए मासिक पेंशन।
- आश्रितों का लाभ: एक बीमित व्यक्ति के आश्रितों को वित्तीय सहायता जो रोजगार से संबंधित चोट या व्यावसायिक बीमारी के कारण मर जाता है।
- निवारक देखभाल: नए श्रम संधिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है।

महत्त्व:

- यह भारत की सामाजिक सुरक्षा वास्तुकला की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जो परिवार के कमाने वालों की रक्षा करके गरीबी को रोकता है।
- एनएचए (आयुष्मान भारत के साथ अभिसरण) और एनएबीएल (गुणवत्ता मानकों) के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से, यह स्वास्थ्य सेवा वितरण का आधुनिकीकरण कर रहा है।

दोहरा कराधान बचाव कन्वेंशन (DTAC)**संदर्भ:**

भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के साथ संरेखित करने के लिए अपने 1992 के दोहरे कराधान से बचने वाले कन्वेंशन (डीटीएसी) को अद्यतन करने के लिए एक संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

दोहरे कराधान से बचाव कन्वेंशन (DTAC) के बारे में:**यह क्या है?**

- दोहरा कराधान परिहार कन्वेंशन (जिसे डीटीए या कर संधि के रूप में भी जाना जाता है) दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है।
- इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक ही आय पर उस देश में कर नहीं लगाया जाता है जहां यह अर्जित किया जाता है (स्रोत देश) और वह देश जहां करदाता रहता है (निवासी देश)।

**यह काम किस प्रकार करता है?**

कन्वेंशन आय के प्रकार के आधार पर दो अनुबंधित देशों के बीच कर लगाने के अधिकार आवंटित करता है। यह आमतौर पर राहत प्रदान करने के लिए दो मुख्य तरीकों का उपयोग करता है:

- छूट विधि: आय पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है और दूसरे में पूरी तरह से छूट दी जाती है।
- टैक्स क्रेडिट विधि: दोनों देशों में आय पर कर लगाया जाता है, लेकिन निवासी देश करदाता को स्रोत देश में पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है।

संशोधित भारत-फ्रांस डीटीएसी की मुख्य विशेषताएं:

- पूंजीगत लाभ कराधान: उस देश को पूर्ण कर अधिकार प्रदान करता है जहां एक कंपनी अपने शेयरों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले लाभ के लिए निवासी (स्रोत राज्य) है।
- संशोधित लाभांश दरें: प्लैट 10% दर को विभाजित दर से बदल देता है: कंपनी की पूंजी का कम से कम 10% रखने वालों के लिए 5% और अन्य सभी मामलों के लिए 15%।
- एमएफएन वलॉज विलोपन: औपचारिक रूप से मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (एमएफएन) खंड को हटा देता है, व्याख्यात्मक विवादों को समाप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संधि लाभ विशिष्ट सहमत शर्तों तक सीमित हैं।
- BEPS एकीकरण: बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर परिहार को रोकने के लिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट (MLI) के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- उन्नत सहयोग: सूचना के आदान-प्रदान के प्रावधानों को अद्यतन करता है और राजकोषीय चोरी से निपटने के लिए करों के संग्रह में सहायता पर एक नया लेख पेश करता है।
- सेवा स्थायी प्रतिष्ठान (पीई): सेवा पीई जोड़कर स्थायी प्रतिष्ठान के दायरे का विस्तार करता है और अंतरराष्ट्रीय मॉडल के साथ तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की परिभाषा को संरेखित करता है।

महत्त्व:

- एक स्पष्ट और पूर्वानुमानित कर व्यवस्था प्रदान करके, यह भारत और फ्रांस को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाता है।
- एमएफएन वलॉज को हटाना और शेयरों पर टैक्स लगाने के अधिकारों का स्पष्टीकरण बड़े पोर्टफोलियो निवेशकों और वैश्विक निगमों के लिए बहुत आवश्यक कानूनी निश्चितता प्रदान करता है।
- सूचना के आदान-प्रदान के लिए अद्यतन मानक दोनों सरकारों को अवैध वित्तीय गतिविधियों और लाभ स्थानांतरण को ट्रैक करने और रोकने में मदद करते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने एनएसआईसी को अनुसूची 'ए' श्रेणी सीपीएसई में अपग्रेड किया

संदर्भ:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए इसे अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में अपग्रेड कर दिया है।

MSME मंत्रालय ने NSIC को अनुसूची 'A' श्रेणी में अपग्रेड करने के बारे में CPSE:

श्रेणी सीपीएसई क्या हैं?

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वे कंपनियां हैं जहां केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है।
- प्रबंधन और वेतन संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) इन संस्थाओं को चार अलग-अलग अनुसूचियों में वर्गीकृत करता है: ए, बी, सी और डी।

शासी अधिनियम और प्राधिकरण:

- शासी अधिनियम: अधिकांश सीपीएसई को कंपनी अधिनियम, 2013 (या 1956 अधिनियम जैसे पिछले संस्करण) के तहत निगमित किया जाता है या संसद के विशिष्ट अधिनियमों के माध्यम से वैधानिक निगम के रूप में बनाया जाता है।
- प्रशासनिक प्राधिकरण: वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वर्गीकरण और नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है।

इतिहास:

- वर्गीकरण प्रणाली 1965 में 'शीर्ष पदों पर समिति' की सिफारिशों के बाद शुरू की गई थी।
- इसे संचालन के आकार और रणनीतिक महत्व के आधार पर एक पदानुक्रम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, मुख्य रूप से बोर्ड-स्तरीय अधिकारियों (सीएमडी, निदेशकों) के वेतनमान और वरिष्ठता को निर्धारित करने के लिए।

चार श्रेणियां:

- अनुसूची A: उच्चतम स्तर, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व वाले बड़े आकार के उद्यम शामिल हैं।
- अनुसूची बी: मध्यम आकार के उद्यम।
- अनुसूची सी: छोटे उद्यम या विशिष्ट संचालन वाले उद्यम।
- अनुसूची डी: सबसे छोटा स्तर, जिसका उपयोग अक्सर नए सीपीएसई के प्रारंभिक वर्गीकरण के लिए किया जाता है।

वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं:

1. मात्रात्मक पैरामीटर: मूल्यांकन निवेश, नियोजित पूंजी, शुद्ध बिक्री, कर से पहले लाभ और कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन पर आधारित है।
2. गुणात्मक कारक: कारकों में राष्ट्रीय महत्व, समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी का स्तर और विस्तार की संभावनाएं शामिल हैं।
3. शासन संरचना: उच्च कार्यक्रम (जैसे 'ए') आमतौर पर अधिक मजबूत बोर्ड संरचना और उच्च रैंकिंग वाले कार्यकारी पदों की अनुमति देते हैं।
4. वेतन लिंक: अनुसूची सीधे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बोर्ड के अन्य सदस्यों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान निर्धारित करती है।

अपग्रेड का महत्व:

- अनुसूची 'ए' में जाने से संगठन को अधिक वित्तीय और परिचालन शक्तियां मिलती हैं, जिससे बड़ी परियोजनाओं के लिए लगातार मंत्रिस्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता कम हो जाती है।
- इकाई के तुलनात्मक लाभ और वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता को दर्शाता है।

एलसीएच प्रचंड

संदर्भ:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जैसलमेर वायु सेना स्टेशन में स्वदेशी एलसीएच प्रचंड में 25 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी, जो भारत के रक्षा कौशल को देखने के लिए लड़ाकू विमान में उनकी तीसरी बड़ी उड़ान थी।

LCH प्रचंड के बारे में:

यह क्या है?

- प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और युद्ध के मैदान के वातावरण में आक्रामक भूमिकाओं के लिए बनाया गया है।
- यह एक बहु-भूमिका वाला हल्का हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिशन में सक्षम है, जिसमें एंटी-आर्मर और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन शामिल हैं।



विकसित:

- लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

उद्देश्य:

- प्रचंड परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य हिमालय (सियाचिन ग्लेशियर और लेह) के अनूठे इलाके में काम करने में सक्षम एक उच्च ऊंचाई वाला लड़ाकू मंच प्रदान करना है, जहां भारी हमले वाले हेलीकॉप्टर अक्सर पतली हवा के कारण संघर्ष करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रदर्शन: यह 5,000 मीटर (16,400 फीट) से अधिक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, जो दुनिया में किसी भी हमले वाले हेलीकॉप्टर के लिए सबसे ऊंचा है।
- गति और सीमा: 268 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति और 550 किमी की लड़ाकू सीमा का दावा करता है।
- चुपके और उत्तरजीविता: इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस), क्रैशवर्थ संरचना और एक इन्फ्रारेड (आईआर) सप्रेसर है जो इसके हीट सिग्नेचर को कम करता है।
- हथियार: 20 मिमी बुर्ज गन, 70 मिमी रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एटीएएम) और एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (एटीजीएम) से लैस।
- उन्नत तकनीक: इसमें एक आधुनिक ग्लास कॉकपिट, हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले (एचएमडी) और एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सुइट शामिल है।

महत्व:

- ₹62,700 करोड़ की 156 इकाइयों के लिए हाल ही में अनुबंध के साथ, यह रक्षा में भारत की आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) पहल को मजबूत करता है।
- यह दुनिया का एकमात्र हमला हेलीकॉप्टर है जो काफी हथियार भार के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है, जो सीमा संघर्षों में एक बड़ी बढ़त प्रदान करता है।

भारत के औद्योगिक गलियारे**संदर्भ:**

केंद्रीय बजट 2026-27 ने दुर्गापुर में एक प्रमुख नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे की घोषणा करके और चल रही परियोजनाओं के लिए एनआईसीडीआईटी को 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करके भारत के बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को गति दी है।

भारत के औद्योगिक गलियारों के बारे में:**यह क्या है?**

- औद्योगिक गलियारे रैखिक विकास क्षेत्र हैं जिन्हें नियोजित आर्थिक बेल्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। वे प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे, बंदरगाह और स्मार्ट शहरों सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को एकीकृत करते हैं।
- इन गलियारों का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहां उद्योग प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और वॉक-टू-वर्क इकोसिस्टम के साथ काम कर सकें।

**औद्योगिक गलियारों पर डेटा और आँकड़े:**

- नेटवर्क स्कोप: भारत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित कर रहा है।
- वर्तमान प्रगति: 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं (चरण-I शहर) और 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।
- निवेश: अकेले चरण-I परियोजनाओं ने EVs, नवीकरणीय और फार्मा जैसे क्षेत्रों में ₹2.02 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है।
- नई परियोजनाएं: हाल ही में ₹28,602 करोड़ की कुल लागत के साथ 12 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है।
- बजट 2026-27: कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एनआईसीडीआईटी को 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे:**1. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी)**

- प्लैगशिप स्थिति: भारत का प्रमुख गलियारा, जिसमें धोलेरा (भारत का पहला सेमीकंडक्टर शहर) और शेंद्र-बिडकिन जैसे विश्व स्तरीय स्मार्ट शहर शामिल हैं।

- रसद शक्ति: वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) द्वारा लंगर डाले गए, जो राजनीतिक और वित्तीय राजधानियों के बीच तेजी से पारगमन सुनिश्चित करता है।
 - रणनीतिक कार्यक्षेत्र: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण में अग्रणी होना।
- 2. चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)**
- विनिर्माण पावरहाउस: बेंगलुरु के उच्च तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र को डेट्रायट ऑफ एशिया (चेन्नई) से जोड़ता है।
 - मुख्य संकेत: तुमकुरु (कर्नाटक) और कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में प्रमुख विकास पूरा होने वाले हैं।
 - औद्योगिक फोकस: ऑटोमोबाइल, सटीक इंजीनियरिंग और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में हावी है।
- 3. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)**
- ईस्टर्न लिंक: ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के साथ संरेखित, जो विशाल भारत-गंगा के मैदानों में फैला हुआ है।
 - क्लस्टर मॉडल: उत्तर और पूर्वी भारत के औद्योगिक गढ़ को पुनर्जीवित करने के लिए एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) का उपयोग करता है।
 - क्षेत्र फोकस: मुख्य रूप से कृषि-प्रसंस्करण, भारी इंजीनियरिंग और इस्पात आधारित विनिर्माण को लक्षित करता है।
- 4. विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी)**
- समुद्री कनेक्टिविटी: भारत का पहला तटीय गलियारा, जो पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ECEC) के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है।
 - नीली अर्थव्यवस्था: बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को प्राथमिकता देता है, विनिर्माण क्षेत्रों और वैश्विक शिपिंग मार्गों के बीच एक सहज संबंध बनाता है।
 - कोर इंडस्ट्रीज: पेट्रोकेमिकल्स, निर्यात-उन्मुख कपड़ा और लॉजिस्टिक्स पर रणनीतिक फोकस।
- 5. बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी)**
- पश्चिमी-दक्षिणी तालमेल: महाराष्ट्र के औद्योगिक पावरहाउस और तकनीक-संचालित कर्नाटक के बीच की खाई को पाटना।
 - क्षेत्रीय विकास: धारवाड़ और सतारा के प्रमुख नोड्स उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए चुंबक के रूप में कार्य करते हैं।
 - आर्थिक लक्ष्य: मार्ग के साथ आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप बनाकर मौजूदा महानगरों में भीड़भाड़ को कम करने का लक्ष्य है।
- 6. सीबीआईसी का कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार (ईसीकेसी)**
- प्रायद्वीपीय कनेक्टिविटी: दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्रों की पहुंच कोच्चि बंदरगाह तक बढ़ाता है।
 - मुख्य संकेत: पलावकड़ (केरल) और धर्मपुरी-सलेम (तमिलनाडु) में महत्वपूर्ण परियोजनाएं।
 - पारंपरिक ताकत: कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और विशेष इंजीनियरिंग में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करता है।
- 7. हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारा (एचएनआईसी)**
- केंद्रीय विस्तार: इसका उद्देश्य दो प्रमुख शहरी केंद्रों को जोड़कर मध्य भारत की औद्योगिक क्षमता को अनलॉक करना है।
 - एंकर परियोजना: तेलंगाना में ज़हीराबाद नोड बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है।
 - ब्रोथ ड्राइवर्स: ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला और भारी इंजीनियरिंग उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 8. हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)**
- राज्य-नेतृत्व विकास: तेलंगाना के भीतर उद्योग को विकेंद्रीकृत करने के लिए एक विशेष पहल।
 - विविधीकरण: पारंपरिक क्षेत्रों से विविध, उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण समूहों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करता है।
 - क्षेत्रीय प्रभाव: टियर-II क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 9. हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी)**
- टेक कॉरिडोर: भारत के दो सबसे बड़े प्रौद्योगिकी केंद्रों को जोड़ता है, जिससे ज्ञान अर्थव्यवस्था गलियारे की सुविधा मिलती है।
 - विशिष्ट नोड: ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र को उच्च तकनीक क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
 - रणनीतिक क्षेत्र: एयरोस्पेस, रक्षा और उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली पर अधिक जोर।
- 10. ओडिशा आर्थिक गलियारा (ओईसी)**
- संसाधन और बंदरगाह मॉडल: ओडिशा की विशाल खनिज संपदा और पारादीप और धामरा में इसके रणनीतिक बंदरगाहों का लाभ उठाना है।
 - समुद्री एकीकरण: बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापार मार्ग में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।
 - प्राथमिक उद्योग: स्टील, एल्यूमीनियम और डाउनस्ट्रीम खनिज-आधारित उद्योगों की ओर अत्यधिक उन्मुख।
- 11. दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा (डीएनआईसी)**
- लॉजिस्टिक्स गेटवे: भारत के केंद्र के माध्यम से उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से एक नियोजित गलियारा।
 - संतुलित विकास: स्पष्ट रूप से भीतरी इलाकों का औद्योगीकरण करके क्षेत्रीय विकास असंतुलन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - भविष्य की दृष्टि: अपने केंद्रीय स्थान के कारण राष्ट्रीय स्तर के रसद और भंडारण का केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित करता है।

महत्व:

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा (उपयोग के लिए तैयार भूमि और उपयोगिताओं) प्रदान करता है जो व्यवसायों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति देता है, जिससे भारत एक वैश्विक विनिर्माण गंतव्य बन जाता है।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता: पीएम गतिशक्ति ढांचे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के साथ एकीकृत होकर, ये क्षेत्र बंदरगाहों तक माल ले जाने के समय और लागत को काफी कम कर देते हैं।
- सतत शहरीकरण: पारगमन-उन्मुख विकास, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और विशाल हरित स्थानों के साथ कम कार्बन वाले शहरों (LCC) को बढ़ावा देता है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास: क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो पारंपरिक रूप से कम-औद्योगिक भीतरी इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

11 औद्योगिक गलियारों का विकास अलग-थलग औद्योगिक क्षेत्रों से एकीकृत, मल्टी-मॉडल विनिर्माण इकोसिस्टम में बदलाव का प्रतीक है। नए बजट समर्थन और दुर्गापुर नोड के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। ये कॉरिडोर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने वाले विकसित भारत @ 2047 के प्रमुख चालक होंगे।

एमएसएमई मंत्रालय ने एनएसआईसी को अनुसूची 'ए' श्रेणी सीपीएसई में अपग्रेड किया**संदर्भ:**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए इसे अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में अपग्रेड कर दिया है।

MSME मंत्रालय ने NSIC को अनुसूची 'A' श्रेणी में अपग्रेड करने के बारे में CPSE:**श्रेणी सीपीएसई क्या हैं?**

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वे कंपनियां हैं जहां केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है।
- प्रबंधन और वेतन संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) इन संस्थाओं को चार अलग-अलग अनुसूचियों में वर्गीकृत करता है: ए, बी, सी और डी।

शासी अधिनियम और प्राधिकरण:

- शासी अधिनियम: अधिकांश सीपीएसई को कंपनी अधिनियम, 2013 (या 1956 अधिनियम जैसे पिछले संस्करण) के तहत निगमित किया जाता है या संसद के विशिष्ट अधिनियमों के माध्यम से वैधानिक निगम के रूप में बनाया जाता है।
- प्रशासनिक प्राधिकरण: वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वर्गीकरण और नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है।

इतिहास:

- वर्गीकरण प्रणाली 1965 में 'शीर्ष पदों पर समिति' की सिफारिशों के बाद शुरू की गई थी।
- इसे संचालन के आकार और रणनीतिक महत्व के आधार पर एक पदानुक्रम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, मुख्य रूप से बोर्ड-स्तरीय अधिकारियों (सीएमडी, निदेशकों) के वेतनमान और वरिष्ठता को निर्धारित करने के लिए।

चार श्रेणियां:

- अनुसूची A: उच्चतम स्तर, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व वाले बड़े आकार के उद्यम शामिल हैं।
- अनुसूची बी: मध्यम आकार के उद्यम।
- अनुसूची सी: छोटे उद्यम या विशिष्ट संचालन वाले उद्यम।
- अनुसूची डी: सबसे छोटा स्तर, जिसका उपयोग अक्सर नए सीपीएसई के प्रारंभिक वर्गीकरण के लिए किया जाता है।

वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं:

1. मात्रात्मक पैरामीटर: मूल्यांकन निवेश, नियोजित पूंजी, शुद्ध बिक्री, कर से पहले लाभ और कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन पर आधारित है।
2. गुणात्मक कारक: कारकों में राष्ट्रीय महत्व, समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी का स्तर और विस्तार की संभावनाएं शामिल हैं।
3. शासन संरचना: उच्च कार्यक्रम (जैसे 'ए') आमतौर पर अधिक मजबूत बोर्ड संरचना और उच्च रैंकिंग वाले कार्यकारी पदों की अनुमति देते हैं।
4. वेतन लिंक: अनुसूची सीधे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बोर्ड के अन्य सदस्यों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान निर्धारित करती है।

अपग्रेड का महत्व:

- अनुसूची 'ए' में जाने से संगठन को अधिक वित्तीय और परिचालन शक्तियां मिलती हैं, जिससे बड़ी परियोजनाओं के लिए लगातार मंत्रिस्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता कम हो जाती है।
- इकाई के तुलनात्मक लाभ और वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता को दर्शाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधार 2024=100

संदर्भ:

MoSPI ने 12 फरवरी 2026 को पहला CPI (आधार 2024=100) प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें जनवरी 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति 2.75% बताई गई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधार 2024=100 के बारे में:

यह क्या है?

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है, और यह भारत का हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति संकेतक (CPI में YoY % परिवर्तन) है।
- प्रकाशन: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) के माध्यम से। मूल्य संग्रह फ़िल्ड ऑपरेशंस डिवीजन (एनएसओ) द्वारा किया जाता है।

आधार वर्ष:

- नया आधार: 2024 = 100
- पहले का आधार: 2012 = 100
- वजन स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24।

इस्तेमाल की गई विधियाँ:

- जेवन्स इंडेक्स (आइटम स्तर पर): प्रत्येक आइटम के लिए, MoSPI कई बाजारों में कीमतों की तुलना करता है और प्रतिशत परिवर्तन (अनुपात) के आधार पर औसत लेता है, इसलिए एक बहुत अधिक / कम कीमत बहुत अधिक विकृत नहीं होती है।
- युवा / संशोधित लास्पेयर (बड़े समूहों के लिए): कई वस्तुओं के लिए मूल्य परिवर्तन खोजने के बाद, यह उन्हें निश्चित खर्च करने वाले वजन (आमतौर पर प्रत्येक आइटम पर कितना खर्च करते हैं) का उपयोग करके जोड़ता है। इसलिए, जिन वस्तुओं पर आप अधिक खर्च करते हैं (जैसे भोजन/किराया) उन वस्तुओं की तुलना में सीपीआई को अधिक प्रभावित करते हैं जिन्हें आप शायद ही कभी खरीदते हैं।
- संयुक्त CPI (भारत कुल): भारत का अंतिम CPI ग्रामीण CPI और शहरी CPI को कुल खपत (भार) में उनके हिस्से के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए यदि ग्रामीण उपभोग का वजन अधिक है, तो ग्रामीण सीपीआई अखिल भारतीय सीपीआई को अधिक प्रभावित करता है (और इसके विपरीत)।

सीपीआई 2024 श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं:

- नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली (6 के बजाय 12 श्रेणियां): इससे पहले, कीमतों को 6 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया था। अब उन्हें 12 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, संचार, आदि।
- अधिक आइटम शामिल हैं (299 के बजाय 358): मूल्य टोकरी अब अधिक उत्पादों और सेवाओं को कवर करती है जो लोग वास्तव में आज उपयोग करते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति वास्तविक जीवन को बेहतर ढंग से दर्शाती है।
- सेवाओं पर अधिक ध्यान: पहले, सेवाएं (जैसे शिक्षा, परिवहन, ओटीटी, स्वास्थ्य सेवा) कम थीं। अब अधिक सेवाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि लोग आज पहले की तुलना में सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं।
- हर महीने विस्तृत डेटा: अब मुद्रास्फीति के आंकड़े न केवल भारत के लिए समग्र रूप से, बल्कि प्रत्येक राज्य के लिए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हर महीने उपलब्ध हैं।
- आधुनिक मूल्य संग्रह (टैबलेट का उपयोग करके): इससे पहले, डेटा कागज पर लिखा जाता था। अब अधिकारी कीमतें वसूलने के लिए टैबलेट (डिजिटल डिवाइस) का इस्तेमाल करते हैं।
- ऑनलाइन कीमतों में शामिल हैं: चूंकि बहुत से लोग अब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन या फ्लाइट टिकट) की कीमतें भी शामिल हैं।
- कुछ सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आधिकारिक सरकारी आंकड़े: रेल किराया, डाक शुल्क, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसी चीजों के लिए, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक सरकारी मूल्य डेटा का सीधे उपयोग किया जाता है।
- नई श्रृंखला पहली बार ग्रामीण आवास किराए का परिवय देती है, जिससे ग्रामीण आवास खपत के कवरेज में काफी सुधार होता है।

Index overhaul

The 2024-base CPI basket includes 358 items vs. earlier 299, with goods covered rising from 259 to 308 and services from 40 to 50



- Number of rural markets covered rose from 1,181 to 1,465, urban from 1,114 to 1,395, with 12 online platforms added
- The weightage assigned to the food and beverages category is now 36.75% from earlier 45.86%
- The CPI framework has been expanded from 6 broad groups to 12, offering more granular tracking of goods and services

प्रोजेक्ट वॉल्ट

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया है, जो \$ 12 बिलियन की महत्वपूर्ण खनिज भंडारण पहल है, जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से बचाने के लिए की है।

प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में:

प्रोजेक्ट वॉल्ट क्या है?

- प्रोजेक्ट वॉल्ट एक सार्वजनिक-निजी भंडारण कार्यक्रम है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रणनीतिक नागरिक और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को खरीदने, स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व की अवधारणा के समान है।

लॉन्ग :

- अमेरिकी सरकार की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की
- निजी पूंजी और अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित

उद्देश्य:

- वैश्विक आपूर्ति के झटकों के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना।
- चीन पर रणनीतिक निर्भरता को कम करना, जो खनिज प्रसंस्करण पर हावी है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- कवर किए गए खनिज: दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कोबाल्ट, गैलियम और अन्य रणनीतिक धातुएं
- अग्रिम खरीद प्रतिबद्धताएं: कंपनियों बाद में निश्चित इन्वेंट्री कीमतों पर खनिजों को खरीदने के लिए अग्रिम रूप से प्रतिबद्ध होती हैं।

भंडार पहुंच मॉडल:

- फर्म खनिजों को वापस ले सकती हैं यदि वे समान मात्रा को प्रतिस्थापित करते हैं
- प्रमुख आपूर्ति व्यवधानों के दौरान पूर्ण पहुंच की अनुमति
- मूल्य स्थिरीकरण तंत्र: बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए एक ही कीमत पर अनिवार्य पुनर्खरीद।
- निजी क्षेत्र का निष्पादन: कमोडिटी ट्रेडर्स (जैसे, मर्कुरिया, ट्रैक्सीस) सोर्सिंग और स्टोरेज संभालते हैं।
- उद्योग की भागीदारी: जीएम, बोइंग, गूगल, स्टेलेंटिस जैसी कंपनियां पहले से ही जहाज पर हैं।

महत्त्व:

- रणनीतिक स्वायत्तता: भू-राजनीतिक जबरदस्ती और निर्यात नियंत्रण के प्रति अमेरिकी भेद्यता को कम करता है।
- औद्योगिक लचीलापन: ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा, ईवी और तकनीकी क्षेत्रों की सुरक्षा करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: जेट इंजन, बैटरी, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- बाजार स्थिरता: दुर्लभ पृथ्वी बाजारों में अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को कम करता है।

भारत-मलेशिया इम्पैक्ट फ्रेमवर्क

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान कुआलातंपुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए इम्पैक्ट को भारत-मलेशिया संबंधों के मार्गदर्शक ढांचे के रूप में व्यक्त किया।





भारत-मलेशिया इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के बारे में:

यह क्या है?

- इम्पैक्ट का मतलब सामूहिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए भारत-मलेशिया साझेदारी है, जो आर्थिक विकास, डिजिटल एकीकरण, सांस्कृतिक संबंधों और जन-केंद्रित विकास को संरक्षित करके द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए व्यक्त एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।

उद्देश्य:

- द्विपक्षीय सहयोग की गति और पैमाने में तेजी लाना।
- दोनों देशों के नागरिकों के लिए ठोस लाभ प्रदान करना।
- भारत-मलेशिया संबंधों को एशिया के सामूहिक विकास के चालक के रूप में स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग: 100 से अधिक भारतीय आईटी कंपनियां मलेशिया में काम करती हैं, रोजगार पैदा करती हैं और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करती हैं।
- डिजिटल कनेक्टिविटी: मलेशिया में UPI का शुभारंभ और मलेशिया-भारत डिजिटल परिषद के माध्यम से सहयोग, फिनटेक और सीमा पार डिजिटल भुगतान को बढ़ाना।
- लोगों से लोगों और प्रवासी संबंध: भारतीय मूल के समुदाय की मजबूत भूमिका (विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा), 6वीं पीढ़ी तक ओसीआई पात्रता का विस्तार, छात्रवृत्ति, और तिरुवेल्लुवर चेंबर/सेंटर जैसे सांस्कृतिक संस्थान।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत बंधन: हिंद महासागर की साझा समुद्री विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध (तमिल, मलय), और आईएनए विरासत सहित ऐतिहासिक संबंध।
- रणनीतिक और क्षेत्रीय आउटलुक: आसियान केंद्रीयता, हिंद-प्रशांत स्थिरता और समावेशी विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की गई।

महत्त्व:

- रणनीतिक गहराई: भारत-मलेशिया संबंधों को लेन-देन से परे मूल्य-आधारित, भविष्य-उन्मुख साझेदारी तक बढ़ाता है।
- डिजिटल कूटनीति: भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI) को वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में स्थापित करता है।

भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ:

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने और 2026 भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन करने के लिए भारत का दौरा किया।

- इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने 2047 तक सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया।



भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के बारे में:

यह क्या है?

"विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" एक उच्च-स्तरीय राजनयिक उन्नयन है जो संबंधों को क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक स्थिरता के उद्देश्य से एक व्यापक, दीर्घकालिक गठबंधन में स्थानांतरित करता है। यह इस पर केंद्रित है:

- रणनीतिक स्वायत्तता: दोनों देशों की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने को मजबूत करना।
- वैश्विक शासन: व्यापक आर्थिक असंतुलन और जलवायु संकट को दूर करने के लिए वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करना।
- सुरक्षा और नवाचार: लचीली, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करते हुए उन्नत प्रौद्योगिकियों (एआई, अंतरिक्ष, परमाणु) के सह-विकास को गहरा करना।

भारत-फ्रांस संबंधों का इतिहास:

- अर्ली फ्रांडेज (1947): भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता की दृष्टि साझा की।
- रणनीतिक मील का पत्थर (1998): फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाली पहली पश्चिमी शक्ति थी और विशेष रूप से भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंध नहीं लगाए थे।
- परमाणु सहयोग (2008): एनएसजी छूट के बाद फ्रांस भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था, जो उच्च तकनीक क्षेत्रों में गहरे विश्वास को उजागर करता है।
- क्षितिज 2047 रोडमैप: 2023 में अपनाई गई, यह योजना अगले 25 वर्षों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, जो भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के साथ मेल खाती है।
- हाल ही में पारस्परिकता: इस रिश्ते को उच्च-स्तरीय सम्मानों द्वारा चिह्नित किया जाता है, जैसे कि भारत के प्रधान मंत्री बैरिटल दिवस (2023) में सम्मानित अतिथि होते हैं और राष्ट्रपति मैक्रॉन का भारत के गणतंत्र दिवस (2024) में भाग लेना होता है।

नई साझेदारी के तहत प्रमुख समझौते:

1. नवाचार का वर्ष 2026: दोनों देशों में एआई, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू करना।
2. रक्षा औद्योगिक रोडमैप: लड़ाकू जेट इंजन (सफ्रान-एचएएल) के सह-उत्पादन और 26 राफेल-समुद्री जेट की खरीद पर ध्यान केंद्रित करना।
3. छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर): भारत के 100 गीगावॉट परमाणु लक्ष्य को मजबूत करने के लिए एसएमआर और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (एमआर) को सह-विकसित करने की प्रतिबद्धता।
4. इंडो-पैसिफिक सिनर्जी: स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में तीसरे देश की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास सहयोग को मजबूत करना।
5. एआई और डिजिटल स्वास्थ्य: एआई को स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए एम्स नई दिल्ली और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट को शामिल करते हुए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
6. अंतरिक्ष स्वायत्तता: सीएनईएस-इसरो साझेदारी के माध्यम से मानव अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह लांचर और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता में सहयोग का विस्तार करना।
7. प्रवासन और गतिशीलता: फ्रांसीसी हवाई अड्डों (6 महीने का पायलट) के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन शुरू करना और 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों को लक्षित करना।

साझेदारी से जुड़ी चुनौतियाँ:

- वैश्विक संघर्षों पर अलग-अलग विचार: जबकि दोनों शांति चाहते हैं, प्रमुख संघर्षों के लिए उनके विशिष्ट दृष्टिकोण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

- उदाहरण के लिए, यूकेन युद्ध पर भारत का सूक्ष्म रूख अधिक प्रत्यक्ष पश्चिमी निंदा से अलग है, जिसके लिए संयुक्त बयानों के दौरान सावधानीपूर्वक राजनयिक संतुलन की आवश्यकता होती है।
- व्यापार और नियामक बाधाएँ: व्यापक व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने में जटिलताएँ आर्थिक एकीकरण को धीमा कर सकती हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं अक्सर श्रम, पर्यावरण और डेटा गोपनीयता पर अलग-अलग मानकों से उत्पन्न होती हैं।
- कार्यान्वयन परमाणु ऊर्जा में देरी: तकनीकी और दायित्व मुद्दों के कारण उच्च तकनीक परियोजनाओं को अक्सर लंबी समयसीमा का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना ने असैन्य परमाणु दायित्व विंताओं के कारण अंतिम आधार तोड़े बिना दशकों की चर्चा देखी है।
- तकनीकी संरक्षणवाद: मेक इन इंडिया पर जोर देने के बावजूद संवेदनशील सैन्य स्रोत कोड या हाई-एंड इंजन तकनीक साझा करना एक बाधा बनी हुई है।
- उदाहरण के लिए जेट इंजनों के लिए प्रौद्योगिकी (ToT) के पूर्ण हस्तांतरण में चुनौतियां अक्सर हल करने के लिए गहन उच्च-स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता: मध्य पूर्व में संघर्ष नियोजित कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बाधित कर सकता है।
- उदाहरण के लिए लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा विंताएं भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की व्यवहार्यता के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं।

आगे की राह:

- IMEC का संचालन: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे को भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए 2026 में पहली मंत्रिस्तरीय बैठक को प्राथमिकता दें।
- एआई का लोकतंत्रीकरण: वैश्विक एआई विभाजन को पाटने के लिए मिलकर काम करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकासशील देशों के पास सुरक्षित और भरोसेमंद एआई उपकरणों तक पहुंच हो।
- UNSC सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए संयुक्त पैरवी तेज करें, फ्रांस सक्रिय रूप से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है।
- हरित ऊर्जा संक्रमण: जलवायु लचीलापन के लिए तीसरी दुनिया के देशों में कर्मियों को निधि देने और प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का लाभ उठाएं।
- लोगों से लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना: विविध पृष्ठभूमि के भारतीय छात्रों के लिए फ्रांसीसी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पहल का उपयोग करें।

निष्कर्ष:

एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन क्रेता-विक्रेता की गतिशीलता से वैश्विक सुरक्षा और नवाचार के लिए एक सहयोगी गठबंधन में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। होराइजन 2047 रोडमैप को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़कर, भारत और फ्रांस खुद को एक स्थिर, बहुध्रुवीय दुनिया के जुड़ाव स्तंभ के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

G7 शिखर सम्मेलन 2026

संदर्भ:

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस में 52वें G7 शिखर सम्मेलन (2026) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

G7 शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- G7 शिखर सम्मेलन 2026 वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दुनिया के सात उन्नत लोकतंत्रों के नेताओं की वार्षिक बैठक है।

मेज़बान:

- मेज़बान देश: फ्रांस
- स्थल: एवियन, फ्रांस

G7 के बारे में:

G7 क्या है?

- सात देशों का समूह (G7) प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक मंच है जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए सालाना मिलते हैं।
- G7 के सदस्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा।



- यूरोपीय संघ (ईयू) यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक गैर-गणना सदस्य के रूप में भाग लेता है।

उत्पत्ति और इतिहास:

- स्थापित: 1975 (रैम्बौडलेट समिति, फ्रांस)।
- पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस द्वारा प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए बुलाया गया था।
- 1973 तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता: यह तेल प्रतिबंध के बाद वैश्विक मंदी, मुद्रास्फीति और ऊर्जा झटके की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जिसके लिए सामूहिक आर्थिक स्थिरीकरण की आवश्यकता थी।
- G6 से G7 (1976): कनाडा के समावेश ने मूल G6 को G7 में बदल दिया, जिससे उत्तरी अमेरिकी प्रतिनिधित्व और आर्थिक समन्वय मजबूत हुआ।
- G8 चरण (1997-2014): रूस पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए शीत युद्ध के बाद शामिल हो गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद इसे निलंबित कर दिया गया।
- एजेंडे का विस्तार: समय के साथ, G7 एक वित्तीय समन्वय मंच से जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विकास और वैश्विक शासन को संबोधित करने वाले एक मंच के रूप में विकसित हुआ।

महत्वपूर्ण कार्य:

- व्यापक आर्थिक समन्वय: मुद्रास्फीति, ऋण संकट और वित्तीय अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करता है।
- वैश्विक शासन प्रभाव: व्यापार, विकास वित्त, ऋण पुनर्गठन और बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों पर मानदंडों को आकार देता है।
- सुरक्षा संवाद: भू-राजनीतिक संकटों, प्रतिबंध व्यवस्थाओं और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- जलवायु नेतृत्व: जलवायु शमन लक्ष्यों, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाता है।
- मंत्रिस्तरीय ट्रैक: विशेष मंत्रिस्तरीय बैठकें वित्त, स्वास्थ्य और डिजिटल शासन जैसे क्षेत्रों में नेताओं के विज्ञप्तियों के लिए विस्तृत नीति इनपुट तैयार करती हैं।

महत्व:

- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करता है: G7 देशों का सामूहिक आर्थिक भार इसे वैश्विक बाजारों और वित्तीय प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संकट प्रतिक्रिया को आकार देता है: इसकी विज्ञप्ति और समन्वित कार्य अक्सर आर्थिक झटके, महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

संदर्भ:

पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की मंत्रिस्तरीय बैठक ने संकेत दिया कि पूर्ण सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के बारे में:

आईईए क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, विश्वसनीय ऊर्जा डेटा और टिकाऊ ऊर्जा नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।
- यह ऊर्जा विश्लेषण, नीति मार्गदर्शन और आपातकालीन ऊर्जा सहयोग के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- में स्थापित: 1974 के तेल संकट (अरब तेल प्रतिबंध) के मद्देनजर 1973।
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
- उद्देश्य: औद्योगिक देशों को प्रमुख तेल आपूर्ति व्यवधानों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया का समन्वय करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना।

सदस्यता संरचना:

- पूर्ण सदस्य: वर्तमान में 33 देश (कोलंबिया को फरवरी 2026 में 33वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था)।
- ऐतिहासिक रूप से, एक देश को शामिल होने के लिए ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) का सदस्य होना चाहिए।
- एसोसिएशन देश: भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित 13 देश। ये देश चर्चा में भाग लेते हैं लेकिन निर्णय लेने के अधिकारों की कमी है।



International
Energy Agency

महत्वपूर्ण कार्य:

- ऊर्जा सुरक्षा: एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व तंत्र बनाए रखता है जहां सदस्यों को शुद्ध आयात के कम से कम 90 दिनों के बराबर तेल स्टॉक रखना चाहिए।
- डेटा और विश्लेषण: विश्व ऊर्जा आउटलुक और मासिक तेल बाजार रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसे ऊर्जा सांख्यिकी के लिए स्वर्ण मानक माना जाता है।
- ऊर्जा संक्रमण: 2050 तक नेट जीरो रोडमैप के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन पर वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- महत्वपूर्ण खनिज: हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट) के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत और IEA:

- समयरेखा: भारत 2017 में एक एसोसिएट सदस्य बना और 2021 में एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए।
- अक्टूबर 2023 अनुसंधान: भारत ने वैश्विक ऊर्जा निर्णय लेने में मेज पर जगह पाने के लिए औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया।

ओईसीडी बाधा:

- भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है और इसमें शामिल होने की उसकी तत्काल कोई योजना नहीं है।
- भारत को पूर्ण सदस्य बनने के लिए, आईईए को अपने 1974 के संस्थापक चार्टर में संशोधन करना होगा - एक ऐसा कदम जिसका आईईए नेतृत्व और प्रमुख सदस्य अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए समर्थन करते हैं।

भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)**संदर्भ:**

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू करने वाले एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में:**यह क्या है?**

- भारत-जीसीसी एफटीए भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन) के बीच एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता है।
- इसका उद्देश्य कम व्यापार बाधाओं और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वार्ता का औपचारिक शुभारंभ: फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य, जो व्यापक-आधारित व्यापार समझौते के लिए संरचित वार्ता की शुरुआत का प्रतीक है।
- व्यापक आर्थिक कवरेज: इसमें वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार, निवेश सुविधा और सुचारू व्यवसाय संचालन के लिए नियामक सहयोग शामिल होने की उम्मीद है।
- प्रमुख व्यापार साझेदारी: GCC भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 178.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25) है, जो भारत के वैश्विक व्यापार का 15% से अधिक है।
- क्षेत्रीय पूरकता: भारत जीसीसी देशों से कच्चे तेल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और कीमती धातुओं का आयात करते हुए इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, चावल, रत्न और आभूषणों का निर्यात करता है।
- निवेश और प्रवासी संबंध: जीसीसी राष्ट्र भारत में प्रमुख निवेशक (31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) हैं और लगभग 10 मिलियन भारतीयों की मेजबानी करते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं।

भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध**संदर्भ:**

भारत के प्रधान मंत्री ने इजरायल की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की, जहां दोनों देशों ने शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाया।



भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंधों के बारे में:

यह क्या है?

- भारत और इज़राइल एक बहुआयामी संबंध साझा करते हैं जो गहरे सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी में एक ज्ञान-केंद्र साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण की विशेषता हैं। यह संबंध झिझकने वाली कूटनीतिक शुरुआत से आपसी रणनीतिक हितों और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर एक मजबूत, खुले गठबंधन में विकसित हुआ है।

डेटा और आँकड़े:

- कृषि: 35 परिचालित भारत-इज़राइल उत्कृष्टता केंद्रों में 1 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।
- अनुसंधान वित्तपोषण: भारत-इज़रायल संयुक्त अनुसंधान कॉल (IIJRC) के लिए संयुक्त अनुसंधान योगदान मिलियन से बढ़कर मिलियन हो गया।
- श्रम गतिशीलता: अगले पांच वर्षों में निर्माण और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में इज़रायल में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को तैनात करने का लक्ष्य।
- व्यापार अवसरचना: 2025 द्विपक्षीय निवेश समझौते के बाद मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत में तेजी आई है।
- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: I4F फंड औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्राथमिक चालक बन गया है, जो दर्जनों उच्च तकनीक संयुक्त उद्यमों की सुविधा प्रदान करता है।

संबंधों का इतिहास:

- 1950: भारत ने आधिकारिक तौर पर इज़रायल राज्य को मान्यता दी लेकिन शीत युद्ध के युग के गुटनिरपेक्ष रुख के कारण सीमित जुड़ाव बनाए रखा।
- 1992: दूतावासों के उद्घाटन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, जो व्यावहारिक विदेश नीति की ओर एक बदलाव को चिह्नित करते हैं।
- कारगिल युद्ध (1999): इज़राइल ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी प्रदान की, जिससे एक मूक लेकिन गहरे सुरक्षा बंधन को मजबूत किया गया।
- 2017: पीएम मोदी इज़रायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जिससे इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों को खराब कर दिया गया।
- 2022-23: I2U2 समूह (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए) का गठन, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित करना।

हाल ही में द्विपक्षीय बैठक के परिणाम:

1. रणनीतिक और संस्थागत उन्नयन

- एक नया दर्जा: संबंधों को 'शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया गया, जो सुरक्षा से परे दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
- संस्थागत ढांचा: सरकार, शिक्षा और विधायिका में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत-इज़रायल अकादमिक सहयोग मंच (I2I फोरम) और भारत-इज़रायल संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की।

2. अग्रणी प्रौद्योगिकी और एआई नेतृत्व

- CET पहल: दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के नेतृत्व में एक नई महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (CET) पहल, अब सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को नियंत्रित करेगी।
- एआई एकीकरण: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो औद्योगिक अनुप्रयोग और एआई के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट ढांचे दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- क्षितिज स्कैनिंग: अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में वैश्विक रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई और बड़े डेटा का उपयोग करके एक रणनीतिक दूरदर्शिता तंत्र लॉन्च किया।

3. व्यापक साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष

- उत्कृष्टता केंद्र: भारत में साइबर सुरक्षा में भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए।
- रणनीतिक रोडमैप: डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए डिजाइन द्वारा सुरक्षा को एकीकृत करने और संयुक्त वित्तीय-साइबर सिमुलेशन करने के लिए एक बहु-वर्षीय कार्यक्रम अपनाया गया था।
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप: इसरो और आईएसए को निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में उपग्रह प्रक्षेपण से आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

4. आर्थिक और फिनटेक कनेक्टिविटी

- एकीकृत भुगतान (UPI): भारत के UPI को इजरायल की तेज़ भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए एक बड़ी सफलता, जो वास्तविक समय सीमा पार लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।
- व्यापार ढांचा: 2025 द्विपक्षीय निवेश समझौते के बाद, दोनों देशों ने अप्रयुक्त बाजार क्षमता को अनलॉक करने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) वार्ता को तेजी से ट्रैक किया है।
- बुनियादी ढांचा: भारत मेट्रो, रेल और अलवणीकरण संयंत्रों सहित इजरायल की मेगा-परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाएगा।

5. कृषि, जल और समुद्री विरासत

- नवाचार केंद्र: कृषि के लिए भारत-इजरायल नवाचार केंद्र (IINCA) और मत्स्य पालन और जलीय कृषि में एक नया संयुक्त CoE स्थापित किया।
- जल कूटनीति: इजरायल के अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गंगा की सफाई पहल का विस्तार किया।
- पानी के नीचे पुरातत्व: पानी के नीचे पुरातात्विक अन्वेषण के लिए लोथल (राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर) और इजरायल पुरावशेष प्राधिकरण के बीच एक अनूठा समझौता ज्ञापन।

6. क्षेत्रीय सुरक्षा और श्रम गतिशीलता

- आतंकवाद का मुकाबला: संयुक्त रूप से 7 अक्टूबर (इजरायल) और 2025 पहलगाम/दिल्ली (भारत) हमलों की निंदा की; गाजा संघर्ष समाप्ति योजना और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए समर्थन व्यक्त किया।
- श्रमिक सुरक्षा: 5 वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों के लिए इजरायल में प्रवेश करने के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल, 2023 फ्रेमवर्क समझौते के तहत सख्त सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ:

1. क्षेत्रीय स्थिरता और संघर्ष: मध्य पूर्व में चल रहे तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी सुरक्षा को जटिल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रुज़बा तेल प्रवाह के निलंबन और गाजा संघर्ष में अस्थिरता के लिए भारत को ऊर्जा समृद्ध अरब देशों के साथ अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है।
2. संतुलन अधिनियम (फिलिस्तीन): भारत दो-राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, जो कभी-कभी इजरायल-फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के दौरान राजनयिक टकराव पैदा करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रम्प की गाजा शांति योजना के लिए भारत का समर्थन संयुक्त राष्ट्र में अपने स्वतंत्र रुख को बनाए रखते हुए शांति प्रक्रियाओं के साथ एक सावधानीपूर्वक संरेखण दिखाता है।
3. सीमा पार आतंकवाद: दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं, जिसके लिए सिंक्रनाइज़्ड वैश्विक नीति की आवश्यकता होती है जो अक्सर आतंक की अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं से बाधित होती है। उदाहरण के लिए, पहलगाम और नई दिल्ली में 2025 के हमले लगातार खतरे को रेखांकित करते हैं जो केवल हार्डवेयर बिक्री से परे खुफिया जानकारी साझा करने की मांग करता है।
4. साइबर कमजोरियाँ: जैसे-जैसे वित्तीय प्रणालियाँ (UPI-इजरायल) आपस में जुड़ती हैं, परिष्कृत राज्य-प्रायोजित साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2025 का उद्घाटन साइबर नीति संवाद विशेष रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले वित्तीय-साइबर खतरों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
5. व्यापार बाधाएं: उच्च इरादे के बावजूद, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जटिल नियामक और टैरिफ संरचनाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, FTA के लिए 2026 के संदर्भ की शर्तें (ToR) दोनों देशों में घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा के लिए वर्षों की बातचीत के बाद ही हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राह:

1. IMEC कार्यान्वयन: भारतीय वस्तुओं के लिए भूमध्यसागरीय प्रवेश द्वार के रूप में इजरायल को एकीकृत करने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे में तेजी लाना।

2. सेमीकंडक्टर कूटनीति: धोलेरा और अन्य औद्योगिक नोड्स में भारत के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर मिशनों को बढ़ावा देने के लिए इजरायल की चिप-डिजाइन कौशल का लाभ उठाएं।
3. जल सुरक्षा: सभी भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में इजरायली अपशिष्ट-से-पानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा की सफाई और अलवणीकरण परियोजनाओं को बढ़ाना।
4. शैक्षणिक एकीकरण: यह सुनिश्चित करने के लिए 121 फोरम (अकादमिक सहयोग मंच) का संचालन करें कि अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं से वाणिज्यिक बाजारों की ओर बढ़ें।
5. डीप-टेक संयुक्त उद्यम: 'मेक इन इंडिया' ढांचे के तहत रक्षा में क्रेता-विक्रेता संबंध से सह-विकास और सह-उत्पादन में परिवर्तन।

निष्कर्ष:

एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों का उन्नयन एक परिपक्व संबंध को दर्शाता है जो पारंपरिक रक्षा सौदों को एआई, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्थानांतरित कर चुका है। भारतीय स्तर के साथ इजरायल के नवाचार को एकीकृत करके, दोनों देश दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल एक द्विपक्षीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि उभरते भारत-अब्राहमिक परिवेश में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि सहयोग को बढ़ाने के लिए फरवरी 2026 में इजरायल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान उत्कृष्टता गांव पहल की घोषणा की।

विलेज ऑफ एक्सीलेंस पहल के बारे में:

यह क्या है?

- विलेज ऑफ एक्सीलेंस भारत-इजरायल कृषि परियोजना (आईआईएपी) का जमीनी स्तर का विस्तार है।
- जबकि पिछला सहयोग केंद्रीकृत उच्च तकनीक केंद्रों पर केंद्रित था, इस पहल का उद्देश्य इजरायली विशेषज्ञता को सीधे स्थानीय गांव के पारिस्थितिक तंत्र में एकीकृत करके पूरे कृषि समूहों को आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि क्षेत्रों में बदलना है।



शामिल राष्ट्र: भारत और इजरायल

उद्देश्य:

- प्राथमिक लक्ष्य उच्च तकनीक अनुसंधान केंद्रों और आम किसान के बीच की खाई को पाटना है।
- इजरायली तकनीक को केंद्रों से गांवों तक ले जाकर, इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ, भविष्य के लिए तैयार कृषि समाधानों के माध्यम से लाखों भारतीय किसानों की उत्पादकता और आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- CoE का विस्तार: पूरे भारत में उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) की संख्या को बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य रखा गया है।
- जमीनी स्तर पर एकीकरण: आसपास के क्षेत्रों के लिए मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए मौजूदा सीओई के आसपास स्थित गांवों का विकास करना।
- तकनीकी सूट: सटीक खेती, उपग्रह-आधारित सिंचाई, उन्नत नर्सरी प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन का कार्यान्वयन।
- IINCA समर्थन: नव स्थापित भारत-इजरायल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर (IINCA) द्वारा समर्थित, जो इन गांवों के लिए अनुसंधान आधार प्रदान करता है।
- क्षमता निर्माण: साइट पर किसानों के लिए प्रशिक्षण और इजरायल में अध्ययन करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं के लिए 20 संयुक्त फेलोशिप का शुभारंभ।

महत्त्व:

- अपशिष्ट को कम करके और फसल की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आय को दोगुना करने का सीधा लक्ष्य रखता है।
- यह पहल दोनों देशों के बीच शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए नई उन्नत विशेष रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला है।

भारत-भूटान सीमा पार नदी सहयोग

संदर्भ:

जल संसाधन सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार नदियों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भूटान का दौरा किया।



Scale 1: 13 000 000 1 cm = 130 kms

भारत-भूटान सीमा पार नदी सहयोग के बारे में:

यह क्या है?

- भारत और भूटान जल कूटनीति पर केंद्रित एक अनूठी और गहरी साझेदारी साझा करते हैं।
- इस सहयोग में भूटान में हिमालय से भारतीय राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी घाटियों का संयुक्त प्रबंधन शामिल है।
- इसमें तीन मुख्य स्तंभ शामिल हैं: जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ प्रबंधन और तकनीकी डेटा साझाकरण।

बहने वाली प्रमुख नदियाँ:

कई बारहमासी नदियाँ भूटानी हाइलैंड्स से निकलती हैं और दोनों देशों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं:

- मानस नदी: भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली; यह असम में ब्रह्मपुत्र से मिलता है।
- संकोश नदी: कुछ हिस्सों में भूटान और भारत के बीच सीमा बनाती है।
- वांग लू (रैदक): कई प्रमुख जलविद्युत संयंत्रों का समर्थन करता है।
- अमो लू (तोरसा): पश्चिम बंगाल में बहती है।
- पुनात्सांगलू (संकोश सहायक नदी): वर्तमान में बड़े पैमाने पर संयुक्त बुनियादी ढांचे के विकास का स्थल।

प्रमुख परियोजनाएं:

दोनों देशों के बीच हाइड्रो-डिप्लोमेसी के परिणामस्वरूप कई प्रतिष्ठित परियोजनाएं सामने आई हैं:

- पुनात्सांगलू-I और II: भारतीय सहायता से 1,200 मेगावाट और 1,020 मेगावाट की विशाल परियोजनाएं (क्रमशः) कार्यान्वित की जा रही हैं।
- चुखा जलविद्युत परियोजना: पहली बड़ी परियोजना (336 मेगावाट), जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक स्वर्ण मानक बन गई।
- कुरी लू और ताला परियोजनाएं: भूटान के निर्यात राजस्व और भारत के पावर ग्रिड में आवश्यक योगदानकर्ता।
- मांगदेलू: 720 मेगावाट की एक परियोजना हाल ही में भूटान को सौंपी गई है, जो अपनी उच्च दक्षता के लिए जाना जाता है।

साझेदारी की मुख्य विशेषताएं:

- हाइड्रो-मौसम विज्ञान नेटवर्क: भारत भूटान में जल स्तर पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए अवलोकन स्टेशनों के एक नेटवर्क का समर्थन करता है।
- बाढ़ पूर्वानुमान: मानसून के दौरान भारतीय राज्यों (असम और पश्चिम बंगाल) को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए संयुक्त तंत्र।
- जीएलओएफ निगरानी: दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए पिघलने वाले ग्लेशियरों की निगरानी पर अधिक ध्यान दिया गया।
- क्षमता निर्माण: WAPCOS लिमिटेड जैसी भारतीय एजेंसियां भूटानी इंजीनियरों को तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

महत्त्व:

- भूटान के सकल घरेलू उत्पाद में पनबिजली का सबसे बड़ा योगदान है और भारत को इसका सबसे बड़ा निर्यात है।
- भारत को अपने राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने के लिए स्वच्छ, नवीकरणीय फर्म शक्ति प्रदान करता है।

भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ:

भारत के प्रधान मंत्री ने इजरायल की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की, जहां दोनों देशों ने शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाया।

भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंधों के बारे में:

यह क्या है?

- भारत और इजरायल एक बहुआयामी संबंध साझा करते हैं जो गहरे सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी में एक ज्ञान-केंद्र साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण की विशेषता है। यह संबंध झिझकने वाली कूटनीतिक शुरुआत से आपसी रणनीतिक हितों और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर एक मजबूत, खुले गठबंधन में विकसित हुआ है।



डेटा और आँकड़े:

- कृषि: 35 परिचालित भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्रों में 1 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।
- अनुसंधान वित्तपोषण: भारत-इजरायल संयुक्त अनुसंधान कॉल (IJRC) के लिए संयुक्त अनुसंधान योगदान मिलियन से बढ़कर मिलियन हो गया।
- श्रम गतिशीलता: अगले पांच वर्षों में निर्माण और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में इजरायल में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को तैनात करने का लक्ष्य।
- व्यापार अवसरचना: 2025 द्विपक्षीय निवेश समझौते के बाद मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत में तेजी आई है।
- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: I4F फंड औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्राथमिक चालक बन गया है, जो दर्जनों उच्च तकनीक संयुक्त उद्यमों की सुविधा प्रदान करता है।

संबंधों का इतिहास:

- 1950: भारत ने आधिकारिक तौर पर इजरायल राज्य को मान्यता दी लेकिन शीत युद्ध के युग के गुटनिरपेक्ष रुख के कारण सीमित जुड़ाव बनाए रखा।
- 1992: दूतावासों के उद्घाटन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, जो व्यावहारिक विदेश नीति की ओर एक बदलाव को चिह्नित करते हैं।
- कारगिल युद्ध (1999): इजरायल ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी प्रदान की, जिससे एक मूक लेकिन गहरे सुरक्षा बंधन को मजबूत किया गया।
- 2017: पीएम मोदी इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जिससे इजरायल और फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों को खराब कर दिया गया।
- 2022-23: I2U2 समूह (भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए) का गठन, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित करना।

हाल ही में द्विपक्षीय बैठक के परिणाम:

1. रणनीतिक और संस्थागत उन्नयन

- एक नया दर्जा: संबंधों को 'शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया गया, जो सुरक्षा से परे दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
- संस्थागत ढांचा: सरकार, शिक्षा और विधायिका में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत-इजरायल अकादमिक सहयोग मंच (I2I फोरम) और भारत-इजरायल संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की।

2. अग्रणी प्रौद्योगिकी और एआई नेतृत्व

- CET पहल: दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के नेतृत्व में एक नई महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (CET) पहल, अब सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को नियंत्रित करेगी।
- एआई एकीकरण: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो औद्योगिक अनुप्रयोग और एआई के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट ढांचे दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- क्षितिज स्कैनिंग: अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में वैश्विक रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई और बड़े डेटा का उपयोग करके एक रणनीतिक दूरदर्शिता तंत्र लॉन्च किया।

3. व्यापक साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष

- उत्कृष्टता केंद्र: भारत में साइबर सुरक्षा में भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए।

- रणनीतिक रोडमैप: डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए डिजाइन द्वारा सुरक्षा को एकीकृत करने और संयुक्त वित्तीय-साइबर सिमुलेशन करने के लिए एक बहु-वर्षीय कार्यक्रम अपनाया गया था।
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप: इसरो और आईएसए को निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में उपग्रह प्रक्षेपण से आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

4. आर्थिक और फिनटेक कनेक्टिविटी

- एकीकृत भुगतान (UPI): भारत के UPI को इज़राइल की तेज़ भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए एक बड़ी सफलता, जो वास्तविक समय सीमा पार लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।
- व्यापार ढांचा: 2025 द्विपक्षीय निवेश समझौते के बाद, दोनों देशों ने अप्रयुक्त बाजार क्षमता को अनलॉक करने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) वार्ता को तेजी से ट्रैक किया है।
- बुनियादी ढांचा: भारत मेट्रो, रेल और अलवणीकरण संयंत्रों सहित इजरायल की मेगा-परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाएगा।

5. कृषि, जल और समुद्री विरासत

- नवाचार केंद्र: कृषि के लिए भारत-इजरायल नवाचार केंद्र (IINCA) और मत्स्य पालन और जलीय कृषि में एक नया संयुक्त CoE स्थापित किया।
- जल कूटनीति: इजरायल के अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गंगा की सफाई पहल का विस्तार किया।
- पानी के नीचे पुरातात्विक अन्वेषण के लिए लोथल (राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर) और इज़राइल पुरावशेष प्राधिकरण के बीच एक अनूठा समझौता ज्ञापन।

6. क्षेत्रीय सुरक्षा और श्रम गतिशीलता

- आतंकवाद का मुकाबला: संयुक्त रूप से 7 अक्टूबर (इज़राइल) और 2025 पहलगाम/दिल्ली (भारत) हमलों की निंदा की; गाजा संघर्ष समाप्ति योजना और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए समर्थन व्यक्त किया।
- श्रमिक सुरक्षा: 5 वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों के लिए इज़राइल में प्रवेश करने के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल, 2023 फ्रेमवर्क समझौते के तहत सख्त सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ:

1. क्षेत्रीय स्थिरता और संघर्ष: मध्य पूर्व में चल रहे तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी सुरक्षा को जटिल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, डूज़बा तेल प्रवाह के निलंबन और गाजा संघर्ष में अस्थिरता के लिए भारत को ऊर्जा समृद्ध अरब देशों के साथ अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है।
2. संतुलन अधिनियम (फिलिस्तीन): भारत दो-राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, जो कभी-कभी इजरायल-फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के दौरान राजनयिक टकराव पैदा करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रम्प की गाजा शांति योजना के लिए भारत का समर्थन संयुक्त राष्ट्र में अपने स्वतंत्र रुख को बनाए रखते हुए शांति प्रक्रियाओं के साथ एक सावधानीपूर्वक संरेखण दिखाता है।
3. सीमा पार आतंकवाद: दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं, जिसके लिए सिंक्रनाइज़ वैश्विक नीति की आवश्यकता होती है जो अक्सर आतंक की अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं से बाधित होती है। उदाहरण के लिए, पहलगाम और नई दिल्ली में 2025 के हमले लगातार खतरे को रेखांकित करते हैं जो केवल हार्डवेयर बिक्री से परे खुफिया जानकारी साझा करने की मांग करता है।
4. साइबर कमजोरियाँ: जैसे-जैसे वित्तीय प्रणालियाँ (UPI-इज़राइल) आपस में जुड़ती हैं, परिष्कृत राज्य-प्रायोजित साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2025 का उद्घाटन साइबर नीति संवाद विशेष रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले वित्तीय-साइबर खतरों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
5. व्यापार बाधाएं: उच्च इरादे के बावजूद, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जटिल नियामक और टैरिफ संरचनाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, FTA के लिए 2026 के संदर्भ की शर्तें (ToR) दोनों देशों में घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा के लिए वर्षों की बातचीत के बाद ही हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राह:

- IMEC कार्यान्वयन: भारतीय वस्तुओं के लिए भूमध्यसागरीय प्रवेश द्वार के रूप में इज़राइल को एकीकृत करने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे में तेजी लाना।
- सेमीकंडक्टर कूटनीति: धोलेरा और अन्य औद्योगिक नोड्स में भारत के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर मिशनों को बढ़ावा देने के लिए इजरायल की चिप-डिजाइन कौशल का लाभ उठाएं।
- जल सुरक्षा: सभी भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में इजरायली अपशिष्ट-से-पानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा की सफाई और अलवणीकरण परियोजनाओं को बढ़ाना।

- शैक्षणिक एकीकरण: यह सुनिश्चित करने के लिए I2I फोरम (अकादमिक सहयोग मंच) का संचालन करें कि अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं से वाणिज्यिक बाजारों की ओर बढ़े।
- डीप-टेक संयुक्त उद्यम: 'मेक इन इंडिया' ढांचे के तहत रक्षा में क्रेता-विक्रेता संबंध से सह-विकास और सह-उत्पादन में परिवर्तन।

निष्कर्ष:

एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों का उन्नयन एक परिपक्व संबंध को दर्शाता है जो पारंपरिक रक्षा सौदों को एआई, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्थानांतरित कर चुका है। भारतीय स्तर के साथ इजरायल के नवाचार को एकीकृत करके, दोनों देश दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल एक द्विपक्षीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि उभरते भारत-अब्राहमिक परिदृश्य में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

पैक्स सिलिका पहल

संदर्भ:

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।



पैक्स सिलिका पहल के बारे में:

यह क्या है?

- पैक्स सिलिका एक रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित, लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए किया जाता है।

इतिहास:

- आपूर्ति-श्रृंखला कमजोरियों और दुर्लभ-पृथ्वी प्रसंस्करण की एकाग्रता पर बढ़ती चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में संकल्पित किया गया।
- दिसंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में अपना उद्घाटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

उद्देश्य:

- महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टरों और एआई से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए लचीली और विविध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना।
- समान विचारधारा वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को गहरा करना और जबरदस्ती या एकाधिकारवादी आपूर्ति से जोखिम को कम करना।

प्रतिभागी:

- हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रीस, इजरायल, जापान, कतर, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, भारत (नया प्रवेशकर्ता)।
- गैर-हस्ताक्षरकर्ता प्रतिभागी: कनाडा, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, ओईसीडी, ताइवान।

प्रमुख विशेषताएँ:

- आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा फोकस: अत्यधिक सांद्रता जोखिमों को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण को बढ़ावा देता है।
- एआई और प्रौद्योगिकी सहयोग: एआई सिस्टम, सेमीकंडक्टर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण इकोसिस्टम में सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

- महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी: समन्वित शोधन, प्रसंस्करण और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक दुर्लभ-पृथ्वी और रणनीतिक खनिजों तक पहुंच का समर्थन करता है।
- निवेश और बुनियादी ढांचा सहयोग: विश्वसनीय औद्योगिक और प्रौद्योगिकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए साझा निवेश और प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है।
- विश्वसनीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: सुरक्षित और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी स्टैक बनाने के लिए सरकारों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग बनाता है।
- निष्पक्ष बाजार और सुरक्षा ढांचा: गैर-बाजार प्रथाओं, अनुचित डंपिंग को संबोधित करता है और सवेदनशील प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: नवाचार को बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उद्यमिता और उद्योग क्षमताओं को जुटाता है।
- रणनीतिक आर्थिक संरक्षण: इसका उद्देश्य भागीदार देशों को दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी शासन और लचीली वैश्विक आर्थिक संरचना पर संरक्षित करना है।

चाबहार बंदरगाह

संदर्भ:

ईरान ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों और प्रतिबंधों की छूट की संभावित समाप्ति से उत्पन्न अनिश्चितता के बावजूद चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए अपने समर्थन और भारत के साथ गहरे सहयोग की पुष्टि की है।

चाबहार बंदरगाह के बारे में:

यह क्या है?

- चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जिसे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के बीच क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए एक बहुउद्देशीय वाणिज्यिक और रणनीतिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है।

स्थान:

- दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित, सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में
- हिंद महासागर तक सीधी पहुंच के साथ ओमान की खाड़ी पर स्थित है
- ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान) से लगभग 170 किमी पश्चिम में, जो इसे भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- पहली बार 1970 के दशक में ईरान के शाह के तहत अवधारणा की गई थी; 1979 की ईरानी क्रांति के बाद प्रगति रुक गई
- फारस की खाड़ी के बंदरगाहों के विकल्प के रूप में ईरान-इराक युद्ध (1980-88) के दौरान महत्व प्राप्त किया
- भारत-ईरान सहयोग 2003 में शुरू हुआ, लेकिन प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में देरी हुई
- 2016 में, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार को ट्रांजिट हब के रूप में उपयोग करने के लिए सहयोग को औपचारिक रूप दिया
- भारत ने 2018 में बंदरगाह संचालन का कार्यभार संभाला; 2024 में 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी शामिल थी

प्रमुख विशेषताएँ:

- इसमें दो टर्मिनल शामिल हैं: शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेशती
- कंटेनर, थोक और बहुउद्देशीय कार्गो को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया
- बंदर अब्बास के विपरीत, समुद्र में जाने वाले बड़े जहाजों को बर्थ करने की क्षमता
- ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाली सड़क-रेल परियोजनाओं के साथ एकीकृत
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) दृष्टिकोण का हिस्सा

महत्व

- भारत के लिए सामरिक:
- अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को दरकिनार किया
- यूरेशियन कनेक्टिविटी में भारत की भूमिका को बढ़ाता है
- भू-राजनीतिक उत्तोलन: CPEC के तहत चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह के लिए एक प्रति-संतुलन के रूप में कार्य करता है
- आर्थिक महत्व: व्यापार, मानवीय सहायता (जैसे, अफगानिस्तान में गेहूं की शिपमेंट), और क्षेत्रीय एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है



रणनीतिक स्वायत्तता से विकसित भारत तक: भारत की विदेश नीति को फिर से तैयार करना

संदर्भ:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से संसद में एक नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार किया, जो रणनीतिक स्वायत्तता की पारंपरिक नीति से विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर केंद्रित एक अधिक सक्रिय, रुचि-आधारित ढांचे की ओर संक्रमण का संकेत देता है।

रणनीतिक स्वायत्तता से विकसित भारत तक: भारत की विदेश नीति को फिर से तैयार करने के बारे में

यह क्या है?

- नई विदेश नीति की रूपरेखा सामरिक तटस्थता और रणनीतिक स्वायत्तता की मुद्रा से एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है - जिसे अक्सर गुटनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी जाती है - एक विकसित राष्ट्र में भारत के दीर्घकालिक परिवर्तन के उद्देश्य से एक उद्देश्य-संचालित जुड़ाव के लिए।

बहुपक्षवाद का क्षरण:

- निष्क्रिय वैश्विक संस्थान: विश्व व्यापार संगठन जैसे पारंपरिक निकाय पंगु हो गए हैं क्योंकि प्रमुख शक्तियां सर्वसम्मति-आधारित नियमों को दरकिनार कर देती हैं।
- उदाहरण के लिए, 2025 के अंत में, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र को अस्वीकार करना जारी रखा, जिससे भारत को टैरिफ मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय मिनी-ट्रेड सौदों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- लेन-देन संबंधी कूटनीति का उदय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब साझा उदार मूल्यों द्वारा निर्देशित नहीं हैं, बल्कि अमेरिका फर्स्ट या चीन-केंद्रित लेन-देन द्वारा निर्देशित हैं।
- उदाहरण के लिए, 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और WHO से अमेरिका का बाहर निकलना वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं से पीछे हटने को रेखांकित करता है।
- व्यापार का शस्त्रीकरण: टैरिफ और प्रतिबंधों का उपयोग केवल आर्थिक नीति के बजाय जबरदस्ती के उपकरण के रूप में तेजी से किया जा रहा है।
- उदाहरण के लिए, 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमीनियम पर 50% टैरिफ लगाना स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ा हुआ था।
- चीन का संस्थागत कब्जा: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में बीजिंग के प्रभुत्व और इसकी विशाल सहायता मात्रा ने ग्लोबल साउथ में भारत के बौद्धिक नेतृत्व को नष्ट कर दिया है।
- उदाहरण के लिए, चीन अब कई प्रमुख संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का नेतृत्व करता है, जो डिजिटल शासन और बुनियादी ढांचे में वैश्विक मानकों को तिरछा करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है।

रणनीतिक स्वायत्तता की सीमाएँ:

- शीत युद्ध अप्रचलन: रणनीतिक स्वायत्तता शीत युद्ध का एक उत्पाद था; तकनीकी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में, असंरचित होने से बाहर रखा जा सकता है।
- उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और रूसी एस -400 प्रणालियों के बीच चयन करने के दबाव से पता चला है कि दो दृढ़ भागीदारों को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है।
- आर्थिक भेद्यता: घरेलू औद्योगिक ताकत के बिना स्वायत्तता पर भरोसा करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों के दौरान नीति को एक खोखली पहचान बनाता है।
- उदाहरण के लिए, पूर्वी एशिया से सेमीकंडक्टर आयात पर भारत की 90% निर्भरता (2025 डेटा) इंडो-पैसिफिक तकनीकी मानदंडों पर एक स्वतंत्र रुख लेने की इसकी क्षमता को सीमित करती है।
- सिंग स्टेट लेबल: अमेरिका और उसके सहयोगी अब भारत को स्वायत्त नहीं बल्कि एक सिंग स्टेट के रूप में देखते हैं जिसे उनके ब्लॉक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए 2025 में उच्च-स्तरीय अमेरिकी सैन्य रणनीति प्रबंधित प्रतिस्पर्धा की ओर स्थानांतरित हो गई, जिसमें भारत की तटस्थता को स्थिर के बजाय एक चर के रूप में देखा गया।
- खंडित वैश्विक दक्षिण: विकासशील देशों के हितों में अंतर आ गया है, जिससे भारत के लिए बहुपक्षीय मंचों पर निर्विवाद नेतृत्व का दावा करना कठिन हो गया है।
- उदाहरण के लिए, हाल के जलवायु शिखर सम्मेलनों में, अफ्रीकी और प्रशांत द्वीप देशों ने अलग-अलग एजेंडा विकसित किए हैं, कभी-कभी कोयला और वित्त पर भारत की स्थिति से अलग हो जाते हैं।

भारत के लिए नई रणनीतिक वास्तविकता:

- असममित शक्ति राजनीति: संबंध 19 वीं शताब्दी की शक्ति की शैली में लौट रहे हैं, जहां छोटे राष्ट्रों को अधीनस्थ व्यापार संबंधों में मजबूर किया जाता है।



- उदाहरण के लिए भारत-यू.एस. अंतरिम व्यापार समझौते (फरवरी 2026) के तहत भारत को टैरिफ में कमी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक उत्पादों के आयात को दोगुना करने की आवश्यकता थी।
- संप्रभुता के रूप में तकनीकी प्रभुत्व: भविष्य की शक्ति को एआई, साइबर क्षमताओं और अंतरिक्ष द्वारा परिभाषित किया जाएगा, न कि केवल क्षेत्रीय सीमाओं द्वारा।
- उदाहरण के लिए NavIC और GLONASS ब्रांड स्टेशनों को पारस्परिक रूप से तैनात करने के लिए भारत-रूस समझौता (2025) एक गैर-पश्चिमी नेविगेशन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक कदम है।
- प्रतिस्पर्धी विनिर्माण: विकास के लिए, भारत को एक ऐसी दुनिया में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए जहां चीन द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुपक्षीय सीढ़ी को ऊपर खींच लिया गया है।
- उदाहरण के लिए, चाइना प्लस वन रणनीति ने भारत को 2025 में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को दोगुना करके ₹4 लाख करोड़ तक देखा है, फिर भी इसे वियतनाम और मैक्सिको से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- पड़ोस की अस्थिरता: बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्लामी चरमपंथ और चीनी प्रभाव के बढ़ने के साथ भारत का तत्काल परिवेश अधिक जटिल होता जा रहा है।
- उदाहरण के लिए प्रस्तावित बांग्लादेश-पाकिस्तान आपसी रक्षा समझौता (2025) भारतीय कूटनीति के लिए एक नई 2.5-मोर्चों वाली सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करता है।

भारतीय विदेश नीति को नया रूप देना:

- समय बिताएं और आंतरिक रूप से निर्माण करें: पीएलआई योजनाओं और घरेलू बुनियादी ढांचे (विकसित भारत लक्ष्यों) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कम अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल अपनाएं।
- उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में चीनी प्रसंस्करण को बायपास करने, अंतर्जात आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा का निर्माण करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- आक्रामक व्यापार विविधीकरण: यूरोपीय संघ (जनवरी 2026) और यूके के साथ बड़े एफटीए को अंतिम रूप देकर अमेरिकी बाजार से आगे बढ़ना।
- उदाहरण के लिए भारत-यूरोपीय संघ एफटीए (2026) ने दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया, जो भारत के निर्यात व्यापार का 99% कवर करता है।
- नए तकनीक-केंद्रित गठबंधन: अंतरिक्ष, क्वांटम और साइबर प्रौद्योगिकियों के लिए रूस और मध्य शक्तियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना।
- उदाहरण के लिए, कज़ान (2024) और तियानजिन (2025) शिखर सम्मेलन ने सीमा पार ब्रिक्स व्यापार के लिए आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया।
- निष्क्रिय क्षेत्रीय मुद्रा: सुरक्षा संकट के बजाय विदेश नीति की चुनौतियों के रूप में पड़ोस के मुद्दों को मानना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक ध्यान निर्बाध रहे।
- उदाहरण के लिए विकसित भारत 2047: भारत-कुवैत संवाद क्षेत्रीय हितों को स्थिर करने के लिए निवेश और ऊर्जा कूटनीति का उपयोग करने की दिशा में बदलाव दिखाते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की विदेश नीति 1991 के बाद से अपने सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो रक्षात्मक रणनीतिक स्वायत्तता से एक मुखर विकसित भारत 2047 विजन में बदल रही है। अंतर्जात तकनीकी ताकत का निर्माण करके और यूरोपीय संघ के साथ सभी सौदों की जननी के माध्यम से व्यापार में विविधता लाकर, भारत का लक्ष्य एक स्वतंत्र वैश्विक ध्रुव के रूप में एक खंडित दुनिया को नेविगेट करना है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

संदर्भ:

गाजियाबाद में स्क्रीन की लत और मोबाइल फोन के उपयोग पर माता-पिता के संघर्ष से शुरू हुई तीन बहनों की दुखद आत्महत्या ने भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर एक गहन राष्ट्रीय बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में:

यह क्या है?

- परिभाषा: बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध उन कानूनी नियमों को संदर्भित करता है जो एक निश्चित आयु (आमतौर पर 16 वर्ष) से कम उम्र के किशोरों को प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने या चलाने से रोकते हैं।
- तकनीकी उतरदायित्व: इसके तहत उम्र के सत्यापन (Age Verification) की पूरी जिम्मेदारी तकनीकी कंपनियों पर डाल दी गई है। इसमें सरकारी आईडी या बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे कड़े उपायों की आवश्यकता होती है ताकि नाबालिगों को इस अनियंत्रित डिजिटल दुनिया (Digital Wild West) से दूर रखा जा सके।



प्रमुख रुझान और सांख्यिकी:

- भारत का विशाल यूजर बेस: भारत इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। 2026 तक इन दोनों के पास 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
- किशोरों में उच्च उपयोग: एएसईआर (ASER) रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, 90% से अधिक भारतीय किशोर सक्रिय रूप से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य चिंतावनी: 'आर्थिक समीक्षा 2025-26' ने डिजिटल लत और अनिवार्य स्क्रॉलिंग (Compulsive Scrolling) को भारत के युवाओं के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता घोषित किया है।
- डिजिटल लैंगिक अंतर: आंकड़ों में स्पष्ट असमानता है: भारत में केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 57.1% है।
- समय का निवेश: हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार, 61% शहरी भारतीय बच्चे प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक इंटरनेट पर बिताते हैं, जिनमें से कई तो 6 घंटे से भी अधिक समय ऑनलाइन रहते हैं।

प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है?

1. गंभीर लत का मुकाबला: एल्गोरिदम-आधारित कंटेंट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से व्यवहार में घातक बदलाव आ सकते हैं।
 - उदाहरण: 2026 की गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड की घटना एक कोरियाई टास्क-आधारित गेम से जुड़ी थी, जिससे वे बहनें चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थीं।
2. मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा: अत्यधिक उपयोग से चिंता (Anxiety), अवसाद और अपनी शारीरिक बनावट को लेकर असंतोष (Body Image Issues) पैदा होता है।
 - साक्ष्य: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 स्क्रीन टाइम और 15-24 आयु वर्ग के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध दर्शाता है।
3. साइबर-ब्लूमिंग की रोकथाम: प्रतिबंध से अनियंत्रित डिजिटल स्पेस में शिकारियों (Predators) द्वारा नाबालिगों को निशाना बनाने का जोखिम कम होता है।
 - उदाहरण: 2026 की शुरुआत में एआई (AI) चैटबॉट्स की विफलता से नाबालिगों के साथ अनुचित संवाद के मामले सामने आए।
4. स्व-नुकसान (Self-harm) वाले कंटेंट पर रोक: पहुंच सीमित करने से वायरल हो रहे खतरनाक चैलेंज और आत्म-नुकसान वाले कृत्यों के प्रसार को रोका जा सकता है।
5. अकादमिक फोकस की बहाली: लगातार आने वाले नोटिफिकेशन सीखने की क्षमता और नींद के चक्र को बाधित करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जनवरी 2026 में चेतावनी दी थी कि "सस्ता डेटा" छात्रों की एकाग्रता को कम कर रहा है।

प्रतिबंध लगाने की चुनौतियाँ:

- तकनीकी खामियां (Technical Porosity): बच्चे तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं और वे अक्सर वीपीएन (VPN) का उपयोग करके इन प्रतिबंधों को आसानी से बायपास कर लेते हैं।
- गोपनीयता और निगरानी का जोखिम: अनिवार्य आईडी वेरिफिकेशन से बड़े पैमाने पर निगरानी (Surveillance) का खतरा बढ़ सकता है। आलोचकों का मानना है कि डीपीडीपी (DPDP) अधिनियम के तहत 'आधार-लिंक्ड लॉगिंग' निजता का हनन कर सकता है।

- डिजिटल लाइफलाइन का नुकसान: ग्रामीण भारत के एलजीबीटीक्यू+ (LGBTQ+) और दिव्यांग युवाओं के लिए सोशल मीडिया अक्सर एकमात्र सामुदायिक सहायता होता है, जो प्रतिबंध से छिन सकता है।
- लैंगिक असमानता का बढ़ना: सख्त नियमों के कारण अक्सर रूढ़िवादी परिवारों में केवल लड़कियों के फोन जब्त कर लिए जाते हैं, जिससे 'डिजिटल डिवाइड' और बढ़ जाता है।
- अंधेरे कोनों की ओर पलायन: इंस्टाग्राम जैसे विनियमित ऐप से हटकर बच्चे टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड और अनियंत्रित प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जहाँ चरमपंथी सामग्री का खतरा अधिक है।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:

- ऑस्ट्रेलिया का कानून: यह सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना, जहाँ उल्लंघन पर \$50 मिलियन तक का जुर्माना है।
- सिंगापुर मॉडल: पूर्ण प्रतिबंध के बजाय, सिंगापुर 'ऐप स्टोर कोड' के माध्यम से सख्त रेटिंग और डाउनलोड से पहले गहन जांच पर ध्यान देता है।

आगे की राह:

- सुरक्षा का कानूनी दायित्व (Duty of Care): केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि तकनीकी कंपनियों को उनके एल्गोरिदम की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- स्वतंत्र नियामक: डिजिटल सुरक्षा के लिए नौकरशाही के बजाय एक विशेषज्ञ और स्वतंत्र निकाय की स्थापना हो।
- डिजिटल साक्षरता: स्कूलों में बच्चों को डिजिटल खतरों से निपटने की शिक्षा दी जाए, न कि केवल उनके चारों ओर दीवार खड़ी की जाए।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया पर केवल एक "सपाट प्रतिबंध" नियंत्रण का एक भ्रम तो दे सकता है, लेकिन यह उन बुनियादी तकनीकी और सामाजिक समस्याओं को हल नहीं करता जो बच्चों को नुकसान पहुँचाती हैं। भारत को केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई के बजाय एक ऐसा सुरक्षित मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए, जहाँ तकनीकी कंपनियाँ अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों के डिजिटल अधिकार भी सुरक्षित रहें।

महिलाओं के नेतृत्व में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)

संदर्भ:

भारत वितरित नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (IDRES) 2026 ने महिला नेतृत्व वाली DRE प्रणालियों को भारत के 'नेट-जीरो' (Net-Zero) लक्ष्य के लिए एक मुख्य स्तंभ माना है।



यह क्या है?

- परिवर्तनकारी मॉडल: यह मॉडल ग्रामीण महिलाओं को केवल 'उपभोक्ता' से बदलकर ऊर्जा प्रणालियों (सौर पंप, मिनी-ग्रिड, सौर ड्रायर) का डिजाइनर, मालिक और संचालक बनाता है।
- लैंगिक समानता और ऊर्जा: स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया जाता है, जिससे घरेलू जरूरतों के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका को भी शक्ति मिलती है।

प्रमुख डेटा और तथ्य

- प्रतिनिधित्व का अंतर: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल में महिलाएं केवल 11% हैं, जबकि वैश्विक औसत 32% है।
- आय में वृद्धि: DRE का उपयोग करने वाली 90% महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है; एक वर्ष के भीतर उनकी औसत आय में एक-तिहाई की बढ़ोतरी देखी गई।
- स्वास्थ्य प्रभाव: पारंपरिक ईंधन से होने वाला इनडोर वायु प्रदूषण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2,00,000 असामयिक मौतों का कारण बनता है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं।
- आर्थिक क्षमता: ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2025-26 तक भारत की अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकती है।
- सफलता का उदाहरण: सौर रेशम-रीलिंग तकनीक से महिलाओं की मासिक आय ₹1,500 से बढ़कर ₹6,000 तक पहुंच गई है।

DRE की आवश्यकता क्यों है?

1. बिजली की विश्वसनीयता: ग्रिड कनेक्शन होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बिजली अस्थिर रहती है। DRE स्वास्थ्य केंद्रों जैसे आवश्यक स्थानों पर निरंतर बिजली सुनिश्चित करता है।

- उदाहरण: छत्तीसगढ़ के वनांचल गांवों में सौर ऊर्जा से जीवन रक्षक टीकों का प्रशीतन (Refrigeration) सुनिश्चित होता है।

2. 'समय की गरीबी' (Time Poverty) से मुक्ति: ग्रामीण महिलाएं ईंधन इकट्ठा करने में रोज 3-4 घंटे लगाती हैं। सौर तकनीक कठिन कार्यों को स्वचालित कर उनका समय बचाती है।

- उदाहरण: ओडिशा में सौर मशीनों ने 'थाई-रीलिंग' (जांघ पर सूत कातना) की जगह ली है, जिससे शारीरिक श्रम की भारी बचत हुई है।

3. ग्रामीण सुरक्षा: सौर स्ट्रीट लाइटों के कारण अंधेरे के बाद महिलाओं की गतिशीलता और सुरक्षा बढ़ी है।

4. ऊर्जा का उत्पादक उपयोग (PURE): छोटे ग्रामीण उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सस्ती बिजली जरूरी है।

- उदाहरण: राजस्थान में महिलाएं दूध को खराब होने से बचाने के लिए 'सोलर बल्क मिल्क चिलर' का उपयोग कर रही हैं।

5. जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): प्राकृतिक आपदाओं के समय केंद्रीकृत ग्रिड फेल हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय सौर प्रणालियां काम करती रहती हैं।

प्रमुख सरकारी पहल

- पीएम सूर्य घर (सौर गांव): 2030 तक 10,000 'सौर गांव' बनाने का लक्ष्य, जिसमें प्रबंधन महिलाओं के हाथ में होगा।
- लखपति दीदी योजना: SHG व्यवसायों में सौर तकनीक जोड़कर 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य।
- अंजोर विजन 2047 (छत्तीसगढ़): 5,000 महिला नेतृत्व वाले DRE समाधान और 2030 तक 50,000 'ग्रीन जॉब्स' का रोडमैप।
- सोलर ऊर्जा लैप (SoUL) परियोजना: बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण महिलाओं को सौर लैप असेंबल करने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण।

विद्यमान चुनौतियाँ

- भारी निवेश: सौर उपकरणों की शुरुआती लागत बहुत अधिक है। (जैसे: एक मिल्क चिलर की कीमत ₹25 लाख तक हो सकती है)।
- तकनीकी कौशल की कमी: स्थानीय स्तर पर मरम्मत के लिए प्रशिक्षित 'ऊर्जा सखियों' का अभाव है।
- पितृसत्तात्मक बाधाएं: केवल 13.9% महिलाओं के पास भूमि का मालिकाना हक है, जिससे उन्हें सौर उपकरणों के लिए बैंक ऋण मिलने में कठिनाई होती है।
- बाजार जागरूकता: कई उद्यमी आज भी सब्सिडी और सौर प्रौद्योगिकियों के लाभों से अनजान हैं।
- आपटर-सेल्स सर्विस: ग्रामीण स्तर पर स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर की भारी कमी है।

आगे की राह (Way Forward)

- संपत्ति का स्वामित्व: 'उज्ज्वला योजना' की तरह ऊर्जा संपत्तियों (Assets) का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर अनिवार्य किया जाए।
- ग्रीन क्रेडिट: महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज दर पर समर्पित ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- 'सोलर दीदी' कैडर: तकनीकी और मरम्मत कार्यों के लिए महिलाओं का एक विशेष व्यावसायिक दल तैयार किया जाए।
- पंचायत एकीकरण: ग्राम पंचायतों को महिला समूहों के साथ मिलकर ऊर्जा वितरण की शक्ति दी जाए।
- योजनाओं का विलय: DRE को 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) जैसी मुख्यधारा की योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए।

निष्कर्ष

भारत का ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) तभी सफल होगा जब अंतिम छोर पर खड़ी महिलाएं केवल 'लाभार्थी' न रहकर 'प्रदाता' बनें। महिला नेतृत्व वाला DRE मॉडल न केवल ऊर्जा गरीबी को मिटाएगा, बल्कि लैंगिक असमानता को खत्म कर 'विकसित भारत' के सपने को गति देगा।

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FFS 2.0)

संदर्भ:

हिंदुस्तान टाइम्स (HT) | विषय: सरकारी योजनाएं एवं अर्थव्यवस्था
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ 'फंड ऑफ फंड्स 2.0' (FFS 2.0) को मंजूरी दी है, ताकि घरेलू उद्यम पूंजी (Venture Capital) को बढ़ावा दिया जा सके।

यह क्या है?

- परिभाषा: स्टार्टअप इंडिया FFS 2.0 एक सरकार समर्थित निधि है। यह सीधे स्टार्टअप में निवेश करने के बजाय वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) में पूंजी लगाता है। ये AIFs आगे चलकर होनहार स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक घरेलू पूंजी प्रदान करते हैं।



- स्थापना: * केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2026 में स्वीकृत।
- यह व्यापक 'स्टार्टअप इंडिया' पहल का हिस्सा है।
- यह 2016 में लॉन्च किए गए पहले 'फंड ऑफ फंड्स' (FFS 1.0) का उन्नत संस्करण है।

मुख्य उद्देश्य

- विकास की गति: भारत के स्टार्टअप विकास के अगले चरण (Startup 2.0) में तेजी लाना।
- घरेलू इकोसिस्टम: विदेशी निवेश पर निर्भरता कम कर भारत के अपने उद्यम पूंजी (Venture Capital) तंत्र को मजबूत करना।
- नवाचार का समर्थन: तकनीक-संचालित और अनुसंधान-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- फंडिंग गैप को भरना: शुरुआती चरण (Early-stage) में स्टार्टअप्स को आने वाली पूंजी की कमी और उच्च-जोखिम वाली बाधाओं को दूर करना।

प्रमुख विशेषताएं

- ₹10,000 करोड़ का कॉर्पस: स्टार्टअप्स के लिए समर्पित एक बड़ा सरकारी कोष।
- क्षेत्र-विशिष्ट फोकस (Targeted Sectors): विशेष रूप से डीप-टेक (Deep-tech) और नवाचारी विनिर्माण (Innovative Manufacturing) पर ध्यान।
- विफलता दर में कमी: पूंजी की कमी के कारण बंद होने वाले शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को सुरक्षा कवच प्रदान करना।
- अखिल भारतीय पहुंच (Pan-India Access): केवल बड़े महानगरों (Metros) तक सीमित न रहकर, छोटे शहरों (Tier-2 & 3) के स्टार्टअप्स तक फंडिंग पहुंचाना।
- रणनीतिक निवेश: उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी लगाना जहाँ निजी निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं।
- AIF मॉडल संरचना: यह फंड SEBI के पास पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों के माध्यम से संचालित होता है, जिससे निवेश का पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

महत्त्व और प्रभाव

- FFS 1.0 की विरासत: पहले चरण (1.0) ने 145 से अधिक AIF को ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता दी थी, जिससे 1,370+ स्टार्टअप्स में ₹25,500 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। 2.0 इसी सफलता को आगे बढ़ाएगा।
- भविष्य की तकनीकें: एआई (AI), रोबोटिक्स, बायोटेक, वलीन-टेक और उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing) में भारत की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- आर्थिक लचीलापन: यह योजना भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) में रैंकिंग सुधारने में मदद करेगी।

निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 केवल एक वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि भारत को "प्रोडक्ट नेशन" बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। यह घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और भारतीय उद्यमियों को उच्च-जोखिम वाली तकनीकों में शोध करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II)

संदर्भ:

ट्रिब्यून (TP) | विषय: सरकारी योजना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए असम के कछार जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) का औपचारिक शुभारंभ किया।

यह क्या है?

- परिभाषा: VVP-II एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' (Central Sector Scheme) है। यह भारत की उन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों के विकास पर केंद्रित है, जिन्हें VVP-I (उत्तरी सीमा क्षेत्र) के तहत कवर नहीं किया गया था।
- लॉन्च: * आधिकारिक शुभारंभ: फरवरी 2026 में असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से।
- कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26 (प्रथम चरण), जिसे 2028-29 तक वित्तीय सहायता दी गई है।



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Evolution)

- 1986-87: सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (BADP) शुरू हुआ।
- चुनौतियां: समय के साथ इन क्षेत्रों में आजीविका की असुरक्षा और विकास के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर पलायन (Migration) देखा गया।
- 2023 (VVP-I): पलायन रोकने और रणनीतिक गांवों को मजबूत करने के लिए उत्तरी सीमाओं (चीन सीमा) के लिए पहला 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' शुरू किया गया।
- 2026 (VVP-II): अब इस सफल मॉडल का विस्तार 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य सीमाओं (भारत-बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान) तक कर दिया गया है।

मुख्य उद्देश्य

- पलायन रोकना: सीमावर्ती गांवों में जीवन स्तर सुधार कर और स्थायी आजीविका देकर आबादी को वहीं बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना
- सुरक्षा में सहयोग: सीमा पर रहने वाली आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, ताकि वे सुरक्षा बलों के लिए "आंख और कान" (Eyes and Ears) के रूप में कार्य कर सकें।
- अवसंरचना अंतर को पाटना: दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना।

प्रमुख विशेषताएं और वित्तीय परिचय

- बजट: वित्त वर्ष 2028-29 तक ₹6,839 करोड़ का कुल आवंटन।
- व्याप्ति (Coverage): 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों कुल 1,954 रणनीतिक गांवों की पहचान की गई है।
- संतृप्ति दृष्टिकोण (Saturation Approach): यह सुनिश्चित करना कि सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे।
- अभिसरण मॉडल (Convergence Model): संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को एक साथ जोड़ना।

विकास के 4 मुख्य स्तंभ (Infrastructural Themes):

1. सड़क संपर्क: पीएमजीएसवाई-IV (PMGSY-IV) के तहत बारहमासी सड़कों का निर्माण।
2. डिजिटल कनेक्टिविटी: 'डिजिटल भारत निधि' के माध्यम से दूरसंचार और इंटरनेट पहुंचाना।
3. टेलीविजन संपर्क: 'बाइंड (BIND) योजना' के जरिए सूचना और मनोरंजन सुनिश्चित करना।
4. विद्युतीकरण: 'आरडीएसएस' (RDSS) योजना के तहत निरंतर बिजली आपूर्ति।

आजीविका और सामाजिक सशक्तिकरण

- आर्थिक विकास: पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन, और कौशल विकास।
- वित्तीय समावेशन: बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की शत-प्रतिशत पहुंच।
- विश्वास बहाली: स्थानीय समुदायों और सीमा सुरक्षा बलों (BSF, SSB आदि) के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए विशेष आउटरीच गतिविधियाँ।

निष्कर्ष

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II केवल एक विकास योजना नहीं है, बल्कि यह भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सीमावर्ती गांवों को "अंतिम गांव" के बजाय भारत का "पहला गांव" बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि दोनों को सुनिश्चित करता है।


यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच की खाई को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपके कंटेंट को अधिक स्पष्ट, मानक शब्दावली (Standard Terminology) और बेहतर संरचना के साथ पुनर्गठित किया है।

विश्व बैंक: महिला, व्यवसाय और कानून (WBL) 2026 रिपोर्ट

संदर्भ:

डाउन टू अर्थ (DTE) | विषय: महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय संदर्भ: विश्व बैंक की 2026 की रिपोर्ट एक गंभीर 'कार्यान्वयन अंतराल' (Implementation Gap) को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, कागजों पर तो महिलाओं के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन कमजोर प्रवर्तन और सहायक प्रणालियों के अभाव में वे हकीकत में विफल साबित हो रहे हैं।

FIGURE ES.1 Equality laws are associated with more women working, owning businesses, and participating in politics, as well as a reduced gender gap in labor force participation



WBL 2026 रिपोर्ट: एक परिचय

- संस्करण: यह 190 देशों में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को मापने वाली वार्षिक श्रृंखला की 11वीं रिपोर्ट है।
- WBL 2.0 ढांचा: यह संस्करण तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
 1. कानूनी ढांचा (Statutes): कागजी कानून क्या कहते हैं?
 2. सहायक ढांचा (Frameworks): नीतियों और सेवाओं का समर्थन कैसा है?
 3. प्रवर्तन (Enforcement): वास्तविकता में कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू हैं?

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

- वैश्विक स्कोर का अंतर: कानूनी ढांचे के लिए वैश्विक औसत स्कोर 67.9 है, लेकिन सहायक ढांचे के लिए यह गिरकर 47.3 और वास्तविक प्रवर्तन के लिए मात्र 53.4 रह जाता है।
- सुरक्षा का संकट: सुरक्षा सबसे कमजोर क्षेत्र है। आवश्यक सुरक्षा कानूनों का विश्व स्तर पर केवल एक-तिहाई ही लागू हो पाता है।
- समानता का लाभ: श्रम बल (Labor Force) में लैंगिक अंतर को खत्म करने से अगले दशक में वैश्विक जीडीपी (GDP) में 20% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
- शिशु देखभाल (Childcare) का अभाव: 190 देशों में से आधे से भी कम देशों में परिवारों के लिए वित्तीय सहायता के कानून हैं। कम आय वाले देशों में आवश्यक चाइल्डकैअर सहायता मात्र 1% उपलब्ध है।
- उद्यमिता में बाधा: हालांकि महिलाएं व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, लेकिन केवल 50% देश ही ऋण (Credit) तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं।
- सुधार की गति: पिछले दो वर्षों में 68 देशों ने 113 सकारात्मक सुधार किए हैं, जिनमें उप-सहारा अफ्रीका सबसे आगे है।

विद्यमान चुनौतियाँ

- अप्रभावी सुरक्षा तंत्र: यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून तो हैं, लेकिन मामलों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें या हेल्पलाइन नंबरों की भारी कमी है।
- मातृत्व दंड (Motherhood Penalty): किफायती चाइल्डकैअर सेवाओं की कमी के कारण महिलाओं को अवसर करियर छोड़ना पड़ता है।
- वित्तीय बहिष्कार: सांस्कृतिक रूढ़ियों और क्रेडिट पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं को बैंक ऋण मिलने में कठिनाई होती है। केवल 50% देशों में वित्तीय भेदभाव के खिलाफ कानून हैं।
- डेटा की कमी: अधिकांश देशों के पास यह ट्रैक करने के लिए डेटा सिस्टम नहीं है कि निजी क्षेत्र में 'समान काम के लिए समान वेतन' मिल रहा है या नहीं।
- बुनियादी अधिकारों में कमी: मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की आवाजाही (Mobility) और निवास स्थान चुनने के अधिकारों पर अभी भी कानूनी प्रतिबंध हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास (Global Best Practices)

- एकीकृत कार्यान्वयन: सफल देश कानूनी बदलावों के साथ-साथ विशेष बजट और जेंडर-विशिष्ट पुलिस इकाइयों (Gender-specific Police Units) का गठन करते हैं।
- सवैतनिक अवकाश (Paid Leave): जो देश माता-पिता दोनों के लिए सवैतनिक अवकाश अनिवार्य करते हैं, वहां महिला श्रम भागीदारी अधिक देखी गई है।
- जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्रोक्योरमेंट: वियतनाम जैसे देशों ने सरकारी खरीद (Public Procurement) में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को प्राथमिकता देने के कानून बनाए हैं।

आगे की राह (The Way Forward)

- कार्यान्वयन अंतर को भरना: केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना होगा।
- केयर इंफ्रास्ट्रक्चर: महिलाओं पर अवैतनिक घरेलू कार्यों (Unpaid Care Work) के बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक चाइल्डकैअर सेवाओं में निवेश बढ़ाएं।
- समान ऋण पहुंच: ऋण देने में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले सख्त कानून बनाए जाएं।
- सुरक्षा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: हिंसा पीड़ितों के लिए 24/7 हॉटलाइन और कानूनी सहायता सेवाएं अनिवार्य की जाएं।
- डेटा-आधारित नीतियां: लैंगिक आधार पर विभाजित डेटा (Gender-disaggregated Data) का उपयोग करें ताकि पता चल सके कि नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी सफल हैं।

निष्कर्ष

2026 की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि केवल विधायी मील के पत्थर (Legislative Milestones) गाड़ने से समानता नहीं आएगी। यदि हमें इस दशक में कार्यबल में शामिल होने वाली 600 मिलियन लड़कियों को सफलता का अवसर देना है, तो सरकारों को 'प्रवर्तन' और 'सहायक प्रणालियों' में भारी निवेश करना होगा।

रक्षा क्षेत्र: पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि (FY 2026-27)

संदर्भ:

द हिंदू | विषय: रक्षा एवं अर्थव्यवस्था संदर्भ: सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट में 15.2% की ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उजागर हुए सामरिक अंतरालों (Tactical Gaps) को भरना और "सुरक्षा-विकास-आत्मनिर्भरता" के संतुलन को मजबूत करना है।


A significant increase

This is the first full Union Budget presented after Operation Sindoor, and the financial footprint of the conflict is likely reflected in the budget for defence. The four-day intense aerial engagement following the Pahalgam terror attack exposed the need for a stockpile of armament

रक्षा पूंजीगत व्यय (CapEx) क्या है?

- परिभाषा: यह बजट का वह हिस्सा है जो सेना के आधुनिकीकरण, नए हथियारों के अधिग्रहण, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों जैसी संपत्तियों के निर्माण के लिए आरक्षित होता है।
- रणनीतिक बदलाव: FY2026-27 के लिए पूंजीगत परिव्यय 8% बढ़कर ₹2,19,306 करोड़ हो गया है, जो सेना को 'जनशक्ति-प्रधान' से बदलकर 'तकनीक-प्रधान' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

CHART 1: Defence expenditure as a percentage of total government expenditure (in ₹ crore) across select years, and at various Budget stages




बजट की मुख्य घोषणाएं

- रिकॉर्ड आवंटन: रक्षा मंत्रालय को कुल ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है।
- स्वदेशी खरीद का लक्ष्य: पूंजीगत बजट का 75% (₹1.39 लाख करोड़) घरेलू उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है।
- सीमा अवसंरचना: सीमा सड़क संगठन (BRO) का बजट बढ़ाकर ₹7,394 करोड़ किया गया।
- अनुसंधान एवं विकास (R&D): डीआरडीओ (DRDO) का बजट बढ़ाकर ₹29,100 करोड़ हुआ।
- सीमा शुल्क में छूट: घरेलू विमान निर्माण और MRO (स्वस्थता एवं मरम्मत) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क माफ किया गया।

बजट बढ़ाने की आवश्यकता क्यों?

1. युद्ध भंडार की पुनःपूर्ति: 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) के दौरान उपयोग किए गए सटीक-निर्देशित हथियारों (Precision Munitions) और गोला-बारूद के स्टॉक को फिर से भरना अनिवार्य है।
2. दो-मोर्चों (Two-Front) की चुनौती: चीन (LAC) और पाकिस्तान के साथ एक साथ सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक वायु सेना और थल सेना की आवश्यकता है।
3. समुद्री सुरक्षा (IOR): हिंद महासागर में विदेशी नौसैनिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'प्रोजेक्ट 75 (I)' जैसी स्टील्थ पनडुब्बी परियोजनाओं को गति देना।
4. तकनीकी श्रेष्ठता: भविष्य के युद्धों के लिए AI, साइबर सुरक्षा और ड्रोन सिस्टम (Unmanned Systems) में निवेश। अग्निपथ योजना के आवंटन में 51% वृद्धि इसी 'स्मार्ट फोर्स' की ओर इशारा करती है।
5. सामरिक कनेक्टिविटी: लड़ाकू और अरुणाचल जैसे अग्रिम क्षेत्रों में हर मौसम में काम करने वाली सुरंगों और सड़कों का निर्माण ताकि सेना की तैनाती तेज हो सके।



रक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- संरचनात्मक असंतुलन: वेतन और पेंशन का बोझ (₹1.71 लाख करोड़) आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध फंड को सीमित कर देता है।
- अवशोषण क्षमता (Absorption Capacity): घरेलू उद्योग अक्सर जटिल और बड़े रक्षा अनुबंधों को तय समय सीमा में पूरा करने में संघर्ष करते हैं।
- आयात पर निर्भरता: लड़ाकू विमानों के इंजन (Aero-engines) और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सब-सिस्टम के लिए हम अभी भी विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर निर्भर हैं।
- GDP के अनुपात में कमी: वृद्धि के बावजूद, रक्षा बजट जीडीपी का लगभग 1.99% है, जबकि विशेषज्ञ इसे 2.5% से 3% के बीच रखने की सलाह देते हैं।

आगे की राह (Way Forward)

- आपातकालीन खरीद का संस्थागतकरण: संकट के समय इस्तेमाल होने वाले 'फास्ट-ट्रैक' तंत्र को मानक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।
- थिएटर कमान और संयुक्तता: थिएटर कमान (Theaterisation) के माध्यम से तीनों सेनाओं के बीच संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा (IP) पर ध्यान: केवल निर्माण नहीं, बल्कि कम से कम 50% अनुबंधों में तकनीक के मालिकाना हक (IP ownership) पर ध्यान देना।
- निर्यात केंद्र (Export Hub): 2027 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य ₹35,000 करोड़ रखने के लिए घरेलू आधार को मजबूत करना।
- MSME इकोसिस्टम: छोटे उद्योगों को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) से जोड़ना।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2026-27 का रक्षा बजट सामरिक तत्परता और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के बीच एक सेतु का काम करता है। 75% स्वदेशी खरीद का निर्णय भारत को 'ग्लोबल डिफेंस हब' बनाने की दिशा में निर्णायक है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय उद्योग कितनी तेजी से सेना को उन्नत तकनीक प्रदान कर पाते हैं।

प्रमुख सैन्य अभ्यास: 2026

संदर्भ:

डीडी न्यूज़ | विषय: राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा कूटनीति संदर्भ: भारत और थाईलैंड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और अंतरसंचालनीयता (Interoperability) बढ़ाने के लिए संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास किया। साथ ही, भारतीय वायु सेना ने पोखरण में अपनी मारक क्षमता के प्रदर्शन हेतु 'वायुशक्ति-26' की घोषणा की है।

सैन्य अभ्यास क्या हैं?

- परिभाषा: यह सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित संरचित प्रशिक्षण संचालन हैं, जिनका उद्देश्य युद्ध तत्परता, परिचालन समन्वय और रणनीतिक प्रतिरोध (Strategic Deterrence) को मजबूत करना है।
- महत्व: ये अभ्यास रक्षा कूटनीति को प्रगाढ़ करते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

1. भारत-थाईलैंड संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास

- उद्देश्य: भारत की 'एवट ईस्ट पॉलिसी' के तहत रक्षा संबंधों को गहरा करना और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- स्थान: हिंद महासागर क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संचालित)।
- प्रतिभागी: भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल थाई वायु सेना (RTAF)।

प्रमुख विशेषताएं:

- लड़ाकू विमानों का मुकाबला: इसमें भारत के Su-30MKI और थाईलैंड के साब ग्रिपेन (Saab Gripen) लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया।
- तकनीकी सहायता: हवा में ईंधन भरने वाले IL-78 टैंकरों का सफल उपयोग।
- निगरानी: भारतीय AWACS (नेत्र/फाल्कन) और थाईलैंड की GCI (ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन) इकाइयों के माध्यम से हवाई निगरानी का समन्वय।
- फोकस: समुद्री हवाई युद्ध (Maritime Air Combat) और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का विकास।

2. अभ्यास 'वायुशक्ति-26'

- परिभाषा: यह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक (Biennial) मारक क्षमता (Firepower) प्रदर्शन अभ्यास है।
- स्थान: पोखरण एयर-टू-ग्राउंड रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)।

- प्रतिभागी: यह पूरी तरह से भारतीय वायु सेना (IAF) का स्वदेशी अभ्यास है।

प्रमुख विशेषताएं:

- प्लेटफॉर्म की भागीदारी: राफेल, तेजस (LCA), सुखोई-30MKI, मिराज-2000, जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों साथ ही अपाचे, चिनूक और एलसीएच (प्रचंड) हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन।
- स्वदेशी हथियार प्रणालियां: आकाश, स्पाईडर (SPYDER) और सीयूएस (Counter-UAS) प्रणालियों का परीक्षण।
- ऑपरेशनल क्षमता: दिन, शाम और रात (Full Spectrum) के समय सटीक स्ट्राइक मिशनों का प्रदर्शन।
- रणनीतिक सीख: इस अभ्यास में 'ऑपरेशन सिंदूर' से मिले अनुभवों और सबकों को लागू किया गया है।
- मूल मंत्र: अचूक (सटीक निशाना), अभेद्य (सुरक्षित सुरक्षा तंत्र), और सटीक (समयबद्ध प्रहार)।

निष्कर्ष

जहाँ थाईलैंड के साथ साझा अभ्यास भारत की क्षेत्रीय साझेदारी और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को मजबूत करता है, वहीं 'वायुशक्ति-26' 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत हमारी स्वदेशी युद्ध क्षमताओं और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी का जीवंत प्रमाण है।

मिलन (MILAN) 2026 नौसेना अभ्यास

संदर्भ:

डीडी न्यूज | विषय: राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा कूटनीति
संदर्भ: रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में आयोजित 'मिलन 2026' के दौरान नौ आसियान (ASEAN) देशों के नौसेना प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की।

यह क्या है?

- परिभाषा: 'मिलन' भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (Multilateral Naval Exercise) है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मित्र नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग, विश्वास और अंतरसंचालनीयता (Interoperability) को बढ़ावा देना है।
- महत्व: यह जटिल समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर संयुक्त प्रशिक्षण, परिचालन समन्वय और रणनीतिक संवाद के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

आयोजन और सहभागिता

- मेजबान: भारतीय नौसेना (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश)।
- विस्तार: यह मिलन अभ्यास का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें 74 देशों ने भाग लिया है।
- क्षेत्रीय जुड़ाव: इसमें 9 आसियान सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की मजबूती को दर्शाती है।

प्रमुख उद्देश्य

- सामूहिक सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और शांति के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना।
- परिचालन समन्वय: संयुक्त अभ्यासों और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच तकनीकी और परिचालन तालमेल में सुधार करना।

प्रमुख विशेषताएं

- थीम (विषय): "सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग" (Camaraderie, Cohesion, and Collaboration)।

समुद्री चरण (Sea Phase) के अभ्यास:

- पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW): समुद्र के नीचे से आने वाले खतरों से निपटने का अभ्यास।
- वायु रक्षा (Air Defence): हवाई हमलों के विरुद्ध युद्धपोतों की सुरक्षा।
- खोज और बचाव (SAR): आपातकालीन स्थितियों में बचाव अभियान।
- विशेष कार्यक्रम: 'अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026' और 'आईओएनएस (IONS) कॉन्वलेव ऑफ चीफ्स' का सफल आयोजन।
- स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन: भारत ने अपने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त और विशाखापत्तनम-श्रेणी के विध्वंसक (Destroyers) जहाजों की क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।

रणनीतिक महत्व

- भारत की भूमिका: यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (प्रमुख सुरक्षा भागीदार) के रूप में स्थापित करता है।

- रक्षा कूटनीति: यह भारत के 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विजन और 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत रणनीतिक जुड़ाव को नई ऊँचाई देता है।

निष्कर्ष

मिलान 2026 केवल एक युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह वैश्विक नौसेनाओं के बीच विश्वास का सेतु बनाने में सफल रहा है।

भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का सूर्यास्त

संदर्भ:

इंडियन एक्सप्रेस | विषय: आंतरिक सुरक्षा संदर्भ: ₹1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी नेता थिप्पिरी तिरुपति (उर्फ देवूजी) का आत्मसमर्पण सीपीआई (माओवादी) के पतन का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। वर्ष 2024 से अब तक 500 से अधिक कैडरों के सफाए के साथ, यह दशकों पुराने विद्रोह के अंत की ओर संकेत करता है।

नक्सलवाद: एक परिचय और वर्तमान स्थिति

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह है, जो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखता है। कभी इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए "सबसे बड़ा खतरा" माना जाता था।
- भौगोलिक संकुचन: 'रेड कॉरिडोर' (Red Corridor), जो कभी 10 राज्यों में फैला था, अब सिमटकर केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर और झारखंड-बिहार सीमा के कुछ अलग-थलग पॉकेट्स तक रह गया है।



पतन के मुख्य आंकड़े (2024-2026)

- नेतृत्व का संकट: माओवादी 'सेंट्रल कमेटी' (CC), जिसमें कभी 50 सक्रिय सदस्य थे, अब केवल मिसिर बेसरा जैसे गिने-चुने सक्रिय सदस्यों तक सीमित है।
- सफाया दर (Neutralization Rate): सुरक्षा बलों ने 2025 में 285 और 2026 के शुरुआती दो महीनों में 22 माओवादियों को ढेर किया है।
- प्रतीकात्मक हार: विद्रोह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने जंगलों में स्थित 100 से अधिक माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है।

गिरावट के प्रमुख कारण

- नेतृत्व का अभाव: देवूजी और सोनू (2025) जैसे रणनीतिकारों के आत्मसमर्पण ने कैडरों को वैचारिक और सामरिक रूप से अनाथ कर दिया है।
- आक्रामक सुरक्षा रणनीति: तेलंगाना के 'ब्रेहाउंड्स' और सीआरपीएफ के 'कोबरा' (CoBRA) कमांडो अब रक्षात्मक के बजाय 'प्रो-एक्टिव' ऑपरेशन चला रहे हैं।
- उदाहरण: सुरक्षा बल अब दक्षिण बस्तर के उन 'नो-गो जोन' (जहाँ जाना प्रतिबंधित था) में स्थायी कैंप स्थापित कर रहे हैं।
- विचारधारा का अंत: आदिवासी युवा अब माओवादी विचारधारा के बजाय डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा और नौकरियों में रुचि ले रहे हैं।
- बुनियादी ढांचे की पैठ: सुकमा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और मोबाइल टावरों ने माओवादियों के भौगोलिक लाभ (जंगल का छिपने के लिए उपयोग) को समाप्त कर दिया है।
- तकनीकी बुद्धिमत्ता: ड्रोन निगरानी और सटीक इंटेलिजेंस (Tech-Int) ने बड़ी प्लाटूनों की आवाजाही को लगभग असंभव बना दिया है।

सरकार की प्रमुख पहलें

- ऑपरेशन समाधान (SAMADHAN): यह स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, और सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित एक व्यापक कार्ययोजना है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: प्रभावित 35 जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान।
- रोशनी योजना: उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए 'प्लेसमेंट-लिंकड' कौशल विकास कार्यक्रम।
- पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं के लिए भारी नकद पुरस्कार (₹1 करोड़ तक) और सुरक्षित जीवन का विकल्प।

शेष चुनौतियाँ

- अबूझमाड़ की दुर्गमता: अबूझमाड़ के घने जंगलों में अभी भी कुछ स्नाइपर और छोटी इकाइयाँ सक्रिय हैं।
- अंतर-राज्यीय समन्वय: माओवादी अक्सर राज्य सीमाओं (जैसे ओडिशा-छत्तीसगढ़) का लाभ उठाकर भाग निकलते हैं।
- आईईडी (IED) का खतरा: दंतोवाड़ा जैसे क्षेत्रों में बार-बार होने वाले आईईडी विस्फोट सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी भौतिक चुनौती बने हुए हैं।

- अर्बन नेटवर्क (Overground Fronts): शहरों में सक्रिय 'फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन' अभी भी बौद्धिक समर्थन और युवाओं के कट्टरपंथ की कोशिश करते हैं।

आगे की राह (The Way Forward)

- अंतिम मील तक शासन: सुनिश्चित करना कि उग्रवाद खत्म होने के बाद उन क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और स्वच्छ पानी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे।
- स्थानीय भाषा में संवाद: माओवादी दुष्प्रचार को काटने के लिए गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं का प्रचार करना।
- स्थानीय पुलिस का सुदृढ़ीकरण: धीरे-धीरे केंद्रीय बलों की जगह स्थानीय पुलिस को कमान देना, जिनके पास बेहतर 'ह्यूमन इंटेलिजेंस' होती है।
- तकनीकी सुरक्षा: जवानों को आईईडी से बचाने के लिए और अधिक 'माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स' (MPV) और ड्रोन आधारित वलीयर्स सिस्टम का उपयोग।

निष्कर्ष

सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व का बिखरना इस बात का प्रमाण है कि इस आंदोलन ने अपनी वैचारिक धार और रणनीतिक गहराई खो दी है। भारत में संगठित माओवादी विद्रोह अपने अंतिम चरण में है। अब चुनौती 'युद्ध जीतने' से 'शांति बनाए रखने' और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की है।

ऑपरेशन डिमोलिशमेंट

संदर्भ:

सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के तहत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जुड़े 200 से अधिक स्मारकों और स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है, जो नक्सल विरोधी अभियानों में एक नया चरण है।



ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के बारे में:

यह क्या है?

- ऑपरेशन डिमोलिशमेंट एक उग्रवाद विरोधी पहल है जो कथित तौर पर नक्सली समूहों द्वारा अपने नेताओं का महिमामंडन करने और चरमपंथी विचारधारा फैलाने के लिए बनाए गए स्मारकों और स्मारकों को ध्वस्त करने पर केंद्रित है।

आयोजन:

- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा राज्य पुलिस और उग्रवाद विरोधी एजेंसियों के समन्वय से आयोजित किया जाता है।
- इसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में तीव्र वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वैचारिक लक्ष्यीकरण रणनीति: प्रचार, स्मारक सभाओं और भर्ती प्रभाव के लिए नक्सली समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों और साइटों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- एकीकृत उग्रवाद विरोधी दृष्टिकोण: कैडरों के खिलाफ सशस्त्र अभियानों के समानांतर चलता है, जिसका उद्देश्य भौतिक नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक सहायता संरचनाओं दोनों को कमजोर करना है।

महत्त्व:

- चरमपंथी प्रभाव को कमजोर करना: स्मारकों को ध्वस्त करके, अधिकारियों का लक्ष्य स्थानीय युवाओं और कमजोर समुदायों के बीच वैचारिक आकर्षण को कम करना है।
- समग्र विद्रोह विरोधी की ओर बदलाव: यह विशुद्ध रूप से सैन्य अभियानों से नक्सलवाद को बनाए रखने वाले कथा और सामाजिक आधार को लक्षित करने के लिए एक संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास: 2026

संदर्भ:

भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को सशक्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास शुरू किए हैं—'अभ्यास धर्म गार्जियन' (जापान के साथ) और 'अभ्यास वज्र प्रहार' (अमेरिका के साथ)। इनका मुख्य उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के साथ 'अंतरसंचालनीयता' (Interoperability) को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।

सैन्य अभ्यास: एक संक्षिप्त परिचय

- उद्देश्य: ये अभ्यास दो या दो से अधिक देशों की सेनाओं के बीच परिचालन तत्परता, सामरिक समन्वय और सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) के आदान-प्रदान के लिए आयोजित किए जाते हैं।
- रणनीतिक लाभ: यथार्थवादी युद्ध सिमुलेशन के माध्यम से ये अभ्यास रक्षा साझेदारी को मजबूत करते हैं और किसी भी वैश्विक संकट के समय संयुक्त कार्रवाई की क्षमता विकसित करते हैं।



1. अभ्यास 'धर्म गार्जियन' (Dharma Guardian)

यह भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JGSDF) के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है।

- मेजबान एवं स्थान: फॉरेन ट्रेनिंग नोड, चौबटिया, उत्तराखंड (भारत)।
- प्रतिभागी: भारत और जापान।

प्रमुख विशेषताएं:

- शहरी युद्ध कौशल: अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों और समन्वित सैन्य प्रतिक्रियाओं पर विशेष ध्यान।
- सामरिक तकनीक: घेराबंदी, तलाशी अभियान (Cordon and Search) और रूम इंटरवेंशन (House Intervention) जैसे जटिल अभ्यासों का संचालन।
- ISR ब्रिड: आधुनिक तकनीक के माध्यम से इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही (ISR) ब्रिड विकसित करने पर जोर।
- हेलीबोर्न ऑपरेशंस: यथार्थवादी युद्ध स्थितियों के लिए हेलीकॉप्टर आधारित संचालन और अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) की स्थापना का प्रशिक्षण।

2. अभ्यास 'वज्र प्रहार' (Vajra Prahar)

- यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों (Special Forces) के बीच आयोजित होने वाला एक विशिष्ट अभ्यास है।
- मेजबान एवं स्थान: विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल (SFTS), बकलोह, हिमाचल प्रदेश (भारत)।
- प्रतिभागी: भारतीय सेना के विशेष बल और यूएस ग्रीन बरेट्स (US Green Berets)।

प्रमुख विशेषताएं:

- विशेष ऑपरेशंस: पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में विशेष अभियानों (Special Operations) की रणनीति और प्रक्रियाओं (TTPs) पर ध्यान केंद्रित करना।
- मिशन प्लानिंग: गहन संयुक्त मिशन योजना और कठोर शारीरिक कंडीशनिंग के माध्यम से सैनिकों की क्षमता का परीक्षण।
- पारस्परिकता: दोनों देशों के विशिष्ट घातक बलों के बीच आपसी विश्वास, पेशेवर आदान-प्रदान और परिचालन तालमेल को बढ़ाना।
- रणनीतिक महत्व: यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और हाई-वैल्यू टारगेट ऑपरेशंस में दोनों देशों की संयुक्त क्षमता को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

जहाँ 'धर्म गार्जियन' जापान के साथ हमारे बढ़ते रक्षा पदचिह्नों को दर्शाता है, वहीं 'वज्र प्रहार' अमेरिका के साथ भारत के गहरे रणनीतिक और विशिष्ट सैन्य संबंधों को प्रमाणित करता है। ये अभ्यास न केवल भारत की सैन्य क्षमता को धार देते हैं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हैं।

आईएनएस कृष्णा (INS Krishna): स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज

संदर्भ:

भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टपल्ली स्थित एलएंडटी (L&T) शिपयार्ड में तीन स्वदेशी 'कैडेट प्रशिक्षण जहाजों' (CTS) की श्रृंखला के पहले जहाज, आईएनएस कृष्णा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।



यह क्या है?

- परिभाषा: यह लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा डिजाइन और निर्मित 'कैडेट ट्रेनिंग शिप' वर्ग का प्रमुख (Lead) जहाज है।
- भूमिका: यह जहाज अधिकारी कैडेटों को शैक्षणिक शिक्षा (तटीय प्रशिक्षण) से व्यावहारिक समुद्री संचालन (On-sea Operations) में ढालने के लिए एक समर्पित अत्याधुनिक मंच है।
- उद्देश्य: नौसेना के प्रशिक्षण ढांचे को सशक्त बनाना ताकि कैडेटों को नेविगेशन, नाविक कौशल (Seamanship) और जहाज संचालन का वास्तविक अनुभव मिल सके, वह भी सक्रिय युद्धपोतों की ड्यूटी को प्रभावित किए बिना।

प्रमुख विशेषताएं और तकनीकी विवरण

विशेषता	विवरण
विस्थापन (Displacement)	लगभग 4,700 टन
लंबाई	122 मीटर
अधिकतम गति	20 समुद्री मील (Knots)
सहनशक्ति (Endurance)	समुद्र में निरंतर 60 दिनों तक रहने की क्षमता
आवास क्षमता	20 अधिकारी, 150 नाविक और 200 कैडेट (महिला कैडेटों सहित)

विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं:

- अत्याधुनिक कक्षाएं: जहाज पर 3 हार्ड-टेक कक्षाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में 70 कैडेट एक साथ पढ़ सकते हैं।
- सिमुलेशन केंद्र: वॉच-कीपिंग (पहरेदारी) और नेविगेशन अभ्यास के लिए एकीकृत सिमुलेटर, एक समर्पित कैडेट प्रशिक्षण ब्रिज और चार्ट हाउस।

रक्षात्मक आयुध (Defensive Suite):

प्रशिक्षण जहाज होने के बावजूद, यह आत्मरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस है:

- मुख्य गन: 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM)।
- CIWS: दो AK-630M वलोज-इन वेपन सिस्टम (मिसाइल/ड्रोन हमले से बचाव हेतु)।
- रिमोट गन: 12.7 मिमी स्थिर रिमोट-नियंत्रित बंदूकें।

रणनीतिक महत्त्व

- आत्मनिर्भर भारत (Indigenization): 'बाय (इंडियन)-IDDM' श्रेणी के तहत निर्मित यह जहाज युद्धपोत डिजाइन और निजी क्षेत्र के जहाज निर्माण (L&T) में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
- नौसेना कूटनीति (Naval Diplomacy): इस जहाज का उपयोग केवल भारतीय कैडेटों के लिए ही नहीं, बल्कि मित्र देशों (Friendly Foreign Countries) के कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संबंध मजबूत होंगे।
- भविष्य के नेतृत्व का निर्माण: यह एक साथ बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कैडेटों को आधुनिक नौसैनिक युद्ध की बारीकियां सिखाने में सक्षम है।

निष्कर्ष

आईएनएस कृष्णा का लॉन्च होना न केवल भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत अब जटिल और विशिष्ट सैन्य जहाजों के निर्माण में पूरी तरह सक्षम है। यह जहाज आने वाली पीढ़ियों के नौसैनिक अधिकारियों की कार्यकुशलता की नींव रखेगा।

16वां वित्त आयोग: हीटवेव और बिजली को 'राष्ट्रीय आपदा' का दर्जा

संदर्भ:

भारत में 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान और बिजली गिरने से बढ़ती मौतों को देखते हुए, 16वें वित्त आयोग ने 'हीटवेव' (Heatwave) और 'आकाशीय बिजली' (Lightning) को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं (National Disasters) की सूची में शामिल करने की औपचारिक सिफारिश की है।

16वां वित्त आयोग क्या है?

- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण का सूत्र (Formula) तय करता है।
- नेतृत्व: डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित।
- कार्यकाल: यह आयोग अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देगा।



बढ़ता खतरा: प्रमुख रुझान और डेटा

1. हीटवेव (Heatwave)

- रिकॉर्ड गर्मी: वर्ष 2024 भारत का 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा। दिल्ली और राजस्थान में पारा 50°C के पार चला गया।
- आवृत्ति (Frequency): 2024 में भारत ने कुल 446 'हीटवेव दिवस' देखे, जो पिछले दो दशकों में सर्वाधिक हैं।
- गर्म रातें (Warm Nights): एक नया खतरनाक रुझान उभरा है जहाँ रात का तापमान कम नहीं हो रहा, जिससे मानव शरीर को गर्मी से उबरने का समय नहीं मिल पा रहा।

2. आकाशीय बिजली (Lightning)

- हमलों में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण 2019 से 2025 के बीच बिजली गिरने की घटनाओं में 400% की वृद्धि हुई है।
- सर्वाधिक घातक: वर्तमान में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों में 35% से अधिक योगदान अकेले बिजली गिरने का है।
- उदाहरण: अप्रैल 2025 में मात्र एक सप्ताह के भीतर बिहार में बिजली गिरने से 100 लोगों की जान गई।

इन आपदाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता क्यों?

- राज्यों के लिए वित्तीय लचीलापन: वर्तमान में राज्य अपने SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) का केवल 10% 'स्थानीय आपदाओं' पर खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने के बाद, वे NDRF से अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे और विकास निधि को डायवर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- समान मुआवजा प्रणाली: राष्ट्रीय अधिसूचना से पूरे देश में पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि (Ex-gratia) का मानकीकरण होगा, जिससे राज्य-दर-राज्य असमानता खत्म होगी।
- श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा: इसे आपदा घोषित करने से प्रशासन को बाहरी श्रमिकों (Construction/Agriculture) के लिए कार्य के घंटों में बदलाव और सुरक्षा नियमों को अनिवार्य रूप से लागू करने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
- शमन (Mitigation) में निवेश: इससे 'मिटिगेशन फंड' का उपयोग कूलिंग शेल्टर, ठंडी छतें (Cool Roofs) और बिजली सुरक्षा उपकरणों (Lightning Arresters) के निर्माण जैसे स्थायी समाधानों के लिए किया जा सकेगा।
- अनिवार्य चेतावनी प्रणाली: आपदा की स्थिति में मौसम विभाग के अलर्ट केवल 'सलाह' न रहकर 'अनिवार्य निर्देश' बन जाएंगे, जिससे जिला स्तर पर जवाबदेही तय होगी।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

1. मृत्यु का सटीक कारण: यह प्रमाणित करना कठिन होता है कि मृत्यु केवल गर्मी (Heatstroke) से हुई है या पहले से मौजूद किसी बीमारी (जैसे हृदय रोग) के कारण।
2. वित्तीय भार: प्रति वर्ष हजारों मौतों के लिए मुआवजा देने से केंद्र और राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
3. भौगोलिक प्रसार: चक्रवात एक सीमित क्षेत्र में आता है, जबकि हीटवेव एक साथ आधे देश को प्रभावित करती है, जिससे आपदा क्षेत्र की पहचान करना कठिन हो जाता है।

4. डेटा रिपोर्टिंग: ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी से होने वाली मौतों की अक्सर कम रिपोर्टिंग (Under-reporting) होती है, जिससे धन का असमान वितरण हो सकता है।

वर्तमान पहलें (In-situ Initiatives)

- हीट एक्शन प्लान (HAP): वर्तमान में 23 राज्यों में लागू
- एमपीएलएस (MPLS) परियोजना: NDMA द्वारा 10 उच्च जोखिम वाले राज्यों में बिजली से बचाव के खंभे लगाने की योजना
- सचेत (Sachet) पोर्टल: वास्तविक समय में भू-लक्षित (Geo-targeted) एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए

आगे की राह (Way Forward)

- गतिशील थ्रेसहोल्ड: हीटवेव घोषित करने के लिए 'वेट बल्ब तापमान' (आर्द्रता + गर्मी) का उपयोग किया जाए
- पैरामीट्रिक बीमा: अत्यधिक मौसम के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के नुकसान को कवर करने के लिए बीमा मॉडल
- शहरी शीतलन (Urban Cooling): स्मार्ट सिटी मिशन में कूल रूफ नीतियों और ग्रीन कॉरिडोर को एकीकृत करना
- मेडिकल ऑडिट: गर्मी से संबंधित मौतों को सटीक रूप से प्रमाणित करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन

निष्कर्ष

16वें वित्त आयोग की यह सिफारिश भारत की आपदा नीति में एक 'पैराडाइम शिफ्ट' है। यह स्वीकार करता है कि गर्मी और बिजली जैसे 'साइलेंट किलर' अब बड़े चक्रवातों से भी अधिक घातक हैं। ₹1.4 लाख करोड़ के राजकोषीय प्रावधान के साथ, सरकार अब केवल राहत देने के बजाय 'जलवायु लचीलापन' (Climate Resilience) बनाने की ओर बढ़ रही है।

भारत में रासायनिक गैस रिसाव: औद्योगिक सुरक्षा और चुनौतियां

संदर्भ:

वलसाड (गुजरात) के सरिगाम GIDC स्थित 'साइनेक्स मेट केम फार्मा' में हालिया गैस रिसाव ने औद्योगिक गलियारों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता पर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस घटना में यूनिट मालिक सहित चार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

रासायनिक गैस रिसाव: एक परिचय

- परिभाषा: औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान खतरनाक गैसों या वाष्प का अनजाने में वातावरण में मुक्त होना 'गैस रिसाव' कहा जाता है। यह आमतौर पर उपकरण की विफलता, मानवीय त्रुटि या अनियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है।
- गैसों के प्रकार: इनमें जहरीली गैसों (क्लोरीन, अमोनिया), ज्वलनशील गैसों (LPG, मीथेन) या श्वासावरोधक (Asphyxiants) शामिल हो सकते हैं जो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देते हैं।



भारत में रासायनिक रिसाव: सांख्यिकी और डेटा

- MAH इकाइयाँ: NDMA के अनुसार, भारत में 1,861 से अधिक 'प्रमुख दुर्घटना खतरा' (Major Accident Hazard) इकाइयाँ हैं, जो 300 जिलों में फैली हुई हैं।
- क्षेत्रीय जोखिम: भारत के कुल रासायनिक उत्पादन का 35% अकेले गुजरात में होता है, जिससे यह राज्य औद्योगिक रिसाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है।
- घटनाओं का रुझान: 2021-2024 के बीच भारत में प्रतिवर्ष औसतन 15-20 महत्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।
- MSME की भेद्यता: लगभग 60% दुर्घटनाएं छोटे और मध्यम उद्योगों में होती हैं, जहाँ सुरक्षा ऑडिट और बजट अक्सर सीमित होते हैं।

प्रमुख ऐतिहासिक रासायनिक त्रासदियां

घटना	वर्ष	शामिल रसायन	प्रभाव
भोपाल गैस त्रासदी	1984	मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)	विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा; हजारों मौतें।
विजाग गैस रिसाव	2020	स्टाइरीन गैस	12 मौतें; हजारों लोग फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित।
सूरत गैस रिसाव	2022	जहरीली अपशिष्ट गैस	टैंकर से अवैध डंपिंग के दौरान 6 मजदूरों की मौत।
तुधियाना रिसाव	2023	हाइड्रोजन सल्फाइड	सीवर लाइन से रिसाव; 11 लोगों की मृत्यु।

विद्यमान चुनौतियां

- कमजोर सुरक्षा ऑडिट: कई इकाइयाँ अनिवार्य दबाव पोत (Pressure Vessel) परीक्षणों को नजरअंदाज करती हैं। वलसाड (2026) की घटना में भी रिक्टर की अखंडता पर सवाल उठे हैं।
- बफर जोन का अभाव: औद्योगिक क्षेत्र (GIDC) अक्सर घनी आबादी वाली श्रमिक कॉलोनिजों के ठीक बगल में स्थित होते हैं, जिससे रिसाव मिनटों में आबादी तक पहुंच जाता है।

- तकनीकी पिछड़ापन: पुराने कारखानों में 'रियल-टाइम गैस सेंसर' की कमी है, जिससे रिसाव की पहचान में देरी होती है।
- अनौपचारिक श्रम: संविदात्मक श्रमिकों के पास सुरक्षा प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का अभाव होता है।
- जर्जर बुनियादी ढांचा: कई औद्योगिक एस्टेट में पाइपलाइनों और रिएक्टर अपने सुरक्षा जीवनकाल (20 वर्ष) को पार कर चुके हैं।

NDMA के सुरक्षा दिशा-निर्देश

1. जोखिम मानचित्रण (Hazard Mapping): सभी MAH इकाइयों के लिए 'इम्पैक्ट ज़ोन मैप' तैयार करना।
2. अनिवार्य बफर ज़ोन: खतरनाक भंडारण के चारों ओर 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' सुनिश्चित करना।
3. आपातकालीन केंद्र (ERC): 24/7 केंद्रों की स्थापना, जो हज़मत (Hazmat) सूट और न्यूट्रलाइज़र से लैस हों।
4. नियमित मॉक ड्रिल: कारखानों, अग्निशमन विभाग और स्थानीय अस्पतालों के बीच त्रैमासिक संयुक्त अभ्यास।
5. एंटीडोट बैंक: स्थानीय अस्पतालों में विशिष्ट रसायनों के काट (Antidotes) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

आगे की राह (Way Forward)

- IoT आधारित निगरानी: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) को रियल-टाइम अलर्ट भेजने के लिए डिजिटल सेंसर का उपयोग।
- कठोर विधिक कार्रवाई: सुरक्षा चूक होने पर केवल 'वलोजर नोटिस' नहीं, बल्कि मालिकों पर भारी आपराधिक दायित्व (Criminal Liability) तय करना।
- GPS ट्रैकिंग: जहरीले कचरे की अवैध डंपिंग रोकने के लिए अपशिष्ट टैंकरों की अनिवार्य जीपीएस निगरानी।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: रिसाव होने पर 5 किमी के दायरे में रहने वाले निवासियों को तत्काल SMS अलर्ट भेजना।
- ग्रीन केमिस्ट्री: खतरनाक और वाष्पशील रसायनों के स्थान पर कम जहरीले विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

वलासाड की घटना एक गंभीर चेतावनी है कि औद्योगिक प्रगति मानवीय जीवन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। गुजरात जैसे रासायनिक हब में 'सुरक्षा-दर-डिजाइन' (Safety-by-Design) को अपनाना और नियामक संस्थाओं की निगरानी को सख्त करना ही अगली बड़ी त्रासदी को रोकने का एकमात्र मार्ग है।

पूर्वोत्तर भारत में वनाग्नि (Forest Fires): चुनौतियां और समाधान

संदर्भ:

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक सप्ताह से अधिक समय से भीषण आग भड़की हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायु सेना (IAF) ने 'ऑपरेशन लोहित' और 'जुकोउ घाटी' में उच्च ऊंचाई वाले हवाई अग्निशमन (Aerial Firefighting) अभियान शुरू किए हैं।

पूर्वोत्तर की वनाग्नि: एक परिचय

- प्रकृति: इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सतही आग (Surface Fire) लगती है, जो सूखी पतियों, घास और मलबे के माध्यम से फैलती है। सर्दियों के शुष्क महीनों (दिसंबर-मार्च) में खड़ी ढलानों के कारण यह अत्यंत तीव्र हो जाती है।
- पारिस्थितिक महत्व: यह क्षेत्र 'ग्लोबल जैव विविधता हॉटस्पॉट' है। आग यहाँ की दुर्लभ प्रजातियों, स्वदेशी आजीविका और पहाड़ी मिट्टी की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है।

महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य

- तीव्रता: वर्ष 2025 की तुलना में 2026 की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में आग की घटनाओं में लगभग 200 गुना वृद्धि देखी गई।
- IAF का योगदान: वायु सेना 9,500 फीट की ऊंचाई पर बांबी बकेट (Bambi Bucket) मिशन चला रही है। अकेले वालोंग सेक्टर में 1.4 लाख लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया जा चुका है।
- मौसमी परिवर्तन: आमतौर पर आग मार्च-अप्रैल में चरम पर होती है, लेकिन 2026 में फरवरी में ही 'प्री-सीजन पीक' देखा गया।


जंगल की आग के प्रमुख कारण

1. जलवायु परिवर्तन और शुष्कता: सर्दियों में बारिश (पश्चिमी विक्षोभ) की कमी ने वनों को 'टिंडरबॉक्स' (अत्यंत ज्वलनशील) बना दिया है।
2. झूम खेती (Shifting Cultivation): पारंपरिक 'स्लैश-एंड-बर्न' प्रथा के दौरान लगाई गई आग अक्सर अनियंत्रित होकर गहरे जंगलों तक पहुँच जाती है।
3. ईंधन का संचय: सूखे बांस, चीड़ की सुइयां और अल्पाइन घास प्राकृतिक ईंधन के रूप में आग की लपटों को और भड़काते हैं।
4. मानवीय लापरवाही: ट्रेकर्स और शिकारियों द्वारा छोड़ी गई जलती हुई वस्तुएं (जैसे सिगरेट या कैंपफायर) अक्सर विनाशकारी आग का कारण बनती हैं।
5. चिमनी प्रभाव (Chimney Effect): खड़ी ढलान और तेज हवाएं आग की लपटों को तेजी से ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे इसे बुझाना मुश्किल हो जाता है।

FOREST FIRES RAVAGE ARUNACHAL PRADESH

Arunachal Pradesh has witnessed an almost 200-fold surge in forest fire incidents in the past week, rising from just five cases in 2025 to over 900 in 2026.

Source: FIRMS S-APP



विद्यमान चुनौतियां

- दुर्गम भौगोलिक स्थिति: ऊबड़-खाबड़ हिमालयी चोटियों के कारण दमकल वाहनों का पहुँचना असंभव है।
- तकनीकी बाधाएं: उच्च ऊंचाई पर हवा कम दबाव की होती है, जिससे हेलीकॉप्टर की वजन उठाने की क्षमता (Lift) और दृश्यता (Visibility) प्रभावित होती है।
- जल स्रोतों की कमी: पहाड़ियों पर आग के पास बड़े जल निकायों का अभाव होता है, जिससे पानी भरने के लिए हेलीकॉप्टरों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
- नीतिगत दृष्टि: आदिवासी समुदायों के पारंपरिक कृषि अधिकारों (झूम) और वन संरक्षण कानूनों के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती है।

प्रमुख रक्षात्मक पहलें


- IAF HADR मिशन: सटीक अग्निशमन के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों की तैनाती।
- समन्वित संचालन: सेना के 'स्पीयर कोर', राज्य वन विभागों और आपदा प्रबंधन इकाइयों के बीच संयुक्त प्रयास।
- FSI निगरानी: 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा SNPP-VIIRS प्रणाली के माध्यम से रीयल-टाइम सैटेलाइट अलर्ट प्रदान करना।
- FPM योजना: केंद्र सरकार द्वारा 'वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन' योजना के तहत वित्तीय सहायता।

आगे की राह (Way Forward)

- सामुदायिक फायर ब्रिगेड: स्थानीय ग्राम परिषदों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स' के रूप में प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना।
- तकनीकी एकीकरण: आग के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए AI-आधारित मॉडलिंग और रात में निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग।
- ईंधन प्रबंधन: सूखे बायोमास (जैसे पाइन सुई) को जैव-ईंधन के लिए एकत्रित करने के व्यावसायिक मॉडल को बढ़ावा देना।
- अमृत सरोवर का उपयोग: उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर बाट्टी संचालन के लिए कृत्रिम जल कुंडों का निर्माण।
- क्षेत्रीय टास्क फोर्स: उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच संसाधन साझा करने के लिए एक 'संयुक्त अग्निशमन कार्य बल' की स्थापना।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर की वनाग्नि केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा है। 2026 की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हमें केवल हवाई हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय सामुदायिक भागीदारी और आधुनिक तकनीक का तालमेल बिठाना होगा। 'पूर्व के इन फेफड़ों' को बचाना भारत की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।




UPSC

▶ **CCS UPSC & JPSC**

@ccsupsc

CCS
UPSC



अब करें तैयारी
UPSC/JPSC/BPSC की
कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- निःशुल्क पाठ्यसमग्री
- निःशुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी


GET IT ON
Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

▶ **CCS UPSC & JPSC**

@ccsupsc

CCS
UPSC



Now prepare for
UPSC/JPSC/BPSC
from Anywhere!

- Live + Recorded Classes
- Study Materials
- All India Test Series
- Free Study Materials
- Free Test Series
- Current Affairs
- 24*7 Doubt Support
- Highly Affordable Fee
- Highly Effective Preparation

GET IT ON
Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app